

वित्तीय वर्ष 2005–2006 में मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद में  
जारी स्वीकृतियों का फोल्डर



**Order-01**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-34 / 2005 / एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 08 अप्रैल, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित संस्था को उनके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-1,00,000 / -(रूपये-एक लाख) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक / दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम / पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	4849 / सीएमएस / 2005 दिनांक 7.4.2005 (आयुक्त, अनु.जाति कल्याण से प्राप्त प्रस्ताव क्र.74 दिनांक 5.4.2005)	डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक निर्माण समिति, अम्बेडकर नगर, महु, जिला-इन्दौर. (अम्बेडकर जयंती समारोह दिनांक 1404.2005 के आयोजन हेतु)	रूपये-1,00,000 / - (एक लाख)
		कुल राशि-	रूपये-1,00,000 / -

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये-1,00,000 / -(रूपये-एक लाख) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,  
(एन.पी.करंजिया)

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 08 अप्रैल, 2005.

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-34/2005/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-इन्दौर, (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित संस्था को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिताओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

(एन.पी.करंजिया)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

 08042005.

**Order-02**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-37/2005/एक(1)  
प्रति,

दद भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि **रूपये-1,10,000/-** (रूपये-एक लाख दस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम-552/2005 दिनांक 31.3.2005 आर-7.	श्रीमती शांताबाई रहंगडाले पति श्री पी.डी.रहंगडाले द्वारा श्री पाशवेन्द्र पारधी निवासी- वार्ड 22, सर्किट हाउस रोड,बालाघाट (ऑख के ट्यूमर के उपचारार्थ)	रूपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
2	एचसीएम-553/2005 दिनांक 31.3.2005 आर-8.	श्री लखनलाल तुमसरे पिता श्रीहगरु जी तुमसरे, मुपो कनकी, तह-लालबर्गा, जिला-बालाघाट (हृदय बाल्ब के उपचारार्थ)	रूपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
3	एचसीएम-551/2005दिनांक 31.3.2005 आर-9.	श्री चंदनलाल पिता श्री धनलाल पवार, निवासी वार्ड नं.13, बूढी, जिला-बालाघाट (ब्लड कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
4	एचसीएम-574/2005दिनांक 31.3.2005 आर-10.	श्री बृजेन्द्र मिश्रा आ. श्री एम.पी. मिश्रा,निवासी-बी.के.मिश्रा, धवारही गली नं-4,मिश्रा क्लीनिक तह.रघुराज नगर,जिला (म.प्र.) हृदय रोग इलाज हेतु	रूपये-10,000/- (दस हजार)
5	एचसीएम-648/2005 दिनांक 11.04.2005 आर-38.	श्री प्रकाश कुमार ठाकुर, जी-98/25, तुलसीनगर, भोपाल (स्वयं के उपचार हेतु)	रूपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
		<b>कुल राशि-</b>	<b>रूपये-1,10,000/-</b>

2

- अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि **रूपये-1,10,000/-**(एक लाख दस हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के **कलेक्टर** के माध्यम से किया जाएगा। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।
- यह व्यय वित्तीय वर्ष **2005-2006** के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,  
(एन.पी.करंजिया)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग  
भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल, 2005.

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-37/2005/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

- महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
- सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.

3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-बालाघाट/सतना/भोपाल, (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक ही व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिताओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. माननीय श्री गौरीशंकर बिसेन, संसद सदस्य, सफ़िट हाउस रोड, बालाघाट (म.प्र.)
6. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
7. संबंधित.
8. स्टाक फाइल.

(एन.पी.करंजिया)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग



11042005

**Order-03**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन

—: आदेश —:

क्रमांक एफ ए 7-122/2004/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:— माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान –वित्तीय वर्ष 2005–2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, नियम शिथिल करते हुए निम्नलिखित संस्था को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-60,00,000/- (रूपये-साठ लाख) मात्र स्वीकृत किये हैं:—

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1.	4772/सीएमएस/05 2.4.2005 एवं 6.4.2005 (जा.229/एससीएम/04 13. 12.2004, 1839/सीएमएस/ एसएसयू/2004	कलेक्टर, जिला-सतना, मध्यप्रदेश. चित्रकूट प्रवास के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा-दि. 04.12.2004	रु-60,00,000/- (रूपये-साठ लाख)

दिनांक 21.12.2004 आर-168)	(बाल नेत्र सुरक्षा केन्द्र, चित्रकूट, जिला-सतना (मध्यप्रदेश) को बाल नेत्र सुरक्षा केन्द्र द्वारा अनुसंधान, चिकित्सा उपकरण आदि कय हेतु)	
	कुल योग-	रूपये-60,00,000/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये-60,00,000/- (रूपयें-साठ लाख) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2

2

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(एन.पी.करंजिया)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-122/2004/एक(1)

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल, 2005.

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-सतना, (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित संस्था को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिताओं से उपयोगिता

प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।

5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

(एन.पी.करंजिया)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

 11042005.

**Order-04**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-38/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि **रूपये-13,55,000/-** (रूपये तेरह लाख पचपन हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम-568 / 2005 दिनांक 31.3.2005 आर-12	श्री नारायण सिंह कुशवाह, पुत्र श्री लाल राम कुशवाह निवासी कृष्ण पुरम गांधी पेट्रोल पंप के सामने, शिवपुरी (हृदय रोग इलाज हेतु)	रूपये-15,000/- (पन्द्रह हजार)
2	एचसीएम-571 / 2005 दिनांक 31.3.2005 आर-13	श्रीमती शबनम पत्नी श्री परवेज खॉं, प्लॉट नं -27, अब्बास नगर, भोपाल (आर्थिक सहायता हेतु)	रूपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
3	एचसीएम-567 / 2005 दिनांक 31.3.2005 आर-14	श्री एकनाथ पिता सीताराम महाजन, निवासी विरोदा, तहसील -बुरहानपुर जिला-बुरहानपुर (पत्नि श्रीमती उषाबाई के ब्लडकैंसर के इलाज हेतु)	रूपये-15,000/- (पन्द्रह हजार)
4	एचसीएम-612 / 2005	प्रो.गोविन्द्र प्रसाद गुप्ता, संस्थापक सचिव,	रूपये-1,00,000/- (एक लाख)

	दिनांक 04.4.2005 <b>आर-15</b>	भारतीय योग अनुसंधान परिषद्,ई-14,शासकीय आवास, कोटरा,डॉ गांगुली योग भवन, भोपाल (मध्यप्रदेश)( <b>2</b> ) योग अनुसंधान परिषद् के निर्माण हेतु	
5	एचसीएम-570 / 2005 दिनांक 31.3.2005 <b>आर-16</b>	श्री सुरेश कुमार शेण्डे, आ. श्री नालकंड निवासी आदिवासी टोला बवारिया,तहसील-सिवनी,जिला-सिवनी(मां के कैंसर के इलाज हेतु)	रूपये-10,000 / - (दस हजार)
6	एचसीएम-572 / 2005 दिनांक 31.3.2005 <b>आर-17</b>	श्री शेष कुमार तिवारी पिता श्री बालाप्रसाद तिवारी निवासी ग्राम किरहाई पो अंदवाजनपद जवा जिला-रीवा (मस्तिष्क रोग इलाज हेतु)	रूपये-10,000 / - (दस हजार)
7	एचसीएम-575 / 2005 दिनांक 31.3.2005 <b>आर-18</b>	श्री कैलाश नारद, निवासी अग्रवाल कालोनी, जबलपुर (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये-20,000 / - (बीस हजार)
8	एचसीएम-569 / 2005 दिनांक 31.3.2005 <b>आर-19</b>	श्री राजीव अग्रवाल, पत्रकार, दैनिक स्वदेश, ग्वालियर, पंडित ट्रांसपोर्ट के उपर, मैनावील गली, जिला-ग्वालियर. (मां के उपचार हेतु)	रूपये-15,000 / - (पन्द्रह हजार)
9	एचसीएम-564 / 2005 दिनांक 31.3.2005 <b>आर-20</b>	<b>घोषणा क्रमांक 130</b> <b>दिनांक 25.02.2005</b> व्यवस्थापक,गोकुल ग्राम संजर, गढ़ाकोटा,जिला-सागर (मण्डली हेतु आर्थिक सहायता हेतु)	रूपये-5,000 / - (पाँच हजार)
10	एचसीएम-597 / 2005 दिनांक 01.04.2005 <b>आर-21</b>	श्री प्रमोद कुमार शर्मा आ. श्री भोलाप्रसाद शर्मा निवासी-पुष्परजकालोन, तहसील-रघुराजनगर, सतना (स्वयं के हृदय रोग इलाज हेतु)	रूपये-10,000 / - (दस हजार)
11	3415 / सीएमएस / 2005 दिनांक 01.04.2005 <b>आर-22</b>	प्राचार्य, अशासकीय कन्या उ.मा.विद्यालय, खड़डी, जिला-सीधी (विद्यालय की विज्ञान सामग्री कय हेतु)	<b>रूपये-1,00,000 / -</b> <b>(एक लाख)</b>
12	562 / डी-1512 / 2005 31.03.2005 <b>आर-23</b>	श्री मुन्नालाल भगवान दास कोरी, 43,रामपुरा वार्ड,शांतिज्वेलर्स के सामने वाली गली में) सागर (पुत्र के गुर्दा प्रत्यारोपण के इलाजहेतु)	रूपये-50,000 / - (पचास हजार)
13	566 / डी-1508 / 2005 31.03.2005 <b>आर-24</b>	श्री भागीरथ पिता अमान, ग्राम-बासापुर, तह-अशोकनगर, जिला-अशोकनगर (पुत्र टीकाराम के कैंसर इलाज हेतु)	रूपये-10,000 / - (दस हजार)
14	एचसीएम-565 / 2005 दिनांक 31.03.2005 <b>आर-25</b>	श्री उत्तम चंद अग्निहोत्री,सेवा निवृत्त कर्मी, विश्वविद्यालय, स ( <b>3</b> ) (एंजियोप्लास्टी हेतु)	रूपये-25,000 / - (पच्चीस हजार)
15	एचसीएम-548 / 2005 दिनांक 21.03.2005	श्रीमती कंवर बाई पति श्री कमल शर्मा,निवासी-बेहखेड़ा तहसील-मंदसौर,जिला-मंदसौर	रूपये-40,000 / - (चालीस हजार)



	<b>आर-26</b>	(कैंसर इलाज हेतु)	
<b>16</b>	एचसीएम-573 / 2005 दिनांक 31.03.2005 <b>आर-27</b>	<b>घोषणा क्रमांक-138</b> <b>दिनांक 24.02.2005</b> श्री ताराचंदगोयल,समिति आयोजक,ताराना, जिला-उज्जैन, (संत रविदास जयंती समिति हेतु)	रूपये-10,000 / - (दस हजार)
<b>17</b>	एचसीएम-563 / 2005 दिनांक 31.03.2005 <b>आर-28</b>	<b>कलेक्टर,</b> <b>जिला-हरदा, (मध्यप्रदेश).</b> (हरदा जिले में दिनांक 13.1.2005 को ग्राम मुहाल तथा खिरकिया के बीच हुई बस दुर्घटना में 12 मृतको/36 घायलों को कमशः 25,000 / - एवं 10,000 / - रूपयें की आर्थिक सहायता स्वीकृत किये जाने बाबत।)	रूपये-6,95,000 / - (एक लाख)
<b>18</b>	एचसीएम-611 / 2005 दिनांक 04.04.2005 <b>आर-29</b>	श्री रंजना रमेश मिश्र, चंचल,संयुक्त संपादक, साभार दर्शन, 108 / 2,स्टेशनरोड, रतलाम (इलाज हेतु)	रूपये-1,00,000 / - (एक लाख)
<b>19</b>	एचसीएम-609 / 2005 दिनांक 04.04.2005 <b>आर-30</b>	व्यवस्थापक, अमर शहीद मंगल पाण्डे उद्यान, 3ए, साकेत नगर,भोपाल (उद्यान के विकास हेतु)	रूपये-1,00,000 / - (एक लाख)
		<b>कुल राशि-</b>	<b>रूपये-13,55,000 / -</b>

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये-13,55,000 / -(रूपये तेरह लाख पचपन हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।
4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,  
(एन.पी.करंजिया)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

4

4

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-37 / 2005 / एक(1)  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल, 2005.

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-शिवपुरी / भोपाल / बुरहानपुर / सिवनी / रीवा / जबलपुर / ग्वालियर / सागर / सतना / सीधी / सागर / अशोकनगर / उज्जैन / हरदा / रतलाम, (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक ही व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिताओं से

उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।

5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टाक फाइल.

(एन.पी.करंजिया)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग



**Order-05**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-26/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, नियम शिथिल करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि **रूपये-3,90,000/-** (रूपये-तीन लाख नब्बे हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-



		13.मोहम्मद खॉ पिता नूर खॉ, मुसलमान एम.जी.मार्ग, धार	रूपये-20,000/- (बीस हजार)
			रूपये-20,000/- (बीस हजार)
		कुल योग-	रूपये-3,90,000/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये-3,90,000/- (रूपये-तीन लाख नब्बे हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

3

3

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(एन.पी.करंजिया)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल, 2005.

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-26/2005/एक(1)

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. **कलेक्टर, जिला-धार, (मध्यप्रदेश)** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि **एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।** साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिताओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

(एन.पी.करंजिया)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

**Order-06**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-42/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, नियम शिथिल करते हुए निम्नलिखित संस्था/व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-1,20,000/- (रूपये-एक लाख बीस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम-627 / 2005 दिनांक 05.04.2005 आर-39	व्यवस्थापक, माधव सेवा आश्रम, तेली बाग, लखनउ (उ.प्र.) (आर्थिक सहायत हेतु)	रूपये-1,00,000 / - (एक लाख)
2	एचसीएम-635 / 2005 दिनांक 05.04.2005 आर-40	श्री प्रकाश विश्वकर्मा, 54ए/26, साउथ टी.टी.नगर, भोपाल. (म.प्र.) (पत्नी को बी.एड. करने हेतु आर्थिक सहायता)	रूपये-10,000 / - (दस हजार)
3	एचसीएम-644 / 2005 दिनांक 08.04.2005 आर-41	श्रीमती नियाज बैगम निवासी-5 शहीद आसिफ मेरी स्ट्रीट सिटी कोतवाली भोपाल (म.प्र.) (मोतिया बिंद के इलाज हेतु)	रूपये-10,000 / - (दस हजार)

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये-1,20,000 / - (रूपये-एक लाख बीस हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा । कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।
4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(एन.पी.करंजिया)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल, 2005.

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-42/2005/एक(1)

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. **कलेक्टर, जिला-भोपाल, (मध्यप्रदेश)** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि **एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।** साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिताओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. **कलेक्टर, जिला-लखनऊ, (उ.प्र.)** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित **संस्था** को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि **एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।** साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिताओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
6. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
7. संबंधित.
8. स्टाक फाइल.

(एन.पी.करंजिया)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

 20042005.

**Order-07**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन

—: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-14/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, नियम शिथिल करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-1,51,000/- (रूपये-एक लाख इन्क्यावन हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	191/मुमंस/दि 22.01.2005 एवं 325/एससीएम/2005 दिनांक 11.04.2005 आर-36	घोषणा क्रमांक-101 दिनांक 07.01.2005 कलेक्टर, जिला-भोपाल, (मध्यप्रदेश) (भोपाल चैरिटेबल अस्पताल भोपाल को जनहितेपी कार्यो हेतु)	रूपये-1,51,000/- (एक लाख इन्क्यावन हजार)
		कुल योग-	रूपये-1,51,000/-

- अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये-1,51,000/- (रूपये-एक लाख इन्क्यावन हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।
- यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,  
(एन.पी.करंजिया)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

2

2

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-14/2005/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल, 2005.

- महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
- सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
- कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
- कलेक्टर, जिला-भोपाल, (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिताओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
- जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.

6. संबंधित.  
7. स्टाक फाइल.

(एन.पी.करंजिया)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,

20042005.

सामान्य प्रशासन विभाग

**Order-08**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-51/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 02/05/2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित संस्थाओं/व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि **रूपये-1,81,000/-**(रूपये-एक लाख इक्यासी हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-



स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	जा.क्र856/मुमनि/05 दिनांक 18.04.2005 आर-43	सुश्री समरीन पुत्री श्री शौकत, भीम नगर, भोपाल (आर्थिक सहायता)	रुपये-5,000/- (पांच हजार)
2	एचसीएम-687/ 2005 दिनांक 15.04.2005 आर-44	श्री ओम प्रकाश जायसवाल, निवासी 45 हनुमना तहसील हनुमना, जिला-रीवा (उपचार हेतु)	रुपये-50,000/- (पचास हजार)
3	एचसीएम-686/ 2005 दिनांक 15.04.2005 आर-45	श्री गोपाल सिंह ठाकुर, निवासी-19, सती गेट रामेश्वर गली, उज्जैन. (उपचार हेतु)	रुपये-50,000/- (पचास हजार)
4	एचसीएम-665/2005 दिनांक 12.04.2005 आर-46	श्री रमा नायक, निवासी-ए.जी.कालोनी, गेट, अटल मार्केट, पी एण्ड टी. चौराहा, भदभदा रोह, भोपाल, (पुत्र श्री राहुल नायक की उच्च शिक्षा हेतु)	रुपये-30,000/- (तीस हजार)
5	एचसीएम-667/2005 दिनांक 12.04.2005 आर-47	श्री भागीरथ पटेल, पटेल कालोनी, झुग्गी बस्ती, कोलार <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> नाभट्टी भोपाल (म.प्र.) (पुत्र के इलाज हेतु)	रुपये-10,000/- (दस हजार)
6	एचसीएम-689/2005 दिनांक 15.04.2005 आर-48	श्री दिनेश पिता श्री सूरजमल मुंडेल, ग्राम-देवला, तहसील-खातेगॉव, जिला-देवास (कैंसर पीड़ित के इलाज हेतु)	रुपये-25,000/- (पच्चीस हजार) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span>
7	एचसीएम-679/2005 दिनांक 13.04.2005 आर-49	<b>मुख्यमंत्री घोषणा</b> <b>दिनांक 20 मार्च 2005.</b> श्री विजय सिरवेया, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय धानुक समाज, 22/16, नार्थ टी.टी.नगर, भोपाल (धानुक दर्पण के लेखक के लिए)	रुपये-11,000/- (ग्यारह हजार)
		<b>कुल राशि</b>	<b>रुपये-1,81,000/-</b>

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि **रुपये-1,81,000/-** (रुपये-एक लाख इक्कीस हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखें।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष **2005-2006** के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(एन.पी.करंजिया)  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-42/2005/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 02 मई, 2005.

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.

3

3

4. कलेक्टर, जिला-भोपाल/रीवा/उज्जैन/देवास (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिताओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. निज सहायक, माननीय राज्यमंत्री परिवहन मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
6. पूर्व सांसद श्री नारायण प्रसाद गुप्ता, 22, द्वारका पुरी, कोटरा रोड, भोपाल.
7. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
8. संबंधित.
9. स्टाक फाइल.

(एन.पी.करंजिया)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

 27042005

## Order-09

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-43/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 2 मई, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित संस्थाओं/व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि **रूपये-1,69,050/-** (रूपये-एक लाख उनहत्तर हजार पचास) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम-601 /2005 दिनांक 01.04.2005 आर-35	श्री कमल शर्मा पुत्र सागर दत्त शर्मा, निवासी-नगर निगम कालोनी मुरार, जिला- ग्वालियर (पुत्र श्री हितेश शर्मा के हृदय रोग उपचार हेतु)	रूपये-50,000/- (पचास हजार)
2	एचसीएम-725 /2005 दिनांक 21.04.2005 आर-57	कृ. यशोदा उइके, बी.ए. अर्थशास्त्र, उच्च शिक्षा उत्कृष्ट संस्थान,भोपाल कलिया सोत डेम,कोलार रोड, भोपाल. (उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु)	रूपये-17,050/- (सत्रहजार पचास मात्र)
3	एचसीएम-730 /2005 दिनांक 25.04.2005 आर-59	श्रीमती लक्ष्मीरानी निगले, क्वार्टर नं-एच/17, ठाठीपुर कालोनी, मुरार, ग्वालियर (पति के कैंसर इलाजहेतु)	रूपये-1,00,000/- (एक लाख)
4	एचसीएम-696/05 दिनांक 19.04.2005 आर-60	कृ. सगीरा पुत्र शेख मोहम्मद,आई-55/11, साउथ टी.टी. नगर,भोपाल (आर्थिक सहायता हेतु)	रूपये-2,000/- (दो हजार)
		कुल राशि	रूपये-1,69,050/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि **रुपये-1,69,050/-** (रुपये-एक लाख उनहत्तर हजार पचास) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।
4. यह व्यय वित्तीय वर्ष **2005-2006** के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(एन.पी.करंजिया)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग  
भोपाल, दिनांक 2 मई, 2005.

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-43/2005/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. **कलेक्टर, जिला-ग्वालियर/भोपाल, (मध्यप्रदेश)** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि **एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।** साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिताओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टाक फाइल.

(एन.पी.करंजिया)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

 28042005

**Order-10**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-62/2005/एक(1)  
प्रति,

मुख्य लेखाधिकारी,

भोपाल, दिनांक 2 मई, 2005.

मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्ति को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि **रूपये-50,000/-** (रूपये-पचास हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम-766/05 दिनांक 26.04.2005 आर-73	श्री ए.के.भण्डारी, ई-31/45,बंगले, जिला-भोपाल, (म.प्र.) (विदेश अध्ययन हेतु)	रूपये-50,000/- (पचास हजार)
कुल योग-			रूपये-50,000/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि **रूपये-50,000/-**(रूपये-पचास हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।
4. यह व्यय वित्तीय वर्ष **2005-2006** के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,  
(एन.पी.करंजिया)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

2

2

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-62/2005/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 2 मई, 2005.

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. **कलेक्टर, जिला-भोपाल, (मध्यप्रदेश)** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि **एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।** साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिताओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टाक फाइल.



(एन.पी.करंजिया)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

**Order-11**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-60/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 10 मई, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दशाए अनुसार कुल राशि रुपये-2,45,000/- (रुपये-दो लाख पैंतालीस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम-738/05 दिनांक 25.04.2005 (मा.सांसद श्री शिवराज	श्री महफूद खान आत्मज श्री पीरखाननिवासी-ग्राम जैत, तहसील बुदनी, जिला-सीहोर	रुपये-50,000/- (पचास हजार)

	सिंह चौहान) आर-61	(हृदय रोग के उपचार हेतु)	
2	एचसीएम-737 / 05 दिनांक 25.04.2005 (मा.सांसद श्री शिवराज सिंह चौहान) आर-62	श्रीमती भगवती बाई पुत्री श्री किशोरीलाल निवासी ग्राम जैत, तहसील-बुदनी, जिला-सीहोर (किडनी के उपचार हेतु)	रूपये-50,000 / - (पचास हजार)
3	एचसीएम-733 / 05 दिनांक 25.04.2005 (मा.सांसद श्री शिवराज सिंह चौहान) आर-64	श्री विजय सिंह रघुवंशी, निवासी ग्राम आलीबाड़ा, तहसील- उदयपुरा, जिला-रायसेन (इलाज हेतु)	रूपये-10,000 / - (दस हजार)
4	एचसीएम-742 / 05 दिनांक 25.04.2005 (मा. विधायक श्री राजेन्द्र कुमार सिंह,अमरपाटन) आर-65	श्री रामयश बैसबार आत्मज श्री रामकृपाल ग्राम पोस्ट मर्यादपुर तहसील रामनगर, जिला-सतना (इलाज हेतु)	रूपये-5,000 / - (पाँच हजार)
		2	
5	एचसीएम-741 / 05 दिनांक 25.04.2005 (मा.सांसद श्री शिवराज सिंह चौहान) आर-66	श्री गुलाब सिंह नागर निवासी ग्राम दीपाखेड़ा, तहसील बुदनी, जिला-सीहोर (हृदय रोग उपचार हेतु)	रूपये-15,000 / - (पन्द्रह हजार)
			2
6	एचसीएम-739 / 05 दिनांक 25.04.2005 (मा.सांसद श्री शिवराज सिंह चौहान) आर-67	श्रीमती किरन्तो बाई पत्नि श्रीफूल सिंह धानक, निवासी ग्राम पाली, तहसील बरेली, जिला-रायसेन. (कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये-15,000 / - (पन्द्रह हजार)
7	एचसीएम-762 / 05 दिनांक 26.04.2005 (उपाध्यक्ष,श्री भेरूलाल पाटीदार,रायोम) आर-68	श्रीमती सुधा चौकसे, निवासी ग्राम मानपुर तहसील महु जिला-इन्दौर. (विकलांग पति के हृदय रोग व पैर के उपचार हेतु)	रूपये-1,00,000 / - (एक लाख)
		कुल राशि-	रूपये-2,45,000 / -

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये-2,45,000 / -(रूपये-दो लाख पैंतालीस हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(एन.पी.करंजिया)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-60/2005/एक(1)

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.

3

3

4. कलेक्टर, जिला-सीहोर/रायसेन/सतना/इन्दौर (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिताओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टाक फाइल.

(एन.पी.करंजिया)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

 05052005



## Order-12

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-71/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 10 मई, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्ति को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि **रुपये-50,000/- (रुपये-पचास हजार) मात्र** स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम-790/05 दिनांक 28.04.2005 मान.विधायक श्री दुर्गालाल विजय, श्योपुर आर-74	श्री फैजुल्ला खान पिता श्री रहमतुल्लाखान निवासी-टीला मोहल्ला छार बाग, श्योपुर, जिला-श्योपुर (स्वयं के इलाज हेतु)	रुपये-50,000/- (पचास हजार)
		कुल योग-	रुपये-50,000/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि **रुपये-50,000/- (रुपये-पचास हजार) मात्र** का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखें।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(एन.पी.करंजिया)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-71/2005/एक(1)

भोपाल, दिनांक 10 मई, 2005.

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-श्यापुर, (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि संबंधित अनुदानग्रहिताओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्र / प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टाक फाइल.

(एन.पी.करंजिया)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

 11052005.

**Order-13**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-75/2005/एक(1)

भोपाल, दिनांक 07 मई, 2005.

प्रति,

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:— माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान –वित्तीय वर्ष 2005–2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित संस्था को उनके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-1,00,000 /-(रूपये-एक लाख) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम-791 / 2005 दिनांक 29.04.2005 आर-81	श्री बाबूलालजी मेहरे, पूर्व विधायक, उज्जैन, को हार्टवायपास हेतु आर्थिक सहायता	रूपये-1,00,000 /- (एक लाख)
		कुल राशि-	रूपये-1,00,000 /-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये-1,00,000 /-(रूपये-एक लाख) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

2

2

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005–2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,  
(एस.एस.बंसल)  
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 07 मई, 2005.

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-75/2005/एक(1)

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-उज्जैन, (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित संस्था को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिताओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

(एस.एस.बंसल)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

 07052005.

**Order-14**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-74/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 13 मई, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:-

माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दशाए अनुसार कुल राशि **रुपये-8,25,000/-** (रुपये-आठ लाख पच्चीस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम-782/2005 दिनांक 28.04.2005 <b>आर-82</b>	श्री सैयद अब्दुल रकीब, शहरी भोपाली यासर पैलेस, नियर टेंडर केयर स्कूल,म. नं. 2150, व्ही.आई.पी.रोड, भोपाल. (इलाज हेतु आर्थिक सहायता हेतु)	रुपये-5,000/- (पांच हजार)
2	एचसीएम-787/2005 दिनांक 28.04.2005 <b>आर-84</b>	श्रीमती हेरियट कुमार पत्नी श्री चन्द्र प्रकाश, निवासी-मकान नं. सी/70, टाइप-4,भोपाल मेमोरियल अस्पताल परिसर,भोपाल. (माताजी की किडनीरोगइलाजहेतु)	रुपये-50,000/- (पचास हजार)
3	एफ-382/एससीएम/2005 दिनांक 25.04.2005 317/सीएमएस/05 दिनांक 30.04.2005 <b>आर-85</b>	श्री भंवर जी पिता श्री बोन्दाजी,निवासी-खेडीनगर तह. शुजालपुरजिला शाजापुर(स्वयं के कैंसर रोग इलाज हेतु)	रुपये-25,000/- (पच्ची हजार)
4	एफ378/एससीएम-2005दिनांक 25.04.2005 315/सीएमएस/05 दिनांक 30.04.2005 <b>आर-86</b>	श्री देवीलाल बंजारा, निवासी-चक्र माधवगढ, तहसील-नागदा, जिला-उज्जैन (स्वयं के कैंसर रोग इलाज हेतु)	रुपये-20,000/- (बीस हजार)
5	एचसीएम-786/2005 दिनांक 28.04.2005 <b>आर-87</b>	श्री शिवनारायण <input type="text" value="?"/> कंदाकला भोपाल (आर्थिक सहायता <input type="text" value="?"/> )	रुपये-10,000/- (दस हजार)
6	एचसीएम-798/2005 दिनांक 02.05.2005 <b>88</b>	श्री कमल पटेल आ.श्री शम्भूप्रसाद पटेल, ग्राम पो. चितवरिया, जिला- सीधी (ब्लड कैंसर उपचार हेतु)	रुपये-1,00,000/- (एक लाख)
7	एचसीएम-799/2005 दिनांक 02.05.2005 <b>आर-89</b>	श्रीमती चन्द्रप्रभा सिंह पत्नि डॉ0 सोवरनसिंह, विधायक, पाटन जिला-जबलपुर (पत्नि के ट्यमर के इलाज हेतु आर्थिक सहायता)	रुपये-10,000/- (दस हजार)
8	एचसीएम-803/2005 दिनांक 03.05.2005 <b>आर-91</b>	श्री अजय दुबे, सचिव, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत संस्था"प्रयत्न" एल-2,बीडीए-प्लेट्स,सी सेक्टर, शाहपुरा भोपाल (पर्यावरण संरक्षण हेतु संस्था को आर्थिक सहायता)	रुपये-50,000/- (पचास हजार)
9	319/सीएमएस/2005 दिनांक 03.05.2005 मान. विधायक श्रीनागेन्द्र सिंह, गुढ़,ई-3/45बंगले <b>आर-92</b>	अध्यक्ष, जनपद पंचायत, रायपुर कर्चुलियान जिला-रीवा में आयोजित राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में आयोजन हेतु आर्थिक सहायता)	रुपये-1,00,000/- (एक लाख)

2

10	320 / सीएमएस / 2005 दिनांक 03.05.2005 आर-93	श्री पातीराम जैन, निवासी-जीवाजीगंज मुरैना (पुत्र के पैरालायसिस के इलाज हेतु आर्थिक सहायता)	रुपये-10,000 / - (दस हजार)
11	321 / सीएमएस / 2005 दिनांक 03.05.2005 आर-94	<p><b>कलेक्टर,</b> <b>जिला-ग्वालियर,</b> <b>मध्यप्रदेश.</b></p> <p>दिनांक 18.3.2005 को जिला ग्वालियर के मोहना घाटीगोव मार्ग के बीच हुई सड़क दुर्घटना में निम्नानुसार अंकित 05 मृतकों के परिजनों हेतु आर्थिक सहायता बाबत:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. मृतक- श्री धीरज सिंह सिकरवार, (बस ड्रायवर) निवासी-अम्बाहा के परिजनों हेतु</li> <li>2. मृतक कमलेश शर्मा, आरक्षक, सुभाषपुरा थाना के परिजनों हेतु</li> <li>3. मृतक श्री मिथम पुत्र श्री मछन्दरनाथ निरंजननाथ की गली, दालबाजार, लश्कर के परिजनों हेतु</li> <li>4. मृतक श्री संजीव गुप्ता पुत्र भगवानदास नित्र आगरा (जाग्रतीनगर ग्वालियर) के परिजनों हेतु</li> <li>5. मृतक नारायणदास शर्मा पुत्र हरचरण लाल शर्मा नि. तुलसी बिहार ग्वालियर. के परिजनों हेतु</li> </ol> <p>दिनांक 18.3.2005 को जिला -ग्वालियर के मोहना घाटीगोव मार्ग के बीच हुई सड़क दुर्घटना में हुए 07 घायलों को आर्थिक सहायता प्रदान करने बाबत सूची-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. श्री सिकन्दर खाफ पुत्र असपाक खॉ निवासी मोहना.</li> <li>2. लक्ष्मण पुत्र हरचरण नि. मुरार</li> <li>3. महोदव पाठक पुत्र श्रीराम पाठक, निवासी शिवपुरी</li> <li>4. अशोक शर्मा पुत्र कन्हैयालाल शर्मा, निवासी जी एफ -1 निकुंज आपार्टमेंट, ग्वालियर.</li> <li>5. सियारामसिंह प. शिवसिंह सिकरवार निवासी लाइन नं-4, बिरलानगर, ग्वालियर.</li> <li>6. श्री मकसूद अहमद पुत्र जुम्मन खॉ निवासी नूरगंज, ग्वालियर</li> <li>7. हेमन्त जैन पुत्र नेमीचन्द जैन, निवासी-मुरार.</li> </ol>	<p>रुपये-50,000 / - (पचास हजार)</p> <p>रुपये-50,000 / - (पचास हजार)</p> <p>रुपये-50,000 / - (पचास हजार)</p> <p>रुपये-50,000 / - (पचास हजार)</p> <p>रुपये-50,000 / - (पचास हजार)</p> <p>रुपये-10,000 / - (दस हजार)</p> <p>रुपये-10,000 / - (दस हजार)</p> <p>रुपये-10,000 / - (दस हजार)</p> <p>रुपये-10,000 / - (दस हजार)</p> <p>रुपये-10,000 / - (दस हजार)</p> <p>रुपये-10,000 / - (दस हजार)</p>

			(दस हजार)
12	एससीएम-381/2005 दिनांक 25.04.2005 316/सीएमएस/05 दिनांक 30.04.2005मान. विधायक श्री गिरीराज मण्डलोई. आर-95	श्रीमती गोकलबाई उर्फ द्रोपती पत्नि श्री रणछोर सिंह, निवासी-पोलायकला, जिला-शाजापुर (आग से झुलज जाने के कारण इलाज हेतु आर्थिक सहायता हेतु)	रूपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
13	334/सीएमएस/2005 दिनांक 06.05.2005 आर-96	श्री अमरानंद जी महाराज, द्वारा:-श्री गिरिजा शंकर शर्मा, एन-2/21,विधायक विष्णु गृह, भोपाल. (श्री अमरानंद 4 महाराज के हृदय रोग (एंजियोप्लास्टी) इलाज हेतु)	रूपये-1,00,000/- (एक लाख)
		<b>कुल राशि-</b>	<b>रूपये-8,25,000/-</b>

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये-8,25,000/-(रूपये-आठ लाख पच्चीस हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया 4 प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,  
(एन.पी.करंजिया)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-74/2005/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 13 मई, 2005.

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-भोपाल/ शाजापुर/उज्जैन/ सीधी/जबलपुर/ रीवा/मुरैना/ ग्वालियर/ शाजापुर, (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिताओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टाक फाइल.

(एन.पी.करंजिया)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,

# Order-15

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-78/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 11 मई, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि **रूपये-75,000/-** (रूपये-पिछत्तर हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
97	एचसीएम-812/2005 दिनांक 04.05.2005	श्रीमती अरुणा चौरसिया पति चन्द्रकांत चौरसिया, मालवी गंज, आर.एम.एस.कालोनी रोड, इटारसी जिला-होशंगाबाद (म.प्र.) (स्वयं के कैंसर ईलाज हेतु)	रूपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
98	एचसीएम-813/2005 दिनांक 04.05.2005	श्री नारायण सिंह यादव, निवासी-जैन मंदिर गली, वार्ड नं.11, गंज बासोदा, जिला-विदिशा (स्वयं के हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये-30,000/- (तीस हजार)
99	एचसीएम-825/2005 दिनांक 05.05.2005	श्री थानसिंह आ. स्व. श्री चंदनसिंह, निवासी-म.नं. 87, प्रेस कालोनी, आनन्द नगर, भोपाल (स्वयं के उपचार हेतु)	रूपये-20,000/- (बीस हजार)
		कुल राशि-	रूपये-75,000/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि **रूपये-75,000/-**(रूपये-पिछत्तर हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

2

2

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से



तथा आदेशानुसार,  
(एन.पी.करंजिया)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-78/2005/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 11 मई, 2005.

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. **कलेक्टर, जिला-होशंगाबाद/विदिशा/भोपाल, (मध्यप्रदेश)** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि **एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि संबंधित अनुदानग्रहिताओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।**
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टाक फाइल.

(एन.पी.करंजिया)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

 11052005.

**Order-16**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-74/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 13 मई, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों/संस्थाओं को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि **रूपये-1,50,000/-** (रूपये-एक लाख पचास हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम-789/2005 दिनांक 28.04.2005 आर-83	रवीन्द्र जैन, अकादमी ऑफ म्युजिक एण्ड फाइन आर्ट, नेहरू नगर, भोपाल	रूपये-1,00,000/- (एक लाख)
2	एचसीएम-800/2005 दिनांक 02.05.2005 आर-90	डॉ० सुरेन्द्र शुक्ला, अध्यक्ष, उद्घोष साहित्यिक सांस्कृतिक एवं क्रीडा परिषद, व्योहारी, जिला-शहडोल (पं. राम किशोर शुक्ल, किकेट टूर्नामेंट हेतु)	रूपये-50,000/- (पचास हजार)
		कुल राशि-	रूपये-1,50,000/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि **रूपये-एक लाख पचास हजार मात्र** का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

2

2

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष **2005-2006** के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,  
(एन.पी.करजिया)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-74/2005/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 13 मई, 2005.

- महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
- सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
- कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
- कलेक्टर, जिला-भोपाल/शहडोल, (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि **एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।** साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि संबंधित अनुदानग्रहिताओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
- जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.

6. संबंधित.  
7. स्टाक फाइल.

(एन.पी.करंजिया)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,



सामान्य प्रशासन विभाग

**Order-17**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन

—: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-70/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16 जून, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों/संस्थाओं को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि **रूपये-4,05,000/-** (रूपये-चार लाख पांच हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	जावक 1082/मुमस/05 दिनांक 27.04.2005 आर-76	घोषणा क्रमांक-167 दिनांक 25.03.2004- "बैरागढ़ भोपाल के मृतक मनीष के परिजन को एक लाख रुपये की अनुदान सहायता दी जायेगी।"	रूपये-1,00,000/- (एक लाख)
2	जावक 1103/मुमस/05 दिनांक 29.04.2005 आर-77	घोषणा क्रमांक-176 दिनांक 21.09.2004- "कुमारी सपना मुलानी प्रतिभाशाली छात्रा को मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से रुपये पांच हजार प्रोत्साहन राशि दी जाय"	रूपये-5,000/- (पांच हजार)

3	जावक 1102 / मुमस / 05 दिनांक 29.04.2005 आर-78	घोषणा क्रमांक-175 दिनांक 21.09.2004 "जीव सेवा संस्थान बैरागढ़ को कार्यो को बढ़ावा देने के लिए रुपये एक लाख राशि दी जायेगी"	रुपये-1,00,000 /- (एक लाख)
4	जावक 1162 / मुमस / 05 दिनांक 03.05.2005 आर-80	घोषणा क्रमांक-178 दिनांक 11.04.2005 अध्यक्ष,सिन्धू नव जागरण समिति बैरागढ़ भोपाल. (मध्यप्रदेश) (सिन्धू नव जागरण समिति को सिंधी समाज की धर्मशाला के लिए)	रुपये-2,00,000 /- (दो लाख)
		कुल राशि-	रुपये-4,05,000 /-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि **रुपये-चार लाख पाँच हजार) मात्र** का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखें।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष **2005-2006** के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,  
(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग  
भोपाल, दिनांक 16 जून, 2005.

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-70 / 2005 / एक(1)  
प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. **कलेक्टर, जिला-भोपाल, (मध्यप्रदेश)** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों / संस्थाओं को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि **एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति / संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।** साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि संबंधित अनुदानग्रहिताओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्र / प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग



# Order-18

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-86/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16 जून, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों/संस्थाओं को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि **रूपये-5,10,000/-** (रूपये-पाँच लाख दस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम-892/ 2005 दिनांक 19.05.2005 आर-122	श्री अरविन्द गुप्ता आ. श्री हरिबाबू गुप्ता, निवासी बुधवारा, तह-आष्टा, जिला-सीहोर (स्वयं के इलाज हेतु)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम-891/ 2005 दिनांक 19.05.2005 आर-123	कलेक्टर, जिला-उमरिया (मध्यप्रदेश.) (दिनांक 14.04.2005 को ग्राम खुटार तह. मानपुर में स्थित ग्राम सरोवर में 05 बालकों की डूब कर मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप परिवार वालों को आर्थिक हेतु) 1. मृतक अनिल पिता श्रीराम कुमार काछी, ग्राम-खुटार, जिला-उमरिया 10,000/- (दस हजार) 2. मृतक सुशील श्रीराम कुमार काछी, ग्राम-खुटार, जिला-उमरिया 10,000/- (दस हजार) 3. मृतक बुद्धा उर्फ दीपचंद, पिता श्री फूलचंद काछी ग्राम-खुटार, जिला-उमरिया 10,000/- (दस हजार) 4. मृतक झुर्रा उर्फ रूपचंद, पिता श्री फूलचंद काछी, खुटार, जिला-उमरिया 10,000/- (दस हजार) 5. मृतक रामकिशोर पिता श्री ददईयाकाछी, ग्राम-खुटार, -उमरिया 10,000/- (दस हजार)	
3	एचसीएम-886/ 2005 दिनांक 19.05.2005	श्री भुवानसिंह, निवासी-ग्राम घटवानी, तहसील-अलिराजपुर, जिला-झाबुआ	रूपये-25,000/- (पचास हजार)

	<b>आर-124</b>	(पुत्र विक्रम सिंह के इलाज हेतु)			
<b>4</b>	एचसीएम-870 / 2005दिनांक 19.05.2005 <b>आर-125</b>	श्री हीरालाल आ. श्री ग्यारसीलाल जी ग्वाला, निवासी-नीमच सिटी (स्वयं के इलाज हेतु)	रुपये-10,000 / - (दस हजार)		
<b>5</b>	एचसीएम-893 / 2005 दिनांक 19.05.2005 <b>आर-126</b>	श्री भैयालाल आ. श्री बनवारीलाल यादव, निवासी-ग्राम बडगीबुजुर्ग,तहसील बैतूल (पत्नि के कैंसर रोग के इलाज हेतु)	रुपये-10,000 / - (दस हजार)		
<b>6</b>	एचसीएम-898 / 2005 दिनांक 19.05.2005 <b>आर-127</b>	<b>कलेक्टर,</b> <b>जिला-भोपाल (मध्यप्रदेश)</b> (दिनांक 11.12.2003 को खजूरी बायपास मार्ग पर अकबरपुर के पास जीप-डंपर की टक्कर से हुई मृत्यु के कारण परिवार को सहायता) 1. मृतक श्रीमती प्रेमबाई, दत्तक पुत्र श्री दिनेश,ग्राम-खारपी 2. मृतक श्रीमती ज्योतिबाई पिता श्री दिनेश, ग्राम-खारपी 3. मृतक कुमारी प्रियंका श्री दिनेश, ग्राम खारपी 4. मृतक श्री सागर पिता श्री दिनेश, ग्राम खारपी 5. मृतक श्री अजराज श्री मांगीलाल, ग्राम-खारपी 6. मृतक सतीश पिता श्री मांगीलाल, ग्राम-खारपी 7. मृतक श्रीमती जमनी बाई पिता मांगीलाल, ग्राम-खारपी 8. मृतक श्री महेश कुमार पिता श्री जाय राग, खारपी 9. मृतक श्रीमती शांतिबाई पिता श्री रामचरण, खारपी 10. मृतक श्री देवीसिंह पिता श्री भंवर जी ग्राम-नान्द <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>3</td></tr></table> 11. मृतक श्रीमती <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>3</td></tr></table> बाई पिता श्री देवीसिंह, ग्राम-नान्दनी 12. मृतक श्री मखमल पिता श्री बाबूलाल, ग्राम-मुबारकपुर	3	3	<b>रुपये-2,40,000 / -</b> <b>(दो लाख चालीस हजार)</b> (12 लोगों को प्रति व्यक्तियों को रुपये-20,000 / -के मान से)
3					
3					
<b>7</b>	एचसीएम-901 / 2005 दिनांक 19.05.2005 <b>आर-128</b>	श्रीमती कुसुम पति श्री छोटेलाल अहिरवार निवासी-निवाडी, जिला-टीकमगढ़ (पुत्री के ट्युमर इलाज हेतु)	रुपये-10,000 / - (दस हजार)		
<b>8</b>	एचसीएम-888 / 2005 दिनांक 19.05.2005 <b>आर-129</b>	श्री हरिनारायण आ. श्री धन्नालाल निवासी मुडिया खेडें, तहसील- बैरसिया, जिला-भोपाल. (कैंसर रोग के इलाज हेतु)	रुपये-10,000 / - (दस हजार) <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>3</td></tr></table>	3	
3					
<b>9</b>	एचसीएम-860 / 2005 दिनांक 17.05.2005 <b>आर-130</b>	श्री गौरांग कुमार कंधावा, 27, महल कचहरी रोड, जूनी इन्दौर (राष्ट्रीय योगा चैम्पियन शिप में भाग लेने पर प्रोत्साहन स्वरूप इनाम)	रुपये-50,000 / - (पचास हजार)		

10	एचसीएम-861 / 2005 दिनांक 17.05.2005 आर-131	श्री कोमल प्रसाद अग्रवाल, निवासी- ठाकुरबाबा रोड, ग्वालियर (कैंसर इलाज हेतु)	रुपये-20,000/- (बीस हजार)
11	एचसीएम-885 / 2005 दिनांक 19.05.2005 आर-132	श्री लक्ष्मण सांवरिया पिता श्री चतराजी सांवरिया निवासी-370 पाटनीपुरा इन्दौर (पुत्र हेमन्त के ब्रेन हेमरेज के इलाज हेतु)	रुपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
12	एचसीएम-900 / 2005 दिनांक 19.05.2005 आर-133	श्री पंचम लाल विश्वकर्मा पुत्र प्यारे लाल निवासी-खरगापुर जिला-टीकमगढ़ (पैर के इलाज हेतु)	रुपये-10,000/- (दस हजार)
12	एचसीएम-887 / 2005 दिनांक 19.05.2005 आर-134	श्री अयूब खॉ, निवासी- ग्राम-सेजी, जिला- अशोकनगर. (पुत्री कु. आरजू के हृदयरोग के इलाज के इलाज हेतु)	रुपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
14	एचसीएम-889 / 2005 दिनांक 19.05.2005 आर-135	श्री ताराचंद आ. श्री रामलाल कुम्हार (प्रजापत) निवासी- मोड़ी, तह-जावद जिला-नीमच (स्वयं के इलाज हेतु)	रुपये-5,000/- (पांच हजार)
15	एचसीएम-894 / 2005 दिनांक 19.05.2005 आर-136	श्री कमल सेन, निवासी झुग्गी नं ई-6, गौतमनगर, अरेरा कालोनी, भोपाल. (पुत्र के हृदय रोग के इलाज हेतु)	रुपये-10,000/- (दस हजार)
		कुल राशि- 4	रुपये-5,10,000/-

- अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि **रुपये-5,10,000/-** (रुपये-पाँच लाख दस हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा **4** प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।
- यह व्यय वित्तीय वर्ष **2005-2006** के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,  
(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग  
भोपाल, दिनांक 16 जून 2005.

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-86/2005/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

- महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
- सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
- कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
- कलेक्टर, जिला-सीहोर/उमरिया /झाबुआ/नीमच/बैतूल/भोपाल/टीकमगढ़/ इन्दौर /ग्वालियर/अशोकनगर/टीकमगढ़/अशोकनगर/(मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/ संस्थाओं को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान

रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि संबंधित अनुदानग्रहिताओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।

5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टाक फाइल.

(एस.एस.बंसल)  
उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,



सामान्य प्रशासन विभाग

**Order-19**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-45/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16 जून, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों/संस्थाओं को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि **रूपये-75,000/-** (रूपये-पचहत्तर हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	डी-1751/2005 11.04.2005 (माननीय सांसद सरताज सिंह.) आर-32	अध्यक्ष, अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता होशंगाबाद. (अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता होशंगाबाद हेतु)	रूपये-50,000/- (पचास हजार)
2	डी-1750/2005 11.04.2005 आर-33	श्री एन.के.दुबे, पिता श्री लल्लाराम दुबे, निवासी वार्ड-9, खलेसर, जिला-उमरिया (कैंसर रोग के इलाज हेतु)	रूपये-25,000/- (पच्चीसहजार)
		<b>कुल राशि-</b>	<b>रूपये-75,000/-</b>

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि **रूपये-पचहत्तर हजार**) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।



3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा । कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे ।

2

2

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,  
(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-45/2005/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 16 जून, 2005.

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. **कलेक्टर, जिला-होशंगाबाद/उमरिया, (मध्यप्रदेश)** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि **एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि संबंधित अनुदानग्रहिताओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।**
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टोक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,

 27052005.

सामान्य प्रशासन विभाग

**Order-20**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन

-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-48/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16 जून, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, नियम शिथिल करते हुए निम्नलिखित संस्था/व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-1,17,000/- (रूपये-एक लाख सत्रह हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम-591/2005 दिनांक 1.4.2005 आर-2	1.श्री एम. पियोगतेमजन जामीर, संचालक, राष्ट्रभाषा हिन्दी ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट हिन्दी नगर, पददम्पखुरी, दीमापुर, 797112.(नागालैण्ड) (आर्थिक सहायता हेतु)	रूपये-51,000/- (इन्क्यावन हजार)
2	एचसीएम-591/ 2005 दिनांक 1.4.2005 आर-2	2.श्री गोविन्द वासुदेव, उपाख्यानानाजी भाले द्वारा श्री सचिन लाभे, श्री हरिकृष्ण निवास, गुजराती भवन के पास, वर्धा (महाराष्ट्र) (आर्थिक सहायता हेतु)	रूपये-51,000/- (इन्क्यावन हजार)
3	एचसीएम-582/ 2005 दिनांक 1.4.2005 आर-4	श्री अजीत कुमार गिरी, निवासी एच-155, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल. (उच्च शिक्षा हेतु)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
4	एचसीएम-649/ 2005 दिनांक 11.04.2005 आर-50	श्री शैतान सिंह आत्मज श्री विजय रामनिवासी-ग्राम बीनापुर पो. खामखेड़ा, तह- भोपाल, जिला-भोपाल 2 (आर्थिक सहायता हेतु)	रूपये-5,000/- (पांच हजार)
		कुल राशि	रूपये-1,17,000/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये-1,17,000/- (रूपये-एक लाख सत्रह हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। 2 प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,  
(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग  
भोपाल, दिनांक 16 जून, 2005.

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-48/2005/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. **कलेक्टर, जिला-दीपापुर, (नागालेण्ड)** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि **एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।** साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिताओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. **कलेक्टर, जिला-वर्धा, (महाराष्ट्र)** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि **एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।** साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिताओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
6. **कलेक्टर, जिला-भोपाल, (मध्यप्रदेश)** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि **एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।** साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिताओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।

3

6. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
7. संबंधित.
8. स्टाक फाइल.

3

(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,



सामान्य प्रशासन विभाग

## Order-21

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-80/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16 जून ,2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों/संस्थाओं को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि **रूपये- 1,02,000/-**(रूपये-एक लाख दो हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	329/सीएमएस/ 2005दिनांक 5.5.2005 जावक क्र1224/मुमंस/ 2005दिनांक 10.05.2005 आर-101	श्री अनिल भंडारी, महासचिव, इन्दौर, गौरव फाउन्डेशन, महासचिव, 30/1, डॉ0 आर.एस भंडारी मार्ग, इन्दौर. (शा.अहिल्या पुस्तकालय हेतु आर्थिक सहयोग हेतु)	रूपये-1,00,000/- (एक लाख)
2	9292/मुमंनि/ 2005	श्रीमती मुन्नीबाई पति स्व. श्री अशोक, चाय की दुकान, गेट नं.6, सीएम	रूपये-2,000/- (दो हजार)

दिनांक 09.05.2005 आर-109	हाउसके सामने,भोपाल (आर्थिक सहायता हेतु)	
	कुल योग-	रूपये-1,02,000/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये-एक लाख दो हजार मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखें।

2

2

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,  
(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-80/2005/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 16 जून,2005.

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. **कलेक्टर, जिला-इन्दौर/भोपाल, (मध्यप्रदेश)** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि **एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि संबंधित अनुदानग्रहिताओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।**
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,

 28052005.

सामान्य प्रशासन विभाग

**Order-22**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-53/2004/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16 जून, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, नियम शिथिल करते हुए निम्नलिखित संस्था को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-4,10,000/- (रूपये-चार लाख दस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक / दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1.	एचसीएम-723/05 दिनांक 21.04.2005 आर-55	सुश्री निवेदिता सिंह, ई-7, एचआयजी-481, अरेरा कालोनी, भोपाल (एम.पी.) 16 (उच्च अध्ययन हेतु ट्युशन फीस भरनेबाबत)	रूपये-4,10,000/- (चार लाख दस हजार)
		कुल योग-	रूपये-4,10,000/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये-4,10,000/- (रूपये-चार लाख दस हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा । कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे ।
4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 16 जून, 2005.

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-53/2005/एक(1)

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर,(मध्यप्रदेश)
2. सचिव,माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय,भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी,वल्लभ भवन कोषालय,भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-भोपाल, (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री,मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित संस्था को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिताओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

## Order-23

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-90/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 15 जून, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्ति को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि **रूपये-15,000/-** (रूपये-पन्द्रह हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
157	933/एचसीएम/2005 दिनांक 26.05.2005	श्रीमती नगीना बी निवासी-झुग्गी नं 999 भीमनगर भोपाल (पुत्री के इलाज हेतु)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
158	969/एचसीएम/2005 दिनांक 26.05.2005	अर्जुन रघु, निवासी-पत्रकार भवन के पास, मालवीय नगर, भोपाल. (कटे पैरों के इलाज हेतु)	रूपये-5,000/- (पांच हजार)
		<b>कुल राशि-</b>	<b>रूपये-15,000/-</b>

- अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि **रूपये-पन्द्रह हजार) मात्र** का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

2

2

- यह व्यय वित्तीय वर्ष **2005-2006** के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।



मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,  
(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-90/2005/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 15 जून, 2005.

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. **कलेक्टर, जिला-भोपाल, (मध्यप्रदेश)** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों / संस्थाओं को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि **एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।** साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि संबंधित अनुदानग्रहिताओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टाक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,

 02062005.

सामान्य प्रशासन विभाग

**Order-24**

मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-83/05/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 15 जून, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,

भोपाल.

विषय:— माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान – वित्तीय वर्ष 2004–2005.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्तियों/संस्थाओं को उनके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-1,54,945/- (रूपये एक लाख चौअन हजार नौ सौ पैतालीस) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	468/एससीएम/2005 दिनांक 20.05.2005 आर-121	श्रीमती कमला सेठी पति स्व. श्री प्रकाशचंद्र सेठी, पूर्व मुख्यमंत्री, निवासी-एमजीएम चिकित्सालय महाविद्यालय परिसर, इन्दौर (स्वयं के उपचार हेतु)	रूपये-1,54,945/- (एक लाख चौअन हजार नौ सौ पैतालीस)
		कुल राशि-	रु-154,945 / -

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल की राशि रूपये-1,54,945/- (रूपये एक लाख चौअन हजार नौ सो पैतालीस) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

2

2

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2004–2005 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नामसे  
तथा आदेशानुसार,  
(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग  
भोपाल, दिनांक 15 जून, 2005.

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-83/2005/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-इन्दौर, (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिताओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

🔔🔔🔔 03062005.

**Order-25**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-46/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 24 जून, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि **रूपये-2,20,000/-** (रूपये-दो लाख बीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
31	एससीएम- / 778 / 2005 दिनांक 03.04.2005 251 / सीएमएस / 05 दिनांक 13.04.2005	<b>कलेक्टर,</b> <b>जिला-सागर, (मध्यप्रदेश)</b> (दिनांक 15.03.2005 को ग्राम बण्डा (सागर) में हुई घटना में 02-मृतकों के परिवार जनों को एवं 02-घायलों को सहायता देने के संबंध में. निम्नानुसार अंकित प्रत्येक मृतक को एक-एक लाख एवं प्रत्येक गंभीर रूप से घायलों को दस-दस हजार: की आर्थिक सहायता हेतु) 1. मृतक हनी उर्फ हनिकेत गुप्ता पुत्र श्री राजेन्द्र गुप्ता, निवासी-बण्डा, जिला-सागर 2. मृतक पप्पू लोधी पुत्र पूरन लोधी, निवासी-बण्डा, जिला-सागर 3. गंभीर घायल-श्री राजेन्द्र गुप्ता साकिन बण्डा, जिला-सागर 4. गंभीर घायल श्री उमेश यादव साकिन बण्डा, जिला-सागर	<b>रूपये-1,00,000 /-</b> <b>(एक लाख)</b> <b>रूपये-1,00,000 /-</b> <b>(एक लाख)</b> रूपये-10,000 /- (दस हजार) रूपये-10,000 /- (दस हजार)
		<b>कुल राशि-</b>	<b>रूपये-2,20,000 /-</b>

- अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि **रूपये-दो लाख बीस हजार मात्र** का आहरण कर भुगतान कर 2 स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।
- यह व्यय वित्तीय वर्ष **2005-2006** के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,  
(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग  
भोपाल, दिनांक 24 जून, 2005.

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-46 / 2005 / एक(1)  
प्रतिलिपि:-

- महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
- सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
- कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.

4. कलेक्टर, जिला-सागर,(मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि **एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।** साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि संबंधित अनुदानग्रहिताओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.  
6. संबंधित.  
7. स्टाक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

14062005.

**Order-26**

मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय,वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-88/05/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 15 जून, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान - वित्तीय वर्ष 2004-2005.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति को उनके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-50,000/- (रूपयें-पचास हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.

151	858/एचसीएम/ 2005दिनांक 16.05.2005	कलेक्टर, जिला-भोपाल (मध्यप्रदेश) (श्री नरेन्द्र प्रजापति, 121,मालवीय नगर, न्यु मार्केट, भोपाल. पिता के चिकित्सा हेतु आर्थिक सहायता)	रूपये-50,000/- (पचास हजार)
		कुल राशि-	रू-50,000/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल की राशि रूपये-50,000/- (रूपयें पचास हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

2

2

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2004-2005 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नामसे  
तथा आदेशानुसार,  
(र.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग  
भोपाल, दिनांक 15 जून, 2005.

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-88/2005/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-भोपाल, (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिताओं से उपयोगिता

प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।

5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

 06062005.

**Order-27**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-91/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16 जून, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों/संस्थाओं को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि **रुपयें-6,70,000/-**(रुपयें छः लाख सत्तर हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	934/एचसीएम/2005 दिनांक 26.05.2005 159	श्री शिवबालक साकेत आ. श्री रामलाल साकेत निवासी ग्राम पोस्ट संसारपुर, जिला-रीवा (स्वयं के इलाज हेतु)	रुपये-10,000/- (दस हजार)
2	962/एचसीएम/2005 दिनांक 28.05.2005 160	श्री सुल्तान कुर्मी निवासी- ग्राम गिदवानी, तह-जिला-सागर (पत्नी श्रीमती रचना कुर्मी के हृदय के बाल्ब के इलाज हेतु)	रुपये-20,000/- (बीस हजार)
3	963/एचसीएम/2005 दिनांक 28.05.2005	श्रीमती अनीता मिश्रा, निवासी वार्ड, क्र-1, नगर पंचायत खोंड,	रुपये-5,000/- (पांच हजार)

	<b>161</b>	जिला-शहडोल. (कैंसर रोग के इलाज हेतु)	
<b>4</b>	966/एचसीएम/2005 दिनांक 26.05.2005 <b>162</b>	श्री ए.आर.खान ., जिला कार्य समिति सदस्य, जिला-रीवा (पुत्र के सड़क दुर्घटना में घायल होने पर उसके इलाज हेतु)	रुपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
<b>5</b>	469/सीएम/डीएस/ आर व्ही/2005 दिनांक 28.05.2005 एचसीएम/956/2005 <b>164</b>	श्रीमती विमला जादौन, निवासी-देवगढ़, कम्पू लश्कर,जिला-ग्वालियर.(माताजी के किडनी रोग के इलाज हेतु)	रुपये-20,000/- (बीस हजार)
<b>6</b>	983/एचसीएम/2005 दिनांक 30.05.2005 <b>168</b>	श्रीमती पवित्रावाई पत्नी स्व. श्री कैलाश निवासी चन्द्रपुरा, तह-नरसिंहगढ़ (जीवन-यापन हेतु)	रुपये-5,000/- (पांच हजार)
<b>7</b>	958/एचसीएम/2005 दिनांक 28.05.2005 <b>169</b>	श्री गंगाराम आ. श्री बट्टूलाल,निवासी-जताखेड़ा, तह व जिला-सीहोर (पुत्र के इलाज हेतु)	रुपये-20,000/- (बीस हजार)
<b>8</b>	955/एचसीएम/2005 दिनांक 28.05.2005 <b>171</b>	श्रीसूरजप्रसाद नामदेव आ. श्री जवाहर लाल नामदेव, निवासी सीवीरमनवार्ड,जिला-सिवनी. (स्वयं के इलाज हेतु)	रुपये-10,000/- (दस हजार)
<b>9</b>	961/एचसीएम/2005 दिनांक 28.05.2005 <b>172</b>	श्रीमती चंदकांति बहुत्रा पत्नि स्व. श्री अजय बहुत्रा निवासी अदाल कालोनी, बुदनी, जिला-सीहोर (पति की हत्या हो जाने के कारण आर्थिक सहायता हेतु)	रुपये-10,000/- (दस हजार)
<b>10</b>	957/एचसीएम/2005 दिनांक 28.05.2005 <b>173</b>	श्री बिदुआ पिता मटुआ अहिरवार निवासी-नयनवारा, जिला-टीकमगढ़ (बीमारी के इलाज हेतु)	रुपये-10,000/- (दस हजार)
<b>11</b>	960/एचसीएम/2005 दिनांक 28.05.2005 <b>174</b>	श्री वचन सिंह पिता सोपाली सिंह, लोपी निवासी वड़ापुरा पोरासामुरैना (पुत्र के हृदय उपचार हेतु)	रुपये-30,000/- (तीस हजार)
<b>12</b>	953/एचसीएम/2005 दिनांक 28.05.2005 <b>175</b>	श्री दशरथ पिता आनन्दराव, निवासी-फिरोजनगर, मूसा खेड़ी, इन्दौर (पुत्र गजानन की आकस्मिक मृत्यु होने के कारण परिजन को आर्थिक सहायता हेतु)	रुपये-50,000/- (पचास हजार)
<b>13</b>	954/एचसीएम/2005 दिनांक 28.05.2005 <b>176</b>	श्रीमति मधुबाई फालके पति श्री स्व. बाजीराव फालके निवासी-अमितेशनगर, इन्दौर (पति के मृत्यु उपरांत आर्थिक सहायता)	रुपये-5,000/- (पांच हजार)
<b>14</b>	965/एचसीएम/2005 दिनांक 28.05.2005 <b>177</b>	श्रीभंवर जी पिता श्री सीता जी निवासी खेड़ीनगर, जिला-शाजापुर (कैंसर इलाज हेतु आर्थिकसहायता)	रुपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
<b>15</b>	936/एचसीएम/2005 दिनांक 26.05.2005 <b>178</b>	श्री गुरु नारायण श्रीवास्तव, अंगरक्षक ,निवासी एच-28 अ/14, साउथ टी.टी. नगर भोपाल (कैंसर रोग के उपचार हेतु आर्थिक	रुपये-25,000/- (पच्चीस हजार)



		सहायता)	
16	945/एचसीएम/2005 दिनांक 26.05.2005 179	श्री मणीलाल खत्री, निवासी-163/सोमानी नगर इन्दौर (हृदय उपचार हेतुआर्थिकसहायता)	रूपये-1,00,000/- (एक लाख)
17	946/एचसीएम/2005 दिनांक 26.05.2005 180	श्री गोविन्द चौरसिया, निवासी-4/2, तम्बोली बाखल, इन्दौर (भाई के कैंसर इलाज हेतु) (हृदय उपचार हेतु आर्थिक सहायता)	रूपये-1,00,000/- (एक लाख)
18	5682/सीएमएस/2005 दिनांक 02.06.2005 181	मुख्यमंत्री घोषणा-क.160 ग्राम भारती शिक्षा प्रज्ञादीप, हर्ष वर्धन नगर, भोपाल (संस्था के लिए आर्थिक सहायता)	रूपये-2,00,000/- (दो लाख)
		कुल राशि-	रूपये-6,70,000/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये-छः लाख सत्तर हजार मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखें।
4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,  
(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग  
भोपाल, दिनांक 16 जून, 2005.

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-91/2005/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-रीवा/सागर/शहडोल/ग्वालियर/राजगढ़/सीहोर /  
सिवनी/टीकमगढ़/मुरैना/इन्दौर/शाजापुर/भोपाल (मध्यप्रदेश) की ओर  
प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से  
स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं को सूचित करें एवं तदनुसार  
भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान  
रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही  
उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध  
में निर्देशानुसार निवेदन है कि संबंधित

अनुदानग्रहिताओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।

5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

07062005.

**Order-28**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-80/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 24 जून, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, नियम शिथिल करते हुए निम्नलिखित संस्था को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-50,000/- (रूपये-पचास हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
100	एचसीएम-808/2005 दिनांक 04.05.2005	श्री रामेश्वर शर्मा, अध्यक्ष, नूतन वर्षाभिन्दन समिति "कर्मश्री" टी-134, जीवन सागर अपार्टमेंट मालवीय नगर, भोपाल (कवि सम्मेलन के आयोजन घोषित हेतु)	रूपये-50,000/- (पचास हजार)
कुल योग-			रूपये-50,000/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये-50,000/- (रूपये-पचास हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2

2

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 24 जून, 2005.

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-80/2005/एक(1)

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-भोपाल, (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

🔔🔔🔔28052005.

**Order-29**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-84/2005/एक(1)

भोपाल, दिनांक 27 जून, 2005.

प्रति,

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:-

माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान - वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि **रूपये-2,80,000/-** (रूपये-दो लाख अस्सी हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम-853 / 2005 दिनांक 13.05.2005 110	श्री भारत दयारामाणी, बी-48, न्यु आरामशीन रोड, बैरागढ़, भोपाल (इंजीनियरिंग की पढ़ाई हेतु)	रूपये-50,000 / - (पचास हजार)
2	एचसीएम-854 / 2005 दिनांक 16.05.2005 111	श्री मुन्नेखॉ / हमीद खॉ, नि.ग्राम दोराहातह. सीहोर, जिला-सीहोर (स्वयं के इलाज हेतु)	रूपये-10,000 / - (दस हजार)
3	एचसीएम-855 / 2005 दिनांक 16.05.2005 112	श्रीमतीलक्ष्मीबाई / धनलाल, निवासी-झरखेडा, तह. सीहोर, जिला-सीहोर (स्वयं के इलाज हेतु)	रूपये-10,000 / - (दस हजार)
4	एचसीएम-856 / 2005 दिनांक 16.05.2005 113	श्री रवि गौर आ. श्री तुलसीराम गौर, ग्राम-मगरदा, तह. सीहोर, जिला-सीहोर (स्वयं के इलाज हेतु)	रूपये-10,000 / - (दस हजार)
5	एचसीएम-857 / 2005 दिनांक 16.05.2005 114	श्रीमती शकुंतला वर्मा, पर्यवेक्षक, महिला एवं बाल विकास राजगढ़, जिला-धार. (हाथ कटने पर" हेतु आर्थिक सहायता)	रूपये-1,00,000 / - (एक लाख)
6	एचसीएम-899 / 2005 दिनांक 16.05.2005 115	श्री विष्णू ठाकुर, निवासी-31, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी नरसिंहपुर. (बायपास सर्जरी हेतु)	रूपये-1,00,000 / - (एक लाख)
		<b>कुल राशि-</b>	<b>रूपये-2,80,000 / -</b>

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि **रूपये-2,80,000 / -** (रूपये-दो लाख अस्सी हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष **2005-2006** के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-84 / 2005 / एक(1)  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 29 जून, 2005.

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-भोपाल/सीहोर/धार/नरसिंहपुर, (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित संस्था को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र /प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टोक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

🔔🔔🔔20062005.

**Order-30**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-95 / 2005 / एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 27 जून, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्ति को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-50,000/- (रूपये-पचास हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.

1	एचसीएम-1021/2005 दिनांक 6.6.2005 आर-212	श्री अजय जुनेजा, निवासी-11/65, टंडी सड़क, जिला-शिवपुरी (पत्नी के उपचार हेतु)	रूपये-50,000/- (पचास हजार)
		कुल योग-	रूपये-50,000/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये-50,000/- (रूपये-पचास हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2

2

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या- सामान्य प्रशासन - शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 27 जून, 2005.

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-95/2005/एक(1)

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-शिवपुरी, (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित संस्था को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें

तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र /प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।

5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

21062005.



**Order-31**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-49/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 27 जून, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, नियम शिथिल करते हुए निम्नलिखित संस्था को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-1,00,000/- (रूपये-एक लाख) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
5.	जावक 873/मुमंस/2005 दिनांक 1.4.2005	घोषणा क्रमांक -158 24 फरवरी, 2005 "इन्दोर प्रेस क्लब" इन्दौर. ("इन्दोर प्रेस क्लब की गतिविधियों के संचालन हेतु")	रूपये-1,00,000/- (एक लाख)
कुल योग-			रूपये-1,00,000/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये-1,00,000/- (रूपये-एक लाख) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या- सामान्य प्रशासन - शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,  
(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग  
भोपाल, दिनांक 27 जून, 2005.

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-49/2005/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-इन्दौर, (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित संस्था को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र /प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

🔔🔔🔔24062005.

**Order-32**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन

—: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-89/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 28 जून, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि **रुपये-2,30,000/-** (रुपये-दो लाख तीस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम-908/ 2005दिनांक 20.05.2005 आर-138	श्रीमती सरस्वती नागेश्वर पत्नी श्री रामाजीनागेश्वर निवासी वार्ड नं.6, कोसमी जिला-बालाघाट (म.प्र.) (कैंसर के उपचार हेतु)	रुपये-5,000/- (पांच हजार)
2	एचसीएम-878/2005दिनांक 18.05.2005 आर-139	श्री योगेश कुमार कबीरे पुत्र श्री अशोक कुमार कबीरे, निवासी-मु.मोहरा, पोस्टटेमनी लांजी जिला बालाघाट (म.प्र.) (बीमारी के उपचार हेतु)	रुपये-5,000/- (पांच हजार)
3	एचसीएम-877/2005दिनांक 18.05.2005 आर-140	श्री पारस पुत्र श्री नानकराम पंवार, मु. लेण्डेझरी, पो. चिल्लौद, तहसील-वारासिवनी, जिला-बालाघाट (म.प्र.) (हृदय बाल्यके उपचार हेतु)	रुपये-5,000/- (पांच हजार)
4	एचसीएम-876/2005दिनांक 18.05.2005 आर-141	श्रीमती वहीव पत्नी श्री रज्जाक खॉ, निवासी-2 वार्ड क-28, स्नेह नगर, जिला बालाघाट (म.प्र.) (स्तन कैंसर की बीमारी के उपचार हेतु)	रुपये-5,000/- (पांच हजार)
5	एचसीएम-874/2005दिनांक 18.05.2005 आर-142	श्रीमती फुलवन्ताबाई वैद्य, निसासी-मु. पो.चिचगॉ, तहसील-व जिला-बालाघाट. (कैंसर की बीमारी के उपचार हेतु)	रुपये-5,000/- (पांच हजार)
6	एचसीएम-875/2005दिनांक 18.05.2005 आर-143	श्री चितुलाल गौतम, पुत्र श्री जेदू, निवासी-मु.तिवड़ीकलां, पो केशलेवाड़ा तहसील-व जिला-बालाघाट. (बीमारी के उपचार हेतु)	रुपये-10,000/- (दस हजार)
7	एचसीएम-868/2005	श्री प्यारे लाल असाटी	रुपये-50,000/-

	दिनांक 18.05.2005 <b>आर-144</b>	पत्नि श्रीमती कुमुद असाटी, वार्ड- जीडब्लू, जवाहरलाल नेहरू कैंसर चिकित्सालय, भोपाल (कैंसर उपचार हेतु)	(पचास हजार)
8	362/एचसीएम/ 2005दिनांक 20.05.2005 <b>आर-145</b>	श्री सुनील कुमार कौरव आ. श्री रामेश्वरदयाल कौरव,ग्राम-राखरा, तहसील भाण्डेर,जिला- दतिया (म.प्र.) (हृदय के ऑपरेशन-उपचार हेतु)	रुपये-75,000/- (पछत्तर हजार)
9	873/एचसीएम/ 2005दिनांक 18.05.2005 <b>आर-146</b>	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव, एमआयजी-8, हाऊसिंग कालोनी, विवेकानंद नगर, सेन्ट्रल स्कूल के पीछे,जिला-दमोह (म.प्र.) (स्वयं के उपचार हेतु)	रुपये-15,000/- (पन्द्रह हजार)
10	872/एचसीएम/ 2005दिनांक 18.05.2005 <b>आर-147</b>	पं. राजेन्द्र सोनकिया, शाहपुर तहसील पथरिया, जिला-दमोह म.प्र. (पुत्र के उपचार हेतु)	रुपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
11	869/एचसीएम/ 2005 दिनांक 18.05.2005 <b>आर-148</b>	श्री सोमेश शर्मा, निवासी-एफ 85/45, तुलसीनगर, भोपाल म.प्र.(पुत्र के उपचार हेतु)	रुपये-30,000/- (तीस हजार)
		<b>कुल राशि-</b>	<b>रुपये-2,30,000/-</b>

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि **रुपये-2,30,000/-** (रुपये-दो लाख तीस हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष **2005-2006** के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

3

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,  
(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-89/2005/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 28 जून, 2005.

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-बालाघाट/भोपाल/दतिया/दमोह, (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित अनुदानग्रहिता को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र /प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।

5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टोक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

🔔🔔🔔24062005.

**Order-33**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
:- आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-100/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 28 जून, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि **रूपये-7,50,000/-** (रूपये-सात लाख पचास हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम-1030/2005 दिनांक 6.6.2005 आर-203	घोषणा क्रमांक-203 दिनांक 04.05.2005 प्राचार्य "माध्यमिक शाला सीहोर के भवन की बाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेतु "	रूपये-1,50,000/- (एक लाख पचास हजार)
2	एचसीएम-1031/2005 दिनांक 6.6.2005 आर-208	घोषणा क्रमांक-197 दिनांक 24.10.2004 "व्यवस्थापक, आनंदमयी आश्रम, बैरागढ़ भोपाल के गरीब बच्चों के सहायतार्थ आश्रम हेतु "	रूपये-1,00,000/- (एक लाख)

3	एचसीएम-1032/2005 दिनांक 6.6.2005 आर-208	घोषणा क्रमांक-198 दिनांक 24.04.2005 अध्यक्ष "अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, भोपाल को मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से रुपये-1.00 लाख (रुपये एक लाख) दिये जावेंगे।"	रुपये-1,00,000/- (एक लाख)
4	एचसीएम-1085/2005 दिनांक 13.6.2005 आर-217	घोषणा क्रमांक-177 दिनांक 10.04.2005 सचिव, "सिन्धू समाज, बैरागढ़, भोपाल के स्कूल के लिए शासन की ओर से रुपये-2.00 लाख (रुपये दो 2 स्वीकृत किये जायेंगे।	रुपये-2,00,000/- (दो लाख)
5	एचसीएम-1086/2005 दिनांक 13.6.2005 आर-218	घोषणा क्रमांक-161 दिनांक 17.03.2005, प्राचार्य, 'सरस्वती शिशु मंदिर, नलखेडा, जिला-शाजापुर के भवन निर्माण हेतु' रुपये-2.00लाख (रुपये दो लाख) स्वीकृत किये जायेंगे।	रुपये-2,00,000/- (दो लाख)
		कुल राशि-	रुपये-7,50,000/-

- अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रुपये-7,50,000/- (रुपये-सात लाख पचास हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।
- यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,  
(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग  
भोपाल, दिनांक 28 जून, 2005.

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-100/2005/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

- महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
- सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
- कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
- कलेक्टर, जिला-सीहोर/भोपाल/शाजापुर (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित अनुदानग्रहिता को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र /प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
- जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
- संबंधित.
- स्टाक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-97/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 29 जून, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि **रुपये-3,30,000/-** (रुपये-तीन लाख तीस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	1027/एचसीएम/2005 दिनांक 06.06.2005 188	अध्यक्ष, अरुषि संस्था, 1, शिवाजी नगर, भोपाल. (मध्यप्रदेश) (समाज सेवा के कार्यों हेतु)	रुपये-1,00,000/- (एक लाख)
2	1040/एचसीएम/2005 दिनांक 06.06.2005 189	अध्यक्ष, संभागीय केवट (कहार) समाज सामाजिक कल्याण समिति, भैरवगढ़ उज्जैन (म.प्र.) (उज्जैन में केवल समाज की धर्मशाला निर्माण हेतु)	रुपये-50,000/- (पचास हजार)
3	जावक 9874/मुमनि दिनांक 06.06.2005 195	मो.इशाक पुत्र मो. इब्राहीम, मकान नं.62, भोईपुरा बुधवारा, भोपाल (इलाज हेतु आर्थिक सहायता)	रुपये-5,000/- (पाँच हजार)
4	एचसीएम-1014/2005 दिनांक 6.6.2005 196	श्रीमती कमला बाई पति श्री हरिराम मालवी, सी.व्ही.रमन वार्ड-सिवनी, जिला-सिवनी (म.प्र.) (पति के इलाज हेतु)	रुपये-10,000/- (दस हजार)
5	एचसीएम-1010/2005 दिनांक 4.6.2005 197	श्री विनोद कुमार कुशवाह, निवासी गोल पहाड़िया, गणेश मंदिर, पत्थर के फण्ड के पास, ए.बी.रोड, व ? लियर (पुत्र राहुल के उपचार हेतु)	रुपये-5,000/- (पांच हजार)
6	एचसीएम-1012/2005 दिनांक 4.6.2005 199	श्रीमती सरोज भदोरिया पत्नी श्री अर्जन सिंह भदोरिया, निवासी हारकोटासीर काली माता मंदिर के पास तारागंज लशकर, जिला- ग्वालियर (उपचार हेतु)	रुपये-10,000/- (दस हजार)
7	एचसीएम-1052/2005	नाथूराम अहिरवार, निवासी-ग्राम व	रुपये-5,000/-

	दिनांक 07.06.2005 <b>204</b>	पोस्टनिवाड़ी, जिला- टीकमगढ़ (हार्ट अटेक एवं स्पाईनल कार्ड के उपचार हेतु)	(पाँच हजार)
<b>8</b>	एचसीएम-1050 / 2005 दिनांक 07.06.2005 <b>205</b>	श्रीमती उमिला अग्रवाल पत्नि श्री किशनलाल अग्रवाल, मेनरोड दोराहा, जिला-सीहोर. (ओपन हार्ट सर्जरी के उपचार हेतु)	रूपये-25,000 / - (पच्चीस हजार)
<b>9</b>	एचसीएम-1049 / 2005 दिनांक 07.06.2005 <b>206</b>	विधवा श्रीमती सुंदर बाई, पत्नी श्री लिमड़ा यादव, डिप्टी रेंजर, जिला- खण्डवा (पति की हत्या पर विधवा को आर्थिक सहायता हेतु)	रूपये-1,00,000 / - (एक लाख)
<b>10</b>	एचसीएम-1053 / 2005 दिनांक 07.06.2005 <b>207</b>	श्री योगेन्द्र सिंह राणा, पूर्व विधायक, सुमावली, जिला-मुरैना (स्वयं की एलर्जी का इलाज करवाने हेतु)	रूपये-10,000 / - (दस हजार)
<b>11</b>	जावक 9933 / मुमनि / दिनांक 8.6.2005 <b>209</b>	श्रीमती कुसुम क्षेत्रीय, निवासी-बी-6, 74बंगला, भोपाल(इलाज हेतु)	रूपये-10,000 / - (दस हजार)
		<b>कुल राशि-</b>	<b>रूपये-3,30,000 / -</b>

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि **रूपये-3,30,000 / -**(रूपये-तीन लाख तीस हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखें।
4. यह व्यय वित्तीय वर्ष **2005-2006** के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,  
(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

3

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-97 / 2005 / एक(1)  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 29 जून, 2005.

3

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-भोपाल / उज्जैन / सिवनी / ग्वालियर / टीकमगढ़ / सीहोर / खण्डवा / मुरैना (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित अनुदानग्रहिता को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहितु से उपयोगिता प्रमाण-पत्र / प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.



7. स्टाक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

25062005.

**Order-35**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-92/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 29 जून, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों/संस्थाओं को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपयें-1,75,000/- (रूपयें एक लाख पछत्तर हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.

1	937 / एचसीएम / 2005 दिनांक 26.05.2005 <b>आर-182</b>	श्री कमल सिंह पटेल पिता श्री मोहन सिंह पटेल, निवासी-गुलावता विकास खण्ड सारंगपुर, जिला-राजगढ़ (उपचार हेतु आर्थिक सहायता)	रुपये-50,000 /- (पचास हजार)
2	947 / एचसीएम / 2005 दिनांक 26.05.2005 <b>आर-183</b>	श्री ओम प्रकाश मैथिल, हनुमान गंज डांडा डबरा, जिला-ग्वालियर, (टॉग के ऑपरेशन-उपचार हेतु)	रुपये-25,000 /- (पच्चीस हजार)
3	948 / एचसीएम / 2005 दिनांक 26.05.2005 <b>आर-184</b>	श्री मनोहर डबली, एल.आई.जी-143, भारती निकेतन, भोपाल (पुत्र चि. मंगेश के इलाज हेतु)	रुपये-5,000 /- (पांच हजार)
4	949 / एचसीएम / 2005 दिनांक 26.05.2005 <b>आर-185</b>	श्री प्रहलाद सिंह राठौर, निवासी-77, सहकारी बाजार, नई आबादी, मंदसौर (कैंसर रोग के इलाज हेतु आर्थिक सहायता)	रुपये-50,000 /- (पचास हजार)
5	950 / एचसीएम / 2005 दिनांक 26.05.2005 <b>आर-186</b>	श्री रामनारायण भावसार, बढिया खेड़ी नगर, सीहोर (कैंसर रोग के इलाज हेतु आर्थिक सहायता)	रुपये-20,000 /- (बीस हजार)
6	992 / एचसीएम / 2005 दिनांक 02.06.2005 <b>आर-187</b>	श्री अब्दुल रऊफ खॉ आत्मज श्री बन्ने खॉ निवासी ग्राम पोस्ट दिल्लीद, तहसील बैरसिया, जिला-भोपाल (पुत्र-पुत्री के दुर्घटना में मृत्यु होने के कारण आर्थिक सहायता)	रुपये-25,000 /- (पच्चीस हजार)
		<b>कुल राशि-</b>	<b>रुपये-1,75,000 /-</b>

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि **रुपये-1,75,000 /-** (एक लाख पछत्तर हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखें।
4. यह व्यय वित्तीय वर्ष **2005-2006** के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,  
(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-92/2005/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 29 जून, 2005.

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. **कलेक्टर, जिला-राजगढ़ / ग्वालियर / भोपाल / मंदसौर / सीहोर / (मध्यप्रदेश)** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों / संस्थाओं को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि **एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति / संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।** साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि संबंधित अनुदानग्रहिताओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्र / प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

07062005.

# Order-36

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-88/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 29 जून, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों/संस्थाओं को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि **रूपयें-1,70,000/-**(रूपयें एक लाख सत्तर हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	921/एचसीएम/2005 दिनांक 25.05.2005 आर-152	श्रीमती राजकुमारी पत्नी श्री रोशनसिंह भदौरिया, निवासी कनावर, जिला-भिण्ड (मृतक पत्नि को आर्थिक सहायता हेतु)	रूपयें-50,000/- (पचास हजार)
2	925/एचसीएम/2005 दिनांक 25.05.2005 आर-153	श्री देवी प्रसाद अकोदिया, निवासी सरस्वती नगर, आगर रोड, उज्जैन (किडनी के इलाज हेतु)	रूपयें-50,000/- (पचास हजार)
3	920/एचसीएम/2005 दिनांक 24.05.2005 आर-154	श्री अमित कुमार पाण्डेय पुत्र श्री राजकुमार पाण्डेय, निवासी-आलमपुर, जिला भिण्ड (हार्ट सर्जरी के इलाज हेतु)	रूपयें-50,000/- (पचास हजार)
4	926/एचसीएम/2005 दिनांक 25.05.2005 आर-155	श्री डालचंद तनय खचोरेकारी, निवासी सकेरा भडारन, जिला टीकमगढ़ (स्वयं की बीमारी के इलाज हेतु)	रूपयें-20,000/- (बीस हजार)
		<b>कुल राशि-</b>	<b>रूपयें-1,70,000/-</b>

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि **रूपयें-1,70,000/-**(एक लाख सत्तर हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,  
(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-88/2005/एक(1)

भोपाल, दिनांक 29 जून, 2005.

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. **कलेक्टर, जिला-भिण्ड/उज्जैन/टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश)** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि **एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि संबंधित अनुदानग्रहिताओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।**
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग

 07062005.

**Order-37**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-106/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 29 जून, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों/संस्थाओं को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि **रूपये-50,000/-** (रूपये पचास हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	5974/सीएमएस/2005 दिनांक 02.06.2005 आर-149	श्री जगदीश राठौर, पार्षद, वार्ड क्रं. 34, नगर पालिका परिषद, गुना। (किडनी/गुर्दे के इलाज हेतु)	रूपये-50,000/- (पचास हजार)
		कुल राशि-	रूपये-50,000/-

- अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि **रूपये-50,000/-** (पचास हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखें।
- यह व्यय वित्तीय वर्ष **2005-2006** के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,  
(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

2

2

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-106/2005/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 29 जून, 2005.

- महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
- सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
- कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
- कलेक्टर, जिला-गुना (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि **एक ही वित्तीय वर्ष**

में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि संबंधित अनुदानग्रहिताओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।

5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टाक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग

07062005.

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन

—: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7- 72/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 29 जून, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि **रूपयें-50,000/-**(रूपयें पचास हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	8565/मुमनि /2005 दिनांक 18.04.2005 आर-103	श्री ओ.पी. यादव, सचिव, क्षेत्रीय यादव समिति हरदा, म.प्र. नि.बी./17, हाउसिंग बोर्ड कालोनी हरदा (सभागृह निर्माण हेतु आर्थिक सहायता)	रूपयें-50,000/- (पचास हजार)
		कुल राशि-	रूपयें-50,000/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि **रूपयें-50,000/-**(पचास हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखें।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष **2005-2006** के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,  
(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

2

2

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-72/2005/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 29 जून, 2005.

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. **कलेक्टर, जिला-हरदा (मध्यप्रदेश)** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि **एक ही वित्तीय वर्ष में एक**



व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि संबंधित अनुदानग्रहिताओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।

5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टाक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग

07062005.

**Order-39**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-36/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 29 जून, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित नियम शिथिल करते हुए व्यक्तियों/संस्थाओं को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपयें-15,00,000/- (रूपये पन्द्रह लाख) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	591/एचसीएम/2005 दिनांक 01.04.2005 आर-001	अध्यक्ष, मराठी समाज, इंदौर, 31, पंचशील नगर, (स्नेह नगर) इंदौर (मध्यप्रदेश) (माई मंगेशकर सभागृह हेतु आर्थिक सहायता)	रूपये-5,00,000/- (पांच लाख)
2	675/एचसीएम/2005 दिनांक 13.04.2005 आर-002	अध्यक्ष, भारतीय संस्कृति दर्शन संस्था, पुणे-411043 (महाराष्ट्र) (फिल्म निर्माण हेतु)	रूपये-5,00,000/- (पांच लाख)
3	759/एचसीएम/2005 दिनांक 25.04.2005 आर-056	श्री मोहन यादव, अध्यक्ष, उज्जैन विकास प्राधिकरण, (दि 0 8.4.2005 को विकास प्राधिकरण उज्जैन द्वारा आयोजित विक्रम उत्सव संवत् 2062 के आयोजन के अवसर पर कार्यक्रम हेतु आर्थिक सहायता)	रूपये-5,00,000/- (पांच लाख)
		<b>कुल राशि-</b>	<b>रूपये-15,00,000/-</b>

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये-15,00,000/- (पन्द्रह लाख) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के [2] के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के न [2]  
तथा आदेशानुसार,  
(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-36/2005/एक(1)

भोपाल, दिनांक 29 जून, 2005.

**प्रतिलिपि:—**

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. **कलेक्टर, जिला-इंदौर/उज्जैन/ (मध्यप्रदेश)** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि **एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि संबंधित अनुदानग्रहिताओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।**
5. **कलेक्टर, पुणे (महाराष्ट्र)** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि **एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि संबंधित अनुदानग्रहिताओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।**
6. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
7. संबंधित.
8. स्टाक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

**Order-40**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन

-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-71/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30 जून, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि **रूपयें-25,000/-** (रूपये-पच्चीस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	1917/सीएमएस/2005 दिनांक 26.04.2005 आर-75	श्री अदनाम सईद आत्मज श्री मोहसिन सईद आयु लगभग 20 वर्ष (विकलांग) क्वार्टर नं. 699, एन-2, बी-सेक्टर, पिपलानी, बीएचईएल, भोपाल (स्वयं के इलाज हेतु)	रूपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
		कुल राशि-	रूपये-25,000/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि **रूपये-25,000/-**(पच्चीस हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,  
(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग  
भोपाल, दिनांक 30 जून, 2005.

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-71/2005/एक(1)

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. **कलेक्टर, जिला-भोपाल (मध्यप्रदेश)** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि **एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।** साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि संबंधित अनुदानग्रहिताओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

 29062005.

**Order-41**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन

—: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-100/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30 जून, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, नियम शिथिल करते हुए निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-2,00,000/- (रूपये-दो लाख) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम-1007/2005 दिनांक 4.6.2005 आर-201	घोषणा क्रमांक-186 दिनांक 01 जून,2005 श्री एन.राजन,स्पेशल कारेस्पॉडेंट, इंडिया प्रेस एजेन्सी,112/5, शिवाजी नगर, भोपाल मध्यप्रदेश ("जे. वातुलम ग्लोबल हास्पिटल तथा रिसर्च सेंटर, माउण्ट आबू की गतिविधियों के लिए")	रूपये-2,00,000/- (दो लाख)
		कुल योग-	रूपये-2,00,000/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये-2,00,000/- (रूपये-दो लाख) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2

2

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में

विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,  
(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग  
भोपाल, दिनांक 30 जून, 2005.

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-100/2005/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-भोपाल, (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

🔔🔔🔔27062005.

**Order-42**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-85/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 02 जुलाई, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:— माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान –वित्तीय वर्ष 2005–2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, नियम शिथिल करते हुए निम्नलिखित संस्था को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-4,05,000/-(रूपये-चार लाख पांच हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	सीएमएस-2727 / एसएसयू / 2005 दिनांक 17.05.2005 आर-117	श्री एन.डी.गार्गव, अध्यक्ष, एल्यूमनी ऑफ गॉंधी मेडीकल कालेज भोपाल (स्वर्ण जयन्ति समारोह के आयोजन हेतु)	रूपये-2,00,000/- (दो लाख)
2	एचसीएम-863 / 2005 दिनांक 17.05.2005 आर-119	अध्यक्ष, कुर्मी क्षत्रिय समाज संगठन, बैतूल बाजार, जिला-बैतूल, (कुर्मी क्षत्रियसमाजभवननिर्माण हेतु)	रूपये-1,91,000/- (एक लाख इन्क्यानवे हजार)
3	जावक 9387 / मुमंनि / 2005 दिनांक 13.05.2005 आर-120	श्री तखत सिंह पुत्र श्री पृथ्वी सिंह, आदर्श नगर, झुग्गी नं.69, इन्ड्रस्टीयल एरिया, भोपाल (आर्थिक सहायता)	रूपये-5,000/- (पाँच हजार)
4	2631 / ओपीआर / 05 30.06.2005 आर-222	श्री राजेश कुमार मोर्य, एम.बी.बी.एस, प्रथम वर्ष, स्काल नं.8340 द्वारा डॉ. श्रीमती प्रीती तनेजा, प्रोफेसर / वि. 2, अध्यक्ष, गॉंधी मेडीकल कॉलेज, भोपाल (आँखों के इलाज हेतु)	रूपये-9,000/- (नौ हजार)
		कुल राशि-	रूपये-4,05,000/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये-4,05,000/-(रूपये-चार लाख पांच हजार) का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,  
(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग



पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-85/2005/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 02 जुलाई, 2005.

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-भोपाल/बैतूल, (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग



27062005

**Order-43**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-105/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 02 जुलाई, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान - वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-31,500/- (रूपये-इकत्तीस हजार पांच सौ) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
---------	---------------------------------	---	--------------

1.	2.	3.	4.
1	जावक क्रमांक 9934 / मुमनि / दि. 08.06.2005 आर-210	1. श्री धनबहादुर पिता श्री देव बहादुरझुग्गी नं.54, वल्लभ नगर, भोपाल. (आर्थिक सहायता हेतु)	रुपये-3,000 / - (तीन हजार)
2	जावक क्रमांक 9934 / मुमनि / दि. 08.06.2005 आर-210	2 श्रीमती रूक्मणी पवार पत्नी श्री भावजी पंवार, एच-2 / 148,1100 क्वार्टर्स, भोपाल.(आर्थिक सहायता)	रुपये-5,000 / - (पांच हजार)
3	जावक क्रमांक 9934 / मुमनि / दि. 08.06.2005 आर-210	3 श्रीमती रजनी वर्मा, क्वा. नं. 207 ट्रांजिस्ट हॉस्टल, माता मंदिर, भोपाल (इलाज हेतु)	रुपये-5,000 / - (पांच हजार)
5	जावक क्रमांक 9934 / मुमनि / दि. 08.06.2005 आर-210	4 श्रीमती निवेदिता शर्मा, पत्नी श्री नरेश शर्मा, मकान नं-132, पटेल नगर, भारत टाकीज, भोपाल.(ईलाज हेतु)	रुपये-5,000 / - (पांच हजार)
6	जावक क्रमांक 9934 / मुमनि / दि. 08.06.2005 आर-210	5 श्री प्रमोद तिवारी आ स्व. श्री राधेश्याम तिवारी, क्वार्टर नं-97-ए/ 2 50 तुलसी नगर, भोपाल (ईलाज हेतु)	रुपये-5,000 / - (पांच हजार)
7	जावक क्रमांक 9934 / मुमनि / दि. 08.06.2005 आर-210	6 श्रीमती सुशीला सेन, पत्नी छोटेलाल सेन, झुग्गी नंबर-547, पंपापुर राहुल नगर,भोपाल (ईलाज हेतु)	रुपये-2,500 / - (दो हजार पांच सौ)
8	जावक क्रमांक 9934 / मुमनि / दि. 08.06.2005 आर-210	7 श्रीमती सुनीता भट्टाचार्य पत्नी श्री विश्वनाथ भट्टाचार्य, एच-1 / 167, 1100 क्वार्टर्स, भोपाल (ईलाज हेतु)	रुपये-3,000 / - (तीन हजार)
9	जावक क्रमांक 9934 / मुमनि / दि. 08.06.2005 आर-210	8 श्री शकुन भिलाला पत्नी श्री तेजराम भिलाला, क्वार्टर नं-98-ए/ 18(1250) तुलसी नगर,भोपाल (ईलाज हेतु)	रुपये-3,000 / - (तीन हजार) 2
		<b>कुल राशि-</b>	<b>रुपये-31,500 / -</b>

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि **रुपये-31,000 / -**(रुपये-इकत्तीस हजार पांच सौ) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष **2005-2006** के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,  
(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-105 / 2005 / एक(1)  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 02 जुलाई, 2005.

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. **कलेक्टर, जिला-भोपाल, (मध्यप्रदेश)** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से

उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।

5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टोक फाइल.

 27062005

(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

**Order-44**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-104 / 2005 / एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30 जून, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-1,18,505 / - (रूपये-एक लाख अठारह हजार पांच सौ पांच) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक / दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम / पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	डी-2594 / 2005 दिनांक 30.05.2005 आर-165	श्री हन्नालाल शरणागत, निवासी- ग्रामबांदरी, पो-कंजई, तहसील-लालबर्गा, जिला-बालाघाट (पत्नी के इलाज हेतु)	रूपये-25,000 / - (पच्चीस हजार)
2	डी-2595 / 2005 दिनांक 30.05.2005 आर-166	श्री रामेश्वर मोहनलाल गौतम, निवासी-बालाघाट जिला-बालाघाट (पेट के कैंसर के इलाज हेतु)	रूपये-50,000 / - (पचास हजार)
3	डी-2593 / 2005 दिनांक 30.05.2005 आर-167	श्रीमती नीता दास, निवासी-पांडुतला, तहसील-बैहर, जिला-बालाघाट (पुत्र के किडनी इलाज हेतु)	रूपये-43,505 / - (तिरतालीस हजार पांच सौ पांच)

	कुल राशि-	रूपये-1,18,505/-
--	-----------	------------------

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि 2 रूपये-1,18,505/- (रूपये-एक लाख अठारह हजार पांच सौ पांच) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम 2 किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।
4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,  
(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग  
भोपाल, दिनांक 30 जून, 2005.

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-104/2005/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-बालाघाट, (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्त/संस्था को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ति रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

 27062005.

स्वेच्छानुदान मद से जारी स्वीकृतियों की जानकारी

वत्त वर्ष 05-06

वित्त वर्ष 05-06 के लिए कुल प्राप्त आवंटन	1अप्रैल 2005 से 31मई 2005 तक व्यक्तियों की संख्या	स्वीकृत राशि	1अप्रैल 2005 से 31मई 2005 तक संस्थायों की संख्या	स्वीकृत राशि	कुल व्यय राशि
1.	2	3	4	5	
रूपये-2,00,00,000 /- (दो करोड़)	90	रूपये-24,26,000 /-	16	85,65,000 /-	1,09,91,050 /-

वित्त वर्ष 04-05

वित्त वर्ष 04-05 के लिए कुल प्राप्त आवंटन	1अप्रैल 2004 से 31मार्च 2005 तक व्यक्तियों की संख्या	स्वीकृत राशि	1अप्रैल 2004 से 31मार्च 2005 तक संस्थायों की संख्या	स्वीकृत राशि	कुल व्यय राशि
रूपये-2,86,21,000 /-	874	रूपये-1,81,00,000 /-	106	1,05,21,000 /-	2,86,20,500 /-

**Order-45**

मध्यप्रदेश शासन

**सामान्य प्रशासन विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन**  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-99/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 15/07/2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-1,00,000/- (रूपये-एक लाख) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम-1071/2005 दिनांक 10.6.2005 आर-219	कलेक्टर, ग्वालियर (म.प्र.) (दिनांक 08 अक्टूबर, 2004 को दस्यु राम बाबू गडरिया गिरोह द्वारा ग्वालियर जिले के ग्राम रेहट के मृतक श्री प्रदीप पाण्डे तथा श्री महेश उपाध्याय की हत्या के कारण परिजनों को आर्थिक सहायता)	रूपये-20,000/- (बीस हजार) (प्रत्येक मृतक के परिवार को रूपये दस-दस हजार के मान से)
2	एचसीएम-1065/2005 दिनांक 10.6.2005 आर-220	श्री करमवीर सिंह भदौरिया, आत्मज श्री रामगोपाल सिंह भदौरिया तृप्ति नगर, मुरार, जिला-ग्वालियर (ब्रेन ट्यूमर के इलाज हेतु)	रूपये-40,000/- (चालीस हजार)
3	एचसीएम-1093/2005 दिनांक 13.06.2005 आर-221	श्रीमती सोनाबाई पत्नी श्री हरिसिंह, निवासी झाडपिपलगा तह0 नरसिंहगढ़ 2 राजगढ़ (स्वयं के कैंसर रोग के इलाज हेतु)	रूपये-40,000/- (चालीस हजार)
		कुल राशि	रूपये-1,00,000/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये-1,00,000/- (रूपये-एक लाख) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,  
(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-99/2005/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 15/07/2005.

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-ग्वालियर/राजगढ़, (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

🔔🔔🔔30062005.

**Order-46**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन

:- आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-110/2005/एक(1)

भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2005.

प्रति,

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रुपये-5,55,000 /-(पांच लाख पचपन हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक / दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम / पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम-1117 / 2005 दिनांक 15.06.2005 आर-223	श्री प्यारेलाल चौधरी, पूर्व सदस्य, मध्यप्रदेश विधानसभा क्षेत्र, 38 नरयावली तह-नरयावली, जिला-सागर. (स्वयं के इलाज हेतु आर्थिक सहायता)	रुपये-25,000 /- (पच्चीस हजार)
2	एचसीएम-1123 / 2005 दिनांक 15.06.2005 आर-224	श्री सज्जाद हुसैन, छात्र, झुग्गी नं. 13, ऋषिनगर, चार इमली, भोपाल (चिकित्सा शिक्षा आर्थिक सहायता हेतु)	रुपये-5,000 /- (पांच हजार)
3	10033 / मुमंनि / 2005 दिनांक 12.06.2005 आर-225	श्री बशीर अहमद, निवासी-मकान नं-93, अच्छे मिया के कुचे की गली, जहाँगीराबाद, भोपाल ( इलाज हेतु आर्थिक सहायता)	रुपये-10,000 /- (दस हजार)
4	एचसीएम / 1011 / 2005 दिनांक 04.06.2005 आर-226	श्रीमती सुमित्रादेवी भारद्वाज (सोनी) पत्नि श्री अशोक कुमार भारद्वाज, निवासी- शिवकावली, गोहागढ़, लश्कर, ग्वालियर 2 (स्वयं के इलाज हेतु)	रुपये-5,000 /- (पांच हजार)
5	एचसीएम-1110 / 2005 दिनांक 14.06.2005 आर-227	श्री ऋषि कुमार यादव, म.नं. 115, लालकुर्ती बाजार, सागर कैंट, जिला-सागर, मध्यप्रदेश. (पुत्र के एम्स में इलाज हेतु)	रुपये-50,000 /- (पचास हजार)
6	2482 / ओ.पी.आर. / 05 दिनांक 20.06.2005 आर-228	श्री महीप कुमार रजक पुत्र श्री रामावतार रजक ग्राम भुनगाँव, तहसील-न्यौँथर, जिला-रीवा (चिकित्सा अध्ययन हेतु)	रुपये-20,000 /- (बीस हजार)
7	एचसीएम-1135 / 2005 दिनांक 17.06.2005 आर-229	श्री धीरेन्द्र प्रसाद मिश्र पिता श्री अग्रसेनप्रसाद मिश्र, निवासी-सिरसा, जिला-रीवा (स्वयं के इलाज हेतु)	रुपये-20,000 /- (बीस हजार)
8	2472 / ओ.पी.आर. / 05 दिनांक 20.06.2005 आर-230	श्रीमती विमला बाई उर्फ राजू बाई, निवासी-कोटेश्वर तिराहा, फोर्टे, न्यू कालोनी, कोटेश्वर मंदिर, ग्वालियर हेतु) (विधवा के जीवन-यापन हेतु)	रुपये-20,000 /- (बीस हजार)



9	एचसीएम-1111/2005 दिनांक 14.06.2005 <b>आर-231</b>	श्री राकेश अग्रवाल पुत्र श्री श्यामलाल, निवासी-गोहद चौक, जिला-भिण्ड (परिवार के भरण-पोषण हेतु)	रुपये-20,000/- (बीस हजार)
10	एचसीएम-1136/2005 दिनांक 17.06.2005 <b>आर-232</b>	श्री राजेश कुमार शर्मा पुत्र श्री कन्हैया लाल शर्मा, निवासी- ग्राम अतरसूमा, पो. जामपुरा, जिला-भिण्ड (पुत्र के गुर्दा प्रत्यारोपण कराने हेतु)	<b>रुपये-1,00,000/-</b> <b>(एक लाख)</b>
11	एचसीएम-1134/2005 दिनांक 17.06.2005 मान.वधायक-श्री गिरीश गौतम रीवा. <b>आर-233</b>	श्री बाल्मीक प्रसाद साकेत तनय सुखई प्रसाद साकेत, ग्राम शिसवाडॉडी टोला पोस्ट लालगॉव तहसील-सिरमोर, जिला-रीवा (हृदय रोग के इलाज हेतु)	रुपये-20,000/- (बीस हजार)
12	एचसीएम-1133/2005 दिनांक 17.06.2005 <b>आर-234</b>	श्री कुण्डेश्वर प्रसाद मिश्रा, ग्राम पो. सगरा, तह-हुजूर, जिला-रीवा (जीवन यापन हेतु आर्थिक सहायता)	रुपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
13	एचसीएम-1112/2005 दिनांक 15.06.2005 <b>आर-235</b>	श्री कैलाश नारद, पत्रकार, विशेष संवाददाता, नई दुनिया, इन्दौर (स्वयं के हृदय रोग उपराचारार्थ)	रुपये-50,000/- (पचास हजार)
14	एचसीएम-1132/2005 15दिनांक 17.06..2005 <b>आर-237</b>	श्री गंगा सिंह चौधरी पुत्र श्री रामप्रताप सिंह, पुराने मंदि 3 ग्रास, आजाद नगर, उर्रहट, जिला-रीवा (चिकित्सा हेतु)	रुपये-20,000/- (बीस हजार)
15	एचसीएम-1092/2005 दिनांक 13.06..2005 <b>आर-238</b>	श्री महेश कुमार पिता परसूराम कुमावतनिवासी-बड़वाड़ा, तहसील -बड़वाहा जिला-खरगोन (पुत्र के हृदय रोग की चिकित्सा हेतु)	रुपये-10,000/- (दस हजार)
16	एचसीएम-1095/2005 दिनांक 13.06..2005 <b>आर-239</b>	श्री जुगल किशोर क्षेत्रिय (शर्मा) द्वारा भागेश्वर मंदिर के पास, नीमच (पत्नि के हृदय रोग के इलाज हेतु)	रुपये-10,000/- (दस हजार)
17	एचसीएम-1073/2005 दिनांक 10.06..2005 <b>आर-240</b>	श्री उमराव सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, हरदुल लाला के मंदिर के पास, चांदबढ़, भोपाल. (आर्थिक सहायता)	रुपये-05,000/- (पांच हजार)
18	एचसीएम-1149/2005 दिनांक 20.06..2005 <b>आर-241</b>	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव, एम आय जी-8, हाउसिंग बोर्ड, विवेकानंद नगर, सेन्टर स्कूल के पीछे, दमोह (स्वयं के इलाज हेतु)	रुपये-10,000/- (दस हजार)
19	एचसीएम-1156/2005 दिनांक 21.06..2005 <b>आर-243</b>	श्री वासुदेव दौलत ठाकरे, निवासी-रंगारी, तहसील-सौसर जिला-छिन्दवाड़ा (पुत्री कु.मंगला के इलाज हेतु)	रुपये-10,000/- (दस हजार)
20	एचसीएम-1150/2005 दिनांक 22.06..2005 <b>आर-244</b>	श्री महेन्द्र श्रीवास्तव, द्वारा श्री एस.बी.व्योहार, एल आय जी-111, हर्ष वर्धन नगर, भोपाल. (पुत्री के इलाज हेतु)	रुपये-50,000/- (पचास हजार)
21	10577/मुमंनि/2005 दिनांक 22.06..2005 <b>आर-246</b>	श्री गिरीराज किशोर, ई-2/29, पं. दीनदयाल परिसर अरेरा कालोनी, भोपाल (स्वयं के लकवा के इलाज हेतु आर्थिक)	रुपये-10,000/- (दस हजार)

		सहायता)	
22	एचसीएम-1168 / 2005 दिनांक 24.06.2005 आर-247	श्रीमती गीता देवी, पति श्री मोतीचंद, म.नं. 84, गली नं.1, द्वारका नगर, मित्तल फर्नीचर वर्क के पीछे, कोच फेक्ट्री रोड, भोपाल (रक्तचाप के इलाज हेतु)	रूपये-5,000 / - (पांच हजार)
23	एचसीएम-1170 / 2005 दिनांक 24.06.2005 आर-248	कलेक्टर, जिला-दमोह (मध्यप्रदेश) (मृतक नन्हें भाई के पिता श्री मानसिंह गोड़, निवासी- नारायण पुरा, तहसील-हटा, जिला-दमोह को आर्थिक सहायता हेतु)	रूपये-25,000 / - (पच्चीस हजार)
24	10567 / मुमंनि / 2005 दिनांक 22.06.2005 आर-249	श्रीमती सूरजीबाई शर्मा, ग्राम पोस्ट-गुजरी, तहसील-धरमपुरी, जिला-धार (परिवार के जीवन-यापन हेतु आर्थिक सहायता हेतु)	रूपये-25,000 / - (पच्चीस हजार)
25	एचसीएम-1118 / 2005 दिनांक 15.06.2005 आर-250	श्री निसार उल्ला खॉ, उर्फ गुडडू आ. मुस्ताज उल्लाखॉ, मकान नं.- 368, गली नं.1, इण्डिया टूडे मेडीकल स्टोर के पास, नारियल खेड़ा, भोपाल (पुत्री तनवीर कौसर के उपचार हेतु आर्थिक सहायता हेतु)	रूपये-5,000 / - (पांच हजार)

- अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि **रूपये-5,55,000 / -**(पांच लाख पचपन हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।
- यह व्यय वित्तीय वर्ष **2005-2006** के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,  
(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-110 / 2005 / एक(1)  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 15 जुलाई, 2005.

- महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)

2. सचिव,माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय,भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी,वल्लभ भवन कोषालय,भोपाल.
4. कलेक्टर,जिला-सागर/ भोपाल/ ग्वालियर /रीवा/ भिण्ड/इन्दौर/  
खरगौन/नीमच/दमोह/छिन्दवाडा/धार,(मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर  
निवेदन है कि माननीय मुख्य 5 मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत  
राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की  
कार्रवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि  
एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा  
अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध 5 निर्देशानुसार  
निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से  
उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य  
लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट  
करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

 05072005.

**Order-47**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-119/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 31.08.2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्ति को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-25,000/- (रूपये-पच्चीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
274	438/सीएमएस/2005 दिनांक 25.06.2005 574/एससीएम/2005 दिनांक 06.06.2005 अनुशंसा- शासकीय वाहन चालक कर्मचारी संघ, भोपाल.	स्व. श्री कमल सिंह, दैनिक वेतन भोगी, वाहन चालक के आश्रित परिवार के सदस्य हेतु आर्थिक सहायता) द्वारा: शासकीय वाहन चालक कर्मचारी संघ, जी-12/27, साउथ टी.टी.नगर,भोपाल.	रूपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
		कुल राशि-	रूपये-25,000/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपयें-25,000/- (रूपये-पच्चीस हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा । कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे ।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-ों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के  से  
तथा आदेशानुसार,  
(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग  
भोपाल, दिनांक 31.08.2005.

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-119/2005/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-भोपाल, (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

 07072005.

**Order-48**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-102/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 31.08.2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से नियम शिथिल करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-3,70,000/- (रूपये-तीन लाख सत्तर हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम-1059/2005 दिनांक 8.6.2005 आर-211	कलेक्टर, जिला-रतलाम, (मध्यप्रदेश) (दिनांक 06.06.2005 को चित्तौड़गढ़-महु मार्ग पर यात्री गाड़ी से हुई रेल दुर्घटना के संदर्भ में मृतकों के परिजन हेतु / गंभीर रूप से घायलों को निम्नानुसार अंकित कुल 30 व्यक्तियों को आर्थिक सहायता हेतु) मृतक व्यक्ति- 1. बबलू उर्फ रमेश गिरी पिता मोहनलाल गिरी उर्फ बमबम, 20 परूर, निवासी-उग्रसेनपुर थाना फूलपुर, जिला-इलाहाबाद (यूपी.) 2. रामलाल पिता शंकरलाल गंगमेन, निवासी-विक्रमगढ़ आलोट जिला-रतलाम.	रूपये-1,00,000/- (एक लाख)  रूपये-1,00,000/- (एक लाख)

		<p><b>गंभीर रूप से घायल व्यक्ति—</b></p> <p>1. श्री विष्णू पिता मोहन35 वर्ष,निवासी—जलालपुर, देवास <b>घायल व्यक्ति—</b></p> <p>2. श्री रामसिंह पिता नाहर सिंह चौहान,उम्र 35 वर्ष गैंगमेन, रेल्वे निवासी नामली</p> <p>3. श्री कृष्ण सिंह राठौर, वन रक्षक पिता भेरूसिंह राजपूत, निवानी वन अनुसंधान रतलाम, पोस्टिंग नीमच</p> <p>4. श्री मोहनलाल पिता पन्नालाल, निवासी धराड, थाना बिलपांक</p> <p>5. श्री दुबा पिता वरसिंह नीनाम भील निवासी ग्राम पाटन कुशलगढ़, राजस्थान</p> <p>6. श्रीरामलाल पिता नाथूराम माली, निवासी—मायाखेड़ा थाना—रिंगनोद</p> <p>7. श्रीमती मासूबबी पति अली हुसेन, राजीव कॉलोनी मंदसौर</p> <p>8. श्रीमती शहिदा बी पति अयुब्ब शाह, निवासी नाना साहव का बाग, जावरा</p> <p>9. श्री दिनेश पिता रामचन्द्र बलाई निवासी—करमदी, थाना माणक चौक,रतलाम</p> <p>10. श्री अब्दुल रशीद पिता अब्दुल हकीमखान, निवासी—20 सेन्ट्रल इन्दौर</p> <p>11. श्री जगदीश पिता नंदराम कुमार निवासी—भुतेड़ा, थाना—औद्योगिक क्षेत्र,जावरा</p> <p>12. श्री शेख अब्दुल हनीफ पिता शेख अजीम,निवासी पीर साहव की गली,थाडला, जिला—झाबुआ.</p> <p>13. श्रीमती बदरजहाँ पति शेख अब्दुल हनीफनिवासी पीर साहव की गली,थाडला, जिला—झाबुआ.</p> <p>14. श्री बसीम पिता मो [3] तलाम, निवासी—नाहरपुरा, गले [3] तलाम</p> <p>15. श्री किशन पिता गिरधारी मेथवार, निवासी सुजालगढ़, राजस्थान</p> <p>16. श्रीमती नियाज बी पति जाकिर हुसेन,खानपुरा, मंदसौर</p> <p>17. श्री कमलेश पिता जाला भील, निवासी— कोटडा थाना— पाटन, बांसवाड़ा राजस्थान</p> <p>18. श्रीमतीजीदूबाई पति सुखराम निवासी—महुडा, थाना पाटन, बांसवाड़ा राजस्थान</p> <p>19. श्री हकरू पिता बारजी भील, निवासी—कोटडा थाना— पाटन,</p> <p>20. श्री नाना पिता गोबरिया भील,</p>	<p>रुपये—25,000 /— (पच्चीस हजार)</p> <p>रुपये—5,000 /— (पाँच हजार)</p> <p>रुपये—5,000 /— (पाँच हजार)</p> <p>रुपये—5,000 /— (पाँच हजार)</p> <p>रुपये—5,000 /— (पाँच हजार)</p> <p>रुपये—5,000 /— (पाँच हजार)</p> <p>रुपये—5,000 /— (पाँच हजार)</p> <p>रुपये—5,000 /— (पाँच हजार)</p> <p>रुपये—5,000 /— (पाँच हजार)</p> <p>रुपये—5,000 /— (पाँच हजार)</p> <p>रुपये—5,000 /— (पाँच हजार)</p> <p>रुपये—5,000 /— (पाँच हजार)</p> <p>रुपये—5,000 /— (पाँच हजार)</p> <p>रुपये—5,000 /— (पाँच हजार)</p> <p>रुपये—5,000 /— (पाँच हजार)</p> <p>रुपये—5,000 /— (पाँच हजार)</p> <p>रुपये—5,000 /— (पाँच हजार)</p> <p>रुपये—5,000 /— (पाँच हजार)</p> <p>रुपये—5,000 /— (पाँच हजार)</p> <p>रुपये—5,000 /— (पाँच हजार)</p>	<p>2</p> <p>3</p>
--	--	--	--	-------------------

	निवासी रतनगढ़ बाजना 21. श्री शंकरलाल पिता कीरचंद, निवासी बाजना 22. श्रीमती पदमा पति भेरूलाल माली, निवासी-रत्नेश्वर रोड, रतलाम 23. श्री नागू सिंह पिता ज्ञान सिंह, गेटमेन नं.66, मंडलाराम, रतलाम 24. श्री नितिन पिता अमर सिंह, निवासी-जयसिंह पुरा उज्जैन 25. श्री लक्ष्मण पिता सोनगरा इंदिरानगर रतलाम 26. श्रीमती ममता राठौड़ पति भगवान सिंह राठौर, निवासी- खण्डवा,तहसील-बड़नगर 27. श्री मोहम्मद खान बस ड्रायवर डिपो नीमच, 28. श्री चंदशेखर सहायक चालक, लोको नीमच 29. श्री प्रेमचंद पिता टीकाराम गिरी, निवासी-उग्रसेन पुरा, (बीबीपुर) थाना-फुलपुर जिला-इलाहाबाद 30. श्री रसीदबाबा पिता सलाम, निवासी-आजादनगर, इन्दौर	रूपये-5,000 / - (पाँच हजार) रूपये-5,000 / - (पाँच हजार) रूपये-5,000 / - (पाँच हजार) रूपये-5,000 / - (पाँच हजार) रूपये-5,000 / - (पाँच हजार) रूपये-5,000 / - (पाँच हजार) रूपये-5,000 / - (पाँच हजार) रूपये-5,000 / - (पाँच हजार) रूपये-5,000 / - (पाँच हजार) रूपये-5,000 / - (पाँच हजार) रूपये-5,000 / - (पाँच हजार) रूपये-5,000 / - (पाँच हजार) रूपये-5,000 / - (पाँच हजार) रूपये-5,000 / - (पाँच हजार) रूपये-5,000 / - (पाँच हजार)
	कुल राशि-	रूपये-3,70,000 / - (तीन लाख सत्तर हजार)

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि <sup>4</sup> रूपये-3,70,000 / - (रूपये-तीन लाख सत्तर हजार ) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर <sup>4</sup> लेकर अभिलेख में रखें।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,



(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 31.08. 2005.

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-102/2005/एक(1)

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-रतलाम, (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

🔔🔔🔔07072005.

**Order-49**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-99/2005/एक(1)

प्रति,

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान - वित्तीय वर्ष 2005-2006.

भोपाल, दिनांक 31.08.2005.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, नियम शिथिल करते हुए निम्नलिखित व्यक्ति को उनके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-1,80,000/- (रूपये-एक लाख अस्सी हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स.क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
190	1362 / पीएससीएम / 05 02.06.2005	श्री एन.राजन, स्पेशल करस्पार्टेंट इंदिराप्रेस एजेन्सी, नई दिल्ली. (बोन कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये-1,80,000 /- (एक लाख अस्सी हजार)
		कुल राशि	रूपये-1,80,000 /-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये-1,80,000 /-(रूपये-एक लाख अस्सी हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

2

2

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन- शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-99/2005/एक(1)

भोपाल, दिनांक 31.08.2005.

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/ संस्था को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

🔔🔔🔔07072005.

**Order-50**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-95/2005/एक(1)

भोपाल, दिनांक 03.09.2005.

प्रति,

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान - वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, नियम शिथिल करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-4,83,000 /-(रूपये-चार लाख तिरयासी हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक / दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
213	एचसीएम-1001 / 2005 दिनांक 4.6.2005	कलेक्टर, जिला-सीधी, (मध्यप्रदेश) (दिनांक 30.09.2001 को खदान धसने की घटना ग्राम मटिहिनी जिला-सीधी के दस मृतकों के परिवार में प्रत्येक को रूपये पांच-पांच हजार एवं प्रत्येक घायलों को रूपये दो-दो हजार की आर्थिक सहायता)	रूपये-58,000 /- (अन्दावन हजार)
214	एचसीएम-1003 / 2005 दिनांक 4.6.2005	श्री चंद बंजारा, ग्राम-निंबापुर, तहसील खफनार जिला-बुरहनापुर (म.प्र.) (मृतक श्री कालू पिता श्री चंद के पानी में डूब जाने से पिता को आर्थिक सहायता बाबत)	रूपये-10,000 /- (दस हजार)
215	एचसीएम-1002 / 2005 दिनांक 4.6.2005	कलेक्टर, जिला-राजगढ़ (म.प्र.) दिनांक 09.05.2005 को तह. ब्यावरा के अन्तर्गत मोहनीपुरा के पास स्थित रेल्वे कांसिंग पर हुई दुर्घटना में ग्राम-भड़क्या निवासी श्री बलदेव पिता मनीराम सुतार एवं उसके परिवार के सात अन्य सदस्यों की बैलगाड़ी से रेल्वे लाइन पार करते समय घटना स्थल पर मृत्यु होने जाने के कारण, कुल 08 मृतकों के पीड़ित परिवारजनों को रूपये पचास हजार प्रत्येक के मान से)	रूपये-4,00,000 /- (चार लाख)
216	एचसीएम-1000 / 2005 दिनांक 4.6.2005	कलेक्टर, नीमच (म.प्र.) (ग्राम-जमुनिया कला, तहसील नीमच जिला-नीमच में कुम्हार जाति (पिछड़ावर्ग के तीन बच्चों की कुएँ में गिर जाने के हुई मृत्यु के कारण प्रत्येक मृतक के परिवार को रूपये-पांच-पांच हजार के मान से आर्थिक सहायता)	रूपये-15,000 /- (पचास हजार)
		कुल राशि-	रूपये-4,83,000 /-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशिरूपये—4,83,000 /—(रूपये—चार लाख तिरयासी हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण—पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।
4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005—2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या—सामान्य प्रशासन—शीर्ष—2013—मंत्रि—परिषद्—105—मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

3

3

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7—95 / 2005 / एक(1)  
प्रतिलिपि:—

भोपाल, दिनांक 03.09.2005.

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला—सीधी / बुरहानपुर / राजगढ़ / नीमच, (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति / संस्था को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति / संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण—पत्र / प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

**Order-51**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-86/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 02.09 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रुपये-75,000/- (रुपये-पचहत्तर) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	216/सीएमएस/एएमएन/149/2005 दिनांक 06.05.2005 आर-156	श्री के.पी.तिवारी, सूरज नगर, मकान नं 44, भदभदारोड़, भोपाल (पत्नि श्रीमती सुषमा तिवारी के कैंसर रोग के इलाज हेतु)	रुपये-50,000/- (पचास हजार)

2	डी-2611 / 2005 दिनांक 30.05.2005 171 / 2005 आर-170	श्रीमती मुन्नीबाई पति मृतक श्री कमला प्रसाद सोनी, निवासी-कटरा मोहल्ला, राधौगढ़, जिला- गुना. (कैंसर के इलाज हेतु)	रूपये-25,000 / - (पच्चीस हजार)
		कुल राशि-	रूपये-75,000 / -

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि **रूपयें-75,000 / -** (रूपयें-पचहत्तर हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष **2005-2006** के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 02.09.2005.

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-86 / 2005 / एक(1)

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.)
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-भोपाल / गुना, (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति / संस्था को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति / संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र / प्राप्ति रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)

07072005.

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

**Order-52**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-117/2005/एक(1) भोपाल, दिनांक 03 सितम्बर, 2005.  
प्रति,

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-15,08,021 /-(रूपये-पन्द्रह लाख आठ हजार इक्कीस) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक / दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एफ 651/एससीएम दिनांक 14.6.2005 252	श्री मलखानसिंह लोधी पुत्र प्रहलाद सिंह, निवासी-ग्राम केसली, सागर (कैंसर इलाज हेतु)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम-1161/2005 दिनांक 23.06.2005 253	श्री मुरसलीन पुत्र श्री मुस्तकीम, निवासी- आपागंज लशकर, जिला-ग्वालियर (पुत्र साहिल के इलाज हेतु)	रूपये-5,000/- (पांच हजार)
3	एचसीएम-1162/2005 दिनांक 23.06.2005 254	श्री हुकुम सिंह पिता रतनसिंह, बंजारा निवासी- डेमला, जिला-बढ़वानी, (स्वयं के शरीर जलने से उपचार हेतु आर्थिक सहायता बाबत)	रूपये-5,000/- (पांच हजार)
4	एचसीएम-1162/2005	कलेक्टर,	रूपये-29,500/-



	दिनांक 23.06..2005 <b>255</b>	<b>जिला-राजगढ़ (मध्यप्रदेश)</b> (दिनांक 15.01.2005 को नेवज नदी पर ग्राम कोलूखेडा एवं मोहनपुर तह. राजगढ़ में निर्माणाधीन पुलिस (सेतु) पर निर्माण कार्य के दौरान सैंटिंग के टूट जाने के कारण <b>घायल 35 व्यक्तियों को उपचार हेतु आर्थिक सहायता</b> )	(उन्नतीस हजार पांच सौ)
5	एचसीएम-1164 / 2005 दिनांक 23.06..2005 <b>256</b>	श्री प्रदीप सोनी पुत्र मांगीलाल सोनी, निवासी-शिवपुरी, (पत्नी के इलाज हेतु)	रुपये-5,000 / - (पांच हजार)
6	एचसीएम-1091 / 2005 दिनांक 13.06..2005 <b>257</b>	श्री विशम्भर प्रसाद कुररिया, निवासी-तह. शाहनगर, पन्ना (पुत्र के इलाज हेतु)	रुपये-5,000 / - (पांच हजार)
7	एचसीएम-1094 / 2005 दिनांक 13.06..2005 <b>258</b>	श्री रहमान खान आत्मज मोहरू खान, निवासी-बरघाट, जिला-सिवनी(पुत्री की बीमारी के इलाज हेतु)	रुपये-5,000 / - (पांच हजार)
8	एचसीएम / 1096 / 2005 दिनांक 13.06..2005 <b>260</b>	श्री गोवर्धनदास योगी निवासी-राजगढ़ मार्ग, जिला-दतिया (स्वयं के इलाज हेतु)	रुपये-5,000 / - (पांच हजार)
9	एचसीएम / 1142 / 2005 दिनांक 17.06..2005 <b>261</b>	श्री सईद खॉ पिता रमजान खॉ, निवासीसुल्तानपुर, तह-गोहरगंज, जिला-रायसेन (आर्थिक स्थिति दयनीय होने पर आर्थिक सहायता)	रुपये-5,000 / - (पांच हजार)
10	एचसीएम / 1141 / 2005 दिनांक 17.06..2005 <b>262</b>	श्रीमती रजनी दुबे पत्नी श्री बद्रीप्रसाद दुबे, मकान नं.247 एल.आई.जी. सोनागिरी, जिला-भोपाल. आर्थिक सहायता)	रुपये-5,000 / - (पांच हजार)
11	एचसीएम / 1196 / 2005 दिनांक 25.06..2005 <b>264</b>	श्री अमित पिता श्री संतोष सिंह मण्डोर, निवासी-1, गौधीगली महिदपुर, जिला-उज्जैन (स्वयं के इलाज के लिए)	रुपये-50,000 / - (पचास हजार)
12	एचसीएम / 1191 / 2005 दिनांक 25.06..2005 <b>265</b>	श्रीमती रामदेई पत्नी स्व.श्री राकेश प्रजापति, निवासी-शेख की बगिया, नई सड़क, जिला-ग्वालियर (पति की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता)	रुपये-5,000 / - (पांच हजार)
13	एचसीएम / 1197 / 2005 दिनांक 25.06..2005 <b>266</b>	श्री कमलेश्वर प्रसाद तिवारी, निवासी-मकान नं-44, सूरज नगर, भदभदा रोड, ज्युडिशियल एकाडेमी के पास, भोपाल(पत्नी के इलाज हेतु)	रुपये-20,000 / - (बीस हजार)
14	एचसीएम / 1194 / 2005 दिनांक 25.06..2005 <b>267</b>	श्री भगवान सिंह श्री भूभत सिंह, निवासी चापड़िया टप्पा अकोदिया, जिला-शाजापुर (म.प्र.)(जीवन-यापन हेतु आर्थिक सहायता)	रुपये-10,000 / - (दस हजार)
15	एचसीएम / 1279 / 2005 दिनांक 05.07.2005 <b>268</b>	स्व. श्री अरविंद भेलसेलकर के वारिस (पिता) श्री मधुसुदन भेलसेकर द्वारा श्री प्रकाश भेलसेकर, 136 टेलीग्राफ गेट	रुपये-1,00,000 / - (एक लाख)

		नं-4,साईबाबा मंदिर केसामने, राइट टाउन, जबलपुर (म.प्र.) (पुत्र की मृत्यु पर आश्रित पिता को आर्थिक सहायता बाबत)	
16	एचसीएम/1190/2005 दिनांक 25.06.2005 271	कलेक्टर, जिला-शिवपुरी (म.प्र.) (दिनांक 02.06.2005 को ग्राम बामोर कला, तहसील खनियाधाना में अग्निकाण्ड से प्रभावित 04 घायलों के उपचार हेतु प्रति व्यक्ति के मान से रुपये-10,000/- की आर्थिक सहायता)	रुपये-40,000/- (चालीस हजार)
17	एचसीएम/1193/2005 दिनांक 25.06.2005 272	श्री परसराम आत्मज श्री नगजीराम बंजारा,निवासी समेल, तह-जावद जिला-नीमच (पुत्री के इलाज हेतु आर्थिक सहायता)	रुपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
18	एचसीएम/1195/2005 दिनांक 25.06.2005 273	श्री चरण सिंह चौहान, आ० श्री हरप्रसाद चौहान, निवासी-सिलगैना तहसील-बरेली, जिला-रायसेन (किडनी रोग हेतु आर्थिक सहायता)	रुपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
19	एचसीएम/1140/2005 दिनांक 17.06.2005 276	श्री रामचन्द्र भार्गव, सचिव,गॉंधी भवन न्यास,श्यामला हिल्स, भोपाल.("आओं जाने गॉंधी को" कार्यक्रम में सफल-छात्र/छात्राओं के लिए,प्रथम पुरस्कार हेतु 1000/- द्वितीय पुरस्कार हेतु रुपये 501/-एवं तृतीय पुरस्कार रुपये 251/- के मान से कुल राशि रुपये12,521-की आर्थिक सहायता)	रुपये 12,521/- (बारह हजार पांच सौ इक्कीस) (संलग्न नामों की सूची अनुसार)
20	एचसीएम/1213 दि.27.06.2005 280	श्री प्रेमसिंह पटेल,ग्राम पंचायत भैंसलाय, तहसील महु, जिला- उज्जैन (हृदयरोग व लकवा हेतु)	रुपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
21	2589/ओपीआर दि.23.06.2005 281	श्री बद्रीप्रसाद पिता [4] ग्राम मूदड़ा खुर्द, तह-साहस (बीमारी इलाज हेतु)	रुपये-5,000/- (पांच हजार)
22	2588/ओपीआर दि.29.06.2005 282	श्री धनलाल सेन एहमदपुर, तहसील सीहोर (निर्धन होने से आर्थिक सहायता)	रुपये-20,000/- (बीस हजार)
23	2609/ओपीआर दि.30.06.2005 283	श्री कोशल प्रसाद मिश्रा पिता रामनाथ मिश्रा,देवरी, रघुनाथनगर, सतना (बाय पास सर्जरी हेतु)	रुपये-25,000/- [4] (पच्चीस हजार)
24	एचसीएम/1221 दि.28.06.2005 284	व्यवस्थापक, इकबाल लायब्रेरी व सार्वजनिक वाचनालय, इकबाल मैदान, भोपाल (सार्वजनिक वाचनालय, हेतु)	रुपये-50,000/- (पचास हजार)
25	एचसीएम/1215 27.06.2005 285	श्री दिनेश वशिष्ठ आ. मथुराप्रसाद वशिष्ठ, सब्जी मण्डी, छावनी,सीहोर (निर्धन होने से आर्थिक सहायता)	रुपये-15,000/- (पन्द्रह हजार)
26	2592/ओपीआर	श्री शेषमणि पटेल, ग्राम कांटी, पो.डेलही,	रुपये-25,000/-

	29.06.2005 <b>286</b>	रायपुर कर्चुलियान,रीवा (चिकित्सा हेतु)	(पच्चीस हजार)
27	2590 / ओपीआर 29.06.2005 <b>287</b>	श्रीमती शकुन्ताला पत्नी गुलाब प्रसाद चौबे, निवासी ग्राम गेगेव जिला-रीवा (कृत्रिम पैर लगवाने बाबत)	रुपये-20,000 / - (बीस हजार)
28	एचसीएम / 1217 27.06.2005 <b>288</b>	श्री ज्ञानेश्वर ओझा, सी-59, वैभव नगर (एक्स),कनाडिया रोड, इन्दौर (किडनी के इलाज हेतु)	रुपये-50,000 / - (पचास हजार)
29	2713 / ओपीआर 08.07.2005 <b>289</b>	श्रीमती जानकी बाई विश्वकर्मा, देवरीकला, महाराजपुर नाका जिला-सागर (ऑखों के इलाज हेतु)	रुपये-10,000 / - (दस हजार)
30	2705 / ओपीआर 07.07.2005 <b>290</b>	श्री बाबूलाल जैन, निवासी-अलंकार, दशहरा मैदान, उज्जैन (चिकित्सा हेतु आर्थिक सहायता)	रुपये-1,00,000 / - (एक लाख)
31	एचसीएम / 1289 05.07.2005 <b>291</b>	श्री राजीव पाटीदार, आ. पुरुषोत्तम पाटीदार, निवासी ग्राम रापडिया, मिसरोद जिला-भोपाल (हृदय की बीमारी के इलाज हेतु)	रुपये-25,000 / - (पच्चीस हजार)
32	एचसीएम / 1271 04.07.2005 <b>292</b>	श्रीमती चंदाबाई पत्नि स्व. श्री मोहन लाल वर्गा, भोपाल (जीवन-यापन हेतु आर्थिक सहायता)	रुपये-10,000 / - (दस हजार)
33	एचसीएम / 1272 04.07.2005 <b>293</b>	सचिव, महर्षि 5 लि योग केन्द्र,भारत नगर,भेल, भोपाल (योग केन्द्र हेतु)	रुपये-51,000 / - (इन्क्यावन हजार)
34	10896 / मुमंनि 04.07.2005 <b>294</b>	श्री व्ही.अनुराध सिंह, 292, रचना नगरभोपाल (नृत्य कला में प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार)	11,000 / - (ग्यारह हजार)
35	1608 / मुमंसचि 30.06.2005 <b>295</b>	घोषणा कर्मांक-214 दिनांक 20.06.2005 "भारतीय संस्कृति शिक्षा संस्थान विश्वनाथ धाम, इन्दौर (संस्थान हेतु आर्थिक सहायता)	रुपये-2,00,000 / - (दो लाख)
36	एचसीएम / 1236 30.06.2005 <b>296</b>	केन्द्रीय वेपन प्रशिक्षण संस्थान, जिला-इन्दौर (संस्थान हेतु आर्थिक सहायता)	रुपये-1,00,000 / - (एक लाख)
37	2644 / ओपीआर 02.07.2005 <b>297</b>	विकलांग श्री कमल निषाद, क्वा नं.8 बी टाइप,शिवपुरी,पो-सिरमोरा, तहसील-परासिया, जिला-छिन्दवाड़ा (पेन्टिंग-चित्रकला कार्य हेतु)	रुपये-5,000 / - (पांच हजार)
38	एचसीएम / 1249 30.06.2005 <b>298</b>	श्री नारायण प्रसाद साहू पुत्र स्व. श्री टीकाराम साहू, निवासी-सिरोंज, विदिशा (गुर्दे की बीमारी के इलाज हेतु)	रुपये-1,00,000 / - (एक लाख)
39	एचसीएम / 1264 01.07.2005 <b>300</b>	श्री दुर्जनलाल शाक्य, कौलारस सबलगढ़, जिला-मुरैना (स्वयं के इलाज हेतु)	रुपये-10,000 / - (दस हजार)
40	एचसीएम / 1284	श्री ललित टाकिया, निवासी मालगंज,	रुपये-10,000 / -

	05.07.2005 <b>302</b>	इन्दौर (पत्नि श्रीमती सरोज के दिमाक के इलाज हेतु)	(दस हजार)
<b>41</b>	एचसीएम / 1282 05.07.2005 <b>303</b>	श्री कमल पटेल, आ. श्री शम्भू प्रसाद पटेल, निवासी-ग्राम पो. चितवरिया जिला-सीधी (स्वयं के ब्लड कैंसर उपचार हेतु)	रुपये-25,000 / - (पच्चीस हजार)
<b>42</b>	एचसीएम / 1283 05.07.2005 <b>304</b>	1. श्री राम दुलारी जाटव, निवासी-दन्तपुरा, जिला-मुरैना 2. श्री रामवीर जाटव, निवासी- शेकरपुर पंचायत अजनोधा (महेवा का पुरा तिराहा)(माँ के इलाज हेतु) 3. श्रीमती पुष्पा देवी जाटव, पति श्री केहार जाटव, नि. 6 मंगला बस्ती (अयोध्याबस्ती) जिला-मुरैना (भूमिहीन गरीब की पुत्री की शादी हेतु)	रुपये-2,000 / - (दो हजार)  रुपये-2,000 / - (दो हजार)  रुपये-5,000 / - (पांच हजार)
<b>43</b>	एचसीएम / 1280 05.07.2005 <b>305</b>	श्री मनोज चन्द्रवंशी पिता श्री कैलाशनारायण चन्द्रवंशी, निवासी-कचनारिया, तहसील-ब्यावरा जिला-राजगढ़. (चिकित्सा हेतु)	रुपये-5,000 / - (पांच हजार)
<b>44</b>	एचसीएम / 1281 05.07.2005 <b>306</b>	मृतक श्री जितेन्द्र व्यास, अंकुर नगर, पादुरना की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके परिवारजनों को आर्थिक सहायता जिला-छिन्दवाड़ा	रुपये-25,000 / - (पच्चीस हजार)
<b>45</b>	एचसीएम / 1351 12.07.2005 <b>307</b>	श्रीमान सिंह गोड़, आदिवासी रजपुरा के ग्राम नारायणपुरा, हटा जिला-दमोह. (पुत्र श्री नन्हें भाई की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता)	रुपये-50,000 / - (पचास हजार)
<b>46</b>	एचसीएम / 1342 12.07.2005 <b>308</b>	अध्यक्ष, मालवा संस्कृति साहित्य सेवा आश्रमभीमखेड़ा, जिला-उज्जैन (आश्रम हेतु)	रुपये-25,000 / - (पच्चीस हजार)
<b>47</b>	एचसीएम / 1321 11.07.2005 <b>309</b>	श्री सक्सेना आ. श्री चन्दूलाल सक्सेना, निवासी-कुरावर, जिला-सीहोर (पेर के इलाज हेतु)	रुपये-10,000 / - (दस हजार)
<b>48</b>	एचसीएम / 1320 11.07.2005 <b>310</b>	श्रीमती बिलकिस बी पत्नि शहाबुद्दीन निवासी-मुख्तयारनगर, तह-सीहोर, जिला-सीहोर (पेर के इलाज हेतु)	रुपये-10,000 / - (दस हजार)
<b>49</b>	एचसीएम / 1329 11.07.2005 <b>311</b>	श्री जीवन सिंह आत्मज श्री बद्रीप्रसाद ग्राम रेहटी, तहसील- बुदनी, जिला-सीहोर (हृदय के इलाज हेतु)	रुपये-20,000 / - (बीस हजार)
<b>50</b>	2708 / ओपीआर 07.07.2005 <b>312</b>	श्री द्वारकाप्रसाद दुबे, आ. स्व. श्री राजेश्वर दयाल दुबे, नि. म.नं.6, गली नं.2, राममंदिर कुम्हारपुरा, सोमवारा, भोपाल (मकान जलने पर आर्थिकसहायता)	रुपये-25,000 / - (पच्चीस हजार)
<b>51</b>	एचसीएम / 1328 11.07.2005	श्री रामेश्वर गौतम पुत्र श्री मोहनलाल गौतम, निवासी-मु.बबरिया, तह-लालबर्गा	रुपये-10,000 / - (दस हजार)

	<b>313</b>	जिला- बालाघाट(पेट के इलाज हेतु )	
<b>52</b>	एचसीएम / 1324 11.07.2005 <b>314</b>	श्री विक्रम पटेल तन [7] रामकिशोर पटेल,ग्राम कार्ठी, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला-रीवा (चिकित्सा हेतु)	रूपये-10,000 /- (दस हजार)
<b>53</b>	एचसीएम / 1326 11.07.2005 <b>315</b>	श्री सुनील अवस्थी निवासी पिपलानी, इन्द्रपुरी भोपाल (पैनक्रिया कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये-10,000 /- (दस हजार)
<b>54</b>	एचसीएम / 1323 11.07.2005 <b>316</b>	श्री चांद खॉ पिता श्री गुलाब खॉ,ग्राम पो-बेकुन्डपुर, जिला-रीवा (चिकित्सा हेतु)	रूपये-10,000 /- (दस हजार) [7]
<b>55</b>	एचसीएम / 1322 11.07.2005 <b>317</b>	श्रीमती मृदुला माथुर, निवासी-ईएम-40, इण्डस टाउन,भोपाल (स्तन कैंसर हेतु)	रूपये-10,000 /- (दस हजार)
<b>56</b>	एचसीएम / 1325 11.07.2005 <b>318</b>	श्री माधव प्रसाद कुशवाह, ग्राम-भौहरिया, तहसील-सिरमोर, जिला-रीवा (चिकित्सा हेतु)	रूपये-10,000 /- (दस हजार)
<b>57</b>	एचसीएम / 1327 11.07.2005 <b>319</b>	श्रीमती रेवतनबाई खरोले पत्नि श्री शिवलाल खरोले, ग्राम-जागपुर ,तहसील-वारासिवनी, जिला-बालाघाट (स्तन कैंसर हेतु)	रूपये-10,000 /- (दस हजार)
		<b>कुल राशि-</b>	<b>रूपये-15,08,021 /-</b>

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये-15,08,021 /-(रूपये-पन्द्रह लाख आठ हजार इक्कीस) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-86/2005/एक(1)

भोपाल, दिनांक 0 ४ 2005.

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-राजगढ़ / शिवपुरी / पन्ना / सागर / ग्वालियर / बड़वानी / सिवनी / दतिया / रायसेन / उज्जैन / शाजापुर / जबलपुर / सीहोर / सतना / रीवा / इन्दौर / छिन्दवाड़ा / विदिशा / मुरैना / सीधी / दमोह / बालाघाट / नीमच (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. कलेक्टर, जिला-भोपाल (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि स. क्र. 276 के संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त छात्रों के नामों की सूची संलग्न भी भुगतान करने हेतु संलग्न प्रेषित है।
6. कलेक्टर, जिला-मुरैना (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि सरल क्रमांक 304 के संबंध में संबंधित अनुदानग्रहिता को पुत्री के विवाह हेतु राशि स्वीकृत की गई है, कृपया भुगतान करने के पूर्व संबंधित अनुदानग्रहिता से पुत्री के संबंध में व्यस्कता की जानकारी प्राप्त कर, ही भुगतान करें।
7. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
8. संबंधित.
9. स्टॉक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

🔔🔔🔔07072005.

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-132/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 03 सितम्बर, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-80,000/- (रूपये-अस्सी हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	2591/ओपीआर/05 दिनांक 29.06.2005 आर-251	श्री गणेश प्रसाद द्विवेदी, आत्मज श्री रघुवर दयाल द्विवेदी, ग्राम करोंदा, तहसील-सिरमौर, जिला-रीवा (जीवन-यापन हेतु आर्थिक सहायता)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम/1567/05 दिनांक 01.08.05 आर-366	श्री देवेन्द्र उदय, निवासी-217/15, इब्राहीमगंज, जिला-भोपाल (पुत्र के कैंसर रोग के इलाज हेतु)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
3	एचसीएम/1558/05 दिनांक 01.08.05 आर-367	श्री विष्णुपुरी गोस्वामी, ग्राम-नंदगॉव, बड़वाह, जिला-खरगौन (पत्नि के आँख में गठान -कैंसर रोग के इलाज हेतु)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
4	एचसीएम/1520/05 दिनांक 29.07.05 आर-370	श्री अखतर हुसैन, निवासी-कजली खेड़ा कोलार रोड, भोपाल 2 (पुत्र के कैंसर रोग के इलाज हेतु)	रूपये-50,000/- (पचास हजार)
		कुल योग-	रूपये-80,000/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये-80,000/- (रूपये-अस्सी हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा । कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे ।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,  
(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-132/2005/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 03 सितम्बर,2005.

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर,(मध्यप्रदेश)
2. सचिव,माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय,भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी,वल्लभ भवन कोषालय,भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-रीवा/भोपाल/खरगौन, (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री,मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

🔔🔔🔔08082005.

**Order-54**

मध्यप्रदेश शासन



सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-127/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 03 सितम्बर 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्ति को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-25,000/- (रूपये-पच्चीस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम/1371/05 दिनांक 14.07.05 आर-342	श्रीमती काजलरानी बाधवानी पत्नि श्री गोवर्धन, निवासी- सनावद, जिला-खरगौन (आंतों के इलाज हेतु)	रूपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
		कुल राशि-	रूपये-25,000/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपयें-25,000/- (रूपये-पच्चीस हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

2

2

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,  
(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-127/2005/एक (1) भोपाल, दिनांक 03 सितम्बर, 2005.  
प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-खरगौन, (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

🔔🔔🔔10102005.

**Order-55**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-126/2005/एक(1) भोपाल, दिनांक सितम्बर, 2005.

प्रति,

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:— माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्ति को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रुपये-2,17,292/- (दो लाख सत्तरह हजार दो बाननवें) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स कमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
322	एचसीएम/1214	कलेक्टर, जिला-इन्दौर (गवली परासिया महु डकैतीकांड में 06 घायल व्यक्तियों के इलाज हेतु)	रुपये-2,17,292/- (दो लाख सत्तरह हजार दो बाननवें)
		कुल राशि-	रुपये-2,17,292/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रुपये-2,17,292/- (दो लाख सत्तरह हजार दो बाननवें) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

2

2

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,  
(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-126/2005/एक(1) भोपाल, दिनांक 03 सितम्बर, 2005.  
प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-इन्दौर (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

🔔🔔🔔12122005.

**Order-56**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-131/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 03.09.2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,

भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-1,10,000/- (एक लाख दस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक / दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम / पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम / 1573 / 05 दिनांक 02.08.05 आर-368	श्री चकेश जैन, पूर्व जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, जिला सिवनी (हृदय एवं फेफड़े रोग के इलाज हेतु)	रूपये-1,00,000 / - (एक लाख)
2	जावक क्र 11342 / मुमनि दिनांक 20.07.2005 आर-350	श्री किशनलाल रमैया, अध्यक्ष वार्ड क्रमांक-61, भारतीय जनता पार्टी जिला-भोपाल, झुग्गी नं.88 ए सेक्टर नेहरू नगर, पिपलानी भोपाल (आर्थिक सहायता)	रूपये-5,000 / - (पांच हजार)
3	जावक क्र 11345 / मुमनि दिनांक 20.07.2005 आर-351	श्री देवलाल यादव, निवासी पिपलानी, सी सेक्टर, डेरी नं.221 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">2</span> (आर्थिक सहायता)	रूपये-5,000 / - (पांच हजार)
		कुल राशि-	रूपये-1,10,000 / -

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये-1,10,000 / - (एक लाख 2 हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,  
(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग  
भोपाल, दिनांक 03.09.2005.

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-131 / 2005 / एक(1)

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-सिवनी/भोपाल (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

🔔🔔🔔23082005.

**Order-57**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-129/2005/एक(1)  
प्रति,

06 सितम्बर, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान - वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्ति को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-6,20,000/- (छः लाख बीस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक / दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम / 1369 / 05 दिनांक 14.07.05 326	कुमारी रश्मि हार्डिया, निवासी-118 विष्णुपुरी एनेक्स, इन्दौर (किडनी उपचारार्थ)	रुपये-10,000 / - (दस हजार)
2	एचसीएम / 1370 / 05 दिनांक 17.07.05 327	कु. लक्ष्मी पाटिल पिता हीरालाल पाटिल, न्यु चित्रा नगर, इन्दौर के (हृदय बालव के उपचारार्थ)	रुपये-25,000 / - (पच्चीस हजार)
3	2822 / ओपीआर / 05 दिनांक 18.07.05 328	श्री राजेन्द्र सिंह यादव, छोटी राधवगढ तहसील, लटेरी, जिला-विदिशा (इलाज हेतु)	रुपये-50,000 / - (पचास हजार)
4	2823 / ओपीआर / 05 दिनांक 18.07.05 329	श्री गनी खॉ कुरेशी, पुत्र सकूर खॉ कुरेशी, निवासी-सिरोंज (ब्लड कैंसर के इलाज हेतु)	रुपये-30,000 / - (तीस हजार)
5	एचसीएम / 1399 / 05 दिनांक 20.07.05 331	श्री अनीता बाई पत्नी स्व. श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत, निवासी-ग्राम तामोट, तहसील गौहरगंज, जिला-रायसेन (भूमिहीन पति की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता)	रुपये-50,000 / - (पचास हजार)
6	एचसीएम / 1401 / 05 दिनांक 20.07.05 एचसीएम / 1467 / 05 दिनांक 26.07.05 आर-332 एवं 354	श्रीमती संध्या भिडिया, निवासी-नदीपार टाल, मुरार, जिला-ग्वालियर (मकान में आग लगने के कारण सहायता)	कुल-30,000 / - (तीस हजार)
7	एचसीएम / 1402 / 05 दिनांक 20.07.05 333	श्रीमती प्रकाश रानी पति श्री बालाप्रसादकुर्मी, निवासी-ग्राम खोजाखेड़ी, तहसील-पथारिया, जिला-दमोह (पति के इलाज हेतु)	रुपये-25,000 / - (पच्चीस हजार)
8	एचसीएम / 1400 / 05 दिनांक 20.07.05 334	श्री असलम (पप्पू) पिता स्व. श्री मोहम्मद गफूरखॉ, निवासी-मकान नं. 140, कवीटपुरा, कच्ची मस्जिद शाहजानाबाद, भोपाल (पुत्र की हत्या पर आर्थिकसहायता)	रुपये-20,000 / - (बीस हजार)
9	एचसीएम / 1388 / 05 दिनांक 19.07.05 335	श्री बद्री प्रसाद शुक्ला, निवासी-235, एलआयजी-बी सेक्टर, राजीवनगर, भोपाल (कैंसर के इलाज हेतु)	रुपये-25,000 / - (पच्चीस हजार)
10	एचसीएम / 1398 / 05 दिनांक 20.07.05 336	श्री नारायण पिता नानजी राम, (मृतक के पिता) निवासी-ग्राम चौतरा तह खुजनेर, जिला-राजगढ़ (पंचकोशी यात्रा के दौरान घटना में पुत्र की मृत्यु होने आर्थिक सहायता)	रुपये-10,000 / - (दसस हजार)
11	एचसीएम / 1367 / 05 दिनांक 14.07.05 337	श्रीमती कृष्णा ताम्रकार, पति श्री नारायण प्रसाद ताम्रकार, निवासी- तमराई मोहल्ला, जिला-जबलपुर	रुपये-5,000 / - (पांच हजार)

		(मानसिक रोग के इलाज हेतु)	
12	एचसीएम / 1373 / 05 दिनांक 14.07.05 338	श्री रमेश कुमार आत्मज मिश्रीलाल अहिरवार, निवासी- गरेटिया दांगी, तहसील- बैरसिया, जिला-भोपाल (पुत्रियों की कुएँ में गिरने से मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता हेतु)	रुपये-10,000 / - (दस हजार)
13	एचसीएम / 1368 / 05 दिनांक 14.07.05 339	श्री गोपाल दास, पुत्र खचेरामल, जाति-स्वर्णकार, निवासी-दत्तपुरा जिला-मुरैना (पुत्री के कैंसर उपचार हेतु)	रुपये-25,000 / - (पच्चीस हजार)
14	एचसीएम / 1374 / 05 दिनांक 14.07.05 340	श्री उदेयराम पिता श्री परघा मेघवाल, निवासी- [ ] तहसील-मनासा, [ 3 ] (पत्नि के उपचार हेतु)	रुपये-25,000 / - (पच्चीस हजार)
15	एचसीएम / 1385 / 05 दिनांक 19.07.05 343	श्री नरेन्द्र मीणा, मंत्री, बरखेड़ी मण्डल, भारतीय जनता पार्टी, 14 कुम्हारपुरा, पुरानी विधानसभा, भोपाल (स्वयं के इलाज हेतु)	रुपये-10,000 / - (दस हजार)
16	एचसीएम / 1419 / 05 दिनांक 21.07.05 344	श्री भरोसेलाल पिता श्री दुमन बसौर, गुरुगोविन्द सिंह वार्ड, पानी की टंकी के पीछे, थाना केन्ट सागर (म.प्र.) (स्वयं के इलाज हेतु)	रुपये-5,000 / - (पांच हजार)
17	एचसीएम / 1422 / 05 दिनांक 21.07.05 345	श्री महेन्द्र कुमार जैन, पगारा रोड, सुभाषनगर, गुलाब कालोनी, जैन मंदिर के सामने, सागर (पिता के उपचार हेतु)	रुपये-20,000 / - (बीस हजार)
18	एचसीएम / 1426 / 05 दिनांक 21.07.05 346	श्री हरदेव पिता तुलसीराम गुर्जर निवासी-वामनी खुर्द तहसील कन्नौद, जिला-देवास (स्वयं के उपचार हेतु)	रुपये-15,000 / - (पन्द्रह हजार)
19	एससीएम / 1428 / 2005 दिनांक 21.07.2005 347	श्रीमती राजमणी बाई पति मदनलाल लोवंशी ग्राम चंदवाना, तहसील-खातेगांव, जिला-देवास (हृदय रोग उपचार हेतु)	रुपये-50,000 / - (पचास हजार)
20	एससीएम / 1429 / 2005 दिनांक 21.07.2005 348	श्री संजय पिता गोकुलदास साधू, नरसिंहबांग, खातेगाँव देवास (नेत्र रोग के उपचार हेतु)	रुपये-10,000 / - (दस हजार)
21	एससीएम / 1430 / 2005 दिनांक 21.07.2005 349	श्री रामलाल मरकाम, ग्राम-गढ़ी, तहसील-बैहर, जिला-बालाघाट, मध्यप्रदेश (माताजी के इलाज हेतु)	रुपये-25,000 / - (पच्चीस हजार)
22	एचसीएम / 1384 / 05 दिनांक 19.07.05 352	श्री मनोज कुमार पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण बाथम, नि. बड़ोदा, जिला-श्यापुर (हृदय बाल्व से पीड़ित हेतु उपचारार्थ)	रुपये-25,000 / - (पच्चीस हजार)
23	एचसीएम / 1446 / 05 दिनांक 22.07.05	श्री बिलास बी कामठे, 1134 / 11, नंदानगर इन्दौर	रुपये-25,000 / - (पच्चीस हजार)



	<b>353</b>	(पुत्री के इलाज हेतु)	
<b>24</b>	एचसीएम/1475/05 दिनांक 27.07.05 <b>356</b>	श्रीमती दया केथोरिया पत्नि श्री सरदारचौदमारी, बी-4, पिपलानी भोपाल (इलाज हेतु)	रूपये-5,000/- (पांच हजार)
<b>25</b>	एचसीएम/1476/05 दिनांक 27.07.05 <b>357</b>	श्री अशोक कुमार, 139 एफ, समन्वय नगर, भेल, भोपाल (बच्चों की शिक्षा हेतु)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
<b>26</b>	एचसीएम/1474/05 दिनांक 27.07.05 <b>358</b>	श्रीमती सुगुनदेवी, पंच, वार्ड क-20, ग्राम पंचायत दुपाड़ा, जिला-शाजापुर (श्री स्व.अम्बाराम जी की हत्या होने पर परिवार को आर्थिक सहायता हेतु)	रूपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
<b>27</b>	एचसीएम/1472/05 दिनांक 26.07.05 <b>359</b>	श्री आर.के.विश्वास, एलआयजी-2, इन्द्रानगर उज्जैन (पुत्री के इलाज हेतु)	रूपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
<b>28</b>	एचसीएम/1493/05 दिनांक 27.07.05 <b>360</b>	श्रीरामवती सिंह पत्नि श्री विजय बहादुर सिंह, नि. 13/95, मानस नगर, जिला-रीवा (इलाज हेतु)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
<b>29</b>	एचसीएम/1494/05 दिनांक 27.07.05 <b>361</b>	श्री राम कीर्तन मिश्रा, ग्राम-पो. मझगवाँ, ग्राम-सलैया, जिला-रीवा (इलाज हेतु)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
<b>30</b>	जावक क 11915/मुमनि दिनांक 29.07.2005 <b>363</b>	श्री रामकलेश यादव पुत्र श्री रामलाल यादव, ग्राम लाखाईया पोस्ट खजूहा, जिला-रीवा. (इलाज हेतु)	रूपये-5,000/- (पांच हजार)
<b>31</b>	जावक क 11916/मुमनि दिनांक 29.07.2005 <b>364</b>	श्री हमीद खॉ वल्द मुनीर खॉ, निवासी-ग्राम बोरदा, ग्राम पंचायत, इनायतपुर, तहसील- हुजूर जिला-भोपाल (गरीब होने से आर्थिक सहायता हेतु)	रूपये-5,000/- (पांच हजार)
		<b>कुल राशि-</b>	<b>रूपये-6,20,000/-</b>

5

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये-6,20,000/- (छः लाख बीस हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखें।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-129/2005/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 06 सितम्बर, 2005.

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-इन्दौर/ विदिशा/ रायसेन/ ग्वालियर/ दमोह/ भोपाल / राजगढ़/ जबलपुर/ मुरैना/ नीमच/ खरगोन/ सागर/ देवास/ बालाघाट / श्योपुर/ शाजापुर/ उज्जैन/ रीवा (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

 16162005.

**Order-58**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन

—: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-130/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 08 सितम्बर, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, नियम शिथिल करते हुए निम्नलिखित व्यक्ति को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-4,40,000/- (चार लाख चालीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
341	एचसीएम/ 1372/05 दिनांक 14.0705	कलेक्टर, जिला-रायसेन म.प्र. (दिनांक 16.06.2005 को जिला रायसेन के ग्राम-अनघोरा में अग्नि प्रभावित 44 परिवारों को प्रति परिवार रूपये-10,000/- के मान से कुल रूपये-4,40,000/- आर्थिक सहायता)	रूपये-4,40,000/- (चार लाख चालीस हजार)
		कुल राशि-	रूपये-4,40,000/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये-4,40,000/- (चार लाख चालीस हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

2

2

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-130/2005/एक(1)

भोपाल, दिनांक 08 सितम्बर,2005.

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर,(मध्यप्रदेश)
2. सचिव,माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय,भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी,वल्लभ भवन कोषालय,भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-रायसेन (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री,मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

06.092005.

**Order-59**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन

—: आदेश —:

क्रमांक एफ ए 7-133/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 08 सितम्बर, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:— माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान –वित्तीय वर्ष 2005–2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्ति को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये—4,87,000 /—(चार लाख सत्यासी हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:—

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक / दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम/1502/05दिनांक 28.07.05अनुशंसा—कलेक्टर—कटनी आर—371	श्री मधुसुदन नायक, ग्राम कुठला, जिला—कटनी. (पत्नी की बीमारी के इलाज हेतु)	रूपये—5,000 /— (पांच हजार)
2	एचसीएम/1500/05दिनांक 28.07.05 अनुशंसा—कलेक्टर—इंदौर आर—372	श्रीमती ज्योति बाई पत्नि स्व. श्री विनोदनिवासी—884, भागीरथपुरा, इन्दौर (पति की हत्या होने पर सहायता)	रूपये—10,000 /— (दस हजार)
3	एचसीएम/1501/05दिनांक 28.07.05 अनुशंसा—कलेक्टर—नरसिंहपुर आर—373	श्री दिनेश कौरव आ. बाबूलाल कौरव, निवासी—ग्राम पिपरिया बरोदिया, तहसील—करेली, जिला—नरसिंहपुर (आँख के ऑपरेशन हेतु)	रूपये—25,000 /— (पच्चीस हजार)
4	एचसीएम/1499/05दिनांक 28.07.05 अनुशंसा—कलेक्टर—श्यापुर आर—374	श्रीमती नीरज शर्मा पति स्व. श्री कमल किशोर शर्मा, निवासी—ग्राम रामगढ़ सबलगढ़, जिला— <input type="text" value="2"/> की रेलवे दुर्घटना में मृत्यु होने पर सहायता)	रूपये—5,000 /— (पांच हजार)
5	एचसीएम/1498/05दिनांक 28.07.05 अनुशंसा—कलेक्टर—देवास आर—375	श्री धन्नलाल पिता श्री धूलजी बलाई, निवासी—ग्राम मगरिया तह—सोनकच्छ, (पुत्र की असामायिक मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता)	रूपये—5,000 /— (पांच हजार)
6	एचसीएम/1497/05दिनांक 28.07.05 अनुशंसा—कलेक्टर—मंदसौर आर—376	कलेक्टर, जिला—मंदसौर (1.श्री ईश्वर पिता राधेश्याम ब्राम्हण, ग्राम—प्रतापपुरा, सुवासरा, जिला—मंदसौर एव	रूपये—5,000 /— (पांच हजार)

		2.बबलू पिता लक्ष्मण भील,ग्राम- प्रतापपुरा, सुवासरा, जिला-मंदसौर के परिवार को आर्थिक सहायता)	रूपये-5,000/- (पांच हजार)
7	एचसीएम/1584/05दिनांक 03.08.05 अनुशंसा-श्री खुमानसिंह शिवाजी,पूर्व विधायक, नीमच, आर-377	श्री नरेन्द्र सिंह पिता सज्जन सिंह तंवर राजपूत, निवासी-ग्राम लसूड़ी तंवर तह. व जिला- नीमच. (स्वयं के इलाज हेतु)	रूपये-50,000/- (पचास हजार)
8	एचसीएम/1587/05दिनांक 03.08.05अनुशंसा- अध्यक्ष, म.प्र.सचिवालयीन कर्मचारी संघ, आर-378	श्री प्रेमसिंह रावत, भृत्य, दैनिक वेतन भोगी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल. (ब्रेन हेमरेज के इलाज हेतु)	रूपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
9	एचसीएम/1585/05दिनांक 03.08.05अनुशंसा- कलेक्टर-खण्डवा आर-379	श्रीमती बंशीबाई, पति रूप सिंह, निवासी-रुधी, तह-खण्डवा, स्वयं के (इलाज हेतु)	रूपये-5,000/- (पांच हजार)
10	एचसीएम/1615/05दिनांक 04.08.05अनुशंसा- केवलमिश्रा,पार्श्वद वार्ड-53, नगरपालिका भोपाल. आर-380	श्रीमती सुमोति विश्वास पति श्री प्रवीर विश्वास, मकान नं.795 विश्वकर्मा नगर, बाग सेवनिया भोपाल (मकान में आग लगने से आर्थिक सहायता)	रूपये-50,000/- (पचास हजार)
11	एचसीएम/12049/05 दिनांक 03.08.05 अनुशंसा-उपाध्यक्ष, भा.ज.पा.बुधवारा,भोपाल 381	श्रीमती संध्या राठोर पति श्री मदन राठौर,, निवासी-13 दुर्गाचौक, तलैया भोपाल. (पति के इलाज हेतु आर्थिक सहायता)	रूपये-5,000/- (पाँच हजार)
12	एचसीएम/12048/05 दिनांक 1303.08.05 आर-382	श्री विक्रम सिंह मालवीय पिता स्व.श्री बाबूलाल, द्वारा श्री नवल सिंह धोबी ग्राम पीपलिया जाहिर पीर <input type="text" value="3"/> जूर जिला-भोपाल (पिता की सर्पदश से मृत्यु होने पर पुत्र को आर्थिक सहायता)	रूपये-5,000/- (पाँच हजार)
13	एचसीएम/1579/05दिनांक 03.08.05 श्री प्रदीपलारिया,महापौर, नगरपालिका निगम,सागर आर-383	श्री श्याम गुप्ता, मोहन नगर वार्ड सागर (हृदय रोग के इलाज हेतु आर्थिक सहायता)	रूपये-10,000/- (दस हजार) <input type="text" value="3"/>
14	एचसीएम/1581/05 दिनांक 03.08.05 अनुशंसा-श्रीलक्ष्मीकांत शर्मा,राज्यमंत्री (स्व.प्रभार) आर-384	मा. सपन विश्वास पुत्र श्री पी.के. विश्वास,निवासी-सिरोंज, जिला-विदिशा, (स्वयं के इलाज हेतु)	रूपये-1,00,000/- (एक लाख)
15	एचसीएम/1569/05 दिनांक 02.08.05श्री दुर्गालाल विजय विधायक -श्योपुर. आर-386	श्रीमती गीता पत्नी चन्द्र शेखर खटीक (आर्य) निवासी-श्योपुर (कैंसर इलाज हेतु)	रूपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
16	एचसीएम/1574/05 दिनांक 02.08.05 श्रीमती सरोज बच्चन नायक विधायक-बडवारा जिला-कटनी,आर-387	श्री रेवाराम गोड़ ठाकुर आत्मज स्व. श्री शंकरलाल गोड़ ग्राम हिरवारा, थाना-माधवगंज तह. जिला-कटनी (पत्नी के कैंसर इलाज हेतु)	रूपये-25,000/- (पच्चीस हजार)

17	एचसीएम/1602/05 दिनांक 03.08.05 श्रीबाबू लाल सीताराम महाजन, विधायक खरगौन आर-388	श्री मोहन पुत्र हीरालाल पाल, निवासी-खरगौन (कैंसर इलाज हेतु)	रुपये-20,000/- (बीस हजार)
18	एचसीएम/1538/05 दिनांक 30.07.05 (श्रीकमलनाथ केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री) आर-389	श्री सुरेश कुमार डांगे, मु.पो.नंदन, तहसील-जुन्नारदेव, जिला-छिन्दवाड़ा (दुकान में आग लगने से आर्थिक सहायता)	रुपये-10,000/- (दस हजार)
19	एचसीएम/1541/05 दिनांक 30.07.05 (श्रीकमलनाथ केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री) आर-390	श्री अजाबलाल वल्द छोटे, वार्ड नं-14, चंदनगाँव, जिला-छिन्दवाड़ा (जीविकोपार्जन हेतु आर्थिक सहायता)	रुपये-2,000/- (दो हजार)
20	एचसीएम/1545/05 दिनांक 01.08.05 (श्रीकमलनाथ केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री) आर-391	श्री गणेश पिता खुमानसिंह ठाकुर, ग्राम उमरीकलां, तहसील-पांडुरणा, जिला-छिन्दवाड़ा (फसल नष्ट होने पर आर्थिक सहायता)	रुपये-5,000/- (पांच हजार)
21	एचसीएम/1553/05 दिनांक 01.08.05 आर-392	श्री अर्पित दुबे, आत्मज श्री लखपति प्रसाद दुबे, छात्र राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, भोपाल (पुस्तकें खरीदने के लिए आर्थिक सहायता हेतु आर्थिक सहायता)	रुपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
22	एचसीएम/1591/05 दिनांक 03.08.05 श्री दिलीप सिंह गुर्जर, विधायक खाचरोद आर-393	श्री श्यामसुन्दर डालमिया, 50/6, ग्रें स्टाफ कॉलोनी, नागदा, जं, जिला-उज्जैन (पुत्री कु. स्वस्तिका के कैंसर के इलाज हेतु)	रुपये-10,000/- (दस हजार)
23	12128/मुमनि/05 दिनांक 06.08.05 आर-394	श्री ममताबाई पत्नी श्री दौलतसिंह, निवासी-ग्राम खजूरी सड़क जिला-भोपाल (इलाज हेतु आर्थिक सहायता)	रुपये-5,000/- (पांच हजार)
24	एचसीएम/1640/05 दिनांक 08.08.05 श्री शिवप्रसाद राठौर विधायक-बैतूल आर-395	श्री केशोराव वल्द कन्हैयालाल भौरासे, ग्राम-जम्बाडा, आमला विकास खण्ड, जिला-बैतूल (पुत्र की शल्य क्रिया हेतु)	रुपये-10,000/- (दस हजार)
25	एचसीएम/1629/05 दिनांक 08.08.05 श्री गोविन्द सिंह राजपूत विधायक-सागर आर-396	श्री जितेन्द्र सिंह पिता श्री गुट्टे सिंह, निवासी- ग्राम भैसा भीष्मनगर, वि.ख. राहतगढ़, जिला-सागर (गले की बीमारी के इलाज हेतु)	रुपये-10,000/- (दस हजार)
26	एचसीएम/1641/05 दिनांक 08.08.05 श्री गोविन्दसिंहपटेल विधायक, गाडरवारा आर-397	श्रीमती पार्वती बाई जौजे हरनारायण सिंह राजपूत, गाडरवारा, जिला-नरसिंहपुर (आँख के कैंसर के इलाज हेतु)	रुपये-10,000/- (दस हजार)
27	एचसीएम/1603/05 दिनांक 08.08.05 श्री बद्रीलाल यादव, राज्यमंत्री (स्वतंत्रप्रभार)	श्री सत्यनारायण बंसल पिता श्री छोटेलाल बंसल, निवासी-ब्यावरा जिला-राजगढ़ (लकवा के इलाज हेतु)	रुपये-10,000/- (दस हजार)

	<b>आर-398</b>		
<b>28</b>	एचसीएम/1591/05 दिनांक 03.08.05 श्री फूलचंद वैदिया, विधायकसुसनेर <b>आर-399</b>	श्रीमती राधाबाई पत्नी श्रीर पप्पूकुमार पाटीदार, ग्राम घासखेड़ी, तहसील-सुसनेर, जिला-शाजापुर (हृदय रोग इलाज हेतु)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
		<b>कुल राशि-</b>	<b>रूपये-4,87,000/-</b>

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि **रूपये-4,87,000/-**(चार लाख सत्यासी हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. उक्त राशि का भुगतान सं [5] जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।
4. यह व्यय वित्तीय वर्ष **2005-2006** के अंतर्गत अनुदान [5] सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-133/2005/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 08.09.2005.

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला- कटनी/इन्दौर/नरसिंहपुर/मुरैना/देवास/मंदसौर/नीमच/भोपाल/खण्डवा/सागर/विदिशा/श्यापुर/कटनी/खरगोन/छिन्दवाड़ा उज्जैन/बैतूल/राजगढ़/शाजापुर (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ति रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य



लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।

5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टाक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

🔔🔔🔔16162005.

**Order-60**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-140/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 08 सितम्बर, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान - वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्ति को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-1,00,000/- (एक लाख) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम/1699/ 2005दिनांक 27.08.2005 अनुशासा-माननीय सुभाष यादव, अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, मध्यप्रदेश आर-426	श्री रेवाराम यादव डी-8, अपेक्स बैंक कॉलोनी, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल (किडनी बदलवाने हेतु आर्थिक सहायता)	रूपये-1,00,000/- (एक लाख)
		कुल राशि-	रूपये-1,00,000/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि **रूपये—1,00,000 /—(एक लाख)** मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

2

2

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष **2005—2006** के अंतर्गत अनुदान संख्या—सामान्य प्रशासन—शीर्ष—2013—मंत्रि-परिषद्—105—मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7—140 / 2005 / एक(1) भोपाल, दिनांक 08 सितम्बर, 2005.  
प्रतिलिपि:—

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. **कलेक्टर, जिला—भोपाल (मध्यप्रदेश)** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ति रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

06092005.

**Order-61**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-134 / 2005 / एक(1) भोपाल, दिनांक 08 सितम्बर, 2005.  
प्रति,

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान - वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों/संस्थाओं को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-2,95,000/- (रूपयें-दो लाख पिन्च्यानवें हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	5808 / सीएमएस / एसएसयू 2005, दिनांक 06.08.2005 श्री के.पी. सिंह विधायक पिछोर, शिवपुरी आर-402	श्री परमानंद आत्मज श्री हरजुआ, निवासी-खनियाधाना, जिला-शिवपुरी (बायपास सर्जरी हेतु)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
2	5806 / सीएमएस / एसएसयू / 2005 दिनांक 06.08.2005 डॉ रामलखन सिंह संसद सदस्य आर-403	श्रीमती मिथिलेश देवी पत्नी श्री दिलीप सिंह भदोरिया, निवासी- रामगढ़, जिला-भिण्ड (केंसर इलाज हेतु)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
3	5801 / सीएमएस /	श्रीमती सुमन मेहता पत्नि श्री डा० आई.	रूपये-25,000/-

	एसएसयू/2005,दिनांक 06.08.2005डॉ रामलखन सिंह, संसद सदस्य <b>आर-404</b>	एस. मेहता, निवासी-38, झांसी मोहल्ला, जिला-भिण्ड (ब्लड कैंसर इलाज हेतु)	(पच्चीस हजार)
4	5803/सीएमएस/एसएसयू /2005,दिनांक 06.08.2005डॉ रामलखनसिंह संसदसदस्य, <b>आर-405</b>	श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामप्रकाश सिंह भदोरिया,निवासी-2 घर जिन्द की गढ़िया, जिला- (उपचार हेतु)	रुपये-10,000/- (दस हजार)
5	12196/मुर्मनि/दिनांक 08.08.2005विश्व हिन्दू परिषद्,भोपाल <b>आर-406</b>	श्रीमती रानी पत्नि श्री प्रहलाद, द्वारा प्रान्तीय महामंत्री,विश्व हिन्दू परिषद्,छोलारोड, भोपाल (चिकित्सा हेतु)	रुपये-20,000/- (बीस हजार)
6	एचसीएम/1676/2005 दिनांक 10.08.2005(श्री लक्ष्मीकांत शर्मा राज्यमंत्री) <b>आर-407</b>	श्री अमरनाथ पुत्र श्री मोहनलाल निवासी-कष्टम पथ, सिरोंज, जिला-विदिशा ( हृदय रोग इलाज हेतु)	रुपये-10,000/- (दस हजार)
7	3281/सीएमएस/ओपीआर /2005दिनांक 09.08.2005(श्री बोद्धसिंह भगत, खेरलांजी विधायक) <b>आर-408</b>	श्री सुखदेव पेन्द्रारू सहारे जाति गोवारी, ग्राम-शंकर पिपरिया, तहसील खेरलांजी जिला-बालाघाट (हृदय रोग)	रुपये-5,000/- (पांच हजार)
8	एचसीएम/1671/2005 दिनांक 10.08.2005 (गोविन्द सिंह पटेल विधायक-गाडरवारा) <b>आर-409</b>	श्री कमल चौरसिया, निवासी-ग्राम-साईखेड़ा,गाडरवारा, विधानसभा क्षेत्र जिला-नरसिंहपुर (गले के कैंसर इलाज हेतु)	रुपये-10,000/- (दस हजार)
9	एचसीएम/1659/2005 दि. 08.08.2008 (श्री दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री) <b>आर-411</b>	श्री फूलचंद आ. श्री कालू, निवासी-ग्राम सूस्याहेडी, तहसील-सारंगपुर, जिला-राजगढ़ (पुत्र के हृदय रोग के इलाज हेतु)	रुपये-10,000/- (दस हजार)
10	एचसीएम/1661/2005 दि08.08.2008 श्री टेकेश्वर साहू, अध्यक्ष, भा.ज.पा.शहपुरा डिंडोरी <b>आर-412</b>	श्री टेकेश्वर साहू, अध्यक्ष, भा.ज.पा.शहपुरा डिंडोरी (पत्नि श्रीमती रजनी साहू के हृदय रोग के इलाज हेतु)	रुपये-10,000/- (दस हजार)
11	एचसीएम/1596/2005 03.08.2008 (श्रीमधुकर वि. हर्ण विधायक,होशंगाबाद) <b>आर'416</b>	श्री जी.एस.साहू, मोरछली चौक, होशंगाबाद (पुत्र के इलाज हेतु)	रुपये-10,000/- (दस हजार)
12	एचसीएम/1547/200501.08.2008 (श्री रामनिवास रावतविधायक विजयपुर जिला- श्योपुर) <b>आर-417</b>	कलेक्टर,जिला-श्योपुर (श्री रतनलाल खटीक, ग्राम - गोहटा रोड, विजयपुर, जिला-श्योपुरकी बिजली के तार के करंट के मृत्यु होने पर परिजनों को आर्थिक सहायता)	रुपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
13	एचसीएम/1570/200502.08.2008(श्री दुर्गालाल विजयविधायक शिवपुर) <b>आर-419</b>	श्री पप्पू मीणा पुत्र श्री मलखान मीणा,निवासी- ग्राम, प्रेमसर जिला-श्योपुर (इलाज हेतु)	रुपये-10,000/- (दस हजार)

14	12364 / मुमंनि / 2005 दि.16.08.2005 आर-421	श्रीमती सोना मालवीयपत्नी श्री लखनलाल मालवीय निवासी-वार्ड-4, मछलीमार्केट, बैरागढ़ भोपाल (शिक्षा हेतु)	रूपये-5,000 / - (पांच हजार)
15	एचसीएम / 1686 / 2005 दिनांक 16.08.2005 आर-422	श्रीमती रामशीला बाई पति गेंदालाल लोधी, सा. मुआरी तह चौरई जिला-छिन्दवाड़ा (जीवन यापन हेतु)	रूपये-5,000 / - (पांच हजार)
16	एचसीएम / 1687 / 2005 दिनांक 17.08.2005 आर-423	श्री मोहन वर्मा पिता श्री रामचन्द्र वर्मा, निवासी-11, छत्रीबाग, इन्दौर (हृदय ऑपरेशन के लिए)	रूपये-1,00,000 / - (एक लाख)
17	एचसीएम / 1684 / 2005 दिनांक 16.08.2005 आर-424	कलेक्टर, जिला-भोपाल (म.प्र.) घोषणा क्रमांक-230 14 अप्रैल, 2005" श्री राहुल बावस्कर को स्वयं निर्मित चित्रों के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर रूपये 10,000 / - अनुदान दिया जायेगा.	रूपये-10,000 / - (दस हजार)
18	एचसीएम / 1594 / 2005 दिनांक 03.08.2005 आर-425	श्रीमती बसन्तीबाई रमेश निवासी-खरगोन (स्वयं के इलाज हेतु)	रूपये-10,000 / - (दस हजार)
		<b>कुल राशि-</b>	<b>रूपये-2,95,000 / -</b>

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये-2,95,000 / - (रूपयें-दो लाख पिन्चानवें हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-134/2005/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 08 सितम्बर, 2005.

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-शिवपुरी/भिण्ड/भोपाल/विदिशा/बालाघाट/नरसिंहपुर/राजगढ़/डिंडोरी/होशंगाबाद/श्योपुर/छिन्दवाड़ा/इन्दौर, (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

 07092005.

**Order-62**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन

—: आदेश —:

क्रमांक एफ ए 7-135/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:— माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान –वित्तीय वर्ष 2005–2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों/संस्थाओं को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-45,000/- (रूपये-पैंतालीस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	12257/मुमनि/05 दि.11.08.2005 413	श्री शिवसिंह बघेल, वाहन चालक, म.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम, छिन्दवाड़ा (स्वयं के इलाज हेतु)	रूपये-5,000/- (पांच हजार)
2	एचसीएम/1732/ 2005 दिनांक 30.08.2005 427	श्रीमती मालती शुक्ला पत्नी श्री एस.आर. शुक्ला, निवासी सुभाष नगर, सीहोर (पति के इलाज हेतु)	रूपये-5,000/- (पाँच हजार)
3	एचसीएम/1725/ 05दिनांक 30.08.2005 428	अध्यक्ष, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स व्यापारी महासंघ, बी.एच.ई.एल., 67, गॉधी मार्केट, पिपलानी, भोपाल (एच.ई.एल.भोपाल के पास सार्वजनिक चबुतरा निर्माण हेतु)	रूपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
4	एचसीएम/1744/ 2005 दिनांक 31.08.2005 429	श्री जगमोहनलाल सोनी, निवासी-द्वारा श्री सीताराम कीर का मकान, शंकराचार्यनगर 4 मंदिर के पास, रेलवे स्टेशन, भोपाल (पुत्र के इलाज हेतु)	रूपये-10,000/- (दस हजार)

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये-45,000/- (पैंतालीस हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के मा 4 किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005–2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,  
(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-135/2005/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर, 2005.

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-छिन्दवाड़ा/सीहोर/भोपाल, (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

🔔🔔🔔07092005.

**Order-63**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-141/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 09 सितम्बर, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,



मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:— माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान –वित्तीय वर्ष 2005–2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्ति को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-1,00,000/- (एक लाख) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम/1763/2005 दिनांक 05.09.2005 आर-430	श्री राजू जैन पुत्र श्री फुन्दी लाल जैन, शेरपुरा, जिला- विदिशा (हृदय रोग की चिकित्सा हेतु)	रूपये-1,00,000/- (एक लाख)
		कुल राशि-	रूपये-1,00,000/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये-1,00,000/- (एक लाख) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

2

2

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005–2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 09 सितम्बर, 2005.

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-141/2005/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-विदिशा (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

🔔🔔🔔09092005.

**Order-64**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-137/2005/एक(1) भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर, 2005.  
प्रति,

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान - वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, नियम शिथिल करते हुए निम्नलिखित व्यक्ति को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-11,000/- (ग्यारह हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1.	एचसीएम/1522/05 दिनांक 29.07.05 आर-385	कलेक्टर, जिला-भोपाल (म.प्र.) (सुश्री साधना रहटगोवकर, गजल गायिका, दुर्ग (छत्तीसगढ़) को दिनांक 27 जुलाई, 2005 को म.प्र.विधानसभा में किये गये गजल गायिका के प्रदर्शन हेतु पूर्व में कलेक्टर भोपाल द्वारा भुगतान की गई राशि के समायोजन हेतु)	रूपये-11,000/- (ग्यारह हजार)
		कुल राशि-	रूपये-11,000/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये-11,000/- (ग्यारह हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

2

2

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर, 2005.

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-137/2005/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर,(मध्यप्रदेश)
2. सचिव,माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय,भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी,वल्लभ भवन कोषालय,भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-भोपाल (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि आपके द्वारा उक्त संबंधित अनुदान ग्रहिता को भुगतान की गई राशि समायोजित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

09092005.

**Order-65**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय,वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-143/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्ति को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-2,00,000 /-(दो लाख) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	3472/ओपीआर दिनांक 16.08.2005 आर-420	कुमारी समीरा सिंह,सी-10, 74बंगला, भोपाल (लन्दन स्कूल आफ एकोनॉमिक्स में एल एल.एम. करने हेतु)	रूपये-2,00,000 /- (दो लाख)
		कुल राशि-	रूपये-2,00,000 /-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये-2,00,000 /-(दो लाख) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

2

2

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-143/2005/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर, 2005.

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.

4. कलेक्टर, जिला-भोपाल (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

 15092005.

**Order-66**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-126/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से नियम शिथिल करते हुए निम्नलिखित व्यक्ति को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-25,000 /-(पच्चीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
323	एचसीएम/1285 2139/पीएससीएम/2005 दिनांक 31.08.2005 575/सीएमएस/05 दिनांक 05.09.2005	कु. नेहा घोष, द्वारा: श्रीमती हंशी दत्ता, क्वा नं.630, सेक्टर 8,आर.के.पुरम, नई दिल्ली (टाटा सूमो से परिवार के सदस्यों का एक्सीडेंट होने पर अनाथ को आर्थिक सहायता बाबत)	रूपये-25,000 /- (पच्चीस हजार)
		कुल राशि-	रूपये-25,000 /-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये-25,000 /-(पच्चीस हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली के माध्यम से संबंधित को किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र से आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली लेकर अभिलेख में रखे।

2

2

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-126 / 2005 / एक(1)

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर, 2005.

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)

2. सचिव,माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय,भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी,वल्लभ भवन कोषालय,भोपाल.
4. आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री,मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

15092005.

**Order-67**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय,वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-17/2005/एक(1) भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर, 2005.  
प्रति,

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से नियम शिथिल करते हुए निम्नलिखित व्यक्ति को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-5,000/- (पांच हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-



स. क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक / दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम / पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	जावक क 894 / मुमंनि दिनांक 12.01.2005 आर-209 / 2004 एवं 561 / सीएमएस / 05 दिनांक 23.08.2005	1. कु अमृता सिंह पुत्री श्री आर.के.सिंह, 1119 ओल्ड कटारा इलाहाबाद, उत्तरप्रदेश (विवेकानंद विद्यापीठ भेल भोपाल में आयोजित भाषण प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने के उपलक्ष्य में)	रूपये-5,000 / - (रूपये पांच हजार)
		कुल राशि-	रूपये-5,000 / -

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये-5,000 / - (पांच हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

2

2

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-17 / 2005 / एक(1)

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर, 2005.

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.

4. कलेक्टर—इलाहाबाद (उत्तरप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

 15092005.

**Order-68**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
—: आदेश :—

क्रमांक एफ ए 7-138/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:— माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान —वित्तीय वर्ष 2005—2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-1,00,000 /-(एक लाख) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम/1496/05 दिनांक 27.07.05 आर-355	श्री मुरलीधर आत्मज विसनदास सोनेजा,निवासी-155, दयानंद नगर, माणक बाग रोड इन्दौर (कैंसर रोग के उपचारार्थ)	रूपये-1,00,000 /- (एक लाख)
		कुल राशि-	रूपये-1,00,000 /-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये-1,00,000 /-(एक लाख) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर, 2005.

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-138 / 2005 / एक(1)

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)

2. सचिव,माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय,भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी,वल्लभ भवन कोषालय,भोपाल.
4. कलेक्टर—इन्दौर (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री,मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण—पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टाक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

 15092005.

**Order-69**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय,वल्लभ भवन

—: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-143/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:— माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान —वित्तीय वर्ष 2005—2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों/संस्थाओं को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार

कुल राशि रूपये-5,97,000 /-(रूपयें-पांच लाख सन्तानवें हजार पांच सौ) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक / दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम / पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
432	जावक क्र. 12375 / मुमनि, दिनांक 18.08.2005	1. श्री अनुपम कुमार डे, क्वार्टर नं. 31, एन-2 बंगाली कालोनी, हबीबगंज, भोपाल 2. श्री निरंजन कुमार राय, क्वार्टर नं. 31, एन-2 बंगाली कालोनी, हबीबगंज, भोपाल 3. श्री अनिल कुमार मंडल, क्वार्टर नं. 31, एन-2 बंगाली कालोनी, हबीबगंज, भोपाल 4. श्री नीतिश कुमार, क्वार्टर नं. 31, एन-2 बंगाली कालोनी, हबीबगंज, भोपाल 5. श्री पूरन कुमार, क्वार्टर नं. 31, एन-2 बंगाली कालोनी, हबीबगंज, भोपाल (स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जयपुर से भोपाल दौड़कर आये निम्न धावकों को प्रोत्साहन स्वरूप राशि स्वीकृत करने बाबत)	रूपये-1100 / - (एक हजार एक सौ मात्र) रूपये-1100 / - (एक हजार एक सौ मात्र) रूपये-1100 / - (एक हजार एक सौ मात्र) रूपये-1100 / - (एक हजार एक सौ मात्र) रूपये-1100 / - (एक हजार एक सौ मात्र)
434	एचसीएम-1711 / 2005 दिनांक 24.08.2005	कृ. पूजा पाण्डेय, आत्मजा श्री महेन्द्र प्रसाद पाण्डेय, ग्राम-कदौहा, पो. अररिया, थाना-सेमरिया, जिला-रीवा (हृदय रोग के इलाज हेतु)	रूपये-50,000 / - (पचास हजार)
436	एचसीएम-1718 / 05 दिनांक 29.08.2005	श्री राजूभाई सोलंकी, निवासी-रतलाम (हृदय रोग हेतु)	रूपये-50,000 / - (पचास हजार)
437	एचसीएम-1731 / 05 दिनांक 30.08.2005	श्री रघुवर आ. जानकीदास वैरागी, देवरीकला, खंडेराव वार्ड, जिला-सागर (रीड़ की हड्डी के उपचार हेतु )	रूपये-10,000 / - (दस हजार)
438	एचसीएम-1730 / 05 दिनांक 30.08.2005	<b>कलेक्टर,</b> <b>जिला-शिवपुरी (मध्यप्रदेश)</b> (ग्राम सेवड़ा जिला शिवपुरी में सामुहिक आदिवासी विवाहसम्मेलन में टंकी फटने से मृतक 05 बच्चों के परिवार वालों को रूपये-3000 / -के मान से एवं 02 घायल बच्चों को रूपये:2,000 / -के मान से आर्थिक सहायता बाबत)	रूपये-19,000 / - (उन्नीस हजार)
439	एचसीएम-1717 / 05 दिनांक 29.08.2005	श्री माणकलाल पिता नंदराम जी डिन्डोरी, (आदिवासी भील), निवासी-धामनोद, जिला-रतलाम (पुत्र के हृदय बाल्व के इलाज हेतु)	रूपये-25,000 / - (पच्चीस हजार)
440	एचसीएम-1729 / 05	कृ. राशि जैन, ग्राम स्लोमनाबाद,	रूपये-10,000 / -

	दिनांक 30.08.2005	तहसील बहोरीबंद, जिला-जबलपुर (हृदय रोग उपचार हेतु)	(दस हजार)
441	एचसीएम-1728 / 05 दिनांक 30.08.2005	श्री शिवानंद बिसेन, वार्ड नं.25, हाउसिंह बोर्ड कालोनी, प्रेम नगर बालाघाट (श्रीमती कासीबाई बिसेन के पति श्री शिवानंद बिसेन के ब्लड कैंसर इलाज हेतु)	रूपये-10,000 / - (दस हजार)
442	एचसीएम-1716 / 05 दिनांक 29.08.2005 श्री हिम्मत कोठारी, मंत्री	श्री जीवन लाल बादिया, मकानं नं 2, गंगा सागर, आरो आश्रम के पीछे, जिला-रतलाम (हृदय बाल्ब के इलाज हेतु)	रूपये-15,000 / - (पन्द्रह हजार)
443	एचसीएम-1727 / 05 दिनांक 30.08.2005	श्री रविन्द्र कुमार आ. श्री पोतनलाल पारधी, मु.डोरली, पो आगरी, तह-वारासिवनी, जिला-बालाघाट (ब्रेम ट्यूमर के इलाज हेतु)	रूपये-5,000 / - (पांच हजार)
444	एचसीएम-1715 / 05 दिनांक 29.08.2005	अध्यक्ष, श्री अहिल्योत्सव समिति, अहिल्या स्मृति भवन, 21 प्रिंस यशवंतरोड, इन्दौर (श्री अहिल्योत्सव समिति के आयोजन हेतु)	रूपये-50,000 / - (पचास हजार)
446	एचसीएम-1751 / 05 दिनांक 02.09.2005	<b>कलेक्टर, श्योपुर, (म.प्र.)</b> <b>मुख्यमंत्री घोषणा-241</b> <b>दिनांक 13 जुलाई 2005</b> <b>(ग्राम सलापुरा के सरदार गुलाबसिंह</b> <b>न्यास अखाड़े की बाउण्ट्रीबाल हेतु</b> <b>मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से आर्थिक</b> <b>सहायता)</b> <b>मुख्यमंत्री घोषणा-242</b> <b>दिनांक 13 जुलाई 2005</b> <b>(श्री जयराम मीणा को वृक्षारोपण कार्य में</b> <b>सराहनीय कार्य के फलस्वरूप मुख्यमंत्री</b> <b>स्वेच्छानुदान मद से आर्थिक सहायता)</b>	रूपये-50,000 / - (पचास हजार)  रूपये-5,000 / - (पांच हजार)
447	एचसीएम-1733 / 05 दिनांक 30.08.2005 (मान.विधायक श्री बोधसिंह भगत, खैरलांजी)	श्री इंदर जैन पिता श्री एन.आर. जैन, प्रेमनगर, बालाघाट (स्वयं के इलाज हेतु)	रूपये-5,000 / - (पांच हजार)
448	एचसीएम-1735 / 05 दिनांक 30.08.2005 (मान.विधायक श्री बोधसिंह भगत, क्षेत्र-खैरलांजी)	श्री फत्तूलाल वल्द बिसराम ठाकरे, जाति पंवार, ग्राम-फोगलटोला (खुरमीपार) तह-खैरलांजी, जिला-बालाघाट (हृदय रोग के इलाज हेतु)	रूपये-5,000 / - (पांच हजार)
449	एचसीएम-1736 / 05 दिनांक 30.08.2005 (मान.विधायक श्री बोधसिंह भगत, क्षेत्र-खैरलांजी)	श्री पंछीलाल कोराम ग्राम जामखारी, ग्राम पंचायत दुधारा, वि. खण्ड खैरलांजी तह-खैरलांजी, जिला-बालाघाट (पैर के इलाज हेतु)	रूपये-5,000 / - (पांच हजार)
450	एचसीएम-1734 / 05 दिनांक 30.08.2005 (मान.विधायक श्री बोधसिंह भगत, क्षेत्र-खैरलांजी)	श्री बुधराम पिता डुकरया बावने, ग्राम सालेबर्डी विकास खण्ड खैरलांजी तह-खैरलांजी, जिला-बालाघाट (कैंसर रोग के इलाज हेतु)	रूपये-5,000 / - (पांच हजार)

451	एचसीएम-1762/05 दिनांक 05.09.2005	श्री गोविन्द पुत्र श्री राम जाति देशवाली,निवासी-कोलानी तहसील महु, जिला-इन्दौर (पुत्र के इलाज हेतु)	रुपये-40,000/- (रुपये-चालीस हजार)
453	एचसीएम-1764/05 दिनांक 03.09.2005	श्री राम माहेश्वरी,23 टीचर्स कालोनी, महु, जिला-इन्दौर (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रुपये-40,000/- चालीस हजार
454	एचसीएम-1766/05 दिनांक 03.09.2005	श्री हरीनारायण पांचाल, 228 इन्द्रपुरी कॉलोनी, किशनगढ़, तहसील-महु,जिला-इन्दौर (ओपन हार्ट सर्जरी हेतु)	रुपये-40,000/- चालीस हजार
455	एचसीएम-1753/05 दिनांक 03.09.2005	श्री राजेश खंडेलवाल,निवासी- बीनागंज जिला-गुना (म.प्र.) (पुत्री दीपिका के हृदय रोग उपचार हेतु)	रुपये-75,000
456	एचसीएम-1765/05 दिनांक 05.09.2005	श्री हीरालाल पाटिल, निवासी-न्यु चित्र नगर, इन्दौर (म.प्र.) (पुत्री लक्ष्मी पाटिल के सर्जरी हेतु)	रुपये-10,000
457	एचसीएम-1771/05 दिनांक 05.09.2005	श्री सत्यवीर सिंह, आरक्षक, 17वीं वाहिनी वि.स.बल भिण्ड (म.प्र.) (उपचार हेतु)	रुपये-10,000
458	एचसीएम-1771/05 दिनांक 05.09.2005	श्री महेन्द्र सिंह चौहान, आत्मज श्री राजेन्द्र सिंह चौहान, मकान नं डी-2/45, शहशाह गार्डन, रायसेन रोड, भोपाल (आर्थिक सहायता)	रुपये-5,000 (रुपये-पांच हजार)
459	12735/मुमनि/05 दिनांक 08.09.2005	वल्डे एथलेटिक मास्टर चैम्पियनशीप में जा रहे प्रदेश के निम्न खिलाड़ियों को प्रोत्साहन स्वरूप राशि देने हेतु:- 1. श्री जौधा सिंह, सीनियर एमआईजी-7, बी सेक्टर इन्द्रपुरी, भोपाल 2. कु. रशीदा जंहान सीनियर एमआईजी-7, बी सेक्टर इन्द्रपुरी, भोपाल 3. श्रीमती शैली थामस, सीनियर एमआईजी-7, बी सेक्टर इन्द्रपुरी, भोपाल	रुपये-1,000 (रुपये-एक हजार)  रुपये-1,000 (रुपये-एक हजार)  रुपये-1,000 (रुपये-एक हजार)
460	एचसीएम-1795/05 दिनांक 09.09.2005	श्री आशीष सोनी पुत्र श्री महेश चन्द्र सोनी, निवासी-जी-1/113, 1100 क्वार्टस,भोपाल (सिर की गंभीर चोट के इलाज हेतु)	रुपये-50,000 (रुपये-पचास हजार)
		<b>कुल राशि-</b>	<b>रुपये-5,97,000/-</b>

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि **रुपये-5,97,000/-**(रुपये-पांच लाख सन्तानवें हजार पांच सौ) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-143/2005/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर, 2005.

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-भोपाल /रीवा/रतलाम/सागर/शिवपुरी/डिन्डोरी/जबलपुर/  
बालाघाट/इन्दौर/श्यामपुर/गुना/भिण्ड, (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टाक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

🔔🔔🔔19192005.

**Order-70**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन

—: आदेश —:

क्रमांक एफ ए 7-145/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 04 अक्टूबर, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,



भोपाल.

विषय:— माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान –वित्तीय वर्ष 2005–2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों/संस्थाओं को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रुपये-4,23,000 / –(रुपयें-चार लाख तेईस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक / दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम-1804 / 05 दि. 12. 09.2005 अनुशंसा- सांसद श्री शिवराजसिंह चौहान. आर-462	श्रीमती गीताबाई पत्नि शीतल प्रसाद राजेन्द्र नगर, गली नं.5, गंज बासोदा, जिला-विदिशा (पेट के इलाज हेतु)	रुपयें-5,000 / – (पांच हजार)
2	एचसीएम-1807 / 05 दि. 12. 09.05, अनुशंसा- श्रीमती अर्चना चिटनेस, मंत्री. आर-463	श्रीमती पदमा पुरोहित पत्नि श्री आदर्श मोहन पुरोहित, निवासी-म.नं.110 / 04, शिवाजी नगर, भोपाल (पैर की हड्डी के इलाज हेतु)	रुपयें-5,000 / – (पांच हजार)
3	एचसीएम-1839 / 05 दिनांक 15.09.2005 आर-464	श्री सुखराम चौरसिया, निवासी मेनरोड, अब्दुल्लागंज, जिला-रायसेन (बहु के हृदय बाल्व के इलाज हेतु)	रुपयें-20,000 / – (बीस हजार)
4	एचसीएम-1806 / 05 दिनांक 12.09.2005 आर-465	श्री श्याम सिंह निवासी ढोलामंदिर, दशहरा मैदान के पीछे, सुन्दर नगर, दयाल सेठ की बिल्डिंग के सामने, भोपाल (स्वयं के इलाज हेतु)	रुपयें-5,000 / – (पांच हजार)
5	एचसीएम-1812 / 05 दिनांक 12.09.2005 आर-466	श्री राममिलन द्विवेदी, आ. श्री जमुनाप्रसाद द्विवेदी, निवासी-ग्राम डगडैया, पो, जवा, जिला-रीवा (स्वयं के इलाज हेतु)	रुपयें-5,000 / – (पांच हजार)
6	एचसीएम-1810 / 05 दिनांक 12.09.2005 आर-467	कलेक्टर, जिला-शाजापुर (म.प्र.) (दिनांक 17.08.2005 को ग्राम कछालिया तहसील बडौद में स्थित पानी की टंकी क्षतिग्रस्त हो जाने से 03 बालिकाओं की मृत्यु होने जाने से प्रत्येक परीवार को रुपये- 25,000 / –के मान से गरीब परिवार वालों को आर्थिक सहायता)	रुपयें-75,000 / – (पचहत्तर हजार)
7	एचसीएम-1811 / 05 दिनांक 12.09.2005 श्री बृजमोहन धूत, विधायक-खातेगाव आर-468	श्री रामदीन पिता श्री हीरालाल, निवासी-ग्राम किलोदा तह कन्नोद, जिला-देवास (कैसर इलाज)	रुपयें-5,000 / – (पांच हजार)
8	एचसीएम-1822 / 05 दिनांक 13.09.2005 आर-469	श्री लक्ष्मण नागेश्वर, द्वारा श्री मोहम्मद शफीक, झाईवर, मकान नं.1, गली नं.1, गर्ल्स स्कूल के पीछे, अपराध अनुसंधान के सामने,	रुपयें-2,000 / – (दो हजार)

		जहाँगीरियाबाद, भोपाल. (पुत्री के इलाज हेतु)	
9	एचसीएम-1802 / 05 दिनांक 12.09.2005 <b>आर-470</b>	श्री लक्ष्मीकांत सिसोदिया, निवासी-सिवनी मालवा, जिला- होशंगाबाद (पुत्र के इलाज हेतु)	रुपये-25,000 / - (पच्चीस हजार)
10	एचसीएम-1809 / 05दिनांक 12.09.2005 <b>आर-471</b>	श्री सुभाष चन्द्र सिंह, निवासी-कोल्हूडीह जिला-सीधी (पुत्री के इलाज हेतु)	रुपये-10,000 / - (दस हजार)
11	एचसीएम-1805 / 05दिनांक 12.09.2005 <b>सांसद</b> <b>श्री शिवराजसिंह</b> <b>चौहान. आर473</b>	श्री गोकुल चंद फोजी, निवासी-जवाहर खेड़ा, बुदनी जिला-सीहोर (पुत्र के हृदय रोग इलाज हेतु)	रुपये-10,000 / - (दस हजार)
12	एचसीएम-1846 / 05 दिनांक 19.09.2005 <b>आर-474</b>	श्रीमती अमिता गौर, निवासी- एलआयजी1 / 8, अजंता काम्पलेक्स, इन्द्रपुरी भोपाल (पति के किडनी रोग इलाज हेतु)	रुपये-50,000 / - (पचास हजार)
13	जावक क 12732 / मुमनि / 05 दिनांक 08.09.2005 <b>आर-475</b>	श्री भगवती प्रसाद पाण्डे, आत्मज स्व.श्री गोमती प्रसाद पाण्डे,, निवासी-पटनाहा मोहल्ला, कोलगवाँ, जिला-सतना (उपचार हेतु)	रुपये-80,000 / - (अस्सी हजार)
14	एचसीएम-1841 / 05 दिनांक 15.09.2005 जावक क. 12795 / मुमनि / 05दिनांक 11.09.2005 <b>आर-476</b>	श्री हेमलता मालवीय पुत्री श्री बी.एल. मालवीय, निवासी-वार्ड 14, परदेशीपुरा टिमरनी जिला-हरदा (उपचार हेतु)	रुपये-50,000 / - (पचास हजार)
15	4296 / ओपीआर / 05 दिनांक 15.09.2005 <b>आर-477</b>	श्री राव देशराजसिंह यादव, पूर्व विधायक, मुगावली, जिला- अशोकनगर (स्वयं के इलाज हेतु)	रुपये-25,000 / - (पच्चीस हजार)
16	एचसीएम-1840 / 05दिनांक 15.09.2005 <b>आर-478</b>	श्री चन्द्र बहादुर सिंह दांगी, रिसर्च स्कालर, द्वारा डिपार्टमेंट आफ जेनेटिक्स, वरकततुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल (प्रशिक्षण हेतु)	रुपये-10,000 / - (दस हजार)
17	4182 / ओपीआर / 05 दिनांक 13.09.2005 <b>आर-473</b>	श्री किरण शर्मा, एम.आय.जी.-सी 12, गणपति इन्चलेव, बीमा कुंज के सामने, कोलार रोड, भोपाल (ब्रेन टुयमर के इलाज हेतु)	रुपये-25,000 / - (पच्चीस हजार)
18	एचसीएम-1801 / 05 दिनांक 12.09.2005 <b>आर-480</b>	श्रीमती मालती देवी, पत्नि स्व. कैलाश नारायण ओझा, निवासी-ग्राम, इंदुखी, तहसील -रौन, जिला-भिण्ड, (आर्थिक सहायता)	रुपये-05,000 / - (पांच हजार)
19	एचसीएम-1821 / 05 दिनांक 13.09.2005 <b>आर-481</b>	श्री अब्दुल काबी खान, निवासी-बैंगमगंज जिला-रायसेन (इलाज हेतु)	रुपये-10,000 / - (दस हजार)
20	एचसीएम-1820 / 05 दिनांक 13.09.2005	श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री वजीरचन्द्र, ग्राम शिवनगर, कालोनी आनंद नगर, भोपाल,	रुपये-1,000 / - (एक हजार)

आर-482	(आर्थिक सहायता)	
	कुल राशि-	रूपये-4,23,000 /-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये-4,23,000 /-(रूपयें-चार लाख तेईस हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-145 / 2005 / एक(1)  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 04 अक्टूबर, 2005.

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-विदिशा / भोपाल / रायसेन / रीवा / शाजापुर / देवास / होशंगाबाद / सीधी / सीहोर / सतना / हरदा / अशोकनगर / भिण्ड, (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों / संस्थाओं को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र / प्राप्ति रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.

6. संबंधित.  
7. स्टाक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

🔔🔔🔔27092005.

**Order-71**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-150/2005/एक(1) भोपाल, दिनांक 04 अक्टूबर, 2005.  
प्रति,

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, नियम शिथिल करते हुए निम्नलिखित व्यक्ति को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-2,00,000/- (दो लाख) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	7734/सीएमएस/एएयू/व्ही आईपी दिनांक 26.09.2005 एचसीएम-1944/05 दिनांक 04.10.2005 आर-486	राजाराम किसान इण्टर कालेज डभियार, प्रतापगढ़ (उ.प्र.) (लायब्रेरी हॉल के निर्माण हेतु)	रूपये-2,00,000/- (दो लाख)
		कुल राशि-	रूपये-2,00,000/-

		(दो लाख) मात्र
--	--	----------------

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये—2,00,000 /—(दो लाख) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण—पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005—2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या—सामान्य प्रशासन—शीर्ष—2013—मंत्रि—परिषद्—105—मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7—150 / 2005 / एक(1)  
प्रतिलिपि:—

भोपाल, दिनांक 04 अक्टूबर, 2005.

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला—प्रतापगढ़ (उत्तरप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित संस्था को सूचित करें तथा भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण—पत्र/प्राप्ति रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

01102005.

**Order-72**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-151/2005/एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक / दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम / पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
487	4804 / ओपीआर / 2005 दिनांक 24.09.2005 अनुशंसा- श्री नरेन्द्र सिंह तोमर मंत्री	श्रीमती संगीता झा पत्नि श्री कुंज बिहारी झा, निवासी-महेश दुबे का मकान, मुरकुटी माता के मंदिर के पास, तारागंज लश्कर, ग्वालियर (पति के किडनी के इलाज हेतु)	रूपये-50,000/- (पचास हजार)
488	4803 / ओपीआर / 2005 दिनांक 24.09.2005 अनुशंसा- श्री नरेन्द्र सिंह तोमर मंत्री	श्री रघुराज सिंह चौहान पुत्र श्री तुकमान सिंह चौहान, वार्ड क्र-13, कोटा वाला मोहल्ला, खारे कुए के पास, जिला-ग्वालियर (लकवा का इलाज कराने हेतु)	रूपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
489	एचसीएम-1890 / 05 दिनांक 24.09.2005	श्री सुरेन्द्र कौशल, द्वारा-भारतीय जनता पार्टी कार्यालय भोपाल	रूपये-5,000/- (पांच हजार)

		(पत्नी के इलाज हेतु)	
490	4797 / ओपीआर / 2005 दिनांक 24.09.2005 अनुशांसा- <b>श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, मंत्री</b>	श्री ओम प्रकाश मीणा, ग्राम-दयानंदपुर, जिला-विदिशा (श्रीमती उषा मीना के ब्रेस्ट कैंसर का इलाज कराने हेतु)	रुपर्ये-50,000 / - (पचास हजार)
491	एचसीएम-1847 / 05 दिनांक 16.09.2005 <b>श्री हिम्मत कोठारी, मंत्री</b>	श्री गणपतलाल पिता भागीरथ जी नगारची, निवासी कालेज रोड़, रतलाम (स्वयं के इलाज हेतु)	रुपर्ये-20,000 / - (बीस हजार)
		<b>कुल राशि-</b>	<b>रुपर्ये-1,50,000 / -</b>

- अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।
- यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या- सामान्य प्रशासन- शीर्ष 2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-151 / 2005 / एक(1)

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर, 2005.

प्रतिलिपि:-

- महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
- सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
- कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
- कलेक्टर, जिला-ग्वालियर/भोपाल/विदिशा/रतलाम, (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं को सूचित करें तथा भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
- जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
- संबंधित.
- स्टाक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

 05102005.

**Order-73**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन

—: आदेश —:

क्रमांक एफ ए 7-136/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:— माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान —वित्तीय वर्ष 2005—2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्ति को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये—1,30,000 /—(एक लाख तीस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:—

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक / दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम / पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	4000 / सीएमएस / ओपीआर / 2005 दिनांक 10.08.2005 (अनुशंसा—माननीय श्री नरोत्तम मिश्र, मंत्री) आर-410	श्री अनिल साहनी, निवासी—महोबा रोड, जिला—छतरपुर (हार्ट के इलाज हेतु)	रूपये—1,30,000 /— (एक लाख तीस हजार)
		कुल राशि—	रूपये—1,30,000 /— (एक लाख तीस हजार)

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये—1,30,000 /—(एक लाख तीस हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण—पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005—2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या—सामान्य प्रशासन—शीर्ष—2013—मंत्रि—परिषद्—105—मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,



(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-136/2005/एक(1)

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर, 2005.

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-छतरपुर (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित संस्था को सूचित करें तथा भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग,

🔔🔔🔔01102005.

**Order-74**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन

—: आदेश :—

क्रमांक एफ ए 7-146/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:— माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, नियम शिथिल करते हुए निम्नलिखित व्यक्ति को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-80,000/- (अस्सी हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम- 1808/05 दिनांक 12.09.2005 आर-472	कलेक्टर, जिला-देवास (दिनांक 27.07.2005 को मै. नवीन केमिकल्स कं० देवास में हुए विस्फोट में निम्नानुसार अंकित 04 व्यक्तियों की मृत्यु के कारण प्रति परिवार वालों को रूपये-20,000/ के मान से आर्थिक सहायता- 1.श्री नितिन गुप्ता, केमीकल इंजी. 2.श्री अम्बाराम चौधरी, स्थायी श्रमिक 3.श्री महेश सोनी, ठेका श्रमिक 4.श्री संतोष चौधरी, ठेका श्रमिक	रूपये-80,000/- (अस्सी हजार)
		कुल राशि-	रूपये-80,000/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये-80,000/- (अस्सी हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-146/2005/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर, 2005.

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-देवास (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित संस्था को सूचित करें तथा भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

🔔🔔🔔06102005.

**Order-75**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-153/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:— माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान –वित्तीय वर्ष 2005–2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-65,000 /- (पेसठ हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक / दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम / पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम-1789 / 05 दिनांक 09.09.2005 आर-496	श्रीमती किरण सैनी, 34, लक्ष्मीनगर कालोनी, फ़ीगंज, उज्जैन. (शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता)	रूपये-10,000 /- (दस हजार)
2	एचसीएम-1873 / 05 दिनांक 22.09.2005 आर-497	श्रीमती शांताबाई पति बसंता पवार, निवासी-संतोषी माता वार्ड, पांडुरना, जिला-छिन्दवाड़ा (बीमारी के इलाज हेतु)	रूपये-10,000 /- (दस हजार)
3	एचसीएम-1947 / 05 दिनांक 04.10.2005 आर-498	श्री सिद्धनाथ सिंह पुत्र श्री दौलत सिंह, निवासी-ग्राम सिलेपुर, तह-गुलाना, जिला-शाजापुर (स्वयं के इलाज हेतु)	रूपये-10,000 /- (दस हजार)
4	एचसीएम-1945 / 05 दिनांक 04.10.2005 आर-499	श्रीमती बतेशियाबाई अहिरवार, नि.डू. नं-1162, भीमनगर, भोपाल (स्वयं के इलाज हेतु)	रूपये-5,000 /- (पांच हजार)
5	एचसीएम-1893 / 05 दिनांक 24.09.2005 आर-500	श्री जगदीश मालवीय, निवासी-15 मालवीय भवन नेहरू रोड जुमेराती, भोपाल. (पुत्र के किडनी रोग इलाज हेतु)	रूपये-25,000 /- (पच्चीस हजार)
6	एचसीएम-1929 / 05 दिनांक 27.09.2005 आर-501	श्रीमती रामवती दुबे पत्नी श्री एल.पी.दुबे, निवासी हिन्दी भवन, भोपाल. (स्वयं के इलाज हेतु)	रूपये-5,000 /- (पांच हजार)
		<b>कुल राशि-</b>	<b>रूपये-65,000 /-</b>

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये-65,000 /- (पेसठ हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-153/2005/एक(1)

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर, 2005.

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-उज्जैन/छिन्दवाड़ा/शाजापुर/भोपाल (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित संस्था को सूचित करें तथा भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

10102005.

**Order-76**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-154/2005/एक(1)

भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर, 2005.

प्रति,

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान - वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-90,000/- (नब्बे हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम-1928/05 दिनांक 27.09.2005 आर-502	श्रीमती शशी वर्मा पत्नी श्री अशोक कुमार वर्मा, निवासी वार्ड नं.9, इंदिरा नगर, गॉंधी चौक, मण्डीदीप, जिला-रायसेन (हृदय बाल्व के इलाज हेतु)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम-1885/05 दिनांक 24.09.2005 आर-503	श्री महेश कुमार तोमर, झुग्गी नं-37, गौतम नगर, औद्योगिक क्षेत्र, गोविन्दपुरा, भोपाल (पत्नी उषा तोमर के इलाज हेतु)	रूपये-5,000/- (पाँच हजार)
3	एचसीएम-1884/05 24.09.2005 आर-504	श्री शेरसिंह पुत्र मेहताब सिंह, ग्राम धुआँखेड़ा ग्राम पंचायत कालापानी विकास खण्ड फन्दा जिला-भोपाल (आर्थिक सहायता बाबत)	रूपये-5,000/- (पाँच हजार)
4	एचसीएम-1849/05 21.09.2005 आर-505	श्री राधेश्याम मूर्तियाँ पिता श्री गनपति मूर्तिया निवासी-सा0 चिनगवाह, मझोली, तहसील कुसमी जिला-सीधी (मृतक बुद्धसेन मूर्तिया की डूबने से मृत्यु होने पर बड़ें भाई को अर्थिक सहायता)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
5	एचसीएम-13048/05 23.09.2005 आर-506	श्री सुन्दरसिंह परमान, बागसेवनिया भोपाल (विश्वकर्मा समाज के सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु अर्थिक सहायता)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
6	सीएमएच13047/05 23.09.2005 आर-507	श्री अशोक करनानी, देशभक्त युवा मण्डल, 338 सी सेक्टर, कल्पनानगर, भोपाल (सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु अर्थिक सहायता)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
7	सीएमएच-13046/05 23.09.2005 आर-508	श्री जमना प्रसाद पुत्र श्री खुमान सिंह, निवासी ग्राम प्रेमपुरा, पो. बालमपुरथाना सुखीसेवनिया, जिला-भोपाल (आर्थिक सहायता)	रूपये-5,000/- (पाँच हजार)
8	4790/ओपीआर/05 24.09.2005 आर-509	श्रीमती कंचन उर्फ वसुंधा पत्नी मृतक श्री विवेक मिश्रा, पत्रकार, ब्युरो चीफ, राजएक्सप्रेस, भारत भारती विद्यालय, जिला-बैतूल (विधवा को आर्थिक सहायता)	रूपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
9	एचसीएम-1898/05 24.09.2005 आर-510	श्री शिवशंकर पिता भीका जी, निवासी-महेश्वर, खरगौन (पत्नी के रक्त कैंसर इलाज हेतु)	रूपये-5,000/- (पाँच हजार)
10	एचसीएम-1892/05	श्री जीवनलाल सापाकोटा, शोध छात्र,	रूपये-5,000/-

24.09.2005 आर-511	समाजशास्त्र विभाग, बरकततुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (समाज शास्त्र में पी.एच.डी. करने हेतु)	(पांच हजार)
	कुल राशि-	रूपये-90,000/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये-90,000/- (नब्बें हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-154/2005/एक(1)

भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर, 2005.

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-रायसेन/भोपाल/सीधी/बैतूल/खरगौन (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों को सूचित करें तथा भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ति रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टाक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

**Order-77**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-153/2005/एक(1) भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर, 2005.  
प्रति,

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्ति को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-25,000/- (पच्चीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
512	एचसीएम-1853/05 21.09.2005	श्रीमती गोपी साधवानी पति स्व. श्री ए. एच.साधवानी, निवासी जी-12/15 नार्थ टी.टी.नगर, भोपाल (इलाज हेतु)	रूपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
		कुल राशि-	रूपये-25,000/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये-25,000/- (पच्चीस हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।



3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा । कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे ।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-153/2005/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर, 2005.

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-भोपाल (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति को सूचित करें तथा भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

**Order-78**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-155/2005/एक(1) भोपाल, दिनांक अक्टूबर, 2005.  
प्रति,

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-1,15,000/- (एक लाख पन्द्रह हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
513	एचसीएम-1909/2005 26.09.2005	श्रीमती गीताबाई पत्नी चन्द्रभान सिंह यादव, निवासी कोहरवाल ईसागढ़, जिला-अशोकनगर (कैंसर उपचार हेतु)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
514	एचसीएम-1891/2005 24.09.2005	श्रीमती शिवकुमारी पत्नी स्व. श्री शंकरलाल शुक्ला, दुर्गा कालोनी, कन्नौद, जिला-देवास (पुत्री के उपचार हेतु)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
515	एचसीएम-1953/2005 04.10.2005	श्री प्रवीण जैन पुत्र स्व. फूलचन्द जैन, निवासी- सरोवर कालोनी अशोकनगर, (पत्नी के किडनी उपचार हेतु)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
516	एचसीएम-1951/2005 04.09.2005	कु0 लीना जैन पिता स्व. श्री प्रेमचन्द्र जैन, निवासी शाहपुर जिला-बुरहानपुर (स्वयं के किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
517	एचसीएम-1950/2005 04.09.2005	श्री रूपलाल पिता श्री किशनलाल निवासी सेमरोल जिला-मंदसौर	रूपये-10,000/- (दस हजार)

		(पुत्र की मृत्यु पर आर्थिक सहायता)	
518	एचसीएम-1952/2005 04.10.2005	श्री बालचंद पिता श्री महादेव, निवासी-बजरिया, वार्ड 8, रानीपुरा तहसील व जिला-दमोह. (पत्नी के इलाज हेतु)	रुपये-10,000/- (दस हजार)
519	एचसीएम-1946/2005 04.10.2005	श्री मानसिंह पंथी, निवासी -लटेरी, जिला- विदिशा (पुत्र की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता)	रुपये-20,000/- (बीस हजार)
520	एचसीएम-1949/2005 04.10.2005	श्री रामेश्वर पुत्र श्री देवकर, निवासी हन्नूखेड़ी, तह-जला-शुजालपुर (पुत्र के ब्रेन ट्युमर के इलाज हेतु)	रुपये-10,000/- (दस हजार)
521	एचसीएम-1877/2005 22.09.2005	श्री शंकरलाल खरे, निवासी-वाटिका नर्सरी, रेलवे कासिंग के पास, बैरसिया रोड, भोपाल.	रुपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
		<b>कुल राशि-</b>	<b>रुपये-1,15,000/-</b>

- अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि **रुपये-1,15,000/-**(एक लाख पन्द्रह हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।
- यह व्यय वित्तीय वर्ष **2005-2006** के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-155/2005/एक(1) भोपाल, दिनांक अक्टूबर, 2005.  
प्रतिलिपि:-

- महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
- सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
- कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
- 

कलेक्टर, जिला-अशोकनगर/देवास/बुरहानपुर/मंदसौर/दमोह/ि

वदिशा/ शुजालपुर (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें तथा भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।

5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

 22102005.

**Order-79**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन

—: आदेश —:

क्रमांक एफ ए 7-156/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक

अक्टूबर, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,

मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-2,60,000 /-(दो लाख साठ हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक / दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
522	एचसीएम-1925 / 2005 26.09.2005	श्री सानिया गर्ग पुत्री श्री अनूप गर्ग, 17 / 2, शालीमार इन्वलेव, ई-3, अरेरा कालोनी, हबीबगबंज अंडरब्रिज के पास, भोपाल (राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त नृत्यांगना को आर्थिक सहायता)	रूपये-5,000 / - (पांच हजार)
523	एचसीएम-1924 / 2005 26.09.2005	श्री रंजना पत्नी अखलेश दांतरे, निवासी-दतिया (बोन टी.वी. रोग के इलाज हेतु)	रूपये-10,000 / - (दस हजार)
524	एचसीएम-1927 / 2005 27.09.2005	श्री मिश्रीलाल राम प्रसाद मालवीय, 35 / 6, परदेशीपुरा, डमरू उस्ताद का चौराहा, इन्दौर (म.प्र.) (विकलांग एवं असहाय को आर्थिक सहायता)	रूपये-10,000 / - (दस हजार)
525	एचसीएम-1926 / 2005 27.09.2005	श्री राकेश राजानी पिता श्री रतनचंद्र राजानी, निवासी-926, द्वारकापुरी, इन्दौर (म.प्र.) (पत्नी के इलाज हेतु)	रूपये-10,000 / - (दस हजार)
526	एचसीएम-1921 / 2005 26.09.2005	श्री श्यामसुन्दर डालमिया, 50 / 6, ग्रे. स्टाफ कॉलोनी, नागदा जं, जिला-उज्जैन (म.प्र.) (पुत्री के इलाज हेतु)	रूपये-10,000 / - (दस हजार)
527	एचसीएम-1917 / 2005 26.09.2005	श्री राम किशन यादव, ग्राम जमुनिया चिखली, पो.पड़रई, तह-केसली, जिला-सागर (म.प्र.) (कुष्ठ रोग के इलाज हेतु)	रूपये-10,000 / - (दस हजार)
528	एचसीएम-1922 / 2005 26.09.2005	श्री जगन्नाथ सिंह, मान. विधायक, ग्राम-पो. चितरंगी, जिला-सीधी (पिता जी श्री ददईसिंह के एन्जियो प्लास्टी हेतु)	रूपये-25,000 / - (पच्चीस हजार)
529	एचसीएम-1918 / 2005 26.09.2005	श्री बसंत कुमार शास्त्री, सरस्वती विद्या मंदिर, आवासीय विद्यालय, शारदा बिहार, केरवा बांधमार्ग, भोपाल (पुत्री कु. प्रगति शास्त्री की चिकित्सा)	रूपये-10,000 / - (दस हजार)

		हेतु)	
530	एचसीएम-1919 / 2005 26.09.2005	श्री जगदीश सखाराम, ठेका श्रमिक, निवासी-इन्दौर द्वारा:-श्री दिलीप शेखावत, अध्यक्ष, उर्जा विकास निगम मध्यप्रदेश. (06 वर्षीय पुत्री के कैंसर इलाज हेतु)	रुपये-10,000 / - (दस हजार)
531	एचसीएम-1920 / 2005 26.09.2005	श्री ज्योति सप्रे पत्नी श्री एस.एम. सप्रे, जी-88 / 80 तुलसीनगर, भोपाल (पति के हृदय रोज इलाज हेतु)	रुपये-10,000 / - (दस हजार)
532	एचसीएम-1907 / 2005 26.09.2005	श्रीमती रंजना पत्नी अखलेश दांतरे निवासी-दतिया (बोन टी.वी.के इलाज हेतु)	रुपये-10,000 / - (दस हजार)
533	एचसीएम-1923 / 2005 26.09.2005	श्री दिनेश जैन, निवासी-मण्डीबामोरा, (पुत्र के कैंसर इलाज हेतु)	रुपये-10,000 / - (दस हजार)
534	एचसीएम-4800 / 2005 24.09.2005	श्री बाबूचौधरी, निवासी-114, बड़ी भमौरी, इन्दौर (म.प्र.) (स्वयं के कैंसर इलाज हेतु)	रुपये-50,000 / - (पचास हजार)
535	एचसीएम-1874 / 2005 22.09.2005	श्रीमती बिलकिस जहाँ, पत्नि स्व. नसीमउद्दीन म.नं. रेतघाट , तहसीलहुजूर, जिला-(भोपाल)(पेट की बीमारी के उपचार हेतु)	रुपये-5,000 / - (पांच हजार)
536	एचसीएम-1872 / 2005 22.09.2005	कृ० बेबी महक अग्रवाल, निवासी पचौर, तहसील सारंगपुर , जिला-राजगढ़ (म०प्र०.) (हृदय रोग के इलाज हेतु)	रुपये-10,000 / - (दस हजार)
537	एचसीएम-1941 / 2005 04.10.2005	अध्यक्ष, जिला शिक्षा पंवार शिक्षा प्रसार समिति, जिला-सिवनी मध्यप्रदेश.	रुपये-10,000 / - (दस हजार)
538	एचसीएम-1940 / 2005 04.10.2005	गायत्री परिवार ट्रस्ट, जिला-सिवनी (समाज सुधार की गतिविधियों के संचालन हेतु)	रुपये-10,000 / - (दस हजार)
539	जावक क 13826 / मुमंनि / 2005 दि० 26.09.2005	श्री माधवराम पाचाल, ग्राम मुंगालिया छाप, तहसील हुजूर जिला-भोपाल (लकवा की बीमारी के इलाज हेतु)	रुपये-5,000 / - (पांच हजार)
540	जावक क 13825 / मुमंनि / 2005 दि० 26.09.2005	श्री राजू प्रसाद कटारे पुत्र श्री जमना प्रसाद कटारे, सी.आर.पी.फाटक रोड, बैरागढ़, भोपाल (हाथ की अँगुली कटने पर आर्थिक सहायता)	रुपये-10,000 / - (दस हजार)
541	जावक क 13657 / मुमंनि / 2005 दि० 05.10.2005	श्री जगदीश सिंह, ग्राम किशनपुर तहसील बरेली जिला-रायसेन (पत्नी के हृदय के ऑपरेशन हेतु)	रुपये-10,000 / - (दस हजार)
542	एचसीएम-1993 / 2005 13.10.2005	श्री नंद किशोर साहू पुत्र हरनारायण साहू, निवासी-जवाहर रोड, भाण्डेर, जिला-दतिया	रुपये-10,000 / - (दस हजार)

		(कैंसर रोग के इलाज हेतु)	
543	एचसीएम-5181 / ओपीआर. 17.10.2005	श्री नंद किशोर साहू पुत्र हरनारायण साहू, निवासी-जवाहर रोड, भाण्डेर, जिला-दतिया (कैंसर रोग के इलाज हेतु)	रूपये-10,000 /- (दस हजार)
		कुल राशि	रूपये-2,60,000 /-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये-2,60,000 /-(दो लाख साठ हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-156 / 2005 / एक(1) भोपाल, दिनांक अक्टूबर, 2005.  
प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-भोपाल / दतिया / इन्दौर / उज्जैन / सागर / सीधी / राजगढ़ / सिवनी / रायसेन / (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति / संस्था को सूचित करें तथा भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति / संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र / प्राप्ति रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.

7. स्टॉक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

🔔🔔🔔22102005.

**Order-80**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-113/2005/एक(1) भोपाल, दिनांक अक्टूबर, 2005.  
प्रति,

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान - वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्ति को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-1,00,000/- (एक लाख दस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक / दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम / पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम-1992 / ओपीआर.13.10.2005 3321 / ओपीआर दिनांक 10.08.2005 आर-544	(अ) न्यायमूर्ति नेवासकर पुस्तकालय न्यास, जिला- न्यायालय प्रांगण, 517, महात्मागान्धी मार्ग, इन्दौर (म.प्र.) (पुस्तकालय हेतु आर्थिक सहायता)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
	एचसीएम-1992 / ओपीआर.13.10.2005 3321 / ओपीआर दिनांक 10.08.2005	(ब) मुख्यमंत्री घोषणा क्र-272 07 अगस्त, 2005 "प्रेरणा सेवा ट्रस्ट, भोपाल (हमीदिया अस्पताल / सल्लानिया अस्पताल में मरीजों के परिजनों को	रूपये-1,00,000/- (एक लाख)



	निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाये जाने एवं उनके कार्य में सहयोग हेतु)	
	कुल राशि-	रूपये-1,10,000 /-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये-1,10,000 /-(एक लाख दस हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-113/2005/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक अक्टूबर, 2005.

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-भोपाल (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति को सूचित करें तथा भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

20102005.

(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

**Order-81**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन

—: आदेश —:

क्रमांक एफ ए 7-157/2005/एक(1) भोपाल, दिनांक अक्टूबर, 2005.  
प्रति,

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:— माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान –वित्तीय वर्ष 2005–2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों / संस्थाओं को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-1,45,000 /—(एक लाख पैंतालीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:—

स. क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक / दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम / पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
546	एचसीएम-1994 / 2005 दिनांक 13.10.2005	श्रीमती खातून श्री बेवा श्री मुबारिक बाबू झोपडी निवासी मुलतानवपुरा तह-जिला मंदसौर (पति के असामायिक मृत्यु होने पर विधवा को आर्थिक सहायता)	रूपये-10,000 /— (दस हजार)
547	एचसीएम-1974 / 2005 दिनांक 07.10.2005	कलेक्टर, जिला-शिवपुरी (म.प्र.) (दिनांक 20.04.2004 को जीप से टक्कर में मृत श्री गोविन्द सिंह पुत्र राम चरण लोधी, निवासी ग्राम मुहारी, खनियाधाना, जिला-शिवपुरी की घटना स्थल पर मृत्यु होने से मृतक के आश्रित परिवार के सदस्य को आर्थिक सहायता)	रूपये-20,000 /— (बीस हजार)
548	एचसीएम-1971 / 2005 दिनांक 07.10.2005	श्रीमती सूर्यकुमारी विजय पत्नी श्री राम प्रसाद विजय निवासी बिहारीजी मार्ग ब्यावरा जिला-राजगढ़ (उपचार हेतु आर्थिक सहायता)	रूपये-10,000 /— (दस हजार)
549	एचसीएम-2002 / 2005 दिनांक 14.10.2005	श्री दिनेश सूर्यवंशी, ग्राम-भैरोपुर, पो. पौनार, जिला-छिन्दवाडा.	रूपये-5,000 /— (पांच हजार)

		(गरीब मजदूर होने से दो मासूम बच्चों की परवरिश हेतु आर्थिक सहायता-प्रति बच्चें रूपये-2,500/-)	
550	एचसीएम-2006 / 2005 दिनांक 14.10.2005	श्रीमती सुशीला बाई पत्नी श्री गोविन्द सिंह, निवासी-गाँधीनगर, अर्जुन वार्ड, पुरानीबैंक के बगल में, बैरागढ़, भोपाल (कैंसर इलाज हेतु)	रूपये-15,000 /- (रूपयें पन्द्रह हजार)
551	एचसीएम-2010 / 2005 दिनांक 14.10.2005	श्रीमती सुधाबाई पत्नी श्री आनंदराम हरिजन, निवासी-बरुड़, तहसील- खरगोनजिला-खरगौन। (पुत्र के इलाज हेतु)	रूपये-10,000 /- (दस हजार)
552	एचसीएम-2007 / 2005 दिनांक 14.10.2005	श्रीमती अमीना पति मृतक शब्बीर अहमद ग्राम- बंगरसिया, जिला- भोपाल (दिनांक 28.08.2005 को ग्राम बंगरसिया चौराहा, भोपाल में यात्री बस दुर्घटना में मृत श्रीशब्बीर अहमद की विधवा पत्नि को आर्थिक )	रूपये-20,000 /- (बीसस हजार)
553	एचसीएम-2005 / 2005 दिनांक 14.10.2005	श्री संदीन जैन पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार जैन, राधा वल्लभ वार्ड, गाडरवारा जिला-नरसिंहपुर (इलाज हेतु)	रूपये-5,000 /- (पांच हजार)
555	एचसीएम-2004 / 2005 दिनांक 14.10.2005	श्रीमती कुंती बाई, पत्नि स्व. श्री रामदयाल निवासी शांतिनगर, जबलपुर (स्वयं के कैंसर इलाज हेतु)	रूपये-10,000 /- (दस हजार)
556	एचसीएम-2001 / 2005 दिनांक 14.10.2005	श्री पंढरी पंवार, (राजू) निवासी-बिछुआ, जिला-छिन्दवाड़ा (पुत्र के इलाज हेतु)	रूपये-10,000 /- (दस हजार)
557	एचसीएम-2000 / 2005 दिनांक 14.10.2005	श्री अब्दुल सलाम पुत्र श्री स्व. अब्दुल गफूर निवासी-1471 ठक्करग्राम, जबलपुर(इलाज हेतु)	रूपये-10,000 /- (दस हजार)
558	एचसीएम-2009 / 2005 दिनांक 14.10.2005	<b>मुख्यमंत्री घोषणा-298</b> <b>दिनांक 04.09.2005</b> श्री गणेश पिता श्री भागीरथ, ग्राम गादिया, (गोकुलग्राम)जिला-राजगढ़ (आर्थिक सहायता)	रूपये-5,000 /- (पांच हजार)
559	एचसीएम-2008 / 2005 दिनांक 14.10.2005	श्री अब्दुल कादिर आत्मज श्री सेफी, निवासी-जुमेराती होशंगाबाद (पुत्र के इलाज हेतु)	रूपये-5,000 /- (पांच हजार)
		<b>कुल राशि-</b>	<b>रूपये-1,45,000 /-</b>

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल रूपये-1,45,000/- (एक लाख पैंतालीस हजार) मात्र राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा । कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे ।
4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-157 / 2005 / एक(1) भोपाल, दिनांक अक्टूबर, 2005.

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-मंदसौर/शिवपुरी /राजगढ़/छिन्दवाड़ा/भोपाल /खरगोन/नरसिंहपुर/(मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें तथा भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

 22102005.

**Order-82**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-158/2005/एक(1) भोपाल, दिनांक अक्टूबर, 2005.  
प्रति,

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्ति को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-1,00,000/- (एक लाख) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
---------	--	---	--------------

1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम-2066/2005 दिनांक 22.10.2005 आर-560	श्री लक्ष्मीदत्त सुयाल पिता श्री चन्द्रमणि सुयाल, वार्ड नं.18, विदिशा जिला-विदिशा (पुत्री के इलाज हेतु)	रूपये-1,00,000/- (एक लाख)
		कुल राशि-	रूपये-1,00,000/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये-1,00,000/- (एक लाख) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-158/2005/एक(1)

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर, 2005.

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-विदिशा (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति को सूचित करें तथा भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि

उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।

5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

 22102005.



मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-159/2005/एक(1) भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर, 2005.  
प्रति,

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, नियम शिथिल करते हुए निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-10,00,000/- (दस लाख) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम-2070/2005 दिनांक 24.10.2005 आर-561	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, नागार्जुन नगर, आन्ध्रप्रदेश	रूपये-10,00,000/- (दस लाख)
		कुल राशि-	रूपये-10,00,000/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये-10,00,000/- (दस लाख) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-159/2005/एक(1)

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर, 2005.

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-नागार्जुन नगर (आन्ध्रा प्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें तथा भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

(आर.सी.चांदवानी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

🔔🔔🔔27102005.

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-33/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, नियम शिथिल करते हुए, निम्नलिखित संस्था को उनके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-1,19,000/- (रूपये-एक लाख उन्नीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	1220/ओपीआर/पीएससीएम दिनांक 24.03.2005 आर-326	श्रृंजणउनसस ळसवइंस भवेचपजंस - त्मेंतबी भदजतमए क्पसूंतं त्वंकए डवनदज।इन. 307501 त्तेर्जीदण (आर्थिक सहायता हेतु)	रूपये-1,19,000/- (एक लाख उन्नीस हजार)
		कुल राशि-	रूपये-1,19,000/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये-1,19,000/- (रूपये-एक लाख उन्नीस हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(एस.एस.बंसल)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-33/2005/एक(1)

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर, 2005.

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. बससमबजवतएक्वेजज.-प्लम् (डवनदज इनद्व.307 501 तेंजीदण की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित संस्था को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें, तथा साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिताओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

(एस.एस.बंसल)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग



23112005.

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-173/2005/एक(1) भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर, 2005.  
प्रति,

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान , मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित संस्था को उनके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रुपये-1,25,000 /-(रुपये-एक लाख पच्चीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम-2815/05 दिनांक 30.11.2005	1.श्री रूपा कुकासे पत्नी श्री ओमप्रकाश कुकासे निवासी नर्मदा नगर बालाघाट (किडनी रोग के इलाज हेतु)	रुपये-10,000 /- (दस हजार)
2	एचसीएम-2818/05 दिनांक 30.11.2005	2.श्रीमती गीताबाई पत्नी श्री प्रहलाद सिंह, निवासी ग्राम-भारकच्छकला, जिला-रायसेन (कैंसर रोग के इलाज हेतु)	रुपये-50,000 /- (पचास हजार)
3	एचसीएम-2819/05 दिनांक 30.11.2005	3.श्रीमती भागवती बाई, पत्नी श्री रमेश रसिक, निवासी सिन्धी केम्ब बाड़ी, जिला-रायसेन (हृदय रोग)	रुपये-5,000 /- (पांच हजार)
4	एचसीएम-2821/05 दिनांक 30.11.2005	4.श्री अभिषेक पुत्र श्री विष्णुप्रसाद यादव, निवासी-ग्राम सेमरी, तहसील बुदनी, जिला-सीहोर (पेट के इलाज हेतु)	रुपये-5,000 /- (पांच हजार)

5	एचसीएम-2823 / 05 दिनांक 30.11.2005	5.श्री सौरव पुत्र श्री ओमकार शर्मा, निवासी-सियरमउ रोड़ सिलवानी जिला-रायसेन (किडनी के इलाज हेतु)	रूपये-10,000 / - (दस हजार)
6	एचसीएम-2824 / 05 दिनांक 30..2005	6.श्रीमती धनकुंवरबाई पत्नी श्री काशीराम,ग्राम-अकोदिया जिला-शाजापुर (पसली में पानी भरने पर इलाज हतु)	रूपये-5,000 / - (पांच हजार)
7	एचसीएम-2822 / 05 दिनांक 30.11.2005	7. श्री संतोष कुमार किरार, निवासी-ग्राम तूमड़ा, तहसील-गाडरवारा, जिला- नरसिंहपुर (पैर के इलाज हेतु)	रूपये-10,000 / - (दस हजार)
8	एचसीएम-2820 / 05 दिनांक 30.11.2005	8.श्री वीरेन्द्र कुमार पाण्डे, आ.श्री जगदीश प्रसादपाण्डे, निवासी-बरोदा,तह- गोटेगाँव जिला-नरसिंहपुर (कैंसर इलाज हेतु)	रूपये-10,000 / - (दस हजार)
9	एचसीएम-2817 / 05 दिनांक 30.11.2005	9.परिजन, स्व. श्री महेन्द्र सिंह पिता श्री हिम्मत सिंह, निवासी-बावल जिला-नीमच (मृत्युपरांत परिजनों को सहायता)	रूपये-10,000 / - (दस हजार)
10	एचसीएम-2816 / 05 दिनांक 30.11.2005	10.परिजन-श्री बाबू सिंह पिता श्री सेवास सिंह, निवासी-बावल जिला-नीमच (मृत्युपरांत परिजनों को सहायता)	रूपये-10,000 / - (दस हजार)
		<b>कुल राशि-</b>	<b>रूपये-1,25,000 / -</b>

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये-1,25,000 / -(रूपये-एक लाख पच्चीस हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे। आवंटन की प्रत्याशा में स्वीकृति आदेश जारी किया गया है।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(आर.आर.एस.मरावी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-173/2005/एक(1)

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर, 2005.

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला- बालाघाट/रायसेन/सीहोर/शाजापुर/ नरसिंहपुर/ नीमच की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें, तथा साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिताओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

(आर.आर.एस.मरावी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

 30112005.

**Order-86**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-174/2005/एक(1)

भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर, 2005.

प्रति,

मुख्य लेखाधिकारी,

मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्ति को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-39,841/- (उन्तालीस हजार आठ सौ इकतालीस) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक / दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	2863 / पीएससीएम / 05 दिनांक 1.12.2005 आर-684	श्री शिवमोहन सिंह, पूर्व विधायक, अमर पाटन, जिला-सतना (उपचार की प्रतिपूर्ति हेतु)	रूपये-39,841/- (उन्तालीस हजार आठ सौ इकतालीस)
		कुल राशि-	रूपये-39,841/-

- अतः उपरोक्तानुसार कुल रूपये-39,841/- (उन्तालीस हजार आठ सौ इकतालीस) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखें।
- यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.आर.एस.मरावी)

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-174/2005/एक(1)

भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर, 2005.

प्रतिलिपि:-

- महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
- सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
- कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
- कलेक्टर, जिला-सतना (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें तथा भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
- जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
- संबंधित.
- स्टाक फाइल.



08122005.

(आर.आर.एस.मरावी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

**Order-87**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-179/2005/एक(1) भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर, 2005.  
प्रति,

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-30,000 /-(रूपये तीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स.	मुख्यमंत्री कार्यालय	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं	स्वीकृत राशि
----	----------------------	------------------------------	--------------

क्र.	का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	स्वीकृति का उद्देश्य	
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम-2830/05 दिनांक 13.12.2005 आर-766	श्री अशरफ खान आ. श्री जेड. एन.खान,निवासी 482/एन-2,बी सेक्टर, गोविन्दपुरा जिला-भोपाल (किडनी प्रत्यारोपण हेतु)	रूपये-15,000/- (पन्द्रह हजार)
2	एचसीएम-2829/05 दिनांक 13.12.2005 आर-767	श्री रामकुमार पुत्र श्री रामदयाल वर्मा निवासी ग्राम रातौर जिला-शिवपुरी (हृदय ऑपरेशन हेतु)	रूपये-15,000/- (पन्द्रह हजार)
		कुल राशि-	रूपये-30,000/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये-30,000/- (रूपये तीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन- शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.आर.एस.मरावी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-179/2005/एक(1) भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर, 2005.

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-भोपाल/शिवपुरी (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें तथा भुगतान की कार्रवाही

सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।

5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

 20122005.

**Order-88**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-181/2005/एक(1) भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर, 2005.  
प्रति,

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-80,000/- (रूपये अस्सी हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
---------	--	---	--------------

1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम-2834/05 दिनांक 16.12.2005 आर-769	1. श्री इन्दरसिंह पिता बालचंद गुर्जर, ग्राम खिन्दियाखेड़ी, तहसील-सुसनेर, जिला-शाजापुर (घायल के उपचार हेतु)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम-2835/05 दिनांक 16.12.2005 आर-769	2. छगनलाल पिता बनेसिंह गुर्जर ग्राम खिन्दियाखेड़ी, तहसील- सुसनेर, जिला-शाजापुर (घायल के उपचार हेतु)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
3	एचसीएम-2836/05 दिनांक 16.12.2005 आर-769	3. श्री मनोहर पिता नारायण दांगी ग्राम खिन्दियाखेड़ी, तहसील-सुसनेर, जिला-शाजापुर (घायल के उपचार हेतु)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
4	एचसीएम-2837/05 दिनांक 16.12.2005 आर-769	4. श्रीमती प्रेमबाई पति स्व. सोजानसिंह ग्राम खिन्दियाखेड़ी, तहसील-सुसनेर, जिला-शाजापुर (पति के मृत्यु पर आर्थिक सहायता)	रूपये-50,000/- (पचास हजार)

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये-80,000/- (रूपये अस्सी हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन- शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.आर.एस.मरावी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-181/2005/एक(1) भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर, 2005.  
प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-शाजापुर (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित

व्यक्ति/संस्था को सूचित करें तथा भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।

5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

🔔🔔🔔20122005.

**Order-89**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-183/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30दिसम्बर, 2005.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रुपये-30,000/- (रुपये तीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1.	8099/सीएमएस/ पीयूबी/05 दिनांक 17.8.05	श्रीमती नीरज शर्मा, पत्नि स्व. श्री कमल किशोर शर्मा, नि. रामगढ़ तह. सबलगढ़	रुपये-20,000/- (बीस हजार)

	आर-770	जिला <b>मुरैना</b> (पति की मृत्यु पर राहत के रूप में आर्थिक सहायता)	
2.	2920 / सीएमएस / एमएलए / 05 / दिनांक 24.08.2005 आर-770	श्री संजय सिंह एवं जयेन्द्रसिंह गुर्जर पुत्र श्री शंकर सिंह गुर्जर निवासी कांकेपुर गोहद, जिला- <b>भिण्ड</b> (बाल वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन पुरुस्कार के रूप में आर्थिक सहायता एवं अन्य आवश्यक सहयोग करने हेतु)	रूपये-10,000 / - (दस हजार)
		कुल राशि-	रूपये-30,000 / -

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये-30,000 / -(रूपये तीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन- शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.आर.एस.मरावी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-183 / 2005 / एक(1) भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर, 2005.

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-**मुरैना** / **भिण्ड** (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें तथा भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा

जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे, मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।

5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

🔔🔔🔔20122005.

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

**Order-90**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-184/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 04 जनवरी, 2006.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपयें-2,20,500/- (रूपयें दो लाख बीस हजार पांच सौ) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
(1)	एचसीएम-2823/05 दिनांक 23.12.2005 आर-771	श्री साहबसिंह चौहान आ. श्री चंदन सिंह चौहान, बकतरा, जिला-सीहोर (आर्थिक सहायता)	रूपयें-30,000/- (तीस हजार)
(2)	301/मुमनि/05 दिनांक 25.12.2005	श्रीमती तुलसीराम ग्राम सिलारी, तह-गोहरगंज, पो.	रूपयें-10,000/- (दस हजार)

	<b>आर-772</b>	बगासपुर,थाना-सुलतानपुर, जिला-रायसेन (आर्थिक सहायता हेतु)	
(3)	302/मुमनि/05 दिनांक 25.12.2005 <b>आर-773</b>	श्रीमती सरोजबाई रैकवार पत्नि श्री बंशीलाल रैकवार शेरपुर मोहल्ला, जिला-विदिशा (आर्थिक सहायता)	रुपये-20,000/- (बीस हजार)
(4)	एचसीएम-2844/05 दिनांक 26.12.2005 <b>आर-774</b>	श्री गंगाराम बाथम आत्मज श्री जगदीश बाथम (रेल्वे वाले) निवासी बड़े हनुमान मंदिर के पास, लथेड़ी, जिला-ग्वालियर (दौत लगवाने हेतु)	रुपये-500/- (पांच सौ)
(5)	एचसीएम-2845/05 दिनांक 26.12.2005 <b>आर-775</b>	श्रीमती शान्तासिंह पति श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, ग्राम नदना, तहसील-सिरमोर, जिला-रीवा (स्वयंके उपचार हेतु आर्थिकसहायता)	रुपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
(6)	एचसीएम-2846/05 दिनांक 26.12.2005 <b>आर-776</b>	1.श्री रंजीत सिंह नागर, ग्राम बायों, तह. बुदनी, जिला-सीहोर (पत्नी के उपचार हेतु आर्थिक सहायता)	रुपये-50,000/- (पचास हजार)
	एचसीएम-2847/05 दिनांक 26.12.2005 <b>आर-776</b>	2.श्री गणपत सिंह, ग्राम बाड़ी, बकतरा रोड, जिला-सीहोर (गरीब होने से आर्थिक सहायता)	रुपये-5,000/- (पांच हजार)
	एचसीएम-2848/05 दिनांक 26.12.2005 <b>आर-776</b>	3.श्री गोविन्द प्रसाद गोस्वामी, दीवानी कचहरी के पीछे, महावीर वार्ड, खुरई, जिला-सागर (पुत्र के उपचार हेतु)	रुपये-10,000/- (दस हजार)
(7)	एचसीएम-2849/05 दिनांक 27.12.2005 <b>आर-777</b>	श्री संजय पुत्र श्री किशनराव शिन्दे, निवासी-52, शिवाजी नगर, इन्दौर (कैंसर इलाज हेतु)	रुपये-50,000/- (पचास हजार)
(8)	एचसीएम-2830/05 दिनांक 19.12.2005 <b>आर-778</b>	श्री पदमाकर राव पिता माधवराव शेलके,निवासी-ढाबारोड, उज्जैन. (सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के परिजन (विधवा) को आर्थिक सहायता हेतु)	रुपये-20,000/- (बीस हजार)
		<b>कुल राशि-</b>	<b>रुपयें-2,20,500/-</b>

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये-2,20,500/- (रुपयें दो लाख बीस हजार पांच सौ) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।



4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन- शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.आर.एस.मरावी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-184 / 2005 / एक(1) भोपाल, दिनांक 04 जनवरी, 2006.

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-सीहोर / रायसेन / विदिशा / ग्वालियर / रीवा / सागर / इन्दौर / उज्जैन (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति / संस्था को सूचित करें तथा भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति / संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र / प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे, मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें। निर्देशानुसार लेख है कि आर्थिक सहायता वाले प्रकरण में गरीब होने पर ही राशि वितरित की जावे ।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

 30122005.

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

**Order-91**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-185/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 05 जनवरी, 2006.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि **रुपयें-45,000/-** (रुपयें-पैंतालीस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स.क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	1957/एससीएम/05 दिनांक 16.12.2005 आर-782	कलेक्टर, जिला-सागर, मध्यप्रदेश. (सागर जिले में राजघाट जलाशय योजना (बॉध निर्माण) में कई कृषकों की भूमि डूब में आने के कारण ग्रामवासियों एवं अतिक्रमणकारियों के बीच हुए झगड़े में निम्नानुसार अंकित मृतकों के परिजनों एवं घायलों को आर्थिक सहायता स्वीकृत करने के संबंध में) 1. श्रीमती पुरखाबाई पति स्व. श्री गणेश सिंह निवासी ग्राम मूडरा तहसील बण्डा, जिला-सागर (पति की मृत्यु पर आर्थिक सहायता) 2. श्री थानसिंह पिता श्री पदमसिंह, निवासी ग्राम मूडरा, तहसील-बण्डा, जिला-सागर. (पुत्र की मृत्यु पर आर्थिक सहायता)	रुपये-20,000/- (बीस हजार)  रुपये-20,000/- (बीस हजार)

		3. श्री नारायण सिंह पिता कुन्दन सिंह, निवासी गुरुगोविन्द सिंह वार्ड जिला-सागर. (घायल के इलाज हेतु)	रूपये-5,000/- (पांच हजार)
		<b>कुल राशि-</b>	<b>रूपये-45,000/-</b>

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये-45,000/- (रूपये पैतालीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखें।
4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.आर.एस.मरावी)

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-185/2005/एक(1)

भोपाल, दिनांक 05 जनवरी, 2006.

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. **कलेक्टर, जिला-सागर (मध्यप्रदेश)** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों को सूचित करें तथा भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे, मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टाक फाइल.

 512006.

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

**Order-92**

मध्यप्रदेश शासन

**सामान्य प्रशासन विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन**  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-2/2006/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी, 2006.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपयें-32,000/- (रूपयें-बत्तीस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम-0007/06 दिनांक 03.01.2006 <b>आर-784</b>	श्रीमती सुनीता पत्नी श्री प्रभुलाल निवासी-93, नीलकंठ कालोनी, इन्दौर (स्वयं के इलाज हेतु)	रूपयें-2,000/- (दो हजार)
2	एचसीएम-0012/06 दिनांक 03.01.2006 <b>आर-787</b>	श्री धनीराम पिता डोरीलाल साहू, निवासी-शंकराचार्य वार्ड, कंदेली, जिला-नरसिंहपुर (पुत्र के हृदय के इलाज हेतु)	रूपयें-5,000/- (पांच हजार)
3	एचसीएम-0017/06 दिनांक 03.01.2006 <b>आर-788</b>	श्री संतोष कुमार चौधरी पिता बद्रीलाल चौधरी, रेल्वे पानी की टंकी के नीचे, मोहल्ला-रामपुर, जबलपुर (आंखों के इलाज हेतु)	रूपयें-10,000/- (दस हजार)
4	एचसीएम-0009/06 दिनांक 03.01.2006 <b>आर-789</b>	श्री मो0 इसाक पिता श्री मो. इस्माईल, निवासी-21, कटकटपुरा, इन्दौर (पत्नी के किडनी रोग इलाज हेतु)	रूपयें-5,000/- (पांच हजार)
5	एचसीएम-0010/06 दिनांक 03.01.2006 <b>आर-790</b>	श्रीमती सुशीला पंवार पत्नी श्री इन्दरसिंह पंवार निवासी-664, बजरंग नगर, इन्दौर (पुत्र के किडनी रोग के इलाज हेतु)	रूपयें-10,000/- (दस हजार)
		<b>कुल राशि-</b>	<b>रूपयें-32,000/-</b>

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपयें-32,000/- (रूपयें-बत्तीस हजार) मात्रकी राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन- शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.आर.एस.मरावी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-2/2006/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी, 2006.

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, इन्दौर/नरसिंहपुर/जबलपुर, (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें तथा भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे, मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

🔔🔔🔔30122005.

**Order-93**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन

—: आदेश —:

क्रमांक एफ ए 7-5/2006/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी, 2006.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:— माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान –वित्तीय वर्ष 2005–2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपयें-66,000/- (रूपयें-छयासठ हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:—

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम-0001/06 दिनांक 02.01.2006 793	श्री महेन्द्र सिंह आत्मज श्री कल्याण सिंह, ग्राम जैत, तहसील बुधनी, जिला-सीहोर (इलाज हेतु)	रूपयें-25,000/- (पच्चीस हजार)
2	जावक क 41/मुमनि /06 दिनांक 03.01.2006 794	श्रीमती कलावती मेहर पत्नि स्व. श्री भंवरलाल मेहर, आमनगर बावडिया कलौ, जिला-भोपाल. (इलाज हेतु)	रूपयें-15,000/- (पन्द्रह हजार)
3	जावक क 42/मुमनि /06 दिनांक 03.01.2006 795	दृष्टिहीन छात्र श्री गोविन्द्र प्रसाद उरमलिया, गोखले छात्रावास पुलिस हेड क्वार्टस के पीछे, जहाँगीराबाद, भोपाल.(इलाज हेतु)	रूपयें-5,000/- (पाँच हजार)
4	जावक क 43/मुमनि /06 दिनांक 03.01.2006 796	कुमारी रिकी चौहान पुत्री श्री कृष्णपाल सिंह चौहान, ग्राम मसूदपुर पिपरिया, तहसील गंजबासौदा, जिला-विदिशा (स्वयं की शादी हेतु)	रूपयें-2,000/- (दो हजार)
5	जावक क 44/मुमनि /06 दिनांक 03.01.2006 797	श्री नथनसिंह निवासी इमलिया वार्ड क्रमांक-3, जिला-विदिशा (पुत्र के इलाज हेतु)	रूपयें-4,000/- (चार हजार)
6	जावक क 45/मुमनि /06 दिनांक 03.01.2006 798	श्री फतेल सिंह यादव, एगो कालोनी, इन्द्रपुरी जिला-भोपाल. (दोनों पैरा से विकलांग के जीवन यापन हेतु)	रूपयें-5,000/- (पाँच हजार)
7	एचसीएम-0006/06 दिनांक 03.01.2006 799	श्री ओमकार सिंह, पिता गनपत सिंह, गाजीखेड़ी (सिलगेना) बाड़ी, जिला-रायसेन (स्वयं के उपचार के लिए)	रूपयें-10,000/- (दस हजार)

	कुल राशि-	रूपये-66,000/-
--	-----------	----------------

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल रूपयें-66,000/- (रूपयें-छयासठ हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।
4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन- शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.आर.एस.मरावी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-5/2006/एक(1)

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी, 2006.

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, सीहोर/भोपाल/विदिशा/रायसेन (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें तथा भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे, मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें। निर्देशानुसार यह भी निवेदन है कि आदेश के स.क्र. (4) के संबंध में अनुदानग्रहिता के व्यस्क होने की पुष्टि उपरांत ही राशि वितरित करें। इस संबंध में विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ ए

7-54 / 2005 / एक(1)दिनांक 23.12.2005 के द्वारा भी समस्त कलेक्टर को पृथक से निर्देश जारी किये गए है।

5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टाक फाइल.

🔔🔔🔔30122005.

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

**Order-94**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-6 / 2006 / एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी, 2006.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.



श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपयें-3,93,000 /-(रूपयें-तीन लाख तिरान्नवें हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक / दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम / पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
800	जावक क्र 91 / मुमनि / 06 दिनांक 05.01.2006	श्री दीपक रैकवार स्व. श्री तुलसीराम शेरपुरा, विदिशा (स्वयं के उपचार के लिए)	रूपयें-65,000 /- (पैसठ हजार)
809	एचसीएम-0021 / 06 दिनांक 09.01.2006	श्रीमती आरती श्रीवास्तव पत्नि श्री शरदश्रीवास्तव, निवासी-लोहांगी टंकी के पास, विदिशा (स्वयं के इलाज हेतु)	रूपयें-15,000 /- (पन्द्रह हजार)
810	एचसीएम-0022 / 06 दिनांक 09.01.2006	1. श्री दामोदर पिता देवीराम ग्राम सरदारनगर, तहसील-बुदनी, जिला-सीहोर (स्वयं की बीमारी के इलाज हेतु)	रूपयें-5,000 /- (पांच हजार)
	एचसीएम-0023 / 06 दिनांक 09.01.2006	2. श्री उमराव आ. सुखराम ग्राम पचामा तहसील व जिला- सीहोर (गरीब होने से आर्थिक सहायता)	रूपयें-5,000 /- (पांच हजार)
	एचसीएम-0024 / 06 दिनांक 09.01.2006	3. श्रीमती गीताबाई पत्नि श्रीशीतलप्रसाद, राजेन्द्र नगर, गली नं.5, गंजबासौदा, जिला-विदिशा. (उपचार हेतु आर्थिक सहायता)	रूपयें-30,000 /- (तीस हजार)
811	एचसीएम-0025 / 06 दिनांक 10.01.2006	श्री गजराज सिंह पिता श्री पहाड़सिंह राजपूत, ग्राम रिठवाड़, तहसील-नसरुल्लागंज, जिला-सीहोर (स्वयं के उपचार हेतु)	रूपयें-05,000 /- (पांच हजार)
812	एचसीएम-0027 / 06 दिनांक 10.01.2006	यूनिक अस्पताल, दशहरा मैदान, इन्दौर (श्रीमती वसुबाई राणा पत्नी श्री बरजोर सिंह राणा को फेफड़े के उपचार हेतु)	रूपयें-75,000 /- (पचहत्तर हजार)
813	जावकक्र202 / मुमनि / 06 दिनांक 11.01.2006	श्री ब्रज मोहन पटवा आत्मज स्व. श्री विष्णू प्रसाद पटवा, निवासी वार्ड नं. 13, नगर पंचायत रेहटी, तहसील- बुधनी, जिला- सीहोर (स्वयं के इलाज हेतु)	रूपयें-10,000 /- (दस हजार)
814	जावकक्र 201 / मुमनि / 06 दिनांक 11.01.2006	श्रीमती सरिता बाई पत्नि श्री सुमरनसिंह राजपूत ग्राम हिग्नांसिर, तहसील-बुधनी, जिला- सीहोर (स्वयं के इलाज हेतु)	रूपयें-5,000 /- (पांच हजार)
815	जावकक्र 199 / मुमनि / 06 दिनांक 11.01.2006	श्री रुद्र प्रसाद पाण्डे, निवासी-ई2 / 80अरेरा कालोनी, भोपाल (माताजी श्रीमती श्यामकला पाण्डे को कैंसर के उपचार हेतु)	रूपयें-10,000 /- (दस हजार)
816	जावकक्र 198 / मुमनि / 06 दिनांक 11.01.2006	श्रीमती रामेती बाई पत्नी श्री नवलसिंह निवासी ग्राम बकतरा तहसील-बुदनी,	रूपयें-5,000 /- (पांच हजार)

		जिला-सीहोर (स्वयं के इलाज हेतु)	
817	जावकक 200 / मुमंनि / 06 दिनांक 11.01.2006	श्री बृजेश कुमार आत्मज श्री छीतर गोली निवासी ग्राम नयापुरा तहसील नसरुल्लागंज, जिला- सीहोर(स्वयं के इलाज हेतु आर्थिक सहायता)	रुपये-15,000 / - (पन्द्रह हजार)
818	जावक क 239 / मुमंनि / 06 दिनांक 13.01.2006	श्री सुरेश कुमार अहिरवार, निवासी-ग्राम कोटगॉव, पो. मानागॉव, तह-बावई, जिला-होशंगाबाद (पिता के निधन होने पर आर्थिक सहायता)	रुपये-10,000 / - (दस हजार)
819	जावकक 242 / मुमंनि / 06 दिनांक 13.01.2006	श्रीमती संतोषी बाई पत्नी स्व. श्री मानसिंह कोरकू निवासी-ग्राम बोर खेड़ाकला ,तहसील- नसरुल्लागंज,जिला- सीहोर(भरण पोषण हेतु आर्थिक सहायता)	रुपये-5,000 / - (पांच हजार)
820	जावकक 241 / मुमंनि / 06 दिनांक 13.01.2006	श्री भगवत सिंह आ. श्री केदार सिंह निवासी- रतनपुरा तहसील नसरुल्लागंज, जिला-सीहोर (भरण पोषण हेतु आर्थिक सहायता)	रुपये-3,000 / - (तीन हजार)
821	जावक क 240 / मुमंनि / 06 दिनांक 13.01.2006	श्री राजू आत्मज श्री रविशंकर जोशी, निवासी भाईलाल कालोनी वार्ड क. -4नसरुल्लागंज जिला-सीहोर (स्वयं के इलाज हेतु)	रुपये-5,000 / - (पांच हजार)
824	एचसीएम-0026 / 06 दिनांक 10.01.2006	टाटा मेमोरियल अस्पताल, डॉ. ई बोर्जेस मार्ग, परेल, मुम्बई (श्री प्रवीण शर्मा पिता श्री सुरेश शर्मा, ग्राम जलका नगरा, पोस्टथरा,तहसील अंबाह, जिला-मुरैना (मध्यप्रदेश) (ब्लड कैंसर के उपचार हेतु)	रुपये-75,000 / - (पचहत्तर हजार)
825	जावक क 238 / मुमंनि / 06 दिनांक 13.01.2006	श्री साबिर अली पुत्र श्री याकुब अली, मकान नं-176, वार्ड नमबर-14, बैरसिया रोड, भोपाल (पुत्री के इलाज हेतु)	रुपये-5,000 / - (पांच हजार)
826	जावक क 235 / मुमंनि / 06 दिनांक 13.01.2006	श्रीमती अनीता सोनी वार्ड 17, ग्राम घंसोर, जिला-सिवनी (कैंसर बीमार के इलाज हेतु)	रुपये-40,000 / - (चालीस हजार)
827	जावक क 237 / मुमंनि / 06 दिनांक 13.01.2006	श्री राशिद पुत्र श्री ताबिर अली, मकान नं. 176 वार्ड क.14, गली नं.2, कॉंग्रेस नगर, बैरसिया रोड, भोपाल. (मिर्गी के इलाज हेतु)	रुपये-5,000 / - (पांच हजार)
		<b>कुल राशि-</b>	<b>रुपये-3,93,000 / -</b>

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल **रुपये-3,93,000 / -**(रुपये-तीन लाख तिरान्नवें हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.आर.एस.मरावी)

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-6/2006/एक(1)

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी, 2006.

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. **कलेक्टर, जिला-सीहोर/ विदिशा/ इन्दौर/ भोपाल/ होशंगाबाद/ सिवनी (मध्यप्रदेश)** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/ संस्था को सूचित करें तथा भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि **इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति / संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।** साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर **सीधे, मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल** को भिजवाने का कष्ट करें।
5. **कलेक्टर, जिला-परेल (मुम्बई), महाराष्ट्र** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/ संस्था को सूचित करें तथा भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें। निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर **सीधे, मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल** को भिजवाने का कष्ट करें।
6. युनिक अस्पताल, दशहरा मैदान, इन्दौर, जिला-इन्दौर. मध्यप्रदेश.
7. टाटा मेमोरियल अस्पताल, डॉ. ई बोर्जेस मार्ग, परेल, मुम्बई (महाराष्ट्र)
8. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
9. संबंधित.
10. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

**Order-95**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-3/2006/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी, 2006.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-80,000 /-(रूपये-अस्सी हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक / दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम / पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम-0015 / 06 दिनांक 03.01.2006 आर-785	श्री रमेश अहिरवार, निवासी एस-1 झुग्गी, नारायण नगर, हबीबगंज, भोपाल (स्वयं के इलाज हेतु)	रूपये-10,000 /- (दस हजार)
2	एचसीएम-0008 / 06 दिनांक 03.01.2006 आर-786	श्री छोटे लाल मिश्रा, निवासी-581 / 7, नंदा नगर, इन्दौर (पुत्री के इलाज हेतु)	रूपये-10,000 /- (दस हजार)
3	एचसीएम-0016 / 06 दिनांक 03.01.2006 आर-791	संचालक, जवाहरलाल नेहरू कैंसर हास्पिटल, एन्ड रिसर्च सेंटर, ईदगाह हिल्स, भोपाल (श्रीमती रत्नमाला पत्नी श्री भाउदास, निवासी 145, राहुल नगर, वार्ड नं. 31, जिला-भोपाल के कैंसर इलाज हेतु)	रूपये-50,000 /- (पचास हजार)
4	एचसीएम-0013 / 06 दिनांक 03.01.2006 792	श्री राम चौरे, निवासी बहेगोव, लालबर्जा जिला-बालाघाट (पुत्र की आँखों के इलाज हेतु)	रूपये-10,000 /- (दस हजार)
		कुल राशि-	रूपये-80,000 /-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल **रूपयें-80,000/-** (रूपये अस्सी हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।
4. यह व्यय वित्तीय वर्ष **2005-2006** के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.आर.एस.मरावी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-3/2006/एक(1)

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी, 2006.

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. **कलेक्टर, भोपाल/इन्दौर/बालाघाट, (मध्यप्रदेश)** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें तथा भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे, मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

 30122005.

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-9/2006/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक जनवरी, 2006.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-1,85,000/- (रूपये-एक लाख पच्चासी हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स.क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम-0028/06 दिनांक 10.01.2006 830	श्री बैजनाथ प्रसाद प्रजापति अम्बेडकर वार्ड, धर्मा श्री सागर (स्वयं के लकवा के इलाज हेतु)	रूपये-5,000/- (पांच हजार)
2	एचसीएम-0031/06 दिनांक 13.01.2006 831	कुमारी वर्षा आत्मजा श्री मोहन सिंह ग्राम शाहगंज तहसील बुदनी जिला सीहोर (किडनी के उपचार हेतु)	रूपये-15,000/- (पन्द्रह हजार)
3	एचसीएम-0032/06 दिनांक 13.01.2006 832	श्री राजेश कुमार तिवारी आत्मज श्री गोपीकृष्ण, सुभाष वार्ड हरदा (किडनी के उपचार हेतु)	रूपये-75,000/-
4	25/सीएमएस/06 दिनांक 18.01.2006 833	<b>कलेक्टर, जिला-बड़वानी (मध्यप्रदेश)</b> (जिला बड़वानी के ग्राम मटली तहसील राजपुर में शराब पीने से हुई मृत्यु-पर निम्नानुसार अंकित मतकों के परिजनों को स्वेच्छानुदान मद से प्रति व्यक्ति रूपये दस-दस हजार की राशि स्वीकृत करने बाबत- 1. श्री पठान पिता शंकर निवासी मटली 2. खुमली निवासी पाडला, तहसील सेंधवा 3. खूमसिंह पिता हेदरिया निवासी भीलगांव 4. रायसिंह पिता मंजी निवासी मटली 5. खूमसिंह पिता डूबडिया, निवासी मटली 6. सरदार पिता मन्या, निवासी मटली 7. सायला पिता गोपाल, निवासी- निहाली 8. कुलीबाई पत्नि साराल सिंह उम्र 22 वर्ष निवासी- मटली 9. कल्लू पिता नाथू, उम्र 60 वर्ष निवासी झोपाली	रूपये-90,000/- (नब्बे हजार)
		<b>कुल राशि-</b>	<b>रूपये-1,85,000/-</b>

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल **रूपये-1,85,000/-** (रूपये-एक लाख पच्चासी हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष **2005-2006** के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.आर.एस.मरावी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-9/2006/एक(1)

भोपाल, दिनांक जनवरी, 2006.

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. **कलेक्टर, सागर/सीहोर/हरदा/बड़वानी, (मध्यप्रदेश)** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें तथा भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक से अधिक योजनाओं में व इस योजना में इसी उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे, मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

 2812006.

**Order-97**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन

:- आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-4/2006/एक(1)

भोपाल, दिनांक 02 फरवरी, 2006.

प्रति,

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान - वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-2,30,000/- (रूपये-दो लाख तीस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	06/एचसीएम/05-06, दि.1.12.2005 आर-802	श्री लक्ष्मण सिंह वेन, निवासी सरा पीपल, नई बसती रौंझी, जबलपुर (पुत्र हर्षकुमार के उपचार हेतु)	रूपये-40,000/- (चालीस हजार)
2	08/एचसीएम/05-06, दि.1.12.2005 आर-803	श्री अजय तिवारी निवासी ग्राम कुँआ केलारी, तहसील-परही जिला-कटनी उपचार हेतु)	रूपये-40,000/- (चालीस हजार)
3	220/05 दिनांक 20.12.2005 आर-804	श्रीमती गीताबाई पत्नी श्री प्रहलाद सिंह मीणा निवासी भारकच्छ तह.बरेली, जिला-रायसेन. (कैंसर उपचार हेतु)	रूपये-50,000/- (पचास हजार)
4	236/एचसीएम/05-06, दि 21.12.2005 आर-805	श्रीमती बानो कोरी पत्नी श्री रामदास कोरी, निवासी पूर्वी रेल्व कालोनी, खोली नं.19/ए स्टेशन के पास, बीना, जिला-सागर (कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये-50,000/- (पचास हजार)
5	155/एचसीएम/05-06, दि 16.12.2005 आर-807	श्रीमती राजकुमारी पत्नी श्री राजेश रघुवंशी, ग्राम बरखेड़ा गौड़ तहसील अशोकनगर (उपचारार्थ)	रूपये-50,000/- (पचास हजार)
		कुल राशि-	रूपये-2,30,000/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल रूपये-2,30,000/- (रूपये-दो लाख तीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन- शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.आर.एस.मरावी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-4/2006/एक(1)

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी, 2006.



**प्रतिलिपि:-**

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. **कलेक्टर, जबलपुर / कटनी / रायसेन / सागर / सीहोर / भोपाल / अशोक नगर, (मध्यप्रदेश)** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें तथा भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे, मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,

 2412006.

सामान्य प्रशासन विभाग

**Order-98**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-11 / 2006 / एक(1) भोपाल, दिनांक 01 फरवरी, 2006.  
प्रति,

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान - वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-2,45,000 / - (रूपये-दो लाख पैतालीस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक / दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम / पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
834	443 / मुमनि / 06	श्रीमती विमला राजपूत, पाठशाला गंज	रूपये-75,000 / -

	दिनांक 23.01.2006	बासोदा, तारण तरण जैन पाठशाला, गंज बासोदा, जिला-विदिशा (पति के ब्रेन ट्यूमर कैंसर के आपरेशन हेतु)	(पचहत्तर)
835	एचसीएम-0034 / 06 दिनांक 23.01.2006	1.श्रीमती संतोष जैन, ई-230, न्यु संतोष नगर, भोपाल (इलाज हेतु)	रुपये-25,000 / - (पच्चीस हजार)
	एचसीएम-0035 / 06 दिनांक 23.01.2006	2.श्रीमती निर्मल धुर्वे, 44 / 25, साउथ टी.टी.नगर, भोपाल (इलाज हेतु)	रुपये-10,000 / - (दस हजार)
836	448 / मुमनि / 06 दिनांक 23.01.2006	श्री शेरसिंह आत्मज श्री श्यामलाल निवासी ग्राम पंचायत सियागहन तहसील बुधनी, जिला-सीहोर (इलाज हेतु)	रुपये-5,000 / - (पन्द्रह हजार)
837	एचसीएम-0039 / 06 दिनांक 28.01.2006	श्रीमती नेहा वर्मा पत्नि श्री दिनेश वर्मा, निवासी- भायदे कॉलोनी ग्राम बोनिया करबल जिला-छिन्दवाड़ा (स्वयं के इलाज हेतु)	रुपये-50,000 / - (पचास हजार)
838	एचसीएम-0044 / 06 दिनांक 28.01.2006	श्री जयप्रकाश निवासी रेहटी, जिला-सीहोर (पुत्र के इलाज हेतु)	रुपये-20,000 / - (बीस हजार)
839	एचसीएम-0041 / 06 दिनांक 28.01.2006	श्री अमीयलहक पिता श्री मुसीरूलहक निवासी-ग्राम बगदरा, पो अमेड़ा, तहसील जिला-बालाघाट (कैंसर के इलाज हेतु)	रुपये-10,000 / - (दस हजार)
840	एचसीएम-0045 / 06 दिनांक 28.01.2006	श्री जसवंत सिंह पिता बल्लू सिंह ग्राम सियागहन, तहसील बुदनी, जिला-सीहोर (उपचार हेतु)	रुपये-10,000 / - (दस हजार)
841	एचसीएम-0043 / 06 दिनांक 28.01.2006 समय-सीमा प्रकरण एक सप्ताह	श्रीमती पुष्पा बाई पत्नी स्व. श्री रणवीर सिंह किरार, निवासी ग्राम खबादा, तहसील बुदनी जिला-सीहोर (पति की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता)	रुपये-25,000 / - (पच्चीस हजार)
842	एचसीएम-0042 / 06 दिनांक 28.01.2006	श्री विष्णु वल्लभ शर्मा पिता श्री हरिवल्लभ शर्मा, आनंदपुर तह. लटेरी, जिला-विदिशा(इलाज हेतु)	रुपये-10,000 / - (दस हजार)
843	एचसीएम-0040 / 06 दिनांक 28.01.2006	श्री राधेश्याम साहू पिता श्री देवीलाल साहू, मकान नं 61 न्यु कालोनी, जिंसी चौराहा, जहाँगीराबाद, भोपाल (उपचार हेतु)	रुपये-5,000 / - (पांच हजार)
		<b>कुल राशि-</b>	<b>रुपये-2,45,000 / -</b>

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल **रुपये-2,45,000 / - (रुपये-दो लाख पैंतालीस हजार) मात्र** की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष **2005-2006** के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन- शीर्ष-2013- मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.आर.एस.मरावी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

.....3

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-16/2006/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 01 फरवरी, 2006.

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. **कलेक्टर, जिला, विदिशा/भोपाल/सीहोर/छिन्दवाड़ा/बालाघाट, (मध्यप्रदेश)** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें तथा भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे, मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टोक फाइल.

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

 2412006.

**Order-99**

**मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन**

-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-16/2006/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 03 फरवरी, 2006.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

**विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.**

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-3,45,000 / -(रूपये-तीन लाख पैतालीस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक / दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम / पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम-53 / 2006 दिनांक 30.01.2006 आर-852	श्री भूरूलाल दगले पुत्र लालूराम दगले, निवासी- बाजार, बखतरा, तहसील बुधनीजिला-सीहोर (हृदय रोग के इलाज हेतु)	रूपये-10,000 / - (दस हजार)
2	एचसीएम-52 / 2006 दिनांक 30.01.2006 आर-853	श्री बाबूलाल दुबे, धरमशाला के पीछे, बखतरा, तहसील बुधनी जिला-सीहोर(विकलांग को जीवन-यापन हेतु)	रूपये-5,000 / - (पांच हजार)
3	एचसीएम-51 / 2006 दिनांक 30.01.2006 आर-854	श्री तुलसीराम विश्वकर्मा, निवासी-ग्राम मछवाई विकास खण्ड बुधनीजिला-सीहोर (इलाज हेतु)	रूपये-5,000 / - (पांच हजार)
4	एचसीएम-46 / 2006 दिनांक 30.01.2006 आर-855	श्री हरिसिंह आ. श्री हल्कूराम, निवासी ग्राम-खितवाई, तह-बुधनी, जिला-सीहोर (गरीब होने पर आर्थिक सहायता हेतु)	रूपये-15,000 / - (पन्द्रह हजार)
5	एचसीएम-47 / 2006 दिनांक 30.01.2006 आर-856	1. श्री संजीव कुमार त्रिपाठी, पिता श्री सी. बी.त्रिपाठी, नेहरूनगर समान, जिला-रीवा (स्वयं के उपचार हेतु)	रूपये-5,000 / - (पांच हजार)
6	एचसीएम-48 / 2006 दिनांक 30.01.2006 आर-856	2. श्री चन्द्र भूषण त्रिपाठी पिता स्व. श्री गणेश प्रसाद, ग्राम-दुबगवाँ, पो-जमुई जिला-रीवा (स्वयं के उपचार हेतु)	रूपये-5,000 / - (पांच हजार)
7	एचसीएम-49 / 2006 दिनांक 30.01.2006	3. श्री ओ.पी.शर्मा पिता श्री आर.बी. शर्मा,912,एन-2, हबीबगंज, जिला-भोपाल	रूपये-5,000 / - (पांच हजार)

	<b>आर-856</b>	(स्वयं के उपचार हेतु)	
<b>8</b>	एचसीएम-50/2006 दिनांक 30.01.2006 <b>आर-856</b>	4. श्री वरुण शर्मा पिता श्री हरिशरण शर्मा, कृपाल चौक, गुप्तेश्वर, जिला- जबलपुर(स्वयं के उपचार)	रूपये-5,000/- (पांच हजार)
<b>9</b>	788/मुमनि/2006 दिनांक 31.01.2006 <b>आर-857</b>	श्रीमती गुलशों बाई पत्नी स्व. श्री राम सिंह, निवासी ग्राम जैत, तह-बुदनी, जिला-सीहोर (आर्थिक सहायता हेतु)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
<b>10</b>	787/मुमनि/2006 दिनांक 31.01.2006 <b>आर-858</b>	श्री राजाराम आ. स्व. श्री खुशीलाल निवासी ग्राम जैत, तह-बुदनी, जिला-सीहोर (आर्थिक सहायता हेतु)	रूपये-5,000/- (पांच हजार)
<b>11</b>	786/मुमनि/2006 दिनांक 31.01.2006 <b>आर-859</b>	श्री धर्मेन्द्र सिंह चौहान, आ. श्री उमेद सिंह चौहान, निवासी ग्राम जैत, पो. सरदारनगर, जिला-सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये-15,000/- (पन्द्रह हजार)
<b>12</b>	781/मुमनि/2006 दिनांक 31.01.2006 <b>आर-860</b>	श्री विनय अग्रवाल, वरिष्ठ पत्रकार, दैनिक अमर उजाला, महासचिव, मध्यप्रदेश श्रम जीवी पत्रकार संघ, डफरनल सराय गेट, पडाव, जिला-ग्वालियर (पुत्री के इलाज हेतु)	रूपये-75,000/- (पचहत्तर हजार)
<b>13</b>	785/मुमनि/2006 दिनांक 31.01.2006 <b>आर-861</b>	श्री कोमल सिंह आ. अजुद्धि किरार, निवासी-ग्राम-उंटिया कला, तह-बरेली जिला-रायसेन, (अलसर इलाज हेतु)	रूपये-20,000/- (बीस हजार)
<b>14</b>	783/मुमनि/2006 दिनांक 31.01.2006 <b>आर-862</b>	श्री भागीरथ गणपत निवासी खारूआ कला तहसील आलोट, जिला-रतलाम, (हृदय की बायपास सर्जरी हेतु)	रूपये-30,000/- (तीस हजार)
<b>15</b>	782/मुमनि/2006 दिनांक 31.01.2006 <b>आर-863</b>	श्रीमती रेणू एस जैन, निवासी 239, गुमाश्ता नगर, इन्दौर (उपचार हेतु)	रूपये-75,000/- (पचहत्तर हजार)
<b>16</b>	784/मुमनि/2006 दिनांक 31.01.2006 <b>आर-864</b>	श्रीमती सरिता पाण्डे पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, निवासी एच-83/64, लाइन भदभदा रोड, भोपाल (पुत्री के उपचार हेतु)	रूपये-60,000/- (साठ हजार)
		<b>कुल राशि-</b>	<b>रूपये-3,45,000/-</b>

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल रूपये-3,45,000/- (रूपये-तीन लाख पैतालीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन- शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.आर.एस.मरावी)  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग  
भोपाल, दिनांक 03 फरवरी, 2006.

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-16/2006/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला, सीहोर/रीवा/भोपाल/जबलपुर/ग्वालियर/रायसेन/रतलाम, /इन्दौर (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें तथा भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे, मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

 03022006.

**Order-100**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-17/2006/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी, 2006.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान - वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-1,61,000/- (रूपये-एक लाख इकसठ हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक / दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम / पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम/69/06, दि. 01.02.2006 आर-866	श्री संजय मो0 बिरखरे, नि0 मिलपारा, तह0 सौंसर, जिला-छिंदवाड़ा (पुत्र के ओपन हार्ट सर्जरी हेतु)	रुपये-15,000/- (पन्द्रह हजार)
2	एचसीएम/65/06, दि. 01.02.2006 आर-867	श्रीमती विमलाबाई कौरव पत्नि श्री सुजान सिंह कौरव, नि0 थलवाड़ा, तह0 गाडरवारा, जिला-नरसिंहपुर (कैंसर के इलाज हेतु)	रुपये-20,000/- (बीस हजार)
3	एचसीएम/63/06, दि. 01.02.2006 आर-868	श्री ओमप्रकाश खटीक, विधायक, कोलारस, जिला शिवपुरी (आंख के ऑपरेशन हेतु)	रुपये-26,000/- (छब्बीस हजार)
4	एचसीएम/67/06, दि. 01.02.2006 आर-869	श्री रामचरण सोनिया पिता श्री मदनलाल, नि0 625, वार्ड क्र0 53, बाग सेवनिया, भोपाल (कैंसर के उपचार हेतु)	रुपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
5	एचसीएम/70/06, दि. 01.02.2006 आर-870	श्री उमाशंकर गौतम, नि0 ग्राम मसूरपानी, पो0 पिनोरा, जिला उमरिया (उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु)	रुपये-20,000/- (बीस हजार)
6.	एचसीएम/64/06, दि. 01.02.2006 आर-871	श्रीमती छत्ती बाई उम्र 22 वर्ष, नि0 डबरा, जिला ग्वालियर (डाकुओं को मार भगाने के फलस्वरूप शौर्य पुरस्कार)	रुपये-10,000/- (दस हजार)
7.	एचसीएम/64/06, दि. 01.02.2006 आर-872	श्रीमती मीना बाई उम्र 20 वर्ष, नि0 डबरा, जिला ग्वालियर (डाकुओं को मार भगाने के फलस्वरूप शौर्य पुरस्कार)	रुपये-10,000/- (दस हजार)
8.	780/मुमनि/06 दि. 31.01.2006 आर-873	श्रीमती देवकुमारी श्रीवास्तव, म.नं0 24, देवकी नगर, करोंद, भोपाल (स्वयं के इलाज हेतु)	रुपये-10,000/- (दस हजार)
9.	779/मुमनि/06 दि. 31.01.2006 आर-874	श्रीमती सावित्री बाई पत्नी स्व0 श्री मंगल सिंह, नि0 सिलगेना, तह0 बरेली, जिला रायसेन (कैंसर के इलाज हेतु)	रुपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
		<b>कुल राशि-</b>	<b>रुपये-1,61,000/-</b>

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल **रुपये-1,61,000/-**(रुपये-एक लाख इकसठ हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष **2005-2006** के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन- शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(आर.आर.एस.मरावी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी, 2006.

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-17/2006/एक(1)

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.

4. कलेक्टर, जिला-छिन्दवाड़ा/नरसिंहपुर/शिवपुरी/भोपाल/उमरिया/ग्वालियर/ रायसेन, (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें तथा भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ति रसीद आदि प्राप्त कर सीधे, मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

 03022006.



**Order-101**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-18/2006/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 07 फरवरी, 2006.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-1,41,000/- (रूपये-एक लाख इकतालीस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम/60/06, दि. 01.02.2006 आर-875	पूर्व राज्य मंत्री मोहम्मद गनी अंसारी पुत्र स्व. शेख बफाती, निवासी चंदला तह0 लोड़ी जिला छतरपुर (आंख के उपचार हेतु)	रूपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
2	एचसीएम/59/06, दि. 01.02.2006 आर-876	श्री करण सिंह मोर्य द्वारा श्री नरेन्द्र सिंह बघेल, 42, अवंतिका नगर, स्कीम नं. 51, इंदौर (भाई रणजीत सिंह मोर्य के उपचार हेतु)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
3	एचसीएम/61/06, दि. 01.02.2006 आर-877	श्रीमती रामवती पति श्री मुन्ना लाल मिश्रा निवासी सिरमौर जिला रीवा (हृदय रोग के इलाज हेतु)	रूपये-25,000/- (पच्चीस हजार)

4	एचसीएम/71/06, दि. 01.02.2006 आर-878	श्री मुन्ना सिंह पुत्र हल्कू सिंह ग्राम खितवाई तह0 बुधनी जिला सीहोर (इलाज हेतु)	रूपये-3,000/- (तीन हजार)
5	एचसीएम/72/06, दि. 01.02.2006 आर-879	श्री महेश स्वरूप चेला श्री रामस्वरूप ब्रम्हचारी, ग्राम कोसमी तह0 बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये-3,000/- (तीन हजार)
6	एचसीएम/74/06, दि. 01.02.2006 आर-880	श्री रामआश्रय तिवारी, 102, पुराना कोटा फाटक, नागदा जिला उज्जैन (पत्नी उपचार हेतु)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
7	एचसीएम/62/06, दि. 01.02.2006 आर-881	श्री करोडीमल शिल्पी आत्मज श्री मनीराम शिल्पी नट्टा दादा का मकान, वार्ड क्र. 3 होली मोहल्ला मण्डीदीप तह0 गौहरगंज जिला रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये-5,000/- (पांच हजार)
8	एचसीएम882/58/06, दि. 01.02.2006 आर-882	श्री शैतान बाई रुहाला पति श्री जीतमल निवासी ग्राम महावल तह0 ब्यावरा जिला राजगढ़ (उपचार हेतु)	रूपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
9	एचसीएम/73/06, दि. 01.02.2006 आर-883	श्री नीलेश कुमार चौहान ग्राम खितवाई पो0 आमोन तह0 बुधनी जिला सीहोर (उच्च अध्ययन हेतु)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
10	एचसीएम/84/06, दि. 04.02.2006 आर-884	श्री इन्द्रसेन जैन, सैल्स मेन कॉ. स्टोर, एस.ए.टी.आई विदिशा (पत्नी के उपचार हेतु)	रूपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
		कुल राशि-	रूपये-1,41,000/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल रूपये-1,41,000/-(रूपये-एक लाख इकतालीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन- शीर्ष-2013- मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.आर.एस.मरावी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 07 फरवरी, 2006.

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-18/2006/एक(1)

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.

4. कलेक्टर, जिला- छतरपुर/ इन्दौर/रीवा/ सीहोर/उज्जैन/ रायसेन /राजगढ/विदिशा, (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री,मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें तथा भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे, मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.  
6. संबंधित.  
7. स्टॉक फाइल.

06022006.

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

**Order-102**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय,वल्लभ भवन

—: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-23/2006/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 10 फरवरी, 2006.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्ति को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि **रूपये-25,000/-**(रूपये-पच्चीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स.क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम-111/2006 दिनांक 0602.2006 आर-902	श्रीमती आंचल जुनेजा, निवासी 7-ए ब्रजेश्वरी एनेक्स बंगाली चौराहा, इन्दौर (पुत्र के इलाज हेतु)	रूपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
		कुल राशि-	रूपये-25,000/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल **रूपये-25,000/-**(रूपये-पच्चीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष **2005-2006** के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन- शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.आर.एस.मरावी)

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-25/2006/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 10 फरवरी, 2006.

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-इन्दौर, (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति को सूचित करें तथा भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के

संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे, मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।

5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टाक फाइल.

10022006.

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

**Order-103**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
—: आदेश :—

क्रमांक एफ ए 7-19/2006/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी, 2006.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:— माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान —वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि **रूपये-2,16,000/-** (रूपये-दो लाख सोलह हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:—

स. क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक / दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम / पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम / 78 / 06, दि. 03.02.2006 आर-885	श्री फदालीलालनिवासी- ग्राम समनापुर कला, तहसील-गैरतगंज, जिला-रायसेन (स्वयं के उपचार के लिए)	रुपये-15,000 / - (पन्द्रह हजार)
2	एचसीएम / 80 / 06, दि. 03.02.2006 आर-886	श्रीमती मांगीबाई निवासी-सूरजनगर, जिला-भोपाल (स्वयं के उपचार हेतु)	रुपये-2,000 / - (दो हजार)
3	एचसीएम / 79 / 06, दि. 03.02.2006 आर-887	श्री मिथलेश कुमार शर्मा, मु.पो. गोकुल ग्राम हरदौर, तहसील गैरतगंज, जिला-रायसेन (पत्नि के उपचार हेतु)	रुपये-10,000 / - (दस हजार)
4	एचसीएम / 77 / 06, दि. 03.02.2006 आर-888	श्री चूड़ामणि पौडेल (रामू) पं. दीनदयालउपाध्याय परिसर, ई-2, अरेरा कालोनीभोपाल (पत्नी के उपचार हेतु)	रुपये-20,000 / - (बीस हजार)
5	एचसीएम / 76 / 06, दि. 02.02.2006 आर-889	श्री भगवत सिंह कुशवाहा, आ.श्री हीरालाल कुशवाहा, निवासी नसरुल्लागंज, जिला-सीहोर (स्वयं के इलाज हेतु)	रुपये-10,000 / - (दस हजार)
6	एचसीएम / 75 / 06, दि. 02.02.2006 आर-890	श्री रिपुदमन सिंह पुत्र स्व. श्री थानसिंह बिसेन, द्वारा श्री लोम हर्ष बिसेन, मुकाम-हुडकीटोला पो. बुदबुदा, तह-वारासिवनी, जिला-बालाघाट (कैंसर रोग के उपचारार्थ)	रुपये-50,000 / - (पचास हजार)
7	एचसीएम / 82 / 06, दि. 04.02.2006 आर-891	(जवाहरलाल नेहरू कैंसर चिकित्सालय, भोपाल) श्री नाथ शर्मा, निवासी-बाड़ी, जिला-रायसेन (कैंसर उपचार हेतु)	रुपये-20,000 / - (बीस हजार)
8	एचसीएम / 81 / 2006 दिनांक 04.02.2006 आर-892	श्री संतोष कुमार पुत्र श्री तुलसीराम कुशवाहा, इमलाड़ा (पाडलया) तहसील- नसरुल्लागंज, जिला-सीहोर (उपचार के लिए)	रुपये-40,000 / - (चालीस हजार)
9	एचसीएम / 86 / 06, दि. 04.02.2006 आर-893	श्री रतनलाल किरार निवासी गुन्दरई, तहसील- गैरतगंज जिला-रायसेन (पुत्र के उपचार हेतु)	रुपये-5,000 / - (पांच हजार)
10	एचसीएम / 88 / 06, दि. 04.02.2006 आर-894	श्री नंदलाल शर्मा आ. श्री अनंतनारायण शर्मा, निवासी-ग्रामहालियाखेडी, नसरुल्लागंज जिला- सीहोर (स्वयं के इलाज हेतु)	रुपये-5,000 / - (पांच हजार)
11	एचसीएम / 83 / 06, दि. 04.02.2006 आर-895	श्री लाखनसिंह राजपूत पुत्र श्री बुन्देल सिंह राजपूत, निवासी- राजपूत कालोनी वार्ड नं. 17 विदिशा. (भाई के उपचार हेतु)	रुपये-8,000 / - (आठ हजार)
12	एचसीएम / 85 / 06,	श्री दीपक मगरेनिवासी- पत्रकार भवन के	रुपये-5,000 / -

	दि. 04.02.2006 <b>आर-896</b>	पीछे, मालवीय नगर वार्ड, नं.35(पुत्री कु. रूपाली के पेट के उपचार हेतु)	(पांच हजार)
13	एचसीएम/87/06, दि. 04.02.2006 <b>आर-897</b>	श्री भोपाल सिंह आ. श्री बरेलाल निवासी-ग्राम मनकापुर, तहसील- बरेली,जिला-रायसेन (आर्थिक सहायता हेतु)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
14	974/मुमनि/06, दि. 05.02.2006 <b>आर-898</b>	श्री ओम प्रकाश शर्मा, मुकाम पो. बरौ, जिला-विदिशा (आर्थिक सहायता हेतु)	रूपये-2,000/- (दो हजार)
15	974/मुमनि/06, दि. 05.02.2006 <b>आर-899</b>	श्रीमती लीलाबाई बेवा आदम सिंह धोबी,मुकाम पो. बरौ जिला- विदिशा (आर्थिक सहायता हेतु)	रूपये-2,000/- (दो हजार)
16	<b>977/मुमनि/06</b> <b>दिनांक 05.02.2006</b> <b>आर-903</b>	श्री रामनारायण वर्मा, मु.पो. बरौ, जिला-विदिशा (जीवन-यापन हेतु)	रूपये-2000/- (दो हजार)
17	एचसीएम-0014/06 दिनांक 03.01.2006 <b>आर-829</b>	श्री एस. जार्ज, निवासी- ब्यौहारबाग, जबलपुर (पुत्र के इलाज हेतु)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
		<b>कुल राशि-</b>	<b>रूपये-2,16,000/-</b>

- अतः उपरोक्तानुसार कुल रूपये-2,16,000/-(रूपये-दो लाख सोलह हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।
- यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन- शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.आर.एस.मरावी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-19/2006/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 10 फरवरी, 2006.

- महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर,(मध्यप्रदेश)
- सचिव,माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय,भोपाल.
- कोषालय अधिकारी,वल्लभ भवन कोषालय,भोपाल.
- कलेक्टर,जिला-रायसेन/भोपाल/सीहोर/बालाघाट/विदिशा/जबलपुर/ , (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री,मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें तथा भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे, मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
- जवाहरलाल नेहरू कैंसर चिकित्सालय, भोपाल.
- जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.

7. संबंधित.  
8. स्टाक फाइल.

10022006.

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

वक्तव्य.104

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-168/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी, 2006.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, नियम शिथिल करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों/संस्थाओं को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-4,35,000/- (चार लाख पैंतीस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम-2552 / 2005 दिनांक 17.11.2005 आर-638	कलेक्टर, जिला- भिण्ड, (कोटा एक्सप्रेस एवं ट्रेक्टर- दुर्घटना में मृतकों के परिजन को एक-एक लाख एवं एक घायल को पचास हजार की आर्थिक सहायता)	रूपये-2,50,000 / - (दो लाख पचास हजार)
2	एचसीएम-2338 / 2005 दिनांक 05.11.2005 आर-639	श्री अरविन्द वर्मा, निवासी-ताराना, जिला-उज्जैन (दुकान में आग से हुई क्षति से सहायता)	रूपये-5000 / - (पांच हजार)
3	एचसीएम-2045 /	श्री विजय कुमार एवं राकेश	रूपये-20,000 / -



	2005 दिनांक 20.10.2005 आर-640	कुमार जैन, निवासी-आरोन, जिला-गुना(दुकान में आग लगने से प्रत्येक को रू.10,000/-के मान से आर्थिक सहायता)	(बीस हजार)
4	एचसीएम-2017 / 2005 दिनांक 18.10.2005 आर-642	श्री रविन्द्र कुमार पंथी पुत्र श्री मानसिंह पंथी, निवासी लटेरी, जिला-विदिशा (की सड़क दुर्घटना में दिनांक 05.09.2005 को मृत्यु हो जाने के कारण परिवार को आर्थिक सहायता)	रूपये-20,000 / - (बीस हजार)
5	एचसीएम-2111 / 2005 दिनांक 27.10.2005 आर-643	संचालक(अध्यक्ष), दयोदय पशु संवर्धन एवं पर्यावरण केन्द्र, गौशाला, तिलवारा घाट, जबलपुर	रूपये-1,00,000 / - (एक लाख)
6	मुमंनि / 14470 / 2005 दिनांक 11.11.2005 आर-646	श्री ललित कुमार गुप्ता, डी-354, नेहरूनगर, भोपाल. (दुकान में लगी आग से क्षति हेतु आर्थिक सहायता)	रूपये-10,000 / - (दस हजार)
7	एचसीएम-2442 / 2005 दिनांक 11.11.2005 आर-647	श्रीहीरालाल पिता श्री ग्यारहसीलाल, गवाला, नीमच सिटी, जिला-नीमच (चिकित्सा हेतु)	रूपये-30,000 / - (तीस हजार)
		कुल राशि-	रूपये-4,35,000 / -

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल रूपये-4,35,000 / -(चार लाख पैतीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखें।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन- शीर्ष-2013- मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.आर.एस.मरावी)

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-168/2005/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी, 2006.

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-भिण्ड/उज्जैन/ गुना/ विदिशा/ जबलपुर/भोपाल/ नीमच, (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति को सूचित करें तथा भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे, मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

 17022006.

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-24 / 2006 / एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी, 2006.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-60,000 /-(रूपये-साठ हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक / दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम / पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	1083 / मुमनि / 06 दिनांक 05.02.2006 आर-906	श्री भवानी सिंह चौहान नि. मु / पो जोनतला तहसील बुदनी, जिला-सीहोर (पत्नी के इलाज हेतु)	रूपये-60,000 / - (साठ हजार)
		कुल राशि-	रूपये-60,000 / -

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल रूपये-60,000 /-(रूपये-साठ हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन- शीर्ष-2013- मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.आर.एस.मरावी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-24/2006/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी, 2006.

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-सीहोर (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति को सूचित करें तथा भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे, मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

 17022006.

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
--: आदेश ::--

क्रमांक एफ ए 7-20/2006/एक(1)

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी, 2006.

प्रति,

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-2,50,000/- (रूपये-दो लाख पचास हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स.क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	181/पीएससीएम/ 06दिनांक 30.1.2006 350/ एससीएम/टी /06 दिनांक 4.2.2006 आर-904	अवर सचिव,(अधीक्षण शाखा) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (म.प्र.)  1. सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष-1 के लिए सर्वोत्तम दो कम्प्युटर मय लेजर प्रिटर/स्केनर सहित कय करने के हेतु  2. एक आधुनिक फोटो कापीयर मशीन कय करने के हेतु	रूपये-1,00,000/- (एक लाख)  रूपये-1,50,000/- (रूपये-एक लाख पचास हजार)
		कुल राशि-	रूपये-2,50,000/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल रूपये-2,50,000/- (रूपये-दो लाख पचास हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र. मंत्रालय द्वारा सीधे अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण शाखा), मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (मध्यप्रदेश) को किया जाएगा। कृपया उनसे प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन- शीर्ष-2013- मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.आर.एस.मरावी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी, 2006.

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-20/2006/एक(1)

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण शाखा), मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्तानुसार माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष (एक) मध्यप्रदेश मंत्रालय के लिए सर्वोत्तम दो कम्प्युटर मय लेजर प्रिटर/स्केनर सहित एवं एक अत्याधुनिक फोटो कापीयर (मशीन) कय कर कक्ष-1 में तत्काल लगवाना सुनिश्चित करें। उक्त राशि विभाग के किसी अन्य मद से न होकर मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है, ऐसी स्थिति में वित्त विभाग के निर्देश क्र.25/चार-ब-1/2006 दिनांक 10.01.2006 इस आदेश पर प्रभावशील नहीं है। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि सीधे, मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाते हुए उसकी सूचना इस विभाग को भी भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

 20022006.

वत्कमत.107

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-24/2006/एक(1)

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी, 2006.

प्रति,

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों/संस्थाओं को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रुपये-2,97,000/- (रुपये-दो लाख सन्तान्नवें हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स.क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम-113/06 14.02.2006, आर-907	श्री दिलीप शिवहरे, कृष्णा पुरम, ए.बी.रोड, ब्यावरा जिला-राजगढ़ (हृदय रोग उपचार के लिए)	रुपये-75,000/- (पचहत्तर हजार)
2	एचसीएम-116/06 14.02.2006 आर-908	श्रीमती रेहमत बी पत्नी श्री बाबूखॉ, ग्राम व पोस्ट कनासिया, जिला-उज्जैन (उपचार के लिए)	रुपये-10,000/- (दस हजार)
3	एचसीएम-114/06 14.02.2006 आर-909	1. श्री रामप्रसाद पिता श्री भागीरथ सिंह ग्राम बड़ोदिया गाडरी, पोस्ट रंज खेड़ी, तहसील आष्टा, जिला-सीहोर (उच्च अध्ययन हेतु)	रुपये-3500/- (तीन हजार पांच सौ मात्र)
4	एचसीएम-115/06 14.02.2006 आर-909	2. श्री तुलसीराम पुत्र श्री नर्मदा प्रसाद, स्वरूप नगर, २ (बेतोली तह-बासौदा), तहसील-बसौदा, जिला-विदिशा. (उपचार के लिए आर्थिक सहायता)	रुपये-3500/- (तीन हजार पांच सौ मात्र)
5	जावक 975/मुमनि/ 06 दिनांक 05.02.2006 आर-910	श्री गोपाल सिंह ? श्री काशीराम नि. ग्राम खाण्डवर तह-बरेली, जिला-रायसेन (इलाज हेतु)	रुपये-15,000/- (पन्द्रह सौ)
6	जावक 973/मुमनि/ 06 दिनांक 05.02.2006 आर-911	श्रीमती प्रेम बाई पत्नी श्री मूलचन्द्र कुम्हार मोहल्ला, झुग्गी नं.770, पुरानी विधानसभा के सामने, भोपाल (भरण-पोषण हेतु)	रुपये-10,000/- (दस हजार)
7	एचसीएम-117/06 15.02.2006 आर-912	1. श्री छगनलाल दुबे, आंबाकदीम, तहसील नसरुल्लागंज, जिला-सीहोर (पत्नी के उपचार के लिए आर्थिक सहायता)	रुपये-5000/- (पांच हजार)
8	एचसीएम-118/06 15.02.2006 आर-912	2. श्रीमती मनी बाई पत्नी वृन्दावन शर्मा, ग्राम हरदौर, तह-गैरहतगंज, जिला-रायसेन (उपचार के लिए आर्थिक सहायता)	रुपये-5000/- (पांच हजार)
9	एचसीएम-119/06 15.02.2006 आर-912	3. श्री परमानंद आत्मज गेंदालाल (ब्राम्हण), ग्राम लाडकुई तह.नसरुल्लागंज, जिला-सीहोर (पत्नी के उपचार के लिए आर्थिक सहायता)	रुपये-30,000/- (तीस हजार)
10	एचसीएम-120/06 15.02.2006 (पं. रमेश दुबे, माननीय विधायक-चौरई) आर-913	श्रीमती गीता पत्नी श्री शोभाराम, ग्राम सोनपुरी (उकवा) तह-बैहर जिला-बालाघाट (स्वयं के उपचार के लिए आर्थिक सहायता)	रुपये-15,000/- (पन्द्रह हजार)
11	एचसीएम-121/06 15.02.2006 आर-914	1. श्री लक्ष्मीनारायण पटेल, ग्राम रिछोड़ा, तहसील-बुधनी, जिला-सीहोर (स्वयं के उपचार के लिए आर्थिक सहायता)	रुपये-50,000/- (पचास हजार)
12	एचसीएम-122/06 15.02.2006	2. श्रीमती सावित्री बाई पत्नी श्री मंगल सिंह चौहान, म.नं. 61, हनुमानगंज, गल्ला बाजार, (पच्चीस हजार)	रुपये-25,000/- (पच्चीस हजार)

	<b>आर-914</b>	भोपाल (उपचार के लिए आर्थिक सहायता)	
<b>13</b>	एचसीएम-123 / 06 15.02.2006 <b>आर-914</b>	3. श्री बृजमोहन खण्डेलवाल पुत्र श्री फूलचंद खण्डेलवाल, नसरुल्लागंज, जिला-सीहोर(स्वयं के उपचार के लिए आर्थिक सहायता)	रूपये-25,000 / - (पच्चीस हजार)
<b>14</b>	एचसीएम-124 / 06 15.02.2006 <b>आर-914</b>	4. श्री नाथूराम सोनी, म.नं.209 वार्ड क.16, जे.पी.नगर, भोपाल (पिता के उपचार के लिए आर्थिक सहायता)	रूपये-25,000 / - (पच्चीस हजार)
		<b>कुल राशि-</b>	<b>रूपये-2,97,000 / -</b>

3

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल रूपये-2,97,000 / - (रूपये-दो लाख सन्तान्नवें हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन- शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.आर.एस.मरावी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी, 2006.

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-24 / 2006 / एक(1)

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-राजगढ़ / उज्जैन / सीहोर / विदिशा / रायसेन / भोपाल / बालाघाट, (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों / संस्थाओं को सूचित करें तथा भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र / प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे, मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

 17022006.



व्त्कमत.108

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-170/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक फरवरी, 2006.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्ति को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि **रूपये-11,000/-**(रूपये-ग्यारह हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स.क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
662	71/मुमंस/2005 दिनांक 25.11.2005	मुख्यमंत्री घोषणा क्र-323 दिनांक 15.01.2005 (साधुवानी शिक्षा समिति, बैरागढ़, भोपाल के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सहायता)	रूपये-11,000/- (ग्यारह हजार)
		कुल राशि-	रूपये-11,000/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल **रूपये-11,000/-**(रूपये-ग्यारह हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष **2005-2006** के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन- शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.आर.एस.मरावी)

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-170/2005/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक फरवरी, 2006.

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. **कलेक्टर, जिला-भोपाल, (मध्यप्रदेश)** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति को सूचित करें तथा भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि **इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।** साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर **सीधे, मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल** को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टाक फाइल.

 10022006.

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

व्त्कमत.109

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-25/2006/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी, 2006.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्ति को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये- 50,000/- (रूपये-पचास हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स.क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	108/सीएमएस/06 दिनांक 16.02.2006 आर-915	कलेक्टर, जिला-जबलपुर (म.प्र.) घोषणा क्रमांक-318 दिनांक 26 दिसम्बर, 2005 "श्री वर्णी दिगम्बर जैन गुयकुल पिसनहारी की मढ़िया, जबलपुर को छात्रावास व्यवस्था हेतु" मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से रूपये-50,000/- (रूपये पचास हजार) की सहायता दी जायेगी।	रूपये-50,000/- (पचास हजार)

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल रूपये-50,000/- (रूपये-पचास हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन- शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.आर.एस.मरावी)

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

2

2

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-25/2006/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी, 2006.

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.

4. कलेक्टर, जिला-जबलपुर, (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति को सूचित करें तथा भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता

से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे, मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।

5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टक फाइल.

20022006.

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

व्त्कमत.110

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-26/2006/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी, 2006.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये- 2,49,000/- (रूपये-दो लाख उन्नास हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स.क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति	स्वीकृत राशि
--------	-------------------------	---------------------------------------	--------------

1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम/101/06, दि. 04.02.2006 आर-900	(उत्तर काशी की यात्रा में बस दुर्घटना के कारण मृत के परिजनों को आर्थिक सहायता) 1. श्री वृंदावन गुप्ता, आ. श्री मुन्नालाल गुप्ता, निवासी- बमुराकुज रहली, जिला-सागर. (आर्थिक सहायता हेतु)	रुपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
2	एचसीएम/101/06, दि. 04.02.2006	2. श्री परमलाल जोशी आ. श्री भानू जोशी, निवासी रहली, जिला-सागर (आर्थिक सहायता हेतु)	रुपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
3	एचसीएम/101/06, दि. 04.02.2006	3. श्रीमती सियारानी पत्नी श्री रामदयाल बमुराकंज, रहली, सागर (आर्थिक सहायता हेतु)	रुपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
4	एचसीएम/101/06, दि. 04.02.2006	4. श्रीमती शीला बाई सोनी पत्नी श्री उमाशंकर सोनी, वार्ड-9 रामेश्वर वार्ड, रहली, जिला-सागर (आर्थिक सहायता हेतु)	रुपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
5	एचसीएम/101/06, दि. 04.02.2006	5. श्री रवि शुक्ला पत्नी श्री रामचन्द्र वार्ड नं. 11, पंडलपुर, रहली, जिला-सागर (आर्थिक सहायता हेतु)	रुपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
6	एचसीएम/101/06, दि. 04.02.2006	6. श्री दुर्गा प्रसाद साहू, वार्ड 11, पंडलपुर रहली, जिला-सागर (आर्थिक सहायता हेतु)	रुपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
7	एचसीएम/101/06, दि. 04.02.2006	7. श्री पद्मिनरनाथ पटेल पुत्र श्री अमरसिंह पटेल निवासी- सहजपुरी, खुर्द रहली जिला-सागर (आर्थिक सहायता हेतु)	रुपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
8	एचसीएम/101/06, दि. 04.02.2006	8. श्री मुंशी पत्र श्री रामचंद्र निवासी- गायत्री मंदिर के पास, रहली, जिला-सागर (आर्थिक सहायता हेतु)	रुपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
9	एचसीएम/101/06, दि. 04.02.2006	9. श्रीमती दोपती बाई पत्नी श्री मुशीलाल निवासी-गायत्री मंदिर के पास, रहली जिला-सागर (आर्थिक सहायता हेतु)	रुपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
10	एचसीएम-89/2006 दिनांक 04.02.2006 आर-901	1 श्री परसराम आ. श्री कोडी नामदेव ग्राम पो. छुल्ला तह. गढ़ा कोटा, जिला-सागर (इलाज हेतु).	रुपये-2,000/- (दो हजार)
11	एचसीएम-90/2006 दिनांक 04.02.2006	2. श्री कलानिधि तिवारी, ग्राम व पो बेरखेरीकला वि.ख. गढ़ाकोटा, जिला-सागर (इलाज हेतु).	रुपये-2,000/- (दो हजार)
12	एचसीएम-91/2006 दिनांक 04.02.2006	3. श्रीमती अनिता बाई पत्नी श्री पप्पू लोधी, ग्राम चैनपुर पो. छुल्ला तह. गढ़ाकोटा जिला-सागर (इलाज हेतु).	रुपये-2,000/- (दो हजार)
13	एचसीएम-92/2006	4. श्री छेदी आदिवासी, ग्राम केलवास, तह	रुपये-2,000/-

	दिनांक 04.02.2006	गढ़ाकोटा, जिला-सागर (इलाज हेतु).	(दो हजार)
14	एचसीएम-93/2006 दिनांक 04.02.2006	5. श्री प्रकाश विश्वकर्मा, ग्राम रौन, तहसील गढ़ाकोटा, जिला-सागर (इलाज हेतु).	रुपये-2,000/- (दो हजार)
15	एचसीएम-94/2006 दिनांक 04.02.2006	6. श्री रज्जाक खान, ग्राम घोघरा, तहसील गढ़ाकोटा, जिला-सागर (इलाज हेतु).	रुपये-2,000/- (दो हजार)
16	एचसीएम-95/2006 दिनांक 04.02.2006	7 श्री छोटेलाल लोधी आ. कलू ग्राम मढिया अग्रसेन पो. हरदी तहसील गढ़ाकोटा, जिला-सागर (इलाज हेतु).	रुपये-2,000/- (दो हजार)
17	एचसीएम-96/2006 दिनांक 04.02.2006	8 श्री हरजू कोछी ग्राम पिपरिया डिगरा पो. बिछिया, तहसील ग 3 जिला-सागर (इलाज हेतु).	रुपये-2,000/- (दो हजार)
18	एचसीएम-97/2006 दिनांक 04.02.2006	9 श्री कमलेश आ. कलू पटेल, ग्राम खैजरा, पो पिपरिया तहसील गढ़ाकोटा, जिला-सागर (इलाज हेतु).	रुपये-2,000/- (दो हजार)
19	एचसीएम-98/2006 दिनांक 04.02.2006	10 श्री नंदराम चढार आ. मानसिंह ग्राम मोठार नायर पो. बिछिया तहसील गढ़ाकोटा, जिला-सागर (इलाज हेतु).	रुपये-2,000/- (दो हजार)
20	एचसीएम-99/2006 दिनांक 04.02.2006	11 श्री ईदल आ. थोपन, ग्राम कुमेरिया (भटोलिया) तहसील गढ़ाकोटा, जिला-सागर	रुपये-2,000/- (दो हजार)
21	एचसीएम-100/206 दिनांक 04.02.2006	12 श्री खेमचंद राठौर पंढरपुर रहली जिला-सागर	रुपये-2,000/- (दो हजार)
		कुल राशि-	रुपये-2,49,000/-

- अतः उपरोक्तानुसार कुल **रुपये-2,49,000/- (रुपये-पचास हजार)** मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।
- यह व्यय वित्तीय वर्ष **2005-2006** के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन- शीर्ष-2013- मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.आर.एस.मरावी)

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-26/2006/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी, 2006.

- महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
- सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
- कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
- कलेक्टर, जिला-सागर, (मध्यप्रदेश)** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति को सूचित करें तथा भुगतान की कार्यवाही

सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद प्राप्त कर सीधे, मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।

5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टाक फाइल.

 20022006.

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-33/2006/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी, 2006.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों/संस्थाओं को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-1,45,000/- (रूपये-एक लाख पैतालीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स.क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एच.सी.एम-163/06 दिनांक 21.02.2006 आर-917	श्री मनोहर पिता श्री सुखराम भावसार, निवासी-खरगौन (स्वयं के कैंसर रोग इलाज हेतु)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
2	एच.सी.एम-171/06 दिनांक 22.02.2006 आर-918	श्री हनुमत प्रसाद सिंह, निवासी-ग्राम आरामगंज, तह-अजयगढ़, जिला-पन्ना (माता के कैंसर रोग इलाज हेतु)	रूपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
3	एच.सी.एम-170/06 दिनांक 22.02.2006 आर-919	श्री राजेश कुमार विड़हा, गाँधीनगर, उरहट जिला-रीवा (पत्नी सरोज पटेल के इलाज हेतु)	रूपये-5,000/- (पांच हजार)
4	एच.सी.एम-166/06 दिनांक 22.02.2006 आर-920	श्री पंकज कुमार जैन, पिता हीरालाल निवासी-4/2, अशोक बिहार कालोनी, सेठीनगर, उज्जैन(इलाज हेतु)	रूपये-15,000/- (पन्द्रह हजार)
5	एच.सी.एम-165/06 दिनांक 22.02.2006 आर-921	श्री विमल पाल पिता सरेन्द्र पाल, निवासी-बंगाली कालोनी, इटारसी जिला-होशंगाबाद, (पुत्र के उपचार हेतु)	रूपये-15,000/- (पन्द्रह हजार)
6	एच.सी.एम-168/06 दिनांक 22.02.2006 आर-922	श्रीमती गंता पत्नी श्री रामूजी मोहाडे, निवासी-ग्राम, विजय ग्राम, तह-भैसदेही जिला-बैतूल (कैंसर चिकित्सा हेतु)	रूपये-15,000/- (पन्द्रह हजार)
7	एच.सी.एम-166/06 दिनांक 22.02.2006 आर-923	श्री राम प्रसाद घीसालाल जाट निवासी-हरवार, तहसील व जिला-नीमच (माता के कैंसर रोग इलाज हेतु)	रूपये-5,000/- (पांच हजार)
8	एच.सी.एम-164/06 दिनांक 22.02.2006	श्री मनोज राज, निवासी-ग्राम कुरावर, तह-नरसिंहगढ़, जिला-राजगढ़	रूपये-15,000/- (पन्द्रह हजार)



	<b>आर-924</b>	(श्रीमती कांताबाई पति बापूलाल, निवासी-कुरावर, तह-नरसिंहगढ़, जिला-राजगढ़ के कैंसर रोग इलाज हेतु)	
<b>9</b>	एच.सी.एम-162 / 06 दिनांक 22.02.2006 <b>आर-925</b>	श्रीमती पार्वती बाई, पत्नी श्री बेनीसिंह चौहान, निवासी-कुटनासिर तह-बरेली जिला-रायसेन (स्वयं के कैंसर रोग इलाज हेतु)	रूपये-25,000 / - (पच्चीस हजार)
<b>10</b>	एच.सी.एम-169 / 06 दिनांक 22.02.2006 <b>आर-926</b>	श्रीमती रामबाई निवासी -पुरैनिहा, कृपालपुर, जिला-सतना (पुत्र की किडनी के इलाज हेतु)	रूपये-15,000 / - (पन्द्रह हजार)
		<b>कुल राशि-</b>	<b>रूपये-1,45,000 / -</b>

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल **रूपये-1,45,000 / - (रूपये-एक लाख पैतालीस हजार)** मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष **2005-2006** के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन- शीर्ष-2013- मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.आर.एस.मरावी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी, 2006.

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-33 / 2006 / एक(1)

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय 3
4. **कलेक्टर, जिला-सतना / खरगौन / पन्ना / रीवा / उज्जैन / होशंगाबाद / बैतूल / नीमच / राजगढ़ / रायसेन, (मध्यप्रदेश)** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं को सूचित करें तथा भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि **इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।** साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर **सीधे, मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल** को भिजवाने का कष्ट करें। 3
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टक फाइल.

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

 24022006.

व्त्कमत.112

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-25/2006/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी, 2006.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्ति को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये- 2,00,000/- (रूपये-पचास हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स.क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	जावक क्र.40/मुमंस/2006 दिनांक 07.फरवरी 06 आर-905	घोषणा क्रमांक-367 दिनांक 18 दिसम्बर,2005 "सेवा भारती संस्थान भोपाल को रूपये-2.00 लाख (रूपये दो लाख) सहायतार्थ दिये जायेंगे। कुल राशि-	रूपये-2,00,000/- (दो लाख) रूपये-2,00,000/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल 2,00,000/- (रूपये-पचास हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन- शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.आर.एस.मरावी)

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

2

2

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-25/2006/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी, 2006.

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. **कलेक्टर, जिला-भोपाल, (मध्यप्रदेश)** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति को सूचित करें तथा भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ति रसीद आदि प्राप्त कर सीधे, मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

 20022006.

व्त्कमत.113

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-25/2006/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी, 2006.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों/संस्थाओं को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-3,57,000/- (रूपये-तीन लाख संतावन हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स.क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीसम/130/06 दिनांक 16.2.2006 आर-946	श्री जवाहरमणि भाई निवासी नई सड़क उज्जैन (पुत्री की किडनी बदलने हेतु)	रूपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
2.	एफ 438/एससीएमटी/ 06दिनांक 20.2.2006 आर - 780	घोषणा क्रमांक 324 दिनांक 6 सितम्बर, 2005 "सत्कार कला केन्द्र 127, लोक मान्य तिलक नगर केसर बाग रोड, इन्दौर (अनुदान)	रूपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
3.	एचसीसम/139/06 दिनांक 20.2.2006 आर - 927	श्री श्यामलाल निवासी ग्राम दनवास थाना मुरवास तह0 लटेरी जिला विदिशा (आर्थिक सहायता हेतु)	रूपये-5,000/- (पांच हजार)
4.	एचसीसम/145/06	श्री गुलाब सिंह नागर पुत्र श्री सुखराम	रूपये-50,000/-

	दिनांक 20.2.2006 आर - 928	रागर ग्राम दीपाखेड़ पोस्ट बाया तह0 बुधनी जिला सीहोर (हृदय रोग के उपचार हेतु आर्थिक सहायता)	(पचास हजार)
5.	एचसीसम/148/06 दिनांक 20.2.2006 आर - 929	श्री लाल सिंह नागर आत्मज रामदयाल ग्राम बकतरा तह0 बुधनी जिला सीहोर (आर्थिक सहायता)	रुपये-5,000/- (पांच हजार)
6.	एचसीसम/134/06 दिनांक 20.2.2006 आर - 930	श्री रमेश कुमार यादव निवासी सेमरी तह0 बुधनी जिला सीहोर (आर्थिक सहायता)	रुपये-10,000/- (दस हजार)
7.	एचसीसम/149/06 दिनांक 20.2.2006 आर - 931	श्री दलसिंह आत्मज बटूलाल निवासी ग्राम बकतरा तह0 बुधनी जिला सीहोर (आर्थिक सहायता)	रुपये-5,000/- (पांच हजार)
8.	एचसीसम/140/06 दिनांक 20.2.2006 आर - 932	श्रीमती हल्की बाई निवासी ग्राम पो. सरदार नगर तह0 बुधनी जिला सीहोर (इलाज हेतु आर्थिक सहायता)	रुपये-5,000/- (पांच हजार)
9.	एचसीसम/147/06 दिनांक 20.2.2006 आर - 933	श्री छोटेलाल आत्मज श्री श्यामलाल निवासी ग्राम सियागेहन तह0 बुधनी जिला सीहोर (आर्थिक सहायता)	रुपये-5,000/- (पांच हजार)
10.	एचसीसम/138/06 दिनांक 20.2.2006 आर - 934	श्रीमती सिमताबाई पति बारेलाल निवासी ग्राम पिपरिया जवाहरपुरा तह0 बुधनी जिला सीहोर (आर्थिक सहायता)	रुपये-5,000/- (पांच हजार)
11.	एचसीसम/135/06 दिनांक 20.2.2006 आर - 935	श्री किशनसिंह पुत्र काशीराम जाटव ग्राम भोजपुर तह0 सिरोंज ग्राम पंचायता सेमलखेडी जिला विदिशा (पुत्री के इलाज हेतु)	रुपये-2,000/- (दो हजार)
12.	एचसीसम/131/06 दिनांक 20.2.2006 आर - 936	श्रीमती ऊषा मीना पत्नी श्री ओम प्रकाश मीणा ग्राम दयानंदपुर पो. खामखेड़ा तह0 व जिला विदिशा (आर्थिक सहायता)	रुपये-50,000/- (पचास हजार)
13.	एचसीसम/133/06 दिनांक 20.2.2006 आर - 937	श्री नर्मदा प्रसाद आत्मज श्री छोटे राय निवासी ग्राम पो. सरदार नगर तह0 बुधनी जिला सीहोर (आर्थिक सहायता)	रुपये-5,000/- (पांच हजार)
14.	एचसीसम/137/06 दिनांक 20.2.2006 आर - 938	श्री जयलाल निवासी ग्राम वासगेहन तह0 बुधनी जिला सीहोर (आर्थिक सहायता)	रुपये-5,000/- (पांच हजार)
15.	एचसीसम/152/06 दिनांक 20.2.2006 आर - 939	श्री नाथूराम सोनी म.नं. 209, जे0पी0 नगर, छोला रोड भोपाल (पिता श्री देवचंद्र सोनी के इलाजहेतु)	रुपये-10,000/- (दस हजार)
16.	एचसीसम/146/06 दिनांक 20.2.2006 आर - 940	श्री बंदीप्रसाद आ0 श्री प्रह्लाद सिंह निवासी ग्राम बकतरा तह0 बुधनी जिला सीहोर (आर्थिक सहायता)	रुपये-5,000/- (पांच हजार)
17.	एचसीसम/144/06 दिनांक 20.2.2006 आर - 941	श्री त्रिलोक चंद्र मालवीय पुत्री स्व0 श्री फतेहचंद्र मालवीय रेहटी तह0 बुधनी जिला सीहोर (स्वयं के इलाज हेतु)	रुपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
18.	एचसीसम/136/06 दिनांक 20.2.2006	श्री दौलत सिंह कुशवाह पिता श्री परषराम कुशवाह ब्लाक कालोनी जेल रोड जिला	रुपये-15,000/- (पन्द्रह हजार)

	आर - 942	विदिशा (दुकान में आग लगने से आर्थिक सहायता)	
19.	एचसीसम/132/06 दिनांक 20.2.2006 आर - 943	श्री काशीराम पुत्री श्री शंकरलाल निवासी डोंगरी तह0 बुधनी पो. सेमरी कटकुआ जिला सीहोर (पुत्र सोनू के हृदय रोग इलाज हेतु)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
20.	1289/मुमनि/06 दिनांक 17.2.2006 आर - 944	श्रीमती उषा डागा पत्नी श्री मोहनलाल डागा निवासी 14, शहरसराय जिला रतलाम (हड्डी कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये-50,000/- (पचास हजार)
945	एचसीसम/129/06 दिनांक 16.2.2006 आर - 945	श्री अजय तिवारी ग्राम कुआ केलारी, तह0 परही जिला कटनी (कैंसर के इलाज हेतु)	रूपये-40,000/- (पचास हजार)
		कुल राशि-	रूपये-3,57,000/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल रूपये-3,57,000/- (रूपये-तीन लाख संतावन हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।
4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन- शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.आर.एस.मरावी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी, 2006.

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-25/2006/एक(1)

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला- उज्जैन/ इन्दौर/ विदिशा/ सीहोर/ भोपाल/ रतलाम/ कटनी (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं को सूचित करें तथा भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु अन्य कल्याणकारी योजनाओं या इस योजना से दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे, मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

24022006.

लकमत.114

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन

-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-31/2006/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी, 2006.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्ति को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रुपये- 4,20,000/- (रुपये- चार लाख बीस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स.क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1.	एचसीसम/159/06 दिनांक 21.2.2006 आर-807 <b>947</b>	अध्यक्ष, म0प्र0 यूथ रोलर स्केटिंग संगठन एस 597, नेहरू नगर भोपाल (15 फरवरी से 17 फरवरी 2006 तक राष्ट्रीय विकलांग रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता हेतु सहायता)	रुपये-15,000/- (पन्द्रह हजार)
2.	एचसीसम/157/06 दिनांक 21.2.2006 आर- 808 <b>948</b>	श्रीमती विमलेश राजे पत्नी स्व0 श्री भूपेन्द्र सिंह निवासी बड़ा मलहरा जिला छतरपुर (पति की मृत्यु पर आर्थिक सहायता)	रुपये-100,000/- (एक लाख)
3.	एचसीसम/156/06 दिनांक 21.2.2006 आर- 811 <b>949</b>	श्रीमती रमा नायक, रमा टायपिंग सेंटर, भदमदा भोपाल (पुत्र राहुल (विकलांग) को स्कूटर क्रय हेतु)	रुपये-65,000/- (पैंसठ हजार)
4.	एचसीसम/143/06 दिनांक 20.2.2006 आर- 802 <b>950</b>	श्री प्रमोद चौहान पुत्र श्री जयराम चौहान निवासी ग्राम खितवई तह0 बुधनी जिला सीहोर (आर्थिक सहायता)	रुपये-10,000/- (दस हजार)
5.	एचसीसम/141/06 दिनांक 20.2.2006 आर- 804 <b>950</b>	श्री श्रीराम आ0 श्री रामकिशन निवासी बकतरा तह0 बुधनी जिला सीहोर (आर्थिक सहायता)	रुपये-5,000/- (पांच हजार)
6.	एचसीसम/153/06 दिनांक 20.2.2006 आर- 800 <b>951</b>	श्रीमती रंजना खण्डेलवाल 1, कौशल्यापुरी इंदौर (पुत्री के उपचार हेतु)	रुपये-50,000/- (पचास हजार)
7.	एचसीसम/154/06 दिनांक 20.2.2006 आर- 800 <b>952</b>	श्री मनोज राज ग्राम कुरावर मण्डी तह0 नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ (माताजी के उपचार हेतु)	रुपये-50,000/- (पचास हजार)
8.	एचसीसम/151/06 दिनांक 20.2.2006 आर- 799 <b>953</b>	श्री नारायण सिंह पिता श्री हजारी लाल ग्राम घटेरो तह0 बासोदा जिला विदिशा (आर्थिक सहायता)	रुपये-5,000/- (पांच हजार)
9.	एचसीसम/150/06 दिनांक 20.2.2006 आर- 798 <b>954</b>	श्री रघुवीर सिंह वल्द श्री परवत सिंह निवासी बकसरिया मोहल्ला वार्ड क्र. 1 जिला विदिशा (आर्थिक सहायता)	रुपये-10,000/- (दस हजार)

10.	एचसीसम/142/06 दिनांक 20.2.2006 आर- 797 955	श्री मुकेश सिंह निवासी ग्राम जैत तह0 बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
11.	एचसीसम/160/06 दिनांक 21.2.2006 आर- 806 956	श्री ओम प्रकाश मेहता, वरिष्ठ पत्रकार ई-117/7, शिवाजी नगर, भोपाल (पत्नी के उपचार हेतु)	रूपये-100,000/- (एक लाख)
		कुल राशि -	4,20,000/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल रूपये-4,20,000/- (रूपये-चार लाख बीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन- शीर्ष-2013- मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.आर.एस.मरावी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां क्रमांक एफ ए 7-31/2006/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी, 2006.

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.

4. कलेक्टर, जिला- भोपाल, छतरपुर, सीहोर, इंदौर, राजगढ़, विदिशा, (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति को सूचित करें तथा भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु अन्य कल्याणकारी योजनाओं या इस योजना से दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे, मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें। केवल आर्थिक सहायता जिस प्रकरण में अंकित है उसमें गरीब होने पर ही सहायता राशि वितरित की जाए।

5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव



लकमत.115

स.क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1.	एचसीसम/161/06 दिनांक 21.2.2006 आर-809/958	श्री राजू वल्द श्री दामोदर पटेल, उम्र 22 वर्ष, तिलकगंज, जिला सागर की दि० 27.01.2006 को सागर परसोरिया के मध्य रात्रि में हुई बस दुर्घटना में मृत्यु पर (परिजनों को आर्थिक सहायता हेतु)	रूपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
2.	तदैव	श्री शारदा वल्द रामप्रसाद, उम्र, 35, भडराना बंडा, जिला सागर (दि० 27.01.2006 को सागर परसोरिया के मध्य रात्रि में हुई बस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने पर (आर्थिक सहायता हेतु)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
3.	तदैव	श्री हरीशंकर वल्द श्री नाथूराम यादव, बरखेडी, जिला सागर (दि० 27.01.2006 को सागर परसोरिया के मध्य रात्रि में हुई बस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने पर (आर्थिक सहायता हेतु)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
4.	तदैव	श्री चैतू वल्द श्री गंगाराम यादव, भडराना, जिला सागर (दि० 27.01.2006 को सागर परसोरिया के मध्य रात्रि में हुई बस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने पर (आर्थिक सहायता हेतु)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
5.	तदैव	श्री रामविलास वल्द श्री हरिकिशन, भडराना, जिला सागर (दि० 27.01.2006 को सागर परसोरिया के	रूपये-10,000/- (दस हजार)

		मध्य रात्रि में हुई बस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने पर (आर्थिक सहायता हेतु)	
6.	तदैव	श्री प्रकाश वल्द श्री मिहीलाल साहू, भडराना, जिला सागर (दि० 27.01.2006 को सागर परसोरिया के मध्य रात्रि में हुई बस दुर्घटना में साधारण रूप से घायल होने पर (आर्थिक सहायता हेतु)	रूपये-5,000/- (पांच हजार)
7.	तदैव	श्री नंदू वल्द श्री खुजू यादव, भडराना, जिला सागर (दि० 27.01.2006 को सागर परसोरिया के मध्य रात्रि में हुई बस दुर्घटना में साधारण रूप से घायल होने पर (आर्थिक सहायता हेतु)	रूपये-5,000/- (पांच हजार)
8.	तदैव	श्री मजबूत वल्द श्री भुजवल, बेरखेड़ी, जिला सागर (दि० 27.01.2006 को सागर परसोरिया के मध्य रात्रि में हुई बस दुर्घटना में साधारण रूप से घायल होने पर (आर्थिक सहायता हेतु)	रूपये-5,000/- (पांच हजार)
9.	तदैव	श्री देवीसिंह वल्द श्री अमरसिंह, भडराना, जिला सागर (दि० 27.01.2006 को सागर परसोरिया के मध्य रात्रि में हुई बस दुर्घटना में साधारण रूप से घायल होने पर (आर्थिक सहायता हेतु)	रूपये-5,000/- (पांच हजार)
10.	तदैव	श्री वृन्दावन वल्द श्री ब्रजलाल यादव, खारमऊ, जिला सागर (दि० 27.01.2006 को सागर परसोरिया के मध्य रात्रि में हुई बस दुर्घटना में साधारण रूप से घायल होने पर (आर्थिक सहायता हेतु)	रूपये-5,000/- (पांच हजार)
11.	तदैव	श्री राधेश्याम वल्द श्री बैजनाथ शर्मा, खाकरोन, जिला सागर (दि० 27.01.2006 को सागर परसोरिया के मध्य रात्रि में हुई बस दुर्घटना में साधारण रूप से घायल होने पर (आर्थिक सहायता हेतु)	रूपये-5,000/- (पांच हजार)
12.	तदैव	श्री अनन्दी वल्द श्री दशरथ साहू, भडराना, जिला सागर (दि० 27.01.2006 को सागर परसोरिया के मध्य रात्रि में हुई बस दुर्घटना में साधारण रूप से घायल होने पर (आर्थिक सहायता हेतु)	रूपये-5,000/- (पांच हजार)
13.	तदैव	श्री पूनदार वल्द श्री कन्छेदी अहिरवार, भडराना, जिला सागर (दि० 27.01.2006 को सागर परसोरिया के मध्य रात्रि में हुई बस दुर्घटना में साधारण रूप से घायल होने पर (आर्थिक सहायता हेतु)	रूपये-5,000/- (पांच हजार)
14.	तदैव	श्री रामवाण वल्द टंटे साहू, भडराना, जिला सागर (दि० 27.01.2006 को सागर परसोरिया के मध्य रात्रि में हुई बस दुर्घटना में साधारण रूप से घायल होने पर (आर्थिक सहायता हेतु)	रूपये-5,000/- (पांच हजार)
15.	तदैव	श्री बलराम वल्द श्री पउआ, भडराना, जिला सागर (दि० 27.01.2006 को सागर परसोरिया के मध्य रात्रि में हुई बस दुर्घटना में साधारण रूप से घायल होने पर (आर्थिक सहायता हेतु)	रूपये-5,000/- (पांच हजार)

		में हुई बस दुर्घटना में साधारण रूप से घायल होने पर (आर्थिक सहायता हेतु)	
16.	तदैव	श्री लखन वल्द श्री गज्जू आदिवासी, बेरखेड़ी, जिला सागर (दि० 27.01.2006 को सागर परसोरिया के मध्य रात्रि में हुई बस दुर्घटना में साधारण रूप से घायल होने पर (आर्थिक सहायता हेतु)	रुपये-5,000 / - (पांच हजार)
17.	तदैव	श्री बृजलाल वल्द किशन, भड़राना, जिला सागर (दि० 27.01.2006 को सागर परसोरिया के मध्य रात्रि में हुई बस दुर्घटना में साधारण रूप से घायल होने पर (आर्थिक सहायता हेतु)	रुपये-5,000 / - (पांच हजार)
18.	तदैव	श्री नवलू वल्द रामकिशन अहिरवार, चांदपुर सानोधा, जिला सागर (दि० 27.01.2006 को सागर परसोरिया के मध्य रात्रि में हुई बस दुर्घटना में साधारण रूप से घायल होने पर (आर्थिक सहायता हेतु)	रुपये-5,000 / - (पांच हजार)
19.	तदैव	श्री मानसिंह वल्द रामलाल यादव, भड़राना, जिला सागर (दि० 27.01.2006 को सागर परसोरिया के मध्य रात्रि में हुई बस दुर्घटना में साधारण रूप से घायल होने पर (आर्थिक सहायता हेतु)	रुपये-5,000 / - (पांच हजार)
20.	तदैव	श्री मुकेश वल्द श्री मुन्ना, भड़राना, जिला सागर (दि० 27.01.2006 को सागर परसोरिया के मध्य रात्रि में हुई बस दुर्घटना में साधारण रूप से घायल होने पर (आर्थिक सहायता हेतु)	रुपये-5,000 / - (पांच हजार)
21.	तदैव	श्री रतिराम वल्द श्री सुभाष यादव, भड़राना, जिला सागर (दि० 27.01.2006 को सागर परसोरिया के मध्य रात्रि में हुई बस दुर्घटना में साधारण रूप से घायल होने पर (आर्थिक सहायता हेतु)	रुपये-5,000 / - (पांच हजार)
22.	तदैव	श्री महेश वल्द श्री नन्हें भाई, भड़राना, जिला सागर (दि० 27.01.2006 को सागर परसोरिया के मध्य रात्रि में हुई बस दुर्घटना में साधारण रूप से घायल होने पर (आर्थिक सहायता हेतु)	रुपये-5,000 / - (पांच हजार)
23.	तदैव	श्री अनन्दी वल्द श्री झल्ले जाटव, भड़राना, जिला सागर (दि० 27.01.2006 को सागर परसोरिया के मध्य रात्रि में हुई बस दुर्घटना में साधारण रूप से घायल होने पर (आर्थिक सहायता हेतु)	रुपये-5,000 / - (पांच हजार)
24.	तदैव	श्री रतिराम वल्द श्री करण अहिरवार, भड़राना, जिला सागर (दि० 27.01.2006 को सागर परसोरिया के मध्य रात्रि में हुई बस दुर्घटना में साधारण रूप से घायल होने पर (आर्थिक सहायता हेतु)	रुपये-5,000 / - (पांच हजार)
25.	तदैव	श्री विश्वनाथ वल्द श्री जोधन यादव, भड़राना, जिला	रुपये-5,000 / -

		सागर (दि० 27.01.2006 को सागर परसोरिया के मध्य रात्रि में हुई बस दुर्घटना में साधारण रूप से घायल होने पर (आर्थिक सहायता हेतु)	(पांच हजार)
26.	तदैव	श्री शिवराम वल्द श्री अच्छेलाल यादव, भड़राना, जिला सागर (दि० 27.01.2006 को सागर परसोरिया के मध्य रात्रि में हुई बस दुर्घटना में साधारण रूप से घायल होने पर (आर्थिक सहायता हेतु)	रूपये-5,000/- (पांच हजार)
27.	तदैव	श्री सुरेश वल्द श्री मन्नू साहू, भड़राना, जिला सागर (दि० 27.01.2006 को सागर परसोरिया के मध्य रात्रि में हुई बस दुर्घटना में साधारण रूप से घायल होने पर (आर्थिक सहायता हेतु)	रूपये-5,000/- (पांच हजार)
28.	तदैव	श्री गोकुल वल्द श्री टूंडे साहू, भड़राना, जिला सागर (दि० 27.01.2006 को सागर परसोरिया के मध्य रात्रि में हुई बस दुर्घटना में साधारण रूप से घायल होने पर (आर्थिक सहायता हेतु)	रूपये-5,000/- (पांच हजार)
29.	तदैव	श्री देवीसिंह वल्द श्री विनयसिंग, भड़राना, जिला सागर (दि० 27.01.2006 को सागर परसोरिया के मध्य रात्रि में हुई बस दुर्घटना में साधारण रूप से घायल होने पर (आर्थिक सहायता हेतु)	रूपये-5,000/- (पांच हजार)
30.	तदैव	श्री किशन वल्द श्री गोरेलाल पटेल, मुआतला, जिला सागर (दि० 27.01.2006 को सागर परसोरिया के मध्य रात्रि में हुई बस दुर्घटना में साधारण रूप से घायल होने पर (आर्थिक सहायता हेतु)	रूपये-5,000/- (पांच हजार)
31.	तदैव	श्री राजेश वल्द श्री दुलीचंद साहू, भड़राना, जिला सागर (दि० 27.01.2006 को सागर परसोरिया के मध्य रात्रि में हुई बस दुर्घटना में साधारण रूप से घायल होने पर (आर्थिक सहायता हेतु)	रूपये-5,000/- (पांच हजार)
32.	तदैव	श्री किशन वल्द श्री नंदू अहिरवार, भड़राना, जिला सागर (दि० 27.01.2006 को सागर परसोरिया के मध्य रात्रि में हुई बस दुर्घटना में साधारण रूप से घायल होने पर (आर्थिक सहायता हेतु)	रूपये-5,000/- (पांच हजार)
33.	तदैव	श्री दुर्गा वल्द श्री मंघत जाटव, भड़राना, जिला सागर (दि० 27.01.2006 को सागर परसोरिया के मध्य रात्रि में हुई बस दुर्घटना में साधारण रूप से घायल होने पर (आर्थिक सहायता हेतु)	रूपये-5,000/- (पांच हजार)

वक्तमत.116

स.क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
931	एचसीएम-158/06 दिनांक 21.02.2006	श्री अनिल कुमार बरुआ, (निरीक्षक) था.प्र. थाना गौतम नगर, भोपाल म.प्र.(पुत्री के कैंसर रोग इलाज हेतु)	रुपये-50,000/- (पचास हजार)
		कुल राशि-	रुपर्ये-50,000/-

**Order- 118**

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1.	एचसीएम-179/06 दिनांक 1.3.2006 आर-	श्रीमती फूलाबाई पति स्व. गंधर्वसिंह राजपूत, ग्राम पंचायत, रिछई, सागर तह. बंडा जिला सागर (स्वयं के उपचार हेतु)	रुपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
2.	एचसीएम-180/06 दिनांक 1.3.2006 आर-	श्रीमती मधु जौजे संतोष सिंह ठाकुर, सदर, बैतूल (पुत्री के उपचार के लिए आर्थिक सहायता)	रुपये-15,000/- (पन्द्रह हजार)
3.	एचसीएम-181/06 दिनांक 1.3.2006 आर-	श्रीमती श्यामकली पत्नी स्व. शिवपाल मेहरा ग्राम बोरगांव, तहसील एवं जिला बैतूल (आर्थिक सहायता हेतु)	रुपये-5,000/- (पांच हजार)
4.	एचसीएम-182/06 दिनांक 1.3.2006 आर-	श्री श्रीकांत गंगराडे, 104, लक्ष्मीनगर, बुरहानपुर (पत्नी के उपचार के लिए आर्थिक सहायता हेतु)	रुपये-30,000/- (तीस हजार)
5.	एचसीएम-183/06 दिनांक 1.3.2006 आर-	श्रीमती प्रेम बाई पति श्रीपाल सिंह चौहान, ग्राम दिवाल तह. पंचाना, खण्डवा (स्वयं के उपचार के लिए आर्थिक सहायता हेतु)	रुपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
6.	एचसीएम-184/06 दिनांक 1.3.2006 आर-	श्रीमती उषा बाई पति स्व. राजेन्द्र सिंह, ग्राम दीवाल तह. पंचाना जि. खण्डवा (स्वयं के उपचार के लिए आर्थिक सहायता हेतु)	रुपये-20,000/- (बीस हजार)
7.	एचसीएम-187/06 दिनांक 1.3.2006 आर-	श्री हरिओमदास बैरागी पिता श्री रमेशदास बैरागी, सर्वहारा कॉलोनी, नसरुल्लागंज, जिला सीहोर (उच्च अध्ययन हेतु आर्थिक सहायता)	रुपये-20,000/- (बीस हजार)
8.	एचसीएम-188/06 दिनांक 1.3.2006 आर-	सुश्री अनुराधा सिंह, कत्थक नृत्यांगना, निवासी 292, रचना नगर, भोपाल (प्रोत्साहन स्वरूप आर्थिक सहायता)	रुपये-21,000/- (इक्कीस हजार)
		कुल राशि	रुपये 1,61,000/-

**Order-119**

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम-2173/2005 दिनांक 29.10.2005 आर-606	श्री अवध किशोर मिश्रा तनय श्री चिंतामन मिश्रा, निवासी-ग्राम-मुहारा, तहसील जतारा, जिला-टीकमगढ़ (ब्रेन हेमरेज के इलाज हेतु)	रुपये-5,000/- (पांच हजार)
2	एचसीएम-2176/2005	श्री अन्नीलाल आत्मज श्री सुमरन	रुपये-2,000/-

	दिनांक 29.10.2005 <b>आर-607</b>	परधान, निवासी-कहानी, तहसील-घंसौर, जिला-सिवनी (पैर के इलाज हेतु)	(दो हजार)
3	एचसीएम-2175 / 2005 दिनांक 29.10.2005 <b>आर-608</b>	श्रीमती उषा पाण्डेय, पत्नि श्री समयलाल पाण्डेय, निवासी अनन्तपुर, तहसील-हुजूर, जिला-रीवा(बीमारी के इलाज हेतु)	रुपये-5,000 / - (पांच हजार)
4	एचसीएम-2168 / 2005 दिनांक 29.10.2005 <b>आर-609</b>	श्री लक्ष्मण नागेश्वर निवासी-मकान नं.1, गली नं.1, गर्ल्स स्कूल के पीछे, जहाँगीराबाद, भोपाल. (पुत्री के इलाज हेतु)	रुपये-5,000 / - (पांच हजार)
5	एचसीएम-2166 / 2005 दिनांक 29.10.2005 <b>आर-610</b>	श्री मूलचन्द्र निवासी-ग्राम बकानिया, तहसील-हुजूर जिला-भोपाल(पत्नी के कैंसर रोग के इलाज हेतु)	रुपये-10,000 / - (दस हजार)
6	एचसीएम-2171 / 2005 दिनांक 29.10.2005 <b>आर-611</b>	श्रीमती सुशीला देवी,पत्नि स्व. श्रीरविशंकर, ग्राम नरेला, हनुमतसिंह पो. अमरावतकला, जिला-भोपाल (पुत्र की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता)	रुपये-5,000 / - (पांच हजार)
7	एचसीएम-2048 / 2005 दिनांक 20.10.2005 <b>आर-612</b>	श्री रामवरण सिंह परमार,निवासी ग्राम वसई, हरिचंद तहसील व जिला-मुरैना, (कैंसर इलाज हेतु)	रुपये-10,000 / - (दस हजार)
8	एचसीएम-2080 / 2005 दिनांक 24.10.2005 <b>आर-614</b>	श्री कमल किशोर शर्मा, निवासी- महानंदानगर,ए-11 / 10,उज्जैन (पत्नी के कैंसर उपचारार्थ)	रुपये-10,000 / - (दस हजार)
9	एचसीएम-2170 / 2005 दिनांक 29.10.2005 <b>आर-615</b>	श्री सुरेश कुमार तिवारी, निवासी-ग्राम नरेला, हनुमतसिंह पो.अमरावतकला, जिला-भोपाल (घायल के इलाज हेतु)	रुपये-5,000 / - (पांच हजार)
10	एचसीएम-2165 / 2005 दिनांक 29.10.2005 <b>आर-616</b>	श्री श्रीराम पिता श्री नारायण सोनी, निवासी-ऊन, तहसील व जिला- खरगौन, (पुत्री के इलाज हेतु)	रुपये-10,000 / - (दस हजार)
11	एचसीएम-2472 / 2005 दिनांक 14.11.2005 <b>आर-617</b>	श्रीमती शारदाबाई पत्नि स्व. श्री गोपाल,निवासी-चिंतावद कांकड़, इन्दौर(पुत्री के हृदय रोग के इलाज हेतु)	रुपये-10,000 / - (दस हजार)
12	एचसीएम-2473 / 2005 दिनांक 14.11.2005 <b>आर-619</b>	1.कु. रश्मि हार्डिया निवासी-118, विष्णुपुरी, एनेक्स, इन्दौर 2.कुमारी लक्ष्मी पाटिल, न्यु चित्रा नगर, इन्दौर (इलाज हेतु)	रुपये-10,000 / - (दस हजार) रुपये-10,000 / - (दस हजार)
13	एचसीएम-2480 / 2005 दिनांक 14.11.2005 <b>आर-620</b>	श्री जहीरअली पिता श्री मेहबूब अली,निवासी-अलीराजपुर जिला-झाबुआ (पुत्री के इलाज हेतु)	रुपये-10,000 / - (दसस हजार)
14	एचसीएम-2471 / 2005 दिनांक 14.11.2005 <b>आर-621</b>	श्री शेतानसिंह भलावी, लेखापाल, आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शाहपुर,जिला-बैतूल (पत्नी के कैंसर इलाज हेतु)	रुपये-10,000 / - (दस हजार)
15	एचसीएम-2423 / 2005 दिनांक 10.11.2005 <b>आर-622</b>	श्री जीवनलाल नामदेव, वल्द स्व. श्री बाबूलाल, निवासी चन्द्रशेखर वार्ड, सागर	रुपये-10,000 / - (दस हजार)

		(पुत्री के इलाज हेतु)	
16	एचसीएम-2422 / 2005 दिनांक 10.11.2005 <b>आर-623</b>	श्रीमती कमलासेनी, भाजपा पार्षद, जिला-नीमच . (स्वयं के इलाज हेतु)	रुपये-10,000 / - (दस हजार)
17	एचसीएम-2379 / 2005 दिनांक 08.11.2005 <b>आर-624</b>	श्री गजाधरप्रसाद रायकवार, पिता श्री खंचोरे लालरेकवार, निवासी- ढिमरपुरा, तहसील-निवाड़ी, जिला- टीकमगढ़ (पत्नी के इलाज हेतु)	रुपये-5,000 / - (पांच हजार)
18	एचसीएम-2360 / 2005 दिनांक 08.11.2005 <b>आर-625</b>	श्री अजय वर्मन, पिता श्री दशरथ प्रसाद वर्मन, निवासी-ग्वारीघाट, जिला-जबलपुर (पुत्र के इलाज हेतु)	रुपये-5,000 / - (पांच हजार)
19	एचसीएम-2424 / 2005 दिनांक 10.11.2005 <b>आर-628</b>	श्री प्रभाकर केरालकर, निवासी ओंकारेश्वर जिला खण्डवा (पुत्री के इलाज हेतु)	रुपये-10,000 / - (दस हजार)
20	एचसीएम-2336 / 2005 दिनांक 05.11.2005 <b>आर-629</b>	<b>कलेक्टर, जिला-इन्दौर, मध्य प्रदेश</b> (मृतक श्री मनोज पिता श्री उमराव सिंह चौहान, निवासी जयमारुति नगर, इन्दौर के परिजनों को आर्थिक सहायता बाबत।)	रुपये-5,000 / - (पांच हजार)
21	एचसीएम-2335 / 2005 दिनांक 05.11.2005 <b>आर-630</b>	श्री धनशाह कुशवाह, निवासी आदर्श कालोनी हाउसिंग बोर्ड होशंगाबाद (पुत्री के इलाज हेतु)	रुपये-5,000 / - (पांच हजार)
22	एचसीएम-2339 / 2005 दिनांक 05.11.2005 <b>आर-631</b>	<b>कलेक्टर-छतरपुर मध्य प्रदेश</b> (दिनांक 23.05.2005 को खमरिया जिला-छतरपुर में ट्रक पलटने से मृत व्यक्तियों के परिवार को आर्थिक सहायता) 07 श्रमिकों की मृत्यु होने पर रुपये-5,000 / - प्रति मृतक के मान से)	रुपये-35,000 / - (पैंतीस हजार)
23	एचसीएम-2332 / 2005 दिनांक 05.11.2005 <b>आर-632</b>	श्री महिपाल सिंह, निवासी-एम-196, ई-7, अरेरा कालोनी, भोपाल (पत्नी के हृदय रोग के इलाज हेतु)	रुपये-10,000 / - (दस हजार)
24	एचसीएम-2337 / 2005 दिनांक 05.11.2005 <b>आर-633</b>	श्री विवेक रूपा मराठे, निवासी शाहपुर जिला-बुरहानपुर (स्वयं के इलाज हेतु)	रुपये-5,000 / - (पांच हजार)
25	एचसीएम-2334 / 2005 दिनांक 05.11.2005 <b>आर-634</b>	श्रीमती फातेमा बी पत्नी श्री जब्बार हुसैन निवासी-बोहरा मस्जिद के पास, तह व जिला-हरदा (स्वयं के हृदय रोग इलाज हेतु)	रुपये-10,000 / - (दस हजार)
26	एचसीएम-2330 / 2005 दिनांक 05.11.2005 <b>आर-635</b>	श्री अम्बाराम पिता श्री नन्तूलाल निवासी पोलायकलाजिला-शाजापुर (स्वयं के हृदय रोग ऑपरेशन हेतु)	रुपये-20,000 / - (बीस हजार)
27	एचसीएम-2551 / 2005 दिनांक 17.11.2005 <b>आर-636</b>	<b>श्री भगवान लाल सेलर,</b> अध्यक्ष, मांझी महासंघ, जिला शाखा, गुना, जिला-गुना (पुत्र की तालाब में डूबने से मृत्यु होने के कारण आर्थिक सहायता)	रुपये-5,000 / - (पांच हजार)
28	एचसीएम-2550 / 2005 दिनांक 17.11.2005	श्री दशरथ सिंह भदोरिया, सैनिक क 717, होमगार्ड भोपाल, हाल	रुपये-5,000 / - (पांच हजार)



आर-637	रूपसहायकपुरा, जिला-भिण्ड (पत्नी के कैंसर उपचार हेतु)	
	कुल राशि-	रूपये-2,57,000/-

व्त्कमत.120

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	2771/पीएससीएम/05 दिनांक 21.11.2005, एचसीएम-2720,दिनांक 28. 11.2005 <b>685</b>	श्री संजीव श्रीवास्तव, संवाददाता, राज एक्सप्रेस, भोपाल (पुत्री के उपचार हेतु)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम-2784/05 दिनांक 29.11.2005 <b>आर-686</b>	श्रीमती निर्मल धुर्वे, निवासी-44/25, साउथ टी.टी.नगर, भोपाल (इलाज हेतु)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
3	एचसीएम-2825/05 दिनांक 30.11.2005 <b>आर-688</b>	श्रीमती हशमत बी स्व.श्री मोहम्मद अहमद, नि.55/2 भोईपुरा बुधवारा भोपाल(इलाज हेतु)	रूपये-15,000/- (पन्द्रह हजार)

4	एचसीएम-2721/05 दिनांक 22.11.2005 आर-689	श्रीराजू भोला, निवासी गाडवे की गोट, लाला का बाजार, लशकर ग्वालियर (पत्नि के गर्भाशय कैंसर के इलाज हेतु)	रुपये-5,000/- (पांच हजार)
5	एचसीएम-2813/05 दिनांक 29.11.2005 आर-690	श्रीमती शांतीबाई डागरा पति श्री सुरेन्द्र कुमार डागरा, निवासी-55, ब्रम्हपुरी, शुजालपुर मण्डी, जिला-शाजापुर (कैंसर इलाज हेतु)	रुपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
6	एचसीएम-2719/05 दिनांक 28.11.2005 आर-691	श्री जमुना प्रसाद आ. खुमान निवासी-प्रेमपुरा भोपाल (आर्थिक सहायता)	रुपये-5,000/- (पांच हजार)
7	एचसीएम-2722/05 दिनांक 28.11.2005 आर-692	श्री मदनलाल पिता श्री छगनलाल निवासी राजोद तह-सरदारपुर जिला-धार (पुत्र के इलाज हेतु)	रुपये-20,000/- (बीस हजार)
		<b>कुल राशि-</b>	<b>रुपये-90,000/-</b>

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1.	1837/मुमंनि/06 दिनांक 3.3.2006 <b>आर-979</b>	श्री सत्यनारायण आत्मज श्री बाबूलाल शर्मा निवासी वार्ड क्रमांक 6 गंज बासौदा जिला विदिशा (इलाज हेतु)	रुपये-8,000/- (आठ हजार)
2.	एचसीएम-206/06 दिनांक 3.3.2006 <b>आर-980</b>	श्री लक्ष्मण सिंह विश्वकर्मा, द्वारा वार्ड नं. 13, शेडे भवन, अशोकनगर कालोनी, रायसेन (पत्नी के इलाज हेतु)	रुपये-10,000/- (दस हजार)
3.	1838/मुमंनि/06 दिनांक 3.3.2006 <b>आर-981</b>	श्री संजीव सोनकर निवासी द्वारा डॉ. रमेश सोनकर 79 रामद्वारा विदिशा (माताजी श्रीमती लीला सोनकर के कैंसर इलाज हेतु)	रुपये-8,000/- (आठ हजार)
4.	1798/मुमंनि/06 दिनांक 2.3.2006 <b>आर-982</b>	श्री हरिनारायण चौहान पुत्र श्री बाबूलाल निवासी ग्राम आमोन, तहसील बुदनी जिला सीहोर (स्वयं के इलाज हेतु)	रुपये-70,000/- (सत्तर हजार)
		कुल राशि	रुपये /-

क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1.	1887/मुमनि/06 दिनांक 4.3.2006 आर-1005	श्री रिजवान खान पिता श्री अरमान खान निवासी वार्ड क्रमांक 15 नीलकंठ रोड, नसरुल्लागंज जिला सीहोर (स्वयं के उपचार हेतु)	रुपये-20,000/- (बीस हजार)
2.	1891/मुमनि/06 दिनांक 4.3.2006 आर-1006	श्रीमती बोलाबाई पत्नी स्व. श्री सलुआ अहिरवार, निवासी ग्राम जैत, तहसील बुधनी जिला सीहोर (आर्थिक सहायता)	रुपये-5,000/- (पांच हजार)
3.	1892/मुमनि/06 दिनांक 4.3.2006 आर-1007	श्री अशोकर कुमार कीर ग्राम ऊँचाखेड़ा, तहसील बुदनी जिला सीहोर (उपचार हेतु आर्थिक सहायता)	रुपये-20,000/- (बीस हजार)
4.	1893/मुमनि/06 दिनांक 4.3.2006 आर-1008	श्री मुन्ने खां उर्फ मामू आत्मज श्री छुट्टू खां निवासी वार्ड क्रमांक-07 सुल्तानपुर तहसील गौहरगंज जिला रायसेन (पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायता)	रुपये-5,000/- (पांच हजार)
5.	1894/मुमनि/06 दिनांक 4.3.2006 आर-1009	सुश्री जीनत वजीर निवासी म.नं.-4 पाल साहब की गली जिन्सी रोड़, जहाँगीराबाद, भोपाल (गरीब होने से आर्थिक सहायता)	रुपये-5,000/- (पांच हजार)
6.	1890/मुमनि/06 दिनांक 4.3.2006 आर-1010	श्रीमती रीता श्रीवास, पत्नि श्री धन्नलाल, निवासी आई 52/11, साऊथ टी.टी. नगर, भोपाल (पुत्र के इलाज हेतु आर्थिक सहायता)	रुपये-10,000/- (दस हजार)
7.	1898/मुमनि/06 दिनांक 4.3.2006 आर-1011	श्री बादाम सिंह पुत्र श्री दलीप निवासी ग्राम भटोली तहसील सिरोंज जिला विदिशा (पैर के उपचार हेतु आर्थिक सहायता)	रुपये-7,000/- (सात हजार)
8.	1889/मुमनि/06 दिनांक 4.3.2006 आर-1012	श्री कैलाश चन्द्र चौहान आत्मज किशनलाल चौहान निवासी म.नं. 2324 लुनियापुरा, महु जिला इन्दौर (स्वयं के उपचार हेतु आर्थिक सहायता)	रुपये-20,000/- (बीस हजार)
9.	1895/मुमनि/06 दिनांक 4.3.2006 आर-1013	श्रीमती गीताबाई पत्नी स्व. श्री ओमप्रकाश सेन, निवासी ग्राम तजपुरा, तहसील नसरुल्लागंज जिला सीहोर (आर्थिक सहायता)	रुपये-10,000/- (दस हजार)
10.	1888/मुमनि/06 दिनांक 4.3.2006 आर-1014	श्रीमती धनवंती बाई पत्नी बलवान सिंह निवासी मस्जिद चौक बक्तरा, मु.पो. बक्तरा, तहसील बुधनी जिला सीहोर (स्वयं के उपचार हेतु आर्थिक सहायता)	रुपये-20,000/- (बीस हजार)
11.	1886/मुमनि/06 दिनांक 4.3.2006 आर-1015	श्रीमती संगीता शर्मा पत्नी श्री जितेन्द्र शर्मा निवासी 13, ब्राम्हणपुरा, आगर (मालवा) जिला शाजापुर (स्वयं के उपचार हेतु आर्थिक सहायता)	रुपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
		कुल राशि	रुपये 1,47,000/-

**Order-123**

स. क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक / दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम / पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम-192 / 06 दिनांक 2.3.2006 आर-983	श्री शेख करीब आ. श्री शेख नन्हें खा, निवासी-सिंहपुर बड़ा, जिला-नरसिंहपुर (पुत्र के आँखों के इलाज हेतु)	रुपये-5,000 / - (पाँच हजार)
2	एचसीएम-202 / 06 दिनांक 2.3.2006 आर-984	श्री राधेश्याम शर्मा, निवासी-सुनारगली, शिवपुरी. (पुत्र के हृदय रोग के उपचार हेतु)	रुपये-25,000 / - (पच्चीस हजार)
3	एचसीएम-196 / 06 दिनांक 2.3.2006 आर-985	श्री बेनीप्रसाद नामदेव पुत्र श्री हीरालाल नामदेव, निवासी ग्राम सलैया, जिला-विदिशा (स्वयं के कैंसर उपचार हेतु)	रुपये-10,000 / - (दस हजार)
4	एचसीएम-209 / 06 दिनांक 4.3.2006 आर-986	श्री केवल सिंह गौर निवासी- झुग्गी नं140, एच 54अ / 135 के पास, माता मंदिर, भोपाल. (पत्नी के हृदयरोग के इलाज हेतु)	रुपये-5,000 / - (पाँच हजार)
5	एचसीएम-212 / 06 दिनांक 4.3.2006 आर-987	श्रीमती कृष्णा बाई पुत्री श्री द्वारका प्रसाद, निवासी ग्राम-देवखजूरी, तहसील व जिला-विदिशा (पुत्री के असाध्य रोग इलाज हेतु)	रुपये-25,000 / - (पच्चीस हजार)
6	एचसीएम-205 / 06 दिनांक 2.3.2006 आर-988	श्री उदय नारायण दुबे, निवासी-पिपरिया, राजमल, तहसील-बंडा, जिला-सागर. ( कैंसर रोग के इलाज हेतु	रुपये-50000 / - (पचास हजार)

7	एचसीएम-193/06 दिनांक 2.3.2006 आर-989	श्री प्रशांत शर्मा, द्वारा श्री एन.के.जेन.जे-1, हर्ष वर्धन नगर, मातामंदिर, भोपाल (उच्च शिक्षा हेतु)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
8	एचसीएम-211/06 दिनांक 4.3.2006 आर-990	श्री गंगोत्री प्रसाद द्विवेदी, निवासी झुग्गी नं. 340, वल्लभ नगर, क्रमांक-1,वार्ड नं-35, भोपाल (स्वयं के कैंसर इलाज हेतु)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
9	एचसीएम-210/06 दिनांक 4.3.2006 आर-991	श्री दामोदर प्रसाद सिसोदिया, निवासी-चकल्दी, तहसील-नसरुल्लागंज, जिला-सीहोर (स्वयं के पथरी रोग के इलाज हेतु)	रूपये-5000/- (पाँच हजार)
10	एचसीएम-201/06 दिनांक 2.3.2006 आर-992	श्री जितेन्द्र रघुवंशी, फ्लैट नं-13 ए 127, विक्रम पेलेस अपार्टमेंट, हाउसिंगबोर्ड कालोनी, कोहेफिजा, भोपाल(पत्नी के ब्लड कैंसर इलाज हेतु)	रूपये-20,000/- (बीस हजार)
11	एचसीएम-203/06 दिनांक 2.3.2006 आर-993	श्रीमती संगीता सक्सेना, निवासी लोको झंडाधारी, हनुमान मंदिर के पास, जिला-ग्वालियर (पुत्र के इलाज हेतु)	रूपये-5000/- (पाँच हजार)
12	एचसीएम-200/06 दिनांक 2.3.2006 आर-994	श्री रामहेत ओझा पुत्र श्री अनिल ओझा, निवासी-मंशापूर्ण के पास, कल्था मिल, शिवपुरी (पुत्र के इलाज हेतु)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
13	एचसीएम-198/06 दिनांक 2.3.2006 आर-995	श्रीमती निलोफर, म.नं.15, गिन्नोरी, मोहम्मद साहव की मस्जिद के पास, भोपाल (आर्थिक सहायता)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
14	एचसीएम-208/06 दिनांक 4.3.2006 आर-996	श्री नंदलाल द्विवेदी, निवासी ग्राम पैरा तहसील-त्यौधर, जिला-रीवा (पुत्र के इलाज हेतु)	रूपये-5000/- (पाँच हजार)
15	एचसीएम-191/06 दिनांक 2.3.2006 आर-997	श्री जगत सिंह पुत्र श्री निजाम सिंह, निवासी- पाठक वार्ड नरसिंहपुर (पुत्र के रक्त संबंधी बीमारी के उपचार हेतु)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
16	एचसीएम-195/06 दिनांक 2.3.2006 आर-998	श्रीमती किरन विजयवर्गी पति विनय विजयवर्गीय, निवासी-खान कालोनी, महुँ, जिला-इन्दौर (पति के इलाज हेतु)	रूपये-5,000/- (पाँच हजार)
17	एचसीएम-204/06 दिनांक 2.3.2006 आर-999	श्री रामगुलाम प्रजापति, निवासी-संत रविदास वार्ड, जिला-सागर (पुत्रों की मृत्यु होने से सहायता)	रूपये-4,000/- (चार हजार)
18	एचसीएम-194/06 दिनांक 2.3.2006 आर-1000	श्री हरिप्रसाद पुत्र श्री सुखलाल लोधी, निवासी-सिमरहा, नैनपुर, जिला-मण्डला (असाधारण बीमारी के इलाज हेतु)	रूपये-50000/- (पचास हजार)
19	एचसीएम-189/06 दिनांक 1.3.2006 आर-1001 माननीय सांसद-श्री थावर चंद गहलोत, माननीय विधायक-श्री फूलसिंह मेवाडा	हार्ट एण्ड लंग्स इंस्टीट्यूट पहाड़गंज, नई दिल्ली (श्री आत्माराम पुत्र श्री हीरालाल मीना, निवासी भीमपुरा, शुजालपुर, जिला-शाजापुर के बायपास सर्जरी के उपचार हेतु)	रूपये-1,00,000/- (एक लाख)
20	एचसीएम-190/06 दिनांक 2.3.2006 आर-1002	कलेक्टर, जिला-मुरैना (MOPRO) (दिनांक 6.02.2006 को कैलारस, जिला-मुरैना में मिनि बस में आग लगने से मुख्यमंत्री जी की	रु0-17,00,000/- (रूपये-सत्तरह लाख)

		घोषणा के परिपालन में, 14 मृतकों के परिवार जनों को प्रतिपरिवार रूपये-1,00,000/-के मान से, गंभीर हुए 05 प्रति घायलों को रूपये-30,000/- के मान से एवं 15 साधारण घायलों प्रति घायल रूपये-10,000/-के मान से आर्थिक सहायता)	
21	एचसीएम-199/06 दिनांक 2.3.2006 आर-1003	श्री कमलचंद पिता श्री गुलाब चंद गूजर निवासी-बागदा बुर्जग, तह-बड़वाहा, जिला-खरगोन (स्वयं ब्रेन ट्युमर के इलाज हेतु)	रूपये-15,000/- (पन्द्रह हजार)
22	एचसीएम-197/06 दिनांक 2.3.2006 आर-1004	श्री प्रकाश पिता पाण्डुरंग, निवासी-45/3, बाबू मुराई कालोनी, इन्दौर (स्वयं के इलाज हेतु)	रूपये-5000/- (पांच हजार)
		<b>कुल राशि-</b>	<b>रूपये-20,84,000/-</b>

**त्तकमत. 124**

क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1.	1968/मु.मं.नि./06 7.3.06 आर-1005	श्री सुनीलराजसिंह आ0 श्री राजेंद्रसिंह डोड़िया निवासी कलहारी तहसील/जिला खंडवा (उपचार हेतु आर्थिक सहायता)	रूपये-50,000/- (पचास हजार)
2.	1967/मु.मं.नि./06 7.3.06 आर-1006	श्रीमती मन्जूबाई, 21, जबरन कॉलोनी, मढ़ी माता का बगीचा, जूनी, इन्दौर (पुत्र के इलाज हेतु आर्थिक सहायता)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
3.	607/एससीएम/डीपी टी/06, दि.7.3.2006 आर-1007	श्री विश्वेन्द्र मेहता पिता श्री लक्ष्मीनारायण मेहता निवासी 46, सुरुधि नगर, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल (स्वयं के इलाज हेतु)	रूपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
		<b>कुल -</b>	<b>रूपये-85,000/-</b>

**Order-125**

क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	562/एससीएम/डीपी टी/2006, दिनांक 06.03.2006	<b>कलेक्टर, जिला-विदिशा मध्यप्रदेश</b> (दिनांक 26.02.2006 को विदिशा जिले में तहसील कुरवाई के ग्राम पडरिया झगड़े के दौरान घायल 13 व्यक्तियों को रूपये-10,000/- के मान से कुल रूपये-1,30,000/-की सहायता) 1. श्री धन्नालाल पुत्र श्री छत्तू अहिरवार उम्र 42 वर्ष 2. श्रीमती द्रोपतीबाई पत्नी धन्नालाल अहिरवार, उम्र 38 वर्ष 3. श्री जालमसिंह पुत्र श्री छत्तूसिंह अहिरवार उम्र 46 वर्ष 4. श्रीमती नर्वदीबाई पत्नी जालमसिंह अहिरवार उम्र 44 वर्ष 5. श्री तुलसीराम पुत्र छत्तूसिंह अहिरवार उम्र 38 वर्ष 6. श्रीमती कलाबाई पत्नी तुलसीराम अहिरवार उम्र 34 वर्ष 7. श्री नेतराम पुत्र धन्नालाल अहिरवार, उम्र 22 वर्ष 8. श्री अमरसिंह पुत्र धन्नालाल अहिरवार, उम्र 15 वर्ष 9. श्री दशरथ पुत्र चेताराम अहिरवार, उम्र 26 वर्ष 10. श्री रंधीर पुत्र पंछी अहिरवार उम्र 38 वर्ष 11. श्री फेली पुत्र गनपत अहिरवार उम्र 60 वर्ष 12. श्री राजेश पुत्र रंधीर अहिरवार, उम्र 15 वर्ष 13. श्रीमती चिरांजीबाई पत्नी चेताराम अहिरवार, उम्र 55 वर्ष	रूपये-1,30,000/- (एक लाख तीस हजार)
2	596/एससीएम/डीपी टी/2006, दिनांक 06.03.2006	<b>कलेक्टर, जिला-मुरैना मध्यप्रदेश</b> (दिनांक 22.12.2005 को मुरैना जिले में दंगे में घायल व्यक्तियों को आर्थिक क्षति होने के कारण मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 35 व्यक्तियों को आर्थिक सहायता के रूप में राशि स्वीकृत करने बाबत 1. श्री मुकेश जाटव, उत्तमपुरा, चाय की दुकान -रु, 2,000/- 2. श्री रामचरण लाल, उत्तमपुरा, गुमठी रु, 2,000/- 3. यादव एस.टी.डी. नि0 जिगरी, चैनल टीनशेड	रूपये-1,77,000/- (एक लाख सतत्तर हजार)



	<p>दुकान रू. 2,000/-</p> <p>4. श्री विक्रम सिकरवार, गणेशपुरा, बुक स्टोर/एस.टी. डी.पी.सी.ओ./कम्प्यूटर - रू. 10,000/-</p> <p>5. श्री रामकुमार शर्मा, निवासी महावीरपुरा, पान की दुकान रू. 1,000/-</p> <p>6. परिमाल रेल्वे फाटक, चाय की दुकान रू. 4,000/-</p> <p>7. श्री सुभाष गुप्ता, होटल रेल्वे फाटक, टीन के पल्लड भट्टी काउन्टर, रू. 5,000/-</p> <p>8. श्री महेश जैन, हलवाई की दुकान, रेल्वे फाटक, त्रिपाल काउन्टर रू. 1,000/-</p> <p>9. श्री गोपाल पटेल, रेल्वे फाटक रोड, टीनशेड भट्टी काउन्टर, रू. 1,000/-</p> <p>10. श्री अशोक शर्मा, रेल्वे फाटक रोड, पान की गुमठी, रू. 3,000/-</p> <p>11. श्री मुन्नालाल टैगोर, उत्तमपुरा, टेन्ट हाउस का सभी सामान, रू. 30,000/-</p> <p>12. श्री अतरसिंह बरेलिया, उत्तमपुरा, टेलरिंग की दुकान, सिलाई मशीन एवं कपड़े काउन्टर, रू. 3,000/-</p> <p>13. श्री राधाचरण शर्मा, पान की दुकान, रू. 1,000/-</p> <p>14. श्री रमेश चन्द्र, उत्तमपुरा, सिलाई मशीन काउन्टर व कपड़ा काउन्टर, रू. 5,000/-</p> <p>15. श्री लोकमन मौर्य, उत्तमपुरा, वेल्डिंग मशीन, मोटरें व रूई की मशीन रू. 2,000/-</p> <p>16. श्री मोती जाटव रेल्वे फाटक टेन्ट का सभी सामान रू. 25,000/-</p> <p>17. श्री उत्तम जाटव उत्तमपुरा, टेन्ट का सभी सामान रू. 25,000/-</p> <p>18. श्री मोहन पारा, सुभाष नगर सिलाई मशीन रू. 2,000/-</p> <p>19. श्री विशाल खटीक, उत्तमपुरा, सब्जी की दुकान रू. 1,000/-</p> <p>20. श्री हरिनारायण गोयल, रेल्वे फाटक, काउन्टर, मकान के शीशे आदि रू. 1,000/-</p> <p>21. श्री राकेश माहौर भागचन्द चाय की गुमठी रू. 5,000/-</p> <p>22. श्री दौलत राम बरैया, उत्तमपुरा, क्लिनिक का सामान काउन्टर फर्नीचर रू. 3,000/-</p> <p>23. श्री रमेश वर्मा, उत्तमपुरा, फर्नीचर व क्लिनिक का सामान व टेप पंखा रू. 2,000/-</p> <p>24. श्री राजेन्द्र गुप्ता मेडिकल स्टोर जीवाजीगंज जिला मुरैना, फ्रिज मेडिकल स्टोर का सामान रू. 10,000/-</p> <p>25. श्री महेन्द्र पुत्र मातादीन उत्तमपुरा क्लिनिक का फर्नीचर व मेडिसिन रू. 2,000/-</p> <p>26. श्री बिहारीलाल, उत्तमपुरा, परचूने का सामान रू. 1,000/-</p> <p>27. श्री सुरेश, उत्तमपुरा, परचूने का सामान रू. 1,000/-</p>	
--	---	--

		<p>28. श्री रामजीवन रजक, बड़ोखर, प्रेस के कमड़े की गुमठी रु. 1,000/-</p> <p>29. श्री राकेश उत्तमपुरा, टी.वी. मरम्मत के सामान की दुकान रु. 3,000/-</p> <p>30. श्री मनीष कुलश्रेष्ठ, उत्तमपुरा, एस.टी.डी.पी.सी.ओ. रु. 7,000/-</p> <p>31. श्री भूपेन्द्र मेहता, उत्तमपुरा, मकान के किवाड़ की तोड़फोड़ रु. 1,000/-</p> <p>32. श्री सोनी मोची, उत्तमपुरा, मोची का सामान रु. 1,000/-</p> <p>33. श्री बाबू मोची,, मोची का सामान रु. 1,000/-</p> <p>34. श्रीमती फूलवती पत्नी मुन्नालाल, टी.वी. सी.डी. प्लेयर, घरेलू कपड़े एवं अन्यरु. 10,000/-</p> <p>34. राधाकृष्ण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मनोहर नगर, स्कूल के फर्नीचर, टीनशेड खेलकूद का सामान, विद्यालय भवन क्षतिग्राम रु. 3,000/-</p>	
3	558/एससीएम/डीपी टी/2006, दिनांक 06.03.2006	<p><b>ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मेडीकल साइंसेस, अंशारी नगर, नई दिल्ली.</b> (श्री सुरेन्द्र शर्मा पुत्र गोपाल शर्मा, निवासी-सिसोनिया, तह-गोहद, जिला-भिण्ड के पुत्र के एप्लास्टिक एनिमिया के इलाज हेतु)</p>	रुपर्ये-1,00,000/- (एक लाख)
		<b>कुल राशि-</b>	रुपर्ये-4,07,000/-

**Order-126**

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.

1.	एचसीएम-1911/2005 दिनांक 26.09.2005 आर-567	कलेक्टर, जिला-सागर मध्यप्रदेश (दिनांक 23.9.2005 को जिला उत्तर काशी स्थित जमुनोत्री रोड पर स्थान चट्टी और हनुमानचट्टी के बीच हुई मिनी बस दुर्घटना में रहली, जिला-सागर (मध्यप्रदेश) के निम्नानुसार अंकित 7 घायलों को रू0 10,000/-के मान से कुल राशि रूपयें-70,000/-की आर्थिक सहायता.) घायलों के नाम- 1. श्री रामदयाल पुत्र फकीरे, निवासी-बमूरा डीमरिया, रहली, सागर 2. श्री कमलेश कुमार सोनी पुत्र श्री उमाशंकर सोनी रामेश्वर वार्ड,9 रहली, सागर 3. श्री प्रायमेश सोनी, पुत्री श्री उमाशंकर सोनी रामेश्वर वार्ड,9 रहली, सागर 4. श्री कमलचंद्र यादव पुत्र श्री दुलीचंद यादव पंडनपुर रहली, सागर 5. श्रीमती रूकमनबाई पत्नी श्री वृंदावन ठाकुर, बमूराकंज रहली, सागर 6. श्रीमती पुष्पा यादव पत्नी श्री कमलचंद्र यादव, पंडनपुर रहली, सागर 7. श्री विनोद, बस चालक	रू0-10,000/- (दस हजार) रू0-10,000/- (दस हजार) रू0-10,000/- (दस हजार) रू0-10,000/- (दस हजार) रू0-10,000/- (दस हजार) रू0-10,000/- (दस हजार) रू0-10,000/- (दस हजार)
		कुल राशि-	रू0 70,000/-

**Order-.....**

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1.	एचसीएम-221/06 दिनांक 9.3.2006 आर-	श्रीमती सम्पतबाई पत्नी श्री राजाराम नि. गोदना तह. गुलाना जिला शाजापुर (कैंसर रोग के इलाज हेतु)	रू0-10,000/- (दस हजार)
2.	एचसीएम-224/06 दिनांक 9.3.2006 आर-	श्री हीरालाल आत्मज श्री अमानसिंह निवासी इन्द्रानगर बाईपास के पास सीहोर (सड़क दुर्घटना में घायल होने के कारण)	रू0-5,000/- (पांच हजार)

3.	एचसीएम-223/06 दिनांक 9.3.2006 आर-	श्रीमती उर्मिला दुबे नि. चौबे वार्ड कटनी (पुत्र के इलाज हेतु)	रू0-10,000/- (दस हजार)
4.	एचसीएम-225/06 दिनांक 9.3.2006 आर-	श्री रुद्रप्रसाद पाण्डे नि. ई-2/80, अरेरा कालोनी, भोपाल (माँ के कैंसर के इलाज हेतु)	रू0 25,000/- (पच्चीस हजार)
5.	एचसीएम-222/06 दिनांक 9.3.2006 आर-	कु. रश्मि कुशवाह पुत्री श्री लीला कुशवाह नि. ग्राम कुण्डलपुर तह. पटेरा जिला दमोह (शिक्षा हेतु)	रू0 25,000/- (पच्चीस हजार)
6.	एचसीएम-220/06 दिनांक 9.3.2006 आर-	श्री मुकेश पंचोली, निवासी ग्राम टाण्ड बरुड़, तहसील एवं जिला खरगौन (संगीत प्रतिभा के उन्नयन हेतु)	रू0-10,000/- (दस हजार)
7.	2165/मु.मं.नि. दिनांक 13.3.2006 आर-	श्रीमती गंगाबाई पत्नी स्व. श्री नाथूराम कुशवाह, निवासी लुहांगी मोहल्ला, वार्ड क्रमांक-25 जिला विदिशा (आर्थिक सहायता)	रू0-8,000/- (आठ हजार)
8.	2164/मु.मं.नि. दिनांक 13.3.2006 आर-	श्रीमती कृष्णा राजपूत पत्नी स्व. श्री जगन्नाथसिंह, निवासी श्री जी की गली, नंदवाना जिला विदिशा (आर्थिक सहायता)	रू0-15,000/- (पन्द्रह हजार)
9.	2097/मु.मं.नि. दिनांक 11.3.2006 आर-	श्री किशोरी लाल गौर पुत्र श्री लखीराम गौर जाति कुर्मी, निवासी तहसील बुदनी जिला सीहोर (आर्थिक सहायता)	रू0-75,000/- (पचहत्तर हजार)
10.	एचसीएम/226 दिनांक 13.3.2006 आर-	श्रीमती सीमा सिंह पत्नी श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह, निवासी एलआईजी-151 कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल (पति के हृदय रोग इलाज हेतु)	रू0-2,50,000/- (दो लाख पचास हजार)
11.	एचसीएम/227 दिनांक 13.3.2006 आर-	<b>कलेक्टर, जिला- मुरैना</b> <b>मध्यप्रदेश</b> (दिनांक 6.2.2006 को कैलारस जिला मुरैना में मिनी बस में आग लगने से हुए मृतकों को आर्थिक सहायता कैलारस, <b>जिला-मुरैना (मध्यप्रदेश)</b> के निम्नानुसार अंकित 20 मृतको को रू0 आर्थिक सहायता.) घायलों के नाम- 1. भूरी पुत्री मोतीराम शाक्य उम्र 5 वर्ष निवासी राजा का तौर सबलगढ़ 2. डॉ0 प्रताप सिंह पुत्र श्री बदलू सिंह कुशवाह उम्र 40 वर्ष निवासी श्यामपुर	रू0-2,50,000/- (दो लाख पचास हजार)

		<p>तहसील अम्बाह</p> <p>3. सिरमिती बाई पत्नी सुरेश जाटव उम्र 30 वर्ष निवासी मजरा तहसील जौरा</p> <p>4. श्रीमती दया वर्मा पत्नी संतोष वर्मा उम्र 39 वर्ष निवासी रानीकुआ</p> <p>5. बृजकिशोर पुत्र मलथूप्रसाद उम्र 40 वर्ष निवासी असवार जिला भिण्ड</p> <p>6. सयज सिंह पुत्र प्रतापसिंह कुशवाह उम्र 25 वर्ष निवासी श्यामपुर खुर्द दिमनी तहसील अम्बाह</p> <p>7. सौरभ पुत्र राकेश कुशवाह उम्र 4 या 5 वर्ष निवासी श्यामपुर खुर्द दिमनी तहसील अम्बाह</p> <p>8. प्रियंका पुत्री राजेन्द्र जाटव उम्र 12 वर्ष निवासी मजरा जौरा तह0 जौरा</p> <p>9. मीना पुत्री दुर्गासिंह बघेले उम्र 25 वर्ष निवासी बधरौली तहसील जौरा</p> <p>10. अज्ञात 29 वर्ष महिला</p> <p>11. अज्ञात 13 या 15 वर्ष लड़की</p> <p>12. ब्रान्ची उर्फ बुलबुल वर्मा पुत्री सन्तोष उम्र 11 साल निवासी सबलगढ</p> <p>13. नीतू शाक्य पत्नीमोतीराम शाक्य उम्र 30 साल निवासी राजा का तौर तहसील सबलगढ</p> <p>14. लालाराम पुत्र खचेरे उम्र 42 साल निवासी मुरैना तहसील सबलगढ</p> <p>15. खली खां पुत्र लाल मोहम्मद उम्र 40 साल निवासी गुलपुरा तहसील सबलगढ</p> <p>16. अरविन्द प्रताप सिंह चौहान पुत्र पुत्तू सिंह निवासी अम्बाह</p> <p>17. छोटू पुत्र राकेश निवासी श्यामपुर खुर्द तहसील अम्बाह</p> <p>18. भागीरथ पुत्र होरीलाल जाटव निवासी बक्सपुर सबलगढ</p> <p>19. संतोष वर्मा पुत्र रमेश चन्द्र वर्मा निवासी सबलगढ</p> <p>20. रामकटोरी पत्नी ज्ञानसिंह निवासी सुकलपुरा जौरा</p>	
12.	एचसीएम/228 दिनांक 13.3.2006 आर-	श्री अभय भार्गव, स्टेट बैंक कालोनी देवास रोड उज्जैन (पुत्र के इलाज हेतु)	रु0-50,000/- (पचास हजार)
		<b>कुल राशि-</b>	<b>रु0 85,000/-</b>

## Order-.....

स. क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1.	एचसीएम-238/06 दिनांक 13.3.06 आर-	श्री भेरू सिंह, बरखेड़ा, पो. लोगसरी, तह. सरदारपुर, जि. धार (पुत्र के रीड की हडडी के इलाज हेतु)	रू0-20,000/- (बीस हजार)
2.	एचसीएम-237/06 दिनांक 13.3.2006 आर-	श्री नानूराम पिता श्री छोगालाल, ग्राम रतवा, वि.ख. नालछा, तह. जिला धार (पुत्र के हृदय बाल्व के इलाज हेतु)	रू0-5,000/- (पांच हजार)
3.	एचसीएम-236/06 दिनांक 13.3.2006 आर-	श्री सालामू पिता श्री नाथू, बिल्लोद, वि.खं. नालछा, जिला धार (हृदय रोग के इलाज हेतु)	रू0-5,000/- (दस हजार)
4.	एचसीएम-247/06 दिनांक 13.3.2006 आर-	श्रीमती ममता शिवहरे, सहीड़ा कला, नरवर, जिला शिवपुरी (कैंसर रोग के इलाज हेतु)	रू0 15,000/- (पन्द्रह हजार)
5.	एचसीएम-246/06 दिनांक 13.3.2006 आर-	श्री नरेन्द्र सिंह तंवर, ग्राम लसूडी तंवर, जिला नीमच (आंतों की बीमारी के इलाज हेतु)	रू0 25,000/- (पच्चीस हजार)
6.	एचसीएम-245/06 दिनांक 13.3.2006 आर-	श्री रविवंश प्रसाद द्विवेदी, ग्राम सोनवर्षा, जिला सीधी (कैंसर रोग के इलाज हेतु)	रू0-10,000/- (दस हजार)
7.	एचसीएम-240/06 दिनांक 13.3.2006 आर-	मो. साबीर, पिता मो. इब्राहिम, म.नं. 12, नवजवाहर मार्ग, जिला धार (पुत्र के ब्लड कैंसर के इलाज हेतु)	रू0-15,000/- (पन्द्रह हजार)
8.	एचसीएम-235/06 दिनांक 13.3.2006 आर-	1. श्री नायकड़ा पिता हेमता, निवासी साजनपुर, झाबुआ 2. श्री बनिया पिता भुवान, निवासी साजनपुर, झाबुआ (मिटटी धसने की दुघर्टना में मृतकों के परिवारों को सहायता)	रू0-10,000/- (दस हजार) रू0-10,000/- (दस हजार)
9.	एचसीएम-241/06 दिनांक 13.3.2006 आर-	श्रीमती तारमणि बंसल, पिंजारा मोहल्ला वार्ड 08, ब्यावरा राजगढ़ (स्वयं के कैंसर के इलाज हेतु)	रू0-10,000/- (दस हजार)
10.	एचसीएम-248/06	श्री संतोष पुत्र श्री हरदास जाटव,	रू0-10,000/-

	दिनांक 13.3.2006 आर—	ग्राम टीला, करेरा, जिला शिवपुरी (स्वयं की पेशबनली के इलाज हेतु)	(दस हजार)
11.	एचसीएम-239/06 दिनांक 13.3.2006 आर—	श्री महेश कुमार अरोरा, 269, जनता क्वार्टर, एल.आई.जी कालोनी, इन्दौर (स्वयं के हृदय रोग के इलाज हेतु)	रु0-5,000/- (पांच हजार)
12.	एचसीएम-249/06 दिनांक 13.3.2006 आर—	डॉ. केशव पाण्डेय, 14, लक्ष्मीबाई कालोनी, ग्वालियर (पत्नी की किडनी के इलाज हेतु)	रु0-20,000/- (बीस हजार)
13.	172/05	श्री संजय जाधव, म.नं. 65, अम्बेडकर नगर, साउथ टी.टी. नगर, भोपाल (स्वयं के मिर्गी रोग के इलाज हेतु)	रु0-5,000/- (पांच हजार)
13.	एचसीएम-244/06 दिनांक 13.3.2006 आर—	श्री जगदीश सिंह रघुवंशी, ग्राम हिनोतिया नटेरन, जिला विदिशा (स्वयं के मूँह के कैंसर के इलाज हेतु)	रु0-20,000/- (पांच हजार)
14.	एचसीएम-242/06 दिनांक 13.3.2006 आर—	श्रीमती हीराबाई, पत्नी बिन्द्रा प्रसाद, 2282, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, बाग सेवनिया, अमराई, भोपाल (स्तन कैंसर रोग इलाज हेतु)	रु0-10,000/- (दस हजार)
		<b>कुल राशि—</b>	<b>रु0 1,95,000/-</b>





**Order-120**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन

-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-174/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 06 मार्च 2006.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्तियों/संस्थाओं को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि **रुपये-90,000/-** (रुपये-नब्बे हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	2771/पीएससीएम/05 दिनांक 21.11.2005, एचसीएम-2720, दिनांक 28. 11.2005 <b>685</b>	श्री संजीव श्रीवास्तव, संवाददाता, राज एक्सप्रेस, भोपाल (पुत्री के उपचार हेतु)	रुपये-10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम-2784/05 दिनांक 29.11.2005 <b>आर-686</b>	श्रीमती निर्मल धुर्वे, निवासी-44/25, साउथ टी.टी.नगर, भोपाल (इलाज हेतु)	रुपये-10,000/- (दस हजार)
3	एचसीएम-2825/05 दिनांक 30.11.2005 <b>आर-688</b>	श्रीमती हशमत बी स्व.श्री मोहम्मद अहमद, नि.55/2 भोईपुरा बुधवारा भोपाल(इलाज हेतु)	रुपये-15,000/- (पन्द्रह हजार)
4	एचसीएम-2721/05 दिनांक 22.11.2005 <b>आर-689</b>	श्रीराजू भोला, निवासी गाडवे की गोट, लाला का बाजार, लशकर ग्वालियर (पत्नि के गर्भाशय कैंसर के इलाज हेतु)	रुपये-5,000/- (पांच हजार)
5	एचसीएम-2813/05 दिनांक 29.11.2005 <b>आर-690</b>	श्रीमती शांतीबाई डागरा पति श्री सुरेन्द्र कुमार डागरा, निवासी-55, ब्रम्हपुरी, शुजालपुर मण्डी, जिला-शाजापुर (कैंसर इलाज हेतु)	रुपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
6	एचसीएम-2719/05 दि.28.11.2005 <b>आर-691</b>	श्री जमुना प्रसाद आ. खुमान निवासी-प्रेमपुरा भोपाल (आर्थिक सहायता)	रुपये-5,000/- (पांच हजार)
7	एचसीएम-2722/05 दिनांक 28.11.2005 <b>आर-692</b>	श्री मदनलाल पिता श्री छगनलाल निवासी राजोद तह-सरदारपुर जिला-धार (पुत्र के इलाज हेतु)	रुपये-20,000/- (बीस हजार)
		<b>कुल राशि-</b>	<b>रुपये-90,000/-</b>

2. अतः उपरोक्तानुसार कूल रूपये-90,000 /-(रूपये-नब्बे हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।
4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.आर.एस.मरावी)

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-174 / 2005 / एक(1)

भोपाल, दिनांक 06 मार्च, 2006.

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. **कलेक्टर, जिला-भोपाल / ग्वालियर / शाजापुर / धार (मध्यप्रदेश)** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति / संस्था को सूचित करें तथा भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि **इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति / संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।** साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र / प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-37/2006/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 06 मार्च, 2006.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्ति को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये- 96,000/- (रूपये-छियान्नवें हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1.	1837/मुमंनि/06 दिनांक 3.3.2006 आर-979	श्री सत्यनारायण आत्मज श्री बाबूलाल शर्मा निवासी वार्ड क्रमांक 6 गंज बासौदा जिला विदिशा (इलाज हेतु)	रूपये-8,000/- (आठ हजार)
2.	एचसीएम-206/06 दिनांक 3.3.2006 आर-980	श्री लक्ष्मण सिंह विश्वकर्मा, द्वारा वार्ड नं. 13, शेंडे भवन, अशोकनगर कालोनी, रायसेन (पत्नी के इलाज हेतु)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
3.	1838/मुमंनि/06 दिनांक 3.3.2006 आर-981	श्री संजीव सोनकर निवासी द्वारा डॉ. रमेश सोनकर 79 रामद्वारा विदिशा (माताजी श्रीमती लीला सोनकर के कैंसर इलाज हेतु)	रूपये-8,000/- (आठ हजार)
4.	1798/मुमंनि/06 दिनांक 2.3.2006 आर-982	श्री हरिनारायण चौहान पुत्र श्री बाबूलाल निवासी ग्राम आमोन, तहसील बुदनी जिला सीहोर (स्वयं के इलाज हेतु)	रूपये-70,000/- (सत्तर हजार)
		कुल राशि	रूपये /-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल रूपये-96,000/- (रूपये-छियान्नवें हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन- शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.आर.एस.मरावी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग  
भोपाल, दिनांक 06 मार्च, 2006.

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-37/2006/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-विदिशा/रायसेन/सीहोर (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति को सूचित करें तथा भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु अन्य कल्याणकारी योजनाओं या इस योजना से दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे, मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें। केवल आर्थिक सहायता जिस प्रकरण में अंकित है उसमें गरीब होने पर ही सहायता राशि वितरित की जाए।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

20022006.

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन

—: आदेश :—

क्रमांक एफ ए 7- 39 / 2006 / एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 6 मार्च, 2006.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्ति को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रुपये-1,47,000/- (रुपये- एक लाख सैतालीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक / दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम / पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1.	1887 / मुमनि / 06 दिनांक 4.3.2006 आर-1005	श्री रिजवान खान पिता श्री अरमान खान निवासी वार्ड क्रमांक 15 नीलकंठ रोड, नसरुल्लागंज जिला सीहोर (स्वयं के उपचार हेतु)	रुपये-20,000/- (बीस हजार)
2.	1891 / मुमनि / 06 दिनांक 4.3.2006 आर-1006	श्रीमती बोलाबाई पत्नी स्व. श्री सलुआ अहिरवार, निवासी ग्राम जैत, तहसील बुधनी जिला सीहोर (आर्थिक सहायता)	रुपये-5,000/- (पांच हजार)
3.	1892 / मुमनि / 06 दिनांक 4.3.2006 आर-1007	श्री अशोकर कुमार कीर ग्राम ऊँचाखेड़ा, तहसील बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु आर्थिक सहायता)	रुपये-20,000/- (बीस हजार)
4.	1893 / मुमनि / 06 दिनांक 4.3.2006 आर-1008	श्री मुन्ने खां उर्फ मामू आत्मज श्री छुट्टू खां निवासी वार्ड क्रमांक-07 सुल्तानपुर तहसील गौहरगंज जिला रायसेन (पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायता)	रुपये-5,000/- (पांच हजार)
5.	1894 / मुमनि / 06 दिनांक 4.3.2006 आर-1009	सुश्री जीनत वजीर निवासी म.नं.-4 पाल साहब की गली जिन्सी रोड, जहाँगीराबाद, भोपाल (गरीब होने से आर्थिक सहायता)	रुपये-5,000/- (पांच हजार)
6.	1890 / मुमनि / 06 दिनांक 4.3.2006 आर-1010	श्रीमती रीता श्रीवास, पत्नि श्री धन्नलाल, निवासी आई 52 / 11, साऊथ टी.टी. नगर, भोपाल (पुत्र के इलाज हेतु आर्थिक सहायता)	रुपये-10,000/- (दस हजार)
7.	1898 / मुमनि / 06 दिनांक 4.3.2006 आर-1011	श्री बादाम सिंह पुत्र श्री दलीप निवासी ग्राम भटोली तहसील सिरोंज जिला विदिशा (पैर के उपचार हेतु आर्थिक सहायता)	रुपये-7,000/- (सात हजार)
8.	1889 / मुमनि / 06 दिनांक 4.3.2006 आर-1012	श्री कैलाश चन्द्र चौहान आत्मज किशनलाल चौहान निवासी म.नं. 2324 लुनियापुरा, महु जिला इन्दौर (स्वयं के उपचार हेतु आर्थिक सहायता)	रुपये-20,000/- (बीस हजार)
9.	1895 / मुमनि / 06	श्रीमती गीताबाई पत्नी स्व. श्री ओमप्रकाश सेन, निवासी	रुपये-10,000/-

	दिनांक 4.3.2006 आर-1013	ग्राम तजपुरा, तहसील नसरुल्लागंज जिला सीहोर (आर्थिक सहायता)	(दस हजार)
10.	1888 / मुमनि / 06 दिनांक 4.3.2006 आर-1014	श्रीमती धनवंती बाई पत्नी बलवान सिंह निवासी मस्जिद चौक बक्तरा, मु.पो. बक्तरा, तहसील बुधनी जिला सीहोर (स्वयं के उपचार हेतु आर्थिक सहायता)	रूपये-20,000 / - (बीस हजार)
11.	1886 / मुमनि / 06 दिनांक 4.3.2006 आर-1015	श्रीमती संगीता शर्मा पत्नी श्री जितेन्द्र शर्मा निवासी 13, ब्राम्हणपुरा, आगर (मालवा) जिला शाजापुर (स्वयं के उपचार हेतु आर्थिक सहायता)	रूपये-25,000 / - (पच्चीस हजार)
		कुल राशि	रूपये 1,47,000 / -

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल रूपये-1,47,000 / - (रूपये- एक लाख सैतालीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन- शीर्ष-2013- मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार,

(आर.आर.एस.मरावी)  
अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-39 / 2006 / एक(1)

भोपाल, दिनांक 6 मार्च, 2006.

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला- सीहोर, रायसेन, भोपाल, विदिशा, इन्दौर, शाजापुर (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति को सूचित करें तथा भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु अन्य कल्याणकारी योजनाओं या इस योजना से दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ति रसीद आदि प्राप्त कर सीधे, मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें। केवल आर्थिक सहायता जिस प्रकरण में अंकित है उसमें गरीब होने पर ही सहायता राशि वितरित की जाए।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

 20022006.

Order-123

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-38/2006/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 6 मार्च, 2006.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्ति को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि कुल रूपये-20,84,000/- (रूपये- बीस लाख चौरासी हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम-192/06 दिनांक 2.3.2006 आर-983	श्री शेख करीब आ. श्री शेख नन्हें खा, निवासी-सिंहपुर बड़ा, जिला-नरसिंहपुर (पुत्र के ऑखों के इलाज हेतु)	रूपये-5,000/- (पाँच हजार)
2	एचसीएम-202/06 दिनांक 2.3.2006 आर-984	श्री राधेश्याम शर्मा, निवासी-सुनारगली, शिवपुरी. (पुत्र के हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये-25,000/- (पच्चीस हजार)

3	एचसीएम-196/06 दिनांक 2.3.2006 आर-985	श्री बेनीप्रसाद नामदेव पुत्र श्री हीरालाल नामदेव, निवासी ग्राम सलैया, जिला-विदिशा (स्वयं के कैंसर उपचार हेतु)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
4	एचसीएम-209/06 दिनांक 4.3.2006 आर-986	श्री केवल सिंह गौर निवासी- झुग्गी नं140, एच 54अ/135 के पास, माता मंदिर, भोपाल. (पत्नी के हृदयरोग के इलाज हेतु)	रूपये-5,000/- (पाँच हजार)
5	एचसीएम-212/06 दिनांक 4.3.2006 आर-987	श्रीमती कृष्णा बाई पुत्री श्री द्वारका प्रसाद, निवासी ग्राम-देवखजूरी, तहसील व जिला-विदिशा (पुत्री के असाध्य रोग इलाज हेतु)	रूपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
6	एचसीएम-205/06 दिनांक 2.3.2006 आर-988	श्री उदय नारायण दुबे, निवासी-पिपरिया, राजमल, तहसील-बंडा, जिला-सागर. (कैंसर रोग के इलाज हेतु)	रूपये-50000/- (पचास हजार)
7	एचसीएम-193/06 दिनांक 2.3.2006 आर-989	श्री प्रशांत शर्मा, द्वारा श्री एन.के.जैन,जे-1, हर्ष वर्धन नगर, मातामंदिर, भोपाल (उच्च शिक्षा हेतु)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
8	एचसीएम-211/06 दिनांक 4.3.2006 आर-990	श्री गंगोत्री प्रसाद द्विवेदी, निवासी झुग्गी नं. 340, वल्लभ नगर, क्रमांक-1,वार्ड नं-35, भोपाल (स्वयं के कैंसर इलाज हेतु)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
9	एचसीएम-210/06 दिनांक 4.3.2006 आर-991	श्री दामोदर प्रसाद सिमोदिया, निवासी-चकल्दी, तहसील-नसरुल्लागंज, जिला-सीहोर (स्वयं के पथरी रोग के इलाज हेतु)	रूपये-5000/- (पाँच हजार)
10	एचसीएम-201/06 दिनांक 2.3.2006 आर-992	श्री जितेन्द्र रघुवंशी, फ्लैट नं-13 ए 127, विक्रम पेलेस अपार्टमेंट, हाउसिंगबोर्ड कालोनी, कोहेफिजा, भोपाल(पत्नी के ब्लड कैंसर इलाज हेतु)	रूपये-20,000/- (बीस हजार)
11	एचसीएम-203/06 दिनांक 2.3.2006 आर-993	श्रीमती संगीता सक्सेना, निवासी लोको झंडाधारी, हनुमान मंदिर के पास, जिला-ग्वालियर (पुत्र के इलाज हेतु)	रूपये-5000/- (पाँच हजार)
12	एचसीएम-200/06 दिनांक 2.3.2006 आर-994	श्री रामहेत ओझा पुत्र श्री अनिल ओझा, निवासी-मंशापूर्ण के पास, कल्या मिल, शिवपुरी (पुत्र के इलाज हेतु)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
13	एचसीएम-198/06 दिनांक 2.3.2006 आर-995	श्रीमती निलोफर, म.नं.15, गिन्नोरी, मोहम्मद साहव की मस्जिद के पास, भोपाल (आर्थिक सहायता)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
14	एचसीएम-208/06 दिनांक 4.3.2006 आर-996	श्री नंदलाल द्विवेदी, निवासी ग्राम पैरा तहसील-त्यौथर, जिला-रीवा (पुत्र के इलाज हेतु)	रूपये-5000/- (पाँच हजार)
15	एचसीएम-191/06 दिनांक 2.3.2006 आर-997	श्री जगत सिंह पुत्र श्री निजाम सिंह, निवासी- पाठक वार्ड नरसिंहपुर (पुत्र के रक्त संबंधी बीमारी के उपचार हेतु)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
16	एचसीएम-195/06 दिनांक 2.3.2006 आर-998	श्रीमती किरन विजयवर्गी पति विनय विजयवर्गीय, निवासी-खान कालोनी, महुँ, जिला-इन्दौर (पति के इलाज हेतु)	रूपये-5,000/- (पाँच हजार)
17	एचसीएम-204/06	श्री रामगुलाम प्रजापति, निवासी-संत रविदास	रूपये-4,000/-



	दिनांक 2.3.2006 आर-999	वार्ड, जिला-सागर (पुत्रों की मृत्यु होने से सहायता)	(चार हजार)
18	एचसीएम-194/06 दिनांक 2.3.2006 आर-1000	श्री हरिप्रसाद पुत्र श्री सुखलाल लोधी, निवासी-सिमरहा, नैनपुर, जिला-मण्डला (असाधारण बीमारी के इलाज हेतु)	रूपये-50000/- (पचास हजार)
19	एचसीएम-189/06 दिनांक 1.3.2006 आर-1001 माननीय सांसद-श्री थावर चंद गहलोत, माननीय विधायक-श्री फूलसिंह मेवाडा	हार्ट एण्ड लंग्स इंस्टीट्यूट पहाड़गांज, नई दिल्ली (श्री आत्माराम पुत्र श्री हीरालाल मीना, निवासी भीमपुरा, शुजालपुर, जिला-शाजापुर के बायपास सर्जरी के उपचार हेतु)	रूपये-1,00,000/- (एक लाख)
20	एचसीएम-190/06 दिनांक 2.3.2006 आर-1002	कलेक्टर, जिला-मुरैना (म0प्र0) (दिनांक 6.02.2006 को कैलारस, जिला-मुरैना में मिनि बस में आग लगने से मुख्यमंत्री जी की घोषणा के परिपालन में, 14 मृतकों के परिवार जनों को प्रतिपरिवार रूपये-1,00,000/-के मान से, गंभीर हुए 05 प्रति घायलों को रूपये-30,000/- के मान से एवं 15 साधारण घायलों प्रति घायल रूपये-10,000/-के मान से आर्थिक सहायता)	रु0-17,00,000/- (रूपये-सत्तरह लाख)
21	एचसीएम-199/06 दिनांक 2.3.2006 आर-1003	श्री कमलचंद पिता श्री गुलाब चंद गूजर निवासी-बागदा बुर्जग, तह-बड़वाहा, जिला-खरगोन (स्वयं ब्रेन ट्यूमर के इलाज हेतु)	रूपये-15,000/- (पन्द्रह हजार)
22	एचसीएम-197/06 दिनांक 2.3.2006 आर-1004	श्री प्रकाश पिता पाण्डुरंग, निवासी-45/3, बाबू मुराई कालोनी, इन्दौर (स्वयं के इलाज हेतु)	रूपये-5000/- (पांच हजार)
		कुल राशि-	रूपये-20,84,000/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल रूपये-20,84,000/- (रूपये- बीस लाख चौरासी हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखें।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन- शीर्ष-2013- मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.आर.एस.मरावी)

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-38/2006/एक(1)

भोपाल, दिनांक 06 मार्च, 2006.

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.

3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय,भोपाल.
4. कलेक्टर,जिला-नरसिंहपुर/शिवपुरी/विदिशा/भोपाल/सागर/ग्वालियर/शिवपुरी/रीवा/इन्दौर/मण्डला/शाजापुर/मुरैना/खरगौन (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति को सूचित करें तथा भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु अन्य कल्याणकारी योजनाओं या इस योजना से दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे, मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें। केवल आर्थिक सहायता जिस प्रकरण में अंकित है उसमें गरीब होने पर ही सहायता राशि वितरित की जाए।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टक फाइल.

06032006.

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

**Order- 124**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय,  
वल्लभ भवन-भोपाल  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-40/2006/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक मार्च, 2006.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्ति को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि **रूपये-85,000/-**(रूपये- पिच्चासी हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1.	1968/मु.मं.नि./06 7.3.06 आर-1005	श्री सुनीलराजसिंह आ0 श्री राजेंद्रसिंह डोड़िया निवासी कलहारी तहसील/जिला खंडवा (उपचार हेतु आर्थिक सहायता)	रूपये-50,000/- (पचास हजार)
2.	1967/मु.मं.नि./06 7.3.06 आर-1006	श्रीमती मन्जूबाई, 21, जबरन कॉलौनी, मढ़ी माता का बगीचा, जूनी, इन्दौर (पुत्र के इलाज हेतु आर्थिक सहायता)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
3.	607/एससीएम/डीपी टी/06, दि.7.3.2006 आर-1007	श्री विश्वेन्द्र मेहता पिता श्री लक्ष्मीनारायण मेहता निवासी 46, सुरुचि नगर, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल (स्वयं के इलाज हेतु)	रूपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
		कुल -	रूपये-85,000/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल **रूपये- 85,000/-**(रूपये-पिच्चासी हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन- शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार,

(आर.आर.एस.मरावी)

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ.ए. 7-40/2006/एक(1)

भोपाल, दिनांक मार्च, 2006.

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. **कलेक्टर, जिला- खंडवा/इन्दौर/भोपाल, (मध्यप्रदेश)** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति को सूचित करें तथा भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु अन्य कल्याणकारी योजनाओं या इस योजना से दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ति रसीद आदि प्राप्त कर सीधे, मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें। केवल आर्थिक सहायता जिस प्रकरण में अंकित है उसमें गरीब होने पर ही सहायता राशि वितरित की जाए।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.

6. संबंधित.  
7. स्टाक फाइल.

07032006.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

**Order-125**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय,  
वल्लभ भवन-भोपाल  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-41/2006/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक मार्च, 2006.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्ति को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-4,07,000/- (रूपये- पिच्चासी हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	562/एससीएम/डीपी टी/2006, दिनांक 06.03.2006	कलेक्टर, जिला-विदिशा मध्यप्रदेश (दिनांक 26.02.2006 को विदिशा जिले में तहसील कुरवाई के ग्राम पडरिया झगड़े के दौरान घायल 13 व्यक्तियों को रूपये-10,000/- के मान से कुल रूपये-1,30,000/-की सहायता) 1. श्री धन्नालाल पुत्र श्री छतू अहिरवार उम्र 42 वर्ष 2. श्रीमती द्रोपतीबाई पत्नी धन्नालाल अहिरवार, उम्र 38 वर्ष 3. श्री जालमसिंह पुत्र श्री छतूसिंह अहिरवार उम्र 46 वर्ष	रूपये-1,30,000/- (एक लाख तीस हजार)

		<p>4. श्रीमती नर्वदीबाई पत्नी जालमसिंह अहिरवार उम्र 44 वर्ष</p> <p>5. श्री तुलसीराम पुत्र छत्तूसिंह अहिरवार उम्र 38 वर्ष</p> <p>6. श्रीमती कलाबाई पत्नी तुलसीराम अहिरवार उम्र 34 वर्ष</p> <p>7. श्री नेतराम पुत्र धन्नालाल अहिरवार, उम्र 22 वर्ष</p> <p>8. श्री अमरसिंह पुत्र धन्नालाल अहिरवार, उम्र 15 वर्ष</p> <p>9. श्री दशरथ पुत्र चेताराम अहिरवार, उम्र 26 वर्ष</p> <p>10. श्री रंधीर पुत्र पंछी अहिरवार उम्र 38 वर्ष</p> <p>11. श्री फेली पुत्र गनपत अहिरवार उम्र 60 वर्ष</p> <p>12. श्री राजेश पुत्र रंधीर अहिरवार, उम्र 15 वर्ष</p> <p>13. श्रीमती चिरांजीबाई पत्नी चेताराम अहिरवार, उम्र 55 वर्ष</p>	
2	596/एससीएम/डीपी टी/2006, दिनांक 06.03.2006	<p><b>कलेक्टर,</b> <b>जिला-मुरैना</b> <b>मध्यप्रदेश</b></p> <p>(दिनांक 22.12.2005 को मुरैना जिले में दंगे में घायल व्यक्तियों को आर्थिक क्षति होने के कारण मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 35 व्यक्तियों को आर्थिक सहायता के रूप में राशि स्वीकृत करने बाबत</p> <p>1. श्री मुकेश जाटव, उत्तमपुरा, चाय की दुकान -रु, 2,000/-</p> <p>2. श्री रामचरण लाल, उत्तमपुरा, गुमठी रु, 2,000/-</p> <p>3. यादव एस.टी.डी. नि0 जिगरी, चैनल टीनशेड दुकान रु. 2,000/-</p> <p>4. श्री विक्रम सिकरवार, गणेशपुरा, बुक स्टोर/एस.टी. डी.पी.सी.ओ./कम्प्यूटर - रु. 10,000/-</p> <p>5. श्री रामकुमार शर्मा, निवासी महावीरपुरा, पान की दुकान रु. 1,000/-</p> <p>6. परिमाल रेल्वे फाटक, चाय की दुकान रु. 4,000/-</p> <p>7. श्री सुभाष गुप्ता, होटल रेल्वे फाटक, टीन के पल्लड भट्टी काउन्टर, रु. 5,000/-</p> <p>8. श्री महेश जैन, हलवाई की दुकान, रेल्वे फाटक, त्रिपाल काउन्टर रु. 1,000/-</p> <p>9. श्री गोपाल पटेल, रेल्वे फाटक रोड, टीनशेड भट्टी काउन्टर, रु. 1,000/-</p> <p>10. श्री अशोक शर्मा, रेल्वे फाटक रोड, पान की गुमठी, रु. 3,000/-</p> <p>11. श्री मुन्नालाल टैगोर, उत्तमपुरा, टेन्ट हाउस का सभी सामान, रु. 30,000</p> <p>12. श्री अतरसिंह बरेलिया, उत्तमपुरा, टेलरिंग की दुकान, सिलाई मशीन एवं कपड़े काउन्टर,, रु. 3,000/-</p> <p>13. श्री राधाचरण शर्मा, पान की दुकान, रु. 1,000/-</p> <p>14. श्री रमेश चन्द्र, उत्तमपुरा, सिलाई मशीन काउन्टर व कपड़ा काउन्टर, रु. 5,000/-</p> <p>15. श्री लोकमन मौर्य, उत्तमपुरा, वेल्डिंग मशीन, मोटरें व रूई की मशीन रु. 2,000/-</p> <p>16. श्री मोती जाटव रेल्वे फाटक टेन्ट का सभी</p>	रूपयें-1,77,000/- (एक लाख सतत्तर हजार)

		<p>सामान रू. 25,000/-</p> <p>17. श्री उत्तम जाटव उत्तमपुरा, टेन्ट का सभी सामान रू. 25,000/-</p> <p>18. श्री मोहन पारा, सुभाष नगर सिलाई मशीन रू. 2,000/-</p> <p>19. श्री विशाल खटीक, उत्तमपुरा, सब्जी की दुकान रू. 1,000/-</p> <p>20. श्री हरिनारायण गोयल, रेल्वे फाटक, काउन्टर, मकान के शीशे आदि रू. 1,000/-</p> <p>21. श्री राकेश माहौर भागचन्द चाय की गुमठी रू. 5,000/-</p> <p>22. श्री दौलत राम बरैया, उत्तमपुरा, क्लिनिक का सामान काउन्टर फर्नीचर रू. 3,000/-</p> <p>23. श्री रमेश वर्मा, उत्तमपुरा, फर्नीचर व क्लिनिक का सामान व टेप पंखा रू. 2,000/-</p> <p>24. श्री राजेन्द्र गुप्ता मेडिकल स्टोर जीवाजीगंज जिला मुरैना, फ्रिज मेडिकल स्टोर का सामान रू. 10,000/-</p> <p>25. श्री महेन्द्र पुत्र मातादीन उत्तमपुरा क्लिनिक का फर्नीचर व मेडिसिन रू. 2,000/-</p> <p>26. श्री बिहारीलाल, उत्तमपुरा, परचूने का सामान रू. 1,000/-</p> <p>27. श्री सुरेश, उत्तमपुरा, परचूने का सामान रू. 1,000/-</p> <p>28. श्री रामजीवन रजक, बड़ोखर, प्रेस के कमड़े की गुमठी रू. 1,000/-</p> <p>29. श्री राकेश उत्तमपुरा, टी.वी. मरम्मत के सामान की दुकान रू. 3,000/-</p> <p>30. श्री मनीष कुलश्रेष्ठ, उत्तमपुरा, एस.टी.डी.पी.सी.ओ. रू. 7,000/-</p> <p>31. श्री भूपेन्द्र मेहता, उत्तमपुरा, मकान के किवाड़ की तोड़फोड़ रू. 1,000/-</p> <p>32. श्री सोनी मोची, उत्तमपुरा, मोची का सामान रू. 1,000/-</p> <p>33. श्री बाबू मोची,, मोची का सामान रू. 1,000/-</p> <p>34. श्रीमती फूलवती पत्नी मुन्नालाल, टी.वी. सी.डी. प्लेयर, घरेलू कपड़े एवं अन्यरू. 10,000/-</p> <p>34. राधाकृष्ण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मनोहर नगर, स्कूल के फर्नीचर, टीनशेड खेलकूद का सामान, विद्यालय भवन क्षतिग्राम रू. 3,000/-</p>	
3	558/एससीएम/डीपी टी/2006, दिनांक 06.03.2006	<p><b>ऑल इंडिय्या इन्स्टीट्यूट आफ मेडीकल साइंसेस, अंशारी नगर, नई दिल्ली.</b> (श्री सुरेन्द्र शर्मा पुत्र गोपाल शर्मा, निवासी-सिसोनिया, तह-गोहद, जिला-भिण्ड के पुत्र के एप्लास्टिक एनिमिया के इलाज हेतु)</p>	रूपये-1,00,000/- (एक लाख)
		<b>कुल राशि-</b>	<b>रूपये-4,07,000/-</b>

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल रूपये-4,07,000/- (रूपये- पिच्चासी हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन- शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार,

(आर.आर.एस.मरावी)

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक मार्च, 2006.

पृष्ठां. क्रमांक एफ.ए. 7-41/2006/एक(1)

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
  
4. कलेक्टर, जिला-विदिशा/मुरैना/भिण्ड, (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति को सूचित करें तथा भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु अन्य कल्याणकारी योजनाओं या इस योजना से दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ति रसीद आदि प्राप्त कर सीधे, मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें। केवल आर्थिक सहायता जिस प्रकरण में अंकित है उसमें गरीब होने पर ही सहायता राशि वितरित की जाए।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. ऑल इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ मेडीकल साइंसेस, अंसारी नगर, नई दिल्ली.
7. संबंधित.
8. स्टाक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

 07032006.

## Order-126

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-164/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक मार्च, 2006.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये- 70,000/- (रूपयें-सत्तर हजार) स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1.	एचसीएम-1911/2005 दिनांक 26.09.2005 आर-567	कलेक्टर, जिला-सागर मध्यप्रदेश (दिनांक 23.9.2005 को जिला उत्तर काशी स्थित जमुनोत्री रोड पर स्थान चट्टी और हनुमानचट्टी के बीच हुई मिनी बस दुर्घटना में रहली, जिला-सागर (मध्यप्रदेश) के निम्नानुसार अंकित 7 घायलों को रू0 10,000/-के मान से कुल राशि रूपयें-70,000/-की आर्थिक सहायता.) घायलों के नाम- 1. श्री रामदयाल पुत्र फकीरे, निवासी-बमूरा डीमरिया, रहली, सागर 2. श्री कमलेश कुमार सोनी पुत्र श्री उमाशंकर सोनी रामेश्वर वार्ड, 9 रहली, , सागर 3. श्री प्रायमेश सोनी, पुत्री श्री उमाशंकर	रू0-10,000/- (दस हजार) रू0-10,000/- (दस हजार)



	सोनी रामेश्वर वार्ड,9 रहली, सागर	रु0-10,000/- (दस हजार)
	4. श्री कमलचंद्र यादव पुत्र श्री दुलीचंद्र यादव पंडनपुर रहली, सागर	रु0-10,000/- (दस हजार)
	5. श्रीमती रूकमनबाई पत्नी श्री वृंदावन ठाकुर, बमूराकंज रहली, सागर	रु0-10,000/- (दस हजार)
	6. श्रीमती पुष्पा यादव पत्नी श्री कमलचंद्र यादव, पंडनपुर रहली, सागर	रु0-10,000/- (दस हजार)
	7. श्री विनोद, बस चालक	रु0-10,000/- (दस हजार)
	<b>कुल राशि-</b>	<b>रु0 70,000/-</b>

- अतः उपरोक्तानुसार कुल **रु0 70,000/-**(रुपर्ये-सत्तर हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।
- यह व्यय वित्तीय वर्ष **2005-2006** के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

**(आर.आर.एस.मरावी)**

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-164/2005/एक(1)

भोपाल, दिनांक मार्च, 2006.

प्रतिलिपि:-

- महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
- सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
- कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
- कलेक्टर, जिला-सागर (मध्यप्रदेश)** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें तथा भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि **इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।** साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
- जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
- संबंधित.
- स्टाक फाइल.

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

**Order-127**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन

-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7- /2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 13 मार्च, 2006.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रुपये- 85,000/- (रुपयें-पिचासी हजार) स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1.	एचसीएम-221/06 दिनांक 9.3.2006 आर-	श्रीमती सम्पतबाई पत्नी श्री राजाराम नि. गोदना तह. गुलाना जिला शाजापुर (कैंसर रोग के इलाज हेतु)	रु0-10,000/- (दस हजार)
2.	एचसीएम-224/06 दिनांक 9.3.2006 आर-	श्री हीरालाल आत्मज श्री अमानसिंह निवासी इन्द्रानगर बाईपास के पास सीहोर (सड़क दुर्घटना में घायल होने के कारण)	रु0-5,000/- (पांच हजार)
3.	एचसीएम-223/06 दिनांक 9.3.2006 आर-	श्रीमती उर्मिला दुबे नि. चौबे वार्ड कटनी (पुत्र के इलाज हेतु)	रु0-10,000/- (दस हजार)
4.	एचसीएम-225/06 दिनांक 9.3.2006 आर-	श्री रुद्रप्रसाद पाण्डे नि. ई-2/80, अरेरा कालोनी, भोपाल (माँ के कैंसर के इलाज हेतु)	रु0 25,000/- (पच्चीस हजार)
5.	एचसीएम-222/06 दिनांक 9.3.2006 आर-	कु. रश्मि कुशवाह पुत्री श्री लीला कुशवाह नि. ग्राम कुण्डलपुर तह. पटेरा जिला दमोह (शिक्षा हेतु)	रु0 25,000/- (पच्चीस हजार)
6.	एचसीएम-220/06 दिनांक 9.3.2006 आर-	श्री मुकेश पंचोली, निवासी ग्राम टाण्ड बरुड़, तहसील एवं जिला खरगौन (संगीत प्रतिभा के उन्नयन हेतु)	रु0-10,000/- (दस हजार)
7.	2165/मु.मं.नि. दिनांक 13.3.2006 आर-	श्रीमती गंगाबाई पत्नी स्व. श्री नाथूराम कुशवाह, निवासी लुहांगी मोहल्ला, वार्ड क्रमांक-25 जिला विदिशा (आर्थिक सहायता)	रु0-8,000/- (आठ हजार)

8.	2164/मु.मं.नि. दिनांक 13.3.2006 आर-	श्रीमती कृष्णा राजपूत पत्नी स्व. श्री जगन्नाथसिंह, निवासी श्री जी की गली, नंदवाना जिला विदिशा (आर्थिक सहायता)	रू0-15,000/- (पन्द्रह हजार)
9.	2097/मु.मं.नि. दिनांक 11.3.2006 आर-	श्री किशोरी लाल गौर पुत्र श्री लखीराम गौर जाति कुर्मी, निवासी तहसील बुदनी जिला सीहोर (आर्थिक सहायता)	रू0-75,000/- (पचहत्तर हजार)
10.	एचसीएम/226 दिनांक 13.3.2006 आर-	श्रीमती सीमा सिंह पत्नी श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह, निवासी एलआईजी-151 कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल (पति के हृदय रोग इलाज हेतु)	रू0-2,50,000/- (दो लाख पचास हजार)
11.	एचसीएम/227 दिनांक 13.3.2006 आर-	<b>कलेक्टर, जिला- मुरैना मध्यप्रदेश</b> (दिनांक 6.2.2006 को कैलारस जिला मुरैना में मिनी बस में आग लगने से हुए मृतकों को आर्थिक सहायता कैलारस, <b>जिला-मुरैना (मध्यप्रदेश)</b> के निम्नानुसार अंकित 20 मृतको को रू0 आर्थिक सहायता.) घायलों के नाम- 1. भूरी पुत्री मोतीराम शाक्य उम्र 5 वर्ष निवासी राजा का तौर सबलगढ़ 2. डॉ0 प्रताप सिंह पुत्र श्री बदलू सिंह कुशवाह उम्र 40 वर्ष निवासी श्यामपुर तहसील अम्बाह 3. सिरमिती बाई पत्नी सुरेश जाटव उम्र 30 वर्ष निवासी मजरा तहसील जौरा 4. श्रीमती दया वर्मा पत्नी संतोष वर्मा उम्र 39 वर्ष निवासी रानीकुआ 5. बृजकिशोर पुत्र मलथूप्रसाद उम 40 वर्ष निवासी असवार जिला भिण्ड 6. सयज सिंह पुत्र प्रतापसिंह कुशवाह उम्र 25 वर्ष निवासी श्यामपुर खुर्द दिमनी तहसील अम्बाह 7. सौरभ पुत्र राकेश कुशवाह उम्र 4 या 5 वर्ष निवासी श्यामपुर खुर्द दिमनी तहसील अम्बाह 8. प्रियंका पुत्री राजेन्द्र जाटव उम्र 12 वर्ष निवासी मजरा जौरा तह0 जौरा 9. मीना पुत्री दुर्गासिंह बघेले उम्र 25 वर्ष निवासी बधरौली तहसील जौरा 10. अज्ञात 29 वर्ष महिला 11. अज्ञात 13 या 15 वर्ष लड़की 12. ब्रान्ची उर्फ बुलबुल वर्मा पुत्री सन्तोष	रू0-2,50,000/- (दो लाख पचास हजार)

		<p>उम्र 11 साल निवासी सबलगढ</p> <p>13. नीतू शाक्य पत्नीमोतीराम शाक्य उम्र 30 साल निवासी राजा का तौर तहसील सबलगढ</p> <p>14. लालाराम पुत्र खचेरे उम्र 42 साल निवासी मुरैना तहसील सबलगढ</p> <p>15. खली खां पुत्र लाल मोहम्मद उम्र 40 साल निवासी गुलपुरा तहसील सबलगढ</p> <p>16. अरविन्द प्रताप सिंह चौहान पुत्र पुत्तू सिंह निवासी अम्बाह</p> <p>17. छोटू पुत्र राकेश निवासी श्यामपुर खुर्द तहसील अम्बाह</p> <p>18. भागीरथ पुत्र होरीलाल जाटव निवासी बक्सपुर सबलगढ</p> <p>19. संतोष वर्मा पुत्र रमेश चन्द्र वर्मा निवासी सबलगढ</p> <p>20. रामकटोरी पत्नी ज्ञानसिंह निवासी सुकलपुरा जौरा</p>	
12.	एचसीएम/228 दिनांक 13.3.2006 आर-	श्री अभय भार्गव, स्टेट बैंक कालोनी देवास रोड उज्जैन (पुत्र के इलाज हेतु)	रु0-50,000/- (पचास हजार)
		<b>कुल राशि-</b>	<b>रु0 85,000/-</b>

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल **रु0 85,000/-**(**रुपर्ये-पिचासी हजार**) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष **2005-2006** के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.आर.एस.मरावी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 13 मार्च, 2006.

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7- /2005/एक(1)

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. **कलेक्टर, जिला-शाजापुर, सीहोर, कटनी, भोपाल, दमोह, खरगौन (मध्यप्रदेश)** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें तथा भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि **इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।** साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।

5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टाक फाइल.

08032006.

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन

—: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-42/2006/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16 मार्च, 2006.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि **रुपये-1,83,000/- (रुपये-तिरयासी हजार)** मात्रस्वीकृत किये है:-

क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम-224/06 दिनांक 9.3.2006 आर-1012	श्री हीरालाल आ. श्री अमानसिंह निवासी-इन्द्रानगर, बायपास के पास, जिला-सीहोर (सड़क दुर्घटना में घायल होने के कारण)	रुपये-5,000/- (पांच हजार)
2	एचसीएम-220/06 दिनांक 9.3.2006 आर-1013	श्री मुकेश पंचोली, निवासी रोम चिचली रोड, प्रा.स्वास्थ्य केन्द्र के पास, ग्राम-टाण्डा बरहु तह एवं जिला-खरगोन (आर्थिक सहायता हेतु)	रुपये-10,000/- (दस हजार)
3	एचसीएम-222/06 दिनांक 9.3.2006 आर-1014	श्री लीला कुशवाह, निवासी ग्राम कुण्डलपुर तहसील पटेरा जिला-दमोह (बलात्कार से पीड़ित पुत्री कुमारी रश्मि कुशवाह के पीड़ित परिवार हेतु आर्थिक सहायता)	रुपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
4	एचसीएम-221/06 दिनांक 9.3.2006 आर-1015	श्री सम्पतबाई निवासी गोदना, जिला-शाजापुर (कैंसर रोग के इलाज हेतु)	रुपये-10,000/- (दस हजार)
5	एचसीएम-223/06 दिनांक 9.3.2006 आर-1016	श्रीमती उर्मिला दुबे, निवासी-चौबे वार्ड, कटनी (पुत्र के इलाज हेतु)	रुपये-10,000/- (दस हजार)
6	एचसीएम-224/06 दिनांक 9.3.2006 आर-1017-	श्री रुद्रप्रसाद पाण्डे, ई-2/80, अरेरा कालोनी, भोपाल (कैंसर रोग के इलाज हेतु)	रुपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
7	जावक2164/मुमनि/ दिनांक 13.03.2006 आर-1018	श्रीमती कृष्णा राजपूत पत्नी स्व. श्री जगन्नाथ सिंह निवासी श्री जी की गली, नंदवाना, जिला-विदिशा (इलाज हेतु)	रुपये-15,000/- (पन्द्रह हजार)
8	जावक 2097/मुमनि	श्री किशोरी लाल गौर पुत्र श्री लखीराम गौर जाति	रुपये-75,000/-

	दिनांक 11.03.2006 <b>आर-1019</b>	कुर्मी निवासी-तहसील बुदनी, जिला-सीहोर (हृदय बाल्ब के उपचार हेतु)	(पचहत्तर हजार)
9	जावक 2165 / मुमनि दिनांक 13.03.2006 <b>1020</b>	श्रीमती गंगाबाई पत्नी स्व. श्री नाथूराम कुशवाह, निवासी-लुहांगी, मोहल्ला वार्ड, क्रमांक-25, जिला-विदिशा (आर्थिक सहायता)	रूपये-8,000 / - (आठ हजार)
		<b>कुल राशि</b>	<b>रूपये-1,83,000 / -</b>

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल रूपये-1,83,000 / -(रूपये-तिरयासी हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन- शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार,

(आर.आर.एस.मरावी)  
अवर सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ.ए. 7-42 / 2006 / एक(1)

भोपाल, दिनांक 16 मार्च, 2006.

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. **कलेक्टर, जिला-सीहोर / खरगोन / दमोह / शाजापुर / कटनी / भोपाल / विदिशा / सीहोर (मध्यप्रदेश)** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति को सूचित करें तथा भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु अन्य कल्याणकारी योजनाओं या इस योजना से दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र / प्राप्ति रसीद आदि प्राप्त कर सीधे, मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें। केवल आर्थिक सहायता जिस प्रकरण में अंकित है उसमें गरीब होने पर ही सहायता राशि वितरित की जाए।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

 13032006

**Order-129**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-171 / 2005 / एक(1)

भोपाल, दिनांक 16 मार्च, 2006.

प्रति,

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्तियों / संस्थाओं को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि **रूपये-2,42,500/-** (रूपये-दो लाख बयालीस हजार पांच सौ) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम-2554/2005 दिनांक 18.11.2005 आर-677	कलेक्टर जिला-दतिया (म.प्र.) मुख्यमंत्री घोषणा- (दिनांक 31.10.2005 को दतिया रेल्वे स्टेशन कासिंग पर हुई रेल्वे दुर्घटना में 14 मृतकों (प्रति मृतकों को रूपये 10,000/-के मान से रु. 1,40,000/-) एवं 41 घायलों (प्रति घायल को रूपये-2500/-के मान से रु-1,02,000/-) की राशि स्वीकृत करने वाबत.)	रूपये-2,42,500/- (दो लाख बयालीस हजार पांच सौ)
		कुल राशि-	रूपये-2,42,500/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल **रूपये-2,42,500/-**(रूपये-दो लाख बयालीस हजार पांच सौ) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष **2005-2006** के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.आर.एस.मरावी)

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-171/2005/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 16 मार्च, 2006.

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-दतिया (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें तथा भुगतान की



कार्रवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु अन्य कल्याणकारी योजनाओं या इस योजना से दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।

5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टाक फाइल.

14032006.

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-46/2006/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16 मार्च, 2006.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि **रुपये- 1,95,000/- (रुपयें-एक लाख पिन्यान्वें हजार)** मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1.	एचसीएम-238/06 दिनांक 13.3.06 आर-1021	श्री भेरू सिंह, बरखेड़ा, पो. लोगसरी, तह. सरदारपुर, जि. धार (पुत्र के रीड की हडडी के इलाज हेतु)	रु0-20,000/- (बीस हजार)
2.	एचसीएम-237/06 दिनांक 13.3.2006 आर-1022	श्री नानूराम पिता श्री छोगालाल, ग्राम रतवा, वि.ख. नालछा, तह. जिला धार (पुत्र के हृदय बाल्व के इलाज हेतु)	रु0-5,000/- (पांच हजार)
3.	एचसीएम-236/06 दिनांक 13.3.2006 आर-1023	श्री सालामू पिता श्री नाथू, बिल्लोद, वि. खं. नालछा, जिला धार (हृदय रोग के इलाज हेतु)	रु0-5,000/- (दस हजार)
4.	एचसीएम-247/06 दिनांक 13.3.2006 आर-1024	श्रीमती ममता शिवहरे, सहीड़ा कला, नरवर, जिला शिवपुरी (कैंसर रोग के इलाज हेतु)	रु0 15,000/- (पन्द्रह हजार)
5.	एचसीएम-246/06 दिनांक 13.3.2006 आर-1025	श्री नरेन्द्र सिंह तंवर, ग्राम लसूड़ी तंवर, जिला नीमच (आंतों की बीमारी के इलाज हेतु)	रु0 25,000/- (पच्चीस हजार)
6.	एचसीएम-245/06 दिनांक 13.3.2006 आर-1026	श्री रविवंश प्रसाद द्विवेदी, ग्राम सोनवर्षा, जिला सीधी (कैंसर रोग के इलाज हेतु)	रु0-10,000/- (दस हजार)
7.	एचसीएम-240/06 दिनांक 13.3.2006 आर-1027	मो. साबीर, पिता मो. इब्राहिम, म.नं. 12, नवजवाहर मार्ग, जिला धार (पुत्र के ब्लड कैंसर के इलाज हेतु)	रु0-15,000/- (पन्द्रह हजार)
8.	एचसीएम-235/06 दिनांक 13.3.2006 आर-1028	1. श्री नायकड़ा पिता हेमता, निवासी साजनपुर, झाबुआ 2. श्री बनिया पिता भुवान, निवासी साजनपुर, झाबुआ (मिटटी धसने की दुघटना में मृतकों के परिवारों को सहायता)	रु0-10,000/- (दस हजार) रु0-10,000/- (दस हजार)
9.	एचसीएम-241/06 दिनांक 13.03.2006 आर-1029	श्रीमती तारमणि बंसल, पिंजारा मोहल्ला वार्ड 08, ब्यावरा राजगढ़ (स्वयं के कैंसर के इलाज हेतु)	रु0-10,000/- (दस हजार)

10.	एचसीएम-248/06 दिनांक 13.3.2006 आर-1030	श्री संतोष पुत्र श्री हरदास जाटव, ग्राम टीला, करेरा, जिला शिवपुरी (स्वयं की पेशबनली के इलाज हेतु)	रु0-10,000/- (दस हजार)
11.	एचसीएम-239/06 दिनांक 13.3.2006 आर-1031	श्री महेश कुमार अरोरा, 269, जनता क्वार्टर, एल.आई.जी कालोनी, इन्दौर (स्वयं के हृदय रोग के इलाज हेतु)	रु0-5,000/- (पांच हजार)
12.	एचसीएम-249/06 दिनांक 13.3.2006 आर-1032	डॉ. केशव पाण्डेय, 14, लक्ष्मीबाई कालोनी, ग्वालियर (पत्नी की किडनी के इलाज हेतु)	रु0-20,000/- (बीस हजार)
13.	एचसीएम-243/06 दिनांक 13.3.2006 आर-1033	श्री संजय जाधव, म.नं. 65, अम्बेडकर नगर, साउथ टी.टी. नगर, भोपाल (स्वयं के मिर्गी रोग के इलाज हेतु)	रु0-5,000/- (पांच हजार)
14.	एचसीएम-244/06 दिनांक 13.3.2006 आर-1034	श्री जगदीश सिंह रघुवंशी, ग्राम हिनोतिया नटेरन, जिला विदिशा (स्वयं के मूँह के कैंसर के इलाज हेतु)	रु0-20,000/- (पांच हजार)
15.	एचसीएम-242/06 दिनांक 13.3.2006 आर-1035	श्रीमती हीराबाई, पत्नी बिन्द्रा प्रसाद, 2282, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, बाग सेवनिया, अमराई, भोपाल (स्तन कैंसर रोग इलाज हेतु)	रु0-10,000/- (दस हजार)
		<b>कुल राशि-</b>	<b>रुपये-1,95,000 /-</b>

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि **1,95,000/-** (रुपयें-एक लाख पिन्चान्नवे हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखें।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष **2005-2006** के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(एस.एस.बंसल)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 16 मार्च, 2006.

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-46/2006/एक(1)

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-धार/ शिवपुरी/ नीमच / सीधी / झाबुआ/ राजगढ़/ इन्दौर/ ग्वालियर/ भोपाल/ विदिशा/ (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें तथा भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान

न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।

5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टाक फाइल.

(एस.एस.बंसल)  
उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

 16032006.

# Order-131

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन

:- आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-45/2006/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 17 मार्च, 2006.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि **रूपये- 6,50,000/-** (रूपये छः लाख हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स.क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1036	एचसीएम-226/06 दिनांक 13.3.2006 आर-	श्रीमती सीमा सिंह पत्नी श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह, निवासी-151 कोटरा सुल्तानाबाद जिला-भोपाल (पति के इलाज पर हुए व्यय की राशि का समायोजन हेतु)	रूपये-2,00,000/- (दो लाख)
1037	एचसीएम-227/06 दिनांक 13.3.2006 आर-	कलेक्टर, जिला-मुरैना (म.प्र.) (दिनांक 06.02.2006 को कैलारस जिला-मुरैना में मिनी बस में आग लगने से हुए घायलों एवं मृतकों को आर्थिक सहायता)	रूपये-4,00,000/- (चार लाख)
1038	एचसीएम-228/06 दिनांक 13.3.2006 आर-	श्री अभय भार्गव, 1, स्टेट बैंक कॉलोनी, देवास रोड, जिला-उज्जैन. (पुत्र मास्टर सक्षम भार्गव के सड़क दुर्घटना में घायल होने के कारण इलाज हेतु आर्थिक सहायता)	रु०-50,000/- (पचास हजार)
		कुल राशि-	रूपये-6,50,000/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि **रूपये- 6,50,000/-** (रूपये छः लाख हजार) मात्र मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखें।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष **2005-2006** के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(एस.एस.बंसल)  
उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग  
भोपाल, दिनांक 17 मार्च, 2006.

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-45/2006/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. **कलेक्टर, जिला-भोपाल/मुरैना/उज्जैन (मध्यप्रदेश)** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें तथा भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि **इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।** साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टाक फाइल.

(एस.एस.बंसल)  
उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

# Order-132

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-163/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 17 मार्च, 2006.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से, निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि **रूपये-5,000/-**(पांच हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम-2083/2005 दिनांक 24.10.2005 आर-569	श्रीमती सद्दीबाई पत्नी श्री हल्कूराम चौहान ग्राम खितवाई, तहसील-बुदनी, जिला-सीहोर (इलाज हेतु)	रु०-5,000/- (पांच हजार)
		कुल राशि	रूपये-5,000/-

- अतः उपरोक्तानुसार कुल **रूपये-5,000/-**(पांच हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।
- यह व्यय वित्तीय वर्ष **2005-2006** के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(एस.एस. बंसल)  
उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-163/2005/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 17 मार्च, 2006.

- महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
- सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
- कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.

4. कलेक्टर, जिला-सीहोर (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें तथा भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु अन्य कल्याणकारी योजनाओं या इस योजना से दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ति रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टाक फाइल.

(एस.एस. बंसल)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

 17032006.



# Order- 133

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन

—: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-48/2006/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 17 मार्च, 2006.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित संस्था को उनके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि **रूपये-75,000/-**(रूपये-पचहत्त हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1.	एचसीएम-254/06 दिनांक 16.3.06 आर-	श्री विनोद जैन निवासी वार्ड गाडरवारा जिला नरसिंहपुर (मोटियाबिंद के उपचार हेतु)	रू0-5,000/- (पांच हजार)
2.	एचसीएम-252/06 दिनांक 16.3.06 आर-	श्री चन्द्रिका प्रसाद गुप्ता आत्मज श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता निवासी 60 पिपरोहर जिला सीधी (विकलांग को आर्थिक सहायता)	रू0-5,000/- (पांच हजार)
3.	एचसीएम-251/06 दिनांक 16.3.06 आर-	श्रीमती गुलाब बाई यादव निवासी मैहर जिला सतना (स्वयं के लीवर के इलाज हेतु)	रू0-5,000/- (पांच हजार)
4.	एचसीएम-253/06 दिनांक 16.3.06 आर-	श्री जयराम दास आत्मज श्री धीरज दास निवासी 439, सुलभ काम्प्लेक्स के पास रोशनपुरा भोपाल (पुत्र के इलाज हेतु)	रू0-5,000/- (पांच हजार)
5.	एचसीएम-256/06 दिनांक 16.3.06 आर-	श्री हरिसिंह रघुवंशी ग्राम शाडोरा जिला अशोकनगर (हृदय के इलाज हेतु)	रू0-50,000/- (पचास हजार)
6.	एचसीएम-255/06 दिनांक 16.3.06 आर-	श्री गोविंदी चौधरी निवासी खुरपा जिला नरसिंहपुर (पुत्र के अण्डकोष के इलाज हेतु)	रू0-5,000/- (पांच हजार)
		कुल राशि-	रू0 75,000/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि **रूपये-75,000/-**(रूपये-पचहत्तर हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे। आवंटन की प्रत्याशा में स्वीकृति आदेश जारी किया गया है।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-48/2006/एक(1)

भोपाल, दिनांक 17 मार्च, 2006.

**प्रतिलिपि:-**

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल **रूपये-75,000/-**(पचहत्तर हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे।
4. यह व्यय वित्तीय वर्ष **2005-2006** के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7- /2006/एक(1)

भोपाल, दिनांक 17 मार्च, 2006.

**प्रतिलिपि:-**

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. **कलेक्टर, जिला-गाडरवारा/नरसिंहपुर/सीधी/सतना/भोपाल (मध्यप्रदेश)** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें तथा भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु अन्य कल्याणकारी योजनाओं या इस योजना से दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टाक फाइल.

उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

 17032006.

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन

:- आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-156/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 21 मार्च, 2006.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्तियों/ संस्थाओं को उसके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि **रुपये-85,000/- (रुपयें-पिच्चासी हजार) मात्र** स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम-1923/2005 26.09.2005 आर-533	श्री दिनेश जैन, निवासी-मण्डीबामोरा, जिला-विदिशा. (पुत्र के कैंसर इलाज हेतु)	रुपये-10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम-4800/2005 24.09.2005 आर-534	श्री बाबूचौधरी, निवासी-114, बड़ी भमौरी, इन्दौर (म.प्र.) (स्वयं के कैंसर इलाज हेतु)	रुपये-50,000/- (पचास हजार)
3	एचसीएम- 5181/ओपीआर.17.10.2005 आर-543	डॉ. अजय मेहता, अध्यक्ष, इंडियन आर्थोपेडिक एशोसिएशन, एमपी चेपटर, 98-ए कमला नगर, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल (गोल्डन जुबली के उपलक्ष्य में संस्था के संचालन हेतु)	रुपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
		<b>कुल राशि-</b>	<b>रुपये-85,000/-</b>

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल **रुपये-85,000/- (पिच्चासी हजार) मात्र** की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2

2

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। कृपया प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखें।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष **2005-2006** के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.आर.एस.मरावी)

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-156/2005/एक(1)

भोपाल, दिनांक 21 मार्च, 2006.

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. **कलेक्टर, जिला-विदिशा/इन्दौर/भोपाल (मध्यप्रदेश)** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें तथा भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु अन्य कल्याणकारी योजनाओं या इस योजना से दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टाक फाइल.

(आर.आर.एस.मरावी)

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

 21032006.

**Order- 135**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन

—: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-170/2005/एक(1)

भोपाल, दिनांक 21 मार्च, 2006.

प्रति,

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:-

माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित संस्था को उनके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि **रुपये-3,80,000/-**(रुपये- तीन लाख अस्सी हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1.	एचसीएम-2600/05 दिनांक 21.11.05 <b>आर-655</b>	श्रीमती बबीता ढींगरा, निवासी नानकराम गुलवानी, दुर्गा कालोनी, लश्कर, ग्वालियर (पुत्री कु0 भावना के इलाज हेतु)	रु0-20,000/- (बीस हजार)
2.	14569/मुमंनि/05 दिनांक 18.11.05 <b>आर-656</b>	श्री रमेश दांगे, नेत्रहीन, शुगर फैक्ट्री, डबरा जिला ग्वालियर (स्वयं के इलाज हेतु)	रु0-4,000/- (चार हजार)
3.	14579/मुमंनि/05 दिनांक 23.11.05 <b>आर-657</b>	श्री घीसीलाल पिता श्री प्रह्लाद सिंह निवासी ग्राम हड़लाय खुर्द, पोस्ट लसूडलिया (गलक) तह0 कालापीपल, जिला शाजापुर (हार्ट ऑपरेशन हेतु)	रु0-60,000/- (साठ हजार)
4.	एचसीएम-2607/05 दिनांक 21.11.05 <b>आर-658</b>	श्री विनायक गोपाल बागदरे, रामपेट, मु0पो0 खरगौन जिला खरगौन (पत्नी के इलाज हेतु)	रु0-25,000/- (पच्चीस हजार)
5.	एचसीएम-2617/05 दिनांक 21.11.05 <b>आर-659</b>	श्रीमती सोमदेवी पत्नी श्री मुंशीलाल राजपूत, जे. 142 हाउसिंग बोर्ड कालोनी, टीला जमालपुरा, भोपाल (पत्नी के इलाज हेतु)	रु0-15,000/- (पन्द्रह हजार)
6.	एचसीएम-2610/05 दिनांक 21.11.05 <b>आर-660</b>	श्री ज्ञानचंद अवधिया, निवासी मोहगांव तह0 बैहर जिला बालाघाट 2 (गंभीर बीमार के इलाज हेतु)	रु0-10,000/- (दस हजार)
7.	एचसीएम-2602/05 दिनांक 21.11.05 <b>आर-661</b>	श्री मिश्रीलाल पवार (कोडले) रोंढा तह0 एवं जिला बैतूल (स्वयं के इलाज हेतु)	रु0-15,000/- (पन्द्रह हजार)
8.	एचसीएम-2609/05 दिनांक 21.11.05 <b>आर-668</b>	सुश्री सुमन मुक्तिबोध, बी-177, आदर्श नगर, होशंगाबाद रोड, भोपाल (स्वयं के इलाज हेतु)	रु0-25,000/- (पच्चीस हजार)
9.	14680/मुमंनि/05 दिनांक 23.11.05 <b>आर-669</b>	श्री रामाधीन काछी पिता श्री मिट्टू काछी, ग्राम पोत्र चिल्हारी थाना इंदवार, चौकी अमरपुर तह0 भानपुर जिला उमरिया (स्वयं के इलाज हेतु)	रु0-1,000/- (एक हजार)
10.	एचसीएम-2626/05 दिनांक 22.11.05 <b>आर-671</b>	श्री रमेश कुमार राजवंशी (हरिजन) पुत्र श्री चुन्नीलाल निवासी ग्राम पंचायत कलखेड़ा तह0 हुजूर जिला भोपाल (स्वयं के इलाज हेतु)	रु0-10,000/- (दस हजार)
11.	6112/ओपीआर/05 दिनांक 25.11.05 <b>आर-672</b>	श्री आदेश्वर जैन निवासी बेरछा मण्डी जिला शाजापुर (स्वयं के इलाज हेतु)	रु0-25,000/- (पच्चीस हजार)
12.	एचसीएम-2621/05 दिनांक 21.11.05 <b>आर-673</b>	श्री रामसिंह पुत्र श्री हरिराम किरार निवासी ग्राम खजूरी सड़क तह0 हुजूर जिला भोपाल (पुत्र के इलाज हेतु)	रु0-5,000/- (पांच हजार)
13.	एचसीएम-2620/05 दिनांक 21.11.05 <b>आर-674</b>	श्री इंदर जैन पुत्र श्री एन.आर. जैन निवासी प्रेमनगर बालाघाट (इलाज हेतु)	रु0-5,000/- (पांच हजार)
14.	पीएससीएम/2786/05	श्री के0बी0 लहरी (वरिष्ठ पत्रकार) 81/13, तुलसीर	<b>रु0-100,000/-</b>

	दिनांक 23.11.05 <b>आर-675</b>	नगर, भोपाल (हृदय रोग के आपरेशन हेतु)	(एक लाख)
15.	पीएससीएम/2834/05 दिनांक 25.11.05 <b>आर-676</b>	डॉ० कैलाश नारद, विशेष संवाददाता, नई दुनिया, 742, अग्रवाल कालोनी, जैन मंदिर के पीछे, जबलपुर (स्वयं के इलाज हेतु)	रू०-25,000/- (पच्चीस हजार)
16.	एचसीएम-2654/05 दिनांक 24.11.05 <b>आर-681</b>	श्रीमती उषा खैरनार निवासी मकान नं. आई-3, बरगी कालोनी, तुलसी नगर, भोपाल (बच्चेदानी के आपरेशन हेतु)	रू०-25,000/- (पच्चीस हजार)
17.	एचसीएम-2665/05 दिनांक 25.11.05 <b>आर-682</b>	श्रीमती संतोष जैन पत्नी श्री एम०एल० जैन, ई-230, न्यू सुभाष नगर, रायसेन रोड, भोपाल (स्वयं के इलाज हेतु)	रू०-10,000/- (दस हजार)
		<b>कुल राशि-</b>	<b>रू० 3,80,000/-</b>

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि **रूपये-3,80,000/-**(रूपये- तीन लाख अस्सी हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख **3**। आवंटन की प्रत्याशा में स्वीकृति आदेश जारी किया गया है।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा **3**

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(आर.आर.एस.मरावी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 17 मार्च, 2006.

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-170/2005/एक(1)

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.  
**कलेक्टर, जिला-ग्वालियर/शाजापुर/खरगौन/भोपाल/बालाघाट/बैतूल/उमरिया, जबलपुर (मध्यप्रदेश)** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें तथा भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु अन्य कल्याणकारी योजनाओं या इस योजना से दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

# Order- 136

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन

—: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-162/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 21 मार्च, 2006.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित संस्था को उनके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि **रूपये-30,000/-**(रूपये- तीस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम-2025/2005 दिनांक 18.10.2005 आर-563	श्री दिलीप कुमार राठौर, निवासी-वार्ड क्रमांक-56, देवनगर गंजीवाला मोहल्ला, लक्कड़खाना, लश्कर ग्वालियर. (पुत्री के इलाज हेतु)	रू0-10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम-2026/2005 दिनांक 18.10.2005 आर-564	श्री तीर्थप्रसाद कुशवाह, निवासी-मर्दनपुर, पो. ढिलवाड, तहसील-तेंदूखेड़ा, जिला-नरसिंहपुर (अनाथ होने पर आर्थिक सहायता)	रू0-5,000/- (पांच हजार)
3	एचसीएम-2027/2005 दिनांक 18.10.2005 आर-565	श्रीमती कुसुम शिवहरे पत्नी स्व. श्री नरेन्द्र शिवहरे, निवासी राजपायगा रोड, नया बाजार, लश्कर जिला-ग्वालियर (पति की हत्या होने पर आर्थिक सहायता)	रू0-5,000/- (पांच हजार)
4	एचसीएम-2031/2005 दिनांक 18.10.2005 आर-566	श्री महेश निरंकारी पुत्र श्री इन्दरलाल, निवासी-काला सैयद रोड, तारागंज लश्कर ग्वालियर (पुत्र के इलाज हेतु)	रू0-10,000/- (दस हजार)
		<b>कुल राशि-</b>	<b>रूपये-30,000/-</b>

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि **रूपये-30,000/-** (रूपये-तीस हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे। आवंटन की प्रत्याशा में स्वीकृति आदेश जारी किया गया है।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(आर.आर.एस.मरावी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-162/2005/एक(1)

भोपाल, दिनांक 21 मार्च, 2006. प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. **कलेक्टर, जिला-ग्वालियर/नरसिंहपुर (मध्यप्रदेश)** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें तथा भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु अन्य कल्याणकारी योजनाओं या इस योजना से दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टाक फाइल.

 21032006.

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

**Order- 137**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन

:- आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-176/2005/एक(1)

भोपाल, दिनांक 21 मार्च, 2006.

प्रति,

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:-

माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.



श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित संस्था को उनके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि **रूपये-2,48,000/-**(रूपये- दो लाख अड़तालीस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम-2694 / 2005 दिनांक 26.11.2005 आर-706	श्री संजय पंचभया ग्राम दलदला पोस्ट सोनपुरी वि. ख. परसवाड़ा तह0 बैहर जिला बालाघाट (पुत्र के हृदय इलाज हेतु)	रू0-25,000 / - (पच्चीस हजार)
2	एचसीएम-2693 / 2005 दिनांक 26.11.2005 आर-708	श्री दयाराम विश्वकर्मा, ग्राम सफेदपुरा पोस्ट भोनपुरा जिला भिण्ड (पुत्र के इलाज हेतु)	रू0-5,000 / - (पांच हजार)
3	एचसीएम-2809 / 2005 दिनांक 29.11.2005 आर-712	अध्यक्ष, प्रयास संस्थान, जिला रतलाम (जनहित संबंधी कार्य हेतु)	रू0-2,00,000 / - (दो लाख)
4	एचसीएम-2689 / 2005 दिनांक 26.11.2005 आर-715	श्री बृजलाल निवासी बजरंग नगर, काकड़ ग्राम पंचायत लसुड़िया तह0 एवं जिला इंदौर (पुत्र के इलाज हेतु)	रू0-10,000 / - (दस हजार)
5	एचसीएम-2690 / 2005 दिनांक 26.11.2005 आर-716	श्री बाबूलाल कुशवाह निवासी मुकर्जी नगर, इंदौर (हृदय रोग के इलाज हेतु)	रू0-8,000 / - (आठ हजार)
		<b>कुल राशि-</b>	<b>रूपये-2,48,000 / -</b>

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि **रूपये-2,48,000/-**(रूपये-दो लाख अड़तालीस हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे। आवंटन की प्रत्याशा में स्वीकृति आदेश जारी किया गया है।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-176 / 2005 / एक(1)

भोपाल, दिनांक 21 मार्च, 2006.

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. **कलेक्टर, जिला-बालाघाट/भिण्ड/रतलाम/इंदौर (मध्यप्रदेश)** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें तथा भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु अन्य कल्याणकारी योजनाओं या इस योजना से दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता

प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।

5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टाक फाइल.

 21032006.

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

# Order- 138

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन

—: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-177/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 21 मार्च, 2006.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित संस्था को उनके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि **रूपये-25,000/-**(रूपये- पच्चीस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	जावक क्र0 101/मुमंस/05 दिनांक 1.12.2005 आर-759	कलेक्टर, जिला पन्ना मध्यप्रदेश (मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्रमांक 343 दिनांक 27 अक्टूबर, 2005 "मोगली बाल उत्सव झिन्ना में शामिल बच्चों स्वल्पाहार के आर्थिक सहायता)	रू0-25,000/- (पच्चीस हजार)

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि **रूपये-25,000/-**(रूपये-पच्चीस हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे। आवंटन की प्रत्याशा में स्वीकृति आदेश जारी किया गया है।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.आर.एस.मरावी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-177/2005/एक(1)  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 21 मार्च, 2006.

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. **कलेक्टर, जिला-पन्ना (मध्यप्रदेश)** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें तथा भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु अन्य कल्याणकारी योजनाओं या इस योजना से दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टोक फाइल.

 21032006.

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

# Order- 139

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन

—: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-185/2005/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 21 मार्च, 2006.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित संस्था को उनके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि **रूपये-200,000/-**(रूपये- दो लाख) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	146/मुमंस/05 दिनांक 24.12.2005 आर-781	घोषणा क्रमांक 362 दिनांक 19 नवम्बर, 2005 (सूर्य नमस्कार आयोजन समिति विवेकानन्द कन्याकुमारी शाखा, ग्वालियर) (अनुदान)	रूपये-2,00,000/- (दो लाख)
		कुल राशि-	रूपये-200,000/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि **रूपये-200,000/-**(रूपये- दो लाख) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे। आवंटन की प्रत्याशा में स्वीकृति आदेश जारी किया गया है।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. **कलेक्टर, जिला-ग्वालियर (मध्यप्रदेश)** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें तथा भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु अन्य कल्याणकारी योजनाओं या इस योजना से दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टाक फाइल.

 17032006.

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

**Order- 140**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन

—: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7- 49/2006/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 21 मार्च, 2006.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित संस्था को उनके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि **रूपये-1,55,000/-**(रूपये- एक लाख पचपन हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम-265/06 17.03.06 आर-1041	श्रीमती मुन्नीबाई पत्नी स्व० श्री नारायणसिंह खरे, विदिशा, जिला विदिशा (पुत्र की पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के कारण आर्थिक सहायता)	रू०-50,000/- (पचास हजार)
2	एचसीएम-266/06 17.03.06 आर-1042	श्री मोहनलाल अग्रवाल, निवासी 10 बी शिक्षक नगर एरोडम रोड, इन्दौर (स्वयं के हृदय रोग इलाज हेतु)	रू०-25,000/- (पच्चीस हजार)
3	एचसीएम-268/06 16.03.06 आर-1043	श्री धरमू राय, विधायक, खुरई जिला सागर निवासी ग्राम पो. परसौन तह. खुरई जिला सागर (स्वयं के इलाज हेतु आर्थिकसहायता)	रू०-25,000/- (पच्चीस हजार)
4	एचसीएम-269/06 17.03.06 आर-1044	श्री भंवर सिंह पिता राधु सिंह जी निवासी रिछादेवडा तहसील पिपलौदा जिला रतलाम (स्वयं के इलाज हेतु आर्थिक सहायता)	रू०-20,000/- (बीस हजार)
5	एचसीएम-267/06 17.03.06 आर-1045	श्रीमती सीमाबाई पत्नी श्री धर्मेन्द्र कुमार ब्राम्हण निवासी सनावद तह० बड़वाहा जिला खरगोन (पुत्री के इलाज हेतु आर्थिक सहायता)	रू०-10,000/- (दस हजार)
6	एचसीएम-263/06 17.03.06 आर-1046	श्रीमती पार्वती खरे पत्नी श्री शंकरलाल खरे, वकील तुलसीराम जी का मकान, बेरसिया रोड, रेल्वे फाटक, भोपाल (पति के इलाज हेतु आर्थिक सहायता)	रू०-25,000/- (पच्चीस हजार)
		कुल -	रू० 1,55,000/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि **रूपये-1,55,000/-**(रूपये-एक लाख पचपन हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे। आवंटन की प्रत्याशा में स्वीकृति आदेश जारी किया गया है।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर0आर0एस0 मरावी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-49/2006/एक(1)

भोपाल, दिनांक 21 मार्च, 2006.

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. **कलेक्टर, जिला-विदिशा/इन्दौर/सागर/रतलाम/खरगोन/भोपाल (मध्यप्रदेश)** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें तथा भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु अन्य कल्याणकारी योजनाओं या इस योजना से दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टक फाइल.

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग



21032006.



मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन

—: आदेश —:

क्रमांक एफ ए 7-50/2006/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 22 मार्च, 2006.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित संस्था को उनके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि **रूपये-80,000/-**(रूपये-अस्सी हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम-259/06 17.03.06 आर-1047	श्री छोटेलाल गुप्ता पुत्र गणेश गुप्ता ग्राम लालगांव ब्लाक गंगेव जिला रीवा (स्वयं के इलाज हेतु आर्थिक सहायता)	रु0-10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम-262/06 17.03.06 आर-1048	श्री कृष्णपाल सिंह पुत्र बुद्धिमान सिंह लालगांव अटरिया थाना गढ जिला रीवा (स्वयं के इलाज हेतु आर्थिक सहायता)	रु0-25,000/- (पच्चीस हजार)
3	एचसीएम-261/06 17.03.06 आर-1049	श्री रमेश कुमार गुप्ता पुत्र शोमनाथ गुप्ता सोम्बारी बाजार मनगवों जिला रीवा (स्वयं के इलाज हेतु आर्थिक सहायता)	रु0-25,000/- (पच्चीस हजार)
4	एचसीएम-260/06 17.03.06 आर-1050	श्री बसन्तलाल आदिवासी पुत्र जगजीवन आदिवासी ग्राम इंटवा भुनगाँव जिला रीवा (स्वयं के इलाज हेतु आर्थिक सहायता)	रु0-10,000/- (दस हजार)
5	एचसीएम-258/06 17.03.06 आर-1051	श्री भगवानदीन गुप्ता ग्राम पोस्ट गंगेव जिला रीवा (पत्नी के कैंसर के इलाज हेतु आर्थिक सहायता)	रु0-10,000/- (दस हजार)
		<b>कुल - रूपये अस्सी हजार मात्र</b>	<b>रु0 /-80,000/-</b>

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि **रूपये-80,000/-**(रूपये- अस्सी हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे। आवंटन की प्रत्याशा में स्वीकृति आदेश जारी किया गया है।

..... 2

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर0आर0एस0 मरावी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-50/2006/एक(1)

भोपाल, दिनांक 22 मार्च, 2006.

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. **कलेक्टर, जिला- रीवा (मध्यप्रदेश)** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें तथा भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु अन्य कल्याणकारी योजनाओं या इस योजना से दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग



22032006.

**Order- 142**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन

—: आदेश :—

क्रमांक एफ ए 7— 51/2006/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 23 मार्च, 2006.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:— माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान —वित्तीय वर्ष 2005—2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित संस्था को उनके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि **रूपये— 50,000/— (रूपये— पचास हजार) मात्र** स्वीकृत किये हैं:—

स. क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	575/डीएस/एजे 23.3.2006 आर-1052	टाटा मेमोरियल, अस्पताल, मुंबई, कुमारी रेशमा गुप्ता (आयु 14 वर्ष) पिता श्री राजेन्द्रनाथ गुप्ता, निवासी सावरकर वार्ड कटनी, जिला कटनी (कैंसर के इलाज हेतु)	रु०—50,000/— (पचास हजार)
		कुल — रूपये पचास हजार मात्र	रु० 50,000/—

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि **रूपये— 50,000/— (रूपये— पचास हजार) मात्र** का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण—पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे। आवंटन की प्रत्याशा में स्वीकृति आदेश जारी किया गया है।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005—2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या—सामान्य प्रशासन—शीर्ष—2013—मंत्रि—परिषद्—105—मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर0आर0एस0 मरावी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. **कलेक्टर, जिला- कटनी (मध्यप्रदेश)** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें तथा भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु अन्य कल्याणकारी योजनाओं या इस योजना से दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग



22032006.

**मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन**

-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7- 165/2006/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 23 मार्च, 2006.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित संस्था को उनके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि **रूपये- 1,30,500/-** (रूपये- एक लाख तीस हजार पांच सो) मात्र मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम-2019/05 दि० 18.10.2005 <b>आर-572</b>	श्री भैयालाल शर्मा, निवासी-मूडरा रतनसी, तह० लटेरी, जिला विदिशा (ब्रेन ट्यूमर के इलाज हेतु)	रु०-20,000/- (बीस हजार)
2.	एचसीएम-2155/05 दि० 29.10.2005 <b>आर-573</b>	कु. रानी राजोरिया पुत्री डी०पी० राजोरिया, निवास-8, भक्त नगर, उज्जैन (हृदय रोग के इलाज हेतु)	रु०-50,000/- (पचास हजार)
3.	एचसीएम-2120/05 दि० 26.10.2005 <b>आर-576</b>	श्री ओमप्रकाश गुप्ता, 254-बीएस-4, स्कीम नं. 78, विजय नगर, जिला इंदौर (उच्च शिक्षा हेतु)	रु०-20,000/- (बीस हजार)
4.	एचसीएम-2138/05 दि० 28.10.2005 <b>आर-578</b>	श्री तेजीलाल गूजर वल्द चेताराम गूजर, निवासी-गूजर खमरिया, पो० मढी, लखनादौन, जिला सिवनी (कैंसर रोग के इलाज हेतु)	रु०-10,000/- (दस हजार)
5.	जावक 14117/मुमनि/ 05, दि० 24.10.02005 <b>आर-579</b>	श्री दुलीचंद पटेल पुत्र श्री हरिराम कुर्मी, मकान नं० 42, जेल रोड, जहांगिराबाद, भोपाल (परिवार की उदर पूर्ति हेतु आर्थिक सहायता)	रु०-500/- (पांच सो)
6.	एचसीएम-2244/05 दि० 03.11.2005 <b>आर-580</b>	कु० नैना पुत्री श्री सतनाम सिंह, निवासी-रोशनपुरा नाका, भोपाल (आर्थिक सहायता)	रु०-25,000/- (पच्चीस हजार)
7.	एचसीएम-2390/05 दि० 09.11.2005 <b>आर-601</b>	श्री रामनारायण विश्वकर्मा आत्मज श्री रामचरण विश्वकर्मा, ग्राम पो० फंदाकला, तह० हुजूर, जिला भोपाल (इलाज हेतु आर्थिक सहायता)	रु०-5,000/- (पांच हजार)
		<b>कुल राशि -</b>	<b>रु० 1,30,500/-</b>

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि **रूपये- 1,30,500/-** (रूपये- एक लाख तीस हजार पांच सो) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा । प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे। आवंटन की प्रत्याशा में स्वीकृति आदेश जारी किया गया है।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर0आर0एस0 मरावी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-165/2006/एक(1)

भोपाल, दिनांक 23 मार्च, 2006.

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. **कलेक्टर, जिला- विदिशा, उज्जैन, इंदौर, सिवनी, भोपाल (मध्यप्रदेश)** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें तथा भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि **इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु अन्य कल्याणकारी योजनाओं या इस योजना से दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।** साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग



22032006.



	हेतु	
	कुल राशि -	रु0 2,13,628/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये- दो लाख तेरह हजार छह सौ अट्ठाइस (रूपये- 2,13,628) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे। आवंटन की प्रत्याशा में स्वीकृति आदेश जारी किया गया है।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,


(आर0आर0एस0 मरावी)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7- /2006/एक(1)

भोपाल, दिनांक 24 मार्च, 2006.

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला- विदिशा, भोपाल, सतना, ग्वालियर छिंदवाड़ा (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें तथा भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु अन्य कल्याणकारी योजनाओं या इस योजना से दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ति रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टक फाइल.

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग  
 22032006.



**Order- 145**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन

—: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7— /2006/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 25 मार्च, 2006.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित संस्था को उनके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि **रूपये- 1,42,000/-** (रूपये- एक लाख बयालीस हजार) मात्र मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	2380/मुमनि/06 दि0 23.03.2006 आर-	श्री पप्पू सेन पुत्र श्री जयराम सेन, ग्राम करारखेड़ी, जनपद पंचायत, विकासखंड विदिशा, जिला विदिशा (स्वयं के इलाज हेतु)	रू0-10,000/- (दस हजार)
2.	2382/मुमनि/06 दि0 23.03.2006 आर-	श्रीमती अनुकृति खासकलम पत्नि श्री अनुराग खासकलम, एम-189/2, ए, साकेत नगर भोपाल (स्वयं के ऑपरेशन हेतु)	रू0-15,000/- (पंद्रह हजार)
3.	2383/मुमनि/06 दि0 23.03.2006 आर-	श्रीमती जमुनादेवी मिश्रा, निवासी- श्रीजी की गली, नंदवाना, विदिशा, जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रू0-7,000/- (सात हजार)
4.	2381/मुमनि/06 दि0 23.03.2006 आर-	श्रीमती माया बाई पत्नी श्री भैयालाल कुशवाह, निवासी-वार्ड क्रं0 19, वंदा वेरागी मार्ग, काछीपुरा, विदिशा, जिला विदिशा (इलाज हेतु)	रू0-15,000/- (पंद्रह हजार)
5.	एचसीएम-289/06 दि0 24.03.2006 आर-	श्री दुर्गा प्रसाद आ0 डब्लूलाल रजक, निवासी गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर (पुत्री कु0 सीता बाई के बोन टी0वी0 के इलाज हेतु)	रू0-5,000/- (पांच हजार)
6.	एचसीएम-288/06 दि0 24.03.2006 आर-	श्री लीलम सिंह पुत्र श्री उधम सिंह प्रजापति, निवासी जिला शिवपुरी (स्वयं की हेडएंजुरी एवं कूल्हे की हड्डी के इलाज हेतु)	रू0-10,000/- (दस हजार)
7.	एचसीएम-287/06 दि0 24.03.2006 आर-	श्रीमती शांताबाई दुबे, नि0- 44, छोटी भभारी, इंदौर, जिला इंदौर (पुत्र के कैंसर के इलाज हेतु)	रू0-10,000/- (दस हजार)
8.	एचसीएम-286/06 दि0 24.03.2006 आर-	श्री जगदीश मालाकार, निवासी 72, दुर्गा नगर इंदौर, जिला इंदौर (पुत्री कु0 दिशा के दृढय के इलाज हेतु)	रू0-15,000/- (पंद्रह हजार)
9.	एचसीएम-285/06 दि0 24.03.2006 आर-	श्री निरंजन पिता श्री मथुरा लाल गौसर, निवासी-333, देवनगर, हरिजन बस्ती इंदौर, जिला इंदौर (पुत्री के दृढय के ऑपरेशन हेतु)	रू0-10,000/- (दस हजार)
10	एचसीएम-290/06 दि0 24.03.2006 आर-	श्री अमरसिंह यादव, निवासी गंजबसोदा, जिला विदिशा (कैंसर के इलाज हेतु)	रू0-25,000/- (पच्चीस हजार)

11	एचसीएम-284/06 दि० 24.03.2006 आर-	श्रीमती रूबीना पत्नि श्री युसुफ खान, निवासी-45/1, मोती तबेला, इंदौर, जिला इंदौर (हृदय रोग के इलाज हेतु)	रू०-10,000/- (दस हजार)
12	एचसीएम-283/06 दि० 24.03.2006 आर-	श्री मालम सिंह पुत्र श्री करण सिंह, निवासी- ग्राम मुगालिया, जिला भोपाल (कैंसर रोग के इलाज हेतु)	रू०-10,000/- (दस हजार)

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि **रूपये- 1,42,000/-** (रूपये- एक लाख बयालीस हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे। आवंटन की प्रत्याशा में स्वीकृति आदेश जारी किया गया है।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम  
से तथा आदेशानुसार,

(आर०आर०एस० मरावी)  
अवर सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7- /2006/एक(1)

भोपाल, दिनांक 25 मार्च, 2006.

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. **कलेक्टर, जिला- विदिशा, भोपाल, नरसिंहपुर, शिवपुरी, इंदौर (मध्यप्रदेश)** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें तथा भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि **इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु अन्य कल्याणकारी योजनाओं या इस योजना से दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।** साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग



22032006.

# Order- 145

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन

-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7- /2006/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 27 मार्च, 2006.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित संस्था को उनके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये- रू0 2,78,628/- (रूपये- दो लाख अठत्तर हजार छह सौ अट्ठाइस) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	2433/मुमनि/06 दि0 26.03.2006 आर-	श्री बलराम विश्वकर्मा पुत्र श्री हरलाल विश्वकर्मा, बरेठ रोड, गंजबासौदा, जिला विदिशा (स्वयं के इलाज हेतु आर्थिक सहायता)	रू0-20,000/- (बीस हजार)
2.	2433/मुमनि/06 दि0 26.03.2006 आर-	श्री जनरल सिंह ठाकुर पिता श्री पन्चम सिंह ठाकुर, निवासी-बाड़ी बरेली, जिला रायसेन (स्वयं के इलाज हेतु आर्थिक सहायता)	रू0-20,000/- (बीस हजार)
3.	2433/मुमनि/06 दि0 26.03.2006 आर-	श्री ब्रज गोपाल विश्वकर्मा, निवासी ग्राम व पोस्ट पटना तमोली, थाना सलेहा, जिला पन्ना (पुत्री के उपचार हेतु आर्थिक सहायता)	रू0-10,000/- (दस हजार)
4.	2433/मुमनि/06 दि0 26.03.2006 आर-	श्री कृष्ण तिवारी पुत्र स्व. श्री बिहारीलाल तिवारी, वार्ड नं0 9, तहसील रहली, जिला सागर (कैंसर के उपचार हेतु आर्थिक सहायता)	रू0-10,000/- (दस हजार)
5.	2433/मुमनि/06 दि0 26.03.2006 आर-	श्री शिवकुमार ठाकुर आत्मज श्री जसवंत सिंह ठाकुर, निवासी-मनकापुर, तह0 बरेली, जिला रायसेन (स्वयं के इलाज हेतु आर्थिक सहायता)	रू0-50,000/- (पचास हजार)
6.	2433/मुमनि/06 दि0 26.03.2006 आर-	श्री बहादुर सिंह आ0 श्री सरदार सिंह, निवासी ग्राम भादौर, तहसील आरोन, जिला गुना (स्वयं के इलाज हेतु आर्थिक सहायता)	रू0-25,000/- (पच्चीस हजार)
7.	2433/मुमनि/06 दि0 26.03.2006 आर-	श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव आ0 श्री कोमल प्रसाद नि0 द्वारा श्री के0पी0 श्रीवास्तव, सी-11, हा0बो0 कॉलोनी, कोहिफिजा, भोपाल (किडनी ट्रांसफर कराने हेतु आर्थिक सहायता)	रू0-50,000/- (पचास हजार)
8.	2433/मुमनि/06 दि0 26.03.2006 आर-	श्री लक्ष्मण डोंगर देव नि0 द्वारा श्री महेश श्रीवास्तव,, ई-2/223, महावीर नगर, भोपाल (स्वयं के इलाज हेतु आर्थिक सहायता)	रू0-15,000/- (पंद्रह हजार)
9.	2433/मुमनि/06 दि0 26.03.2006 आर-	श्री राजेन्द्र शर्मा आ0 श्री गणेश प्रसाद शर्मा, नि0 एम. 208, विश्वकर्मा नगर, बैरसिया रोड, भोपाल (स्वयं के इलाज हेतु आर्थिक सहायता)	रू0-10,000/- (दस हजार)
10	2433/मुमनि/06 दि0 26.03.2006 आर-	श्रीमती रामदशी, निवासी-341, विकास नगर, गोविंदपुरा, वार्ड क्रमांक 56, भोपाल (स्वयं के इलाज हेतु आर्थिक सहायता)	रू0-10,000/- (दस हजार)

11.	एचसीएम-280/06 दि० 23.03.200 आर-	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल (मान० श्री रामचरित्र, पूर्व विधायक, सिंगरौली जिला सीधी के चिकित्सा व्यय पर हुई राशि के भुगतान के समायोजन हेतु)	रू०-58,628/- (अठावन हजार छह सौ अठाइस)
		<b>कुल राशि -</b>	<b>रू० 2,78,628/-</b>

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि **रूपये- रू० 2,78,628/-** (रूपये- दो लाख अठत्तर हजार छह सौ अठ्ठाइस) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे। आवंटन की प्रत्याशा में स्वीकृति आदेश जारी किया गया है।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम  
से तथा आदेशानुसार,

(आर०आर०एस० मरावी)  
अवर सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7- /2006/एक(1)

भोपाल, दिनांक 27 मार्च, 2006.

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल (म०प्र०)
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
4. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
5. **कलेक्टर, जिला- विदिशा, रायसेन, पन्ना, सागर, गुना, भोपाल (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें तथा भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु अन्य कल्याणकारी योजनाओं या इस योजना से दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।**
6. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
7. संबंधित.
8. स्टाक फाइल.

अवर सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग



27032006.

**Order-146**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन

:- आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-55/2006/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 28 मार्च, 2006.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि कुल राशि रूपये-1,35,000/- (रूपये-एक लाख पैंतीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है।

स.क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम-291/06 दि० 25.03.200 आर-1077	श्रीमती कमला ओम प्रकाश सेनी, पार्श्वद वार्ड क्रमांक-23, नगर पालिका कालोनी, महाराणा बंगला के पीछे, नीमच (हृदय रोग के इलाज हेतु)	रूपये-50,000/- (पचास हजार)
2	एचसीएम-292/06 दि० 25.03.200 आर-1078	श्रीमती सुमन शर्मा पति श्री सूर्य कुमार 155, एलआयजी, धार (बाय-पास सर्जरी हेतु)	रूपये-20,000/- (बीस हजार)
3	एचसीएम-293/06 दि० 25.03.200 आर-1079	श्रीमती उर्मिला दाहिया, ग्राम -पोंडा, सिहोरा, जिला-जबलपुर (पति के लकवा के इलाज हेतु)	रूपये-20,000/- (बीस हजार)
4	एचसीएम-294/06 दि० 25.03.200 आर-1080	श्री ललित सिंह नामदेव, जवाहर कालोनी, पुरानी शिवपुरी, (हृदय बाल्व के ऑपरेशन हेतु)	रूपये-20,000/- (बीस हजार)
5	एचसीएम-295/06 दि० 25.03.200 आर-1081	श्री राकेश परिहार, पुत्र श्री जगदेव सिंह, निवासी-राजपुरा, बड़वानी (पेट के ऑपरेशन हेतु)	रूपये-15,000/- (पन्द्रह हजार)
6	एचसीएम-291/06 दि० 25.03.200 आर-1082	श्री हरिकिशन गोड़, 6 चंद्रशेखर मार्ग, धार (पत्नी के हृदय बाल्व के ऑपरेशन हेतु)	रूपये-10,000/- (दस हजार)
		कुल राशि-	रूपये-1,35,000/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये-1,35,000/- (रूपये-एक लाख पैंतीस हजार ) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा । प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखें। आवंटन की प्रत्याशा में स्वीकृति आदेश जारी किया गया है।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर0आर0एस0 मरावी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 28 मार्च, 2006.

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-55/2006/एक(1)

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. कलेक्टर, जिला-नीमच/धार/शिवपुरी/बड़वानी/जबलपुर (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें तथा भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु अन्य कल्याणकारी योजनाओं या इस योजना से दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित.
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग



26032006.

**Order-147**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन

-: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-57/2006/एक(1)

भोपाल, दिनांक 29 मार्च, 2006.

प्रति,

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:-

माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये- **रु0 1,35,000/-** (रूपये- एक लाख पैंतीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम-306/06 दि0 28.03.2006 आर-1101	श्रीमती कल्पना अटवाड़े, निवासी कोहिनूर कालोनी, पालदा, इन्दौर (पति के एड्स रोग के इलाज हेतु )	रु0-5,000/- (पांच हजार)
2.	एचसीएम-305/06 दि0 28.03.2006 आर-1102	श्री कपूरचंद जैन, निवासी मकान नम्बर 1233, हाउसिंग बोर्ड कालोनी बैरसिया रोड, भोपाल (स्वयं के हृदय रोग के इलाज हेतु )	रु0-5,000/- (पांच हजार)
3.	एचसीएम-304/06 दि0 28.03.2006 आर-1103	श्रीमती सीपराबाई निवासी अरन्याकला जिला-शाजापुर (स्वयं के कैंसर के इलाज हेतु )	रु0-5,000/- (पांच हजार)
4.	एचसीएम-303/06 दि0 28.03.2006 आर-1104	श्री जगदीश विश्वकर्मा निवासी ग्राम समनापुर तह0 सिलवानी जिला रायसेन (श्वेशर से हाथ कट जाने के कारण आर्थिक सहायता )	रु0-5,000/- (पांच हजार)
5.	एचसीएम-302/06 दि0 28.03.2006 आर-1105	श्रीमती गुड्डी शर्मा पत्नी श्री वीरेन्द्र शर्मा निवासी चम्बल कालोनी सबलगढ़ जिला मुरैना (रीढ़ ही हड्डी के इलाज हेतु)	रु0-20,000/- (बीस हजार)
6.	एचसीएम-301/06 दि0 28.03.2006 आर-1106	श्रीमती प्रभा गुप्ता निवासी गंगेव जिला रीवा (कैंसर के इलाज हेतु)	रु0-40,000/- (चालीस हजार)
7	एचसीएम-300/06 दि0 28.03.2006 आर-1107	श्री बद्रीलाल नागर निवासी ग्राम फिलोजपुर जिला श्योपुर (स्वयं के कैंसर के इलाज हेतु)	रु0-50,000/- (पचास हजार)
8	एचसीएम-299/06 दि0 28.03.2006 आर-1108	श्री प्रहलाद राम जेटवानी निवासी वारासिवनी जिला बालाघाट (स्वयं के हृदय रोग इलाज हेतु)	रु0-5,000/- (पांच हजार)

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये- **रु0 1,35,000/-**(रूपये- एक लाख पैंतीस हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे। आवंटन की प्रत्याशा में स्वीकृति आदेश जारी किया गया है।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार,

(आर0आर0एस0 मरावी)  
अवर सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7- 57/2006/एक(1)

भोपाल, दिनांक 29 मार्च, 2006.

**प्रतिलिपि:-**

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल (म0प्र0)
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
4. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
5. **कलेक्टर, जिला-इन्दौर / भोपाल / शाजापुर / रायसेन / मुरैना / रीवा / श्योपुर मध्यप्रदेश)** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें तथा भुगतान की कार्रवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि **इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को एक ही उद्देश्य हेतु अन्य कल्याणकारी योजनाओं या इस योजना से दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।** साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
6. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
7. संबंधित.
8. स्टाक फाइल.

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग



29032006.

**Order-148**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन

—: आदेश :-

क्रमांक एफ ए 7-53/2006/एक(1)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2006.

प्रति,

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

**विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.**

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि **रूपये-1,94,000/- (रूपये-एक लाख चौरान्णवें हजार) मात्र** स्वीकृत किये हैं:-

स.क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम-275/06 दि0 23.03.200 आर-1054	श्री धीरेन्द्र सिंह धीरू, पूर्व विधायक, निवासी- एच-123, भरहुत नगर, सतना, जिला सतना (स्वयं के जोड़ों की बीमार के इलाज हेतु)	रू0-20,000/- (बीस हजार)
2	एचसीएम-308/06 दि0 31.03.2006	कलेक्टर, जिला-भोपाल, (म.प्र.)	रू0-14,000/- (चौदह हजार)



	<b>आर-1109</b>	(एक वर्ष पूर्व ग्राम सूखी सेवनिया में रेल दुर्घटना के समय अकाल मोत हो जाने के कारण परिवार को भुगतान की गई राशि का समायोजन हेतु आर्थिक सहायता)	
<b>3</b>	एचसीएम-309/06 दि० 31.03.2006 <b>आर-1110</b>	<b>कलेक्टर,</b> <b>जिला-शिवपुरी (म.प्र.)</b> (जिला-शिवपुरी के पिछोर के पास दिनांक 29.11.2005 को सड़क दुर्घटना में मृत श्री अरविन्द्र अग्निहोत्री एवं श्री नरेश तिवारी के परिजन को पच्चीस-पच्चीस हजार एवं घायल को रुपये-दस हजार की आर्थिक सहायता)	रुपये-60,000/- (साठ हजार)
<b>4</b>	एचसीएम-307/06 दि० 31.03.2006 <b>आर-1111</b>	श्री अकमर पिता <b>अमर</b> भली, टेगोर बेडी सेंधवा, जिला-बड़वानी <b>?</b> (इलाज हेतु)	रुपये-1,00,000/- (एक लाख)
		<b>कुल राशि-</b>	रुपये-1,94,000/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि **रुपये-1,94,000/- (रुपये-एक लाख चौरान्नवें हजार)** मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। प्राप्ति **?** उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे। आवंटन की प्रत्याशा में स्वीकृति आदेश जारी किया गया है।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार,

(आर0आर0एस0 मरावी)  
अवर सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-53/2006/एक(1)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2006.

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल (म0प्र0)
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
4. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
5. **कलेक्टर, जिला-सतना/भोपाल/शिवपुरी/बड़वानी, (मध्यप्रदेश)** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें तथा भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि **इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु अन्य कल्याणकारी योजनाओं या इस योजना से दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।** साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ति रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
6. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
7. संबंधित.
8. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव,

**Order-149**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन

—: आदेश :—

क्रमांक एफ ए 7-58/2006/एक(1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2006.

मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश मंत्रालय,  
भोपाल.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान -वित्तीय वर्ष 2005-2006.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष कालम-4 में दर्शाए अनुसार कुल राशि रुपये-2,55,000/- (रुपये-दो लाख पचपन हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स.क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक/दिनांक	अनुदानग्रहिता का नाम/पता एवं स्वीकृति का उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.
1	एचसीएम-310/06 दि0 31.03.2006 आर-1112	श्री मोहन शशि, वरिष्ठ संपादक, दैनिक भास्कर जबलपुर(हृदय के उपचार हेतु)	रुपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
2	एचसीएम-311/06 दि0 31.03.2006 आर-1113	श्रीमती मुन्नीबाई, निवासी-सूखा करार जिला-रायसेन (स्वयं के कैंसर के उपचार हेतु)	रुपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
3	एचसीएम-312/06 दि0 31.03.2006 आर-1114	श्री सुरेश चंद ब्यौहार, निवासी -ई-7,अशोका सोसायटी, अरेरा कालोनी,भोपाल (स्वयं के हृदय के उपचार हेतु)	रुपये-50,000/- (पचास हजार)
4	एचसीएम-313/06 दि0 31.03.2006 आर-1115	कुं0 ममता श्रीवास्तव, आ. स्व. श्री संतोष श्रीवास्तव, निवासी-175,कुम्हारपुरा, चिकलोदरोड,जहाँगीराबाद भोपाल(नेत्रहीन निराश्रित हेतु आर्थिक सहायता)	रुपये-10,000/- (दस हजार)
5	एचसीएम-314/06 दि0 31.03.2006 आर-1116	श्री राकेश साहू, आ. श्री नंदकिशोर जी साहू, निवासी-सागरद्वारा- जागरूक उपभोक्ता जन कल्याण समिति, 71, गुलाब भवन, दुर्गा चौक, बरखेड़ी, भोपाल(स्वयं के पेट के उपचार हेतु)	रुपये-15,000/- (पन्द्रह हजार)
6	एचसीएम-315/06 दि0 31.03.2006 आर-1117	श्री साबिर मीर खा पुत्र श्री इल्यास मीर खॉ, निवासी- काजी मोहल्ला, बैगमगंज, जिला-रायसेन (पुत्र साजिद मीर की हत्या होने के कारण परिवार	रुपये-10,000/- (दस हजार)

		को सहायता)	
7	एचसीएम-316/06 दि० 31.03.2006 आर-1118	श्री बी.एल.दिवाकर, निवासी- 35 जेल रोड, जहाँगीराबाद, भोपाल(स्वयं की किडनी एवं कैंसर के उपचार हेतु)	रुपये-50,000/- (पचास हजार)
8	एचसीएम-317/06 दि० 31.03.2006 आर-1119	श्री अचल सिंह तिवारी, निवासी- लक्ष्मणनगर, दाना पानी रोड,भोपाल(स्वयं के पेट में सरिया घुस जाने से ऑपरेशन हेतु)	रुपये-15,000/- (पन्द्रह हजार)
9	एचसीएम-320/06 दि० 31.03.2006 आर-1120	श्रीमती कांति मेहरा, पत्नि श्री शीलचंद मेहरा, निवासी- बजरंग वार्ड, तहसील गोटेगॉव, जिला- नरसिंहपुर (पुत्र के मुँह के ऑपरेशन उपचार हेतु)	रुपये10,000/- (दस हजार)
10	एचसीएम-321/06 दि० 31.03.2006 आर-1121	जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल,भोपाल (श्री राधेश्याम शर्मा, निवासी- राधोगढ़,जिला-गुना को कैंसर के उपचार हेतु)	रुपये-25,000/- (पच्चीस हजार)
11	एचसीएम-318 एव 319/06 दि० 31.03.2006 आर-1122	कलेक्टर, जिला-रायसेन (दिनांक 18.10.2005 को सांडिया मांगरोल घाट पर नर्मदा नदी में स्नान करते समय पानी में डूबने से (1) श्री रामबाबू पिता श्री मंगलदास,निवासी ग्राम- मझगवांसानी, तहसील बेगमगंज,जिला-रायसेन. (2) श्री हरनाम सिंह पिता श्री दयालनिवासी ग्राम- मझगवांसानी, तहसील बेगमगंज,जिला-रायसेन के दोनों मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता.)	रुपये-10,000/- (दस हजार) रुपये-10,000/- (दस हजार)
		कुल राशि-	रुपये-2,55,000/-

2. अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि **रुपये-2,55,000/-** (रुपये-दो लाख पचपन हजार) मात्र का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कलेक्टर से लेकर अभिलेख में रखे। आवंटन की प्रत्याशा में स्वीकृति आदेश जारी किया गया है।

4. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंतर्गत अनुदान संख्या-सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-मंत्रि-परिषद्-105-मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार,

(आर0आर0एस0 मरावी)

अवर सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ ए 7-58/2006/एक(1)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2006.

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल (म0प्र0)
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, (मध्यप्रदेश)
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
4. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
5. **कलेक्टर, जिला-जबलपुर/रायसेन/भोपाल/नरसिंहपुर/गुना (मध्यप्रदेश)** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान से स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्ति/संस्था को सूचित करें तथा भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें। यह भी लेख है कि **इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु अन्य कल्याणकारी योजनाओं या इस योजना से दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।** साथ ही प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त राशि का भुगतान कर संबंधित अनुदानग्रहिता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्राप्ती रसीद आदि प्राप्त कर सीधे मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भिजवाने का कष्ट करें।
6. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
7. संबंधित.
8. जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल, भोपाल
9. स्टाक फाइल.

अवर सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

 31032006.